Forest Diversion proposal for 1397.54 ha forest land out of which 1335.35 ha Reserved forest land (RF) in various forest compartments and 62.19 ha Revenue forest in various Khasra's of Forest Range Waidhan / Sarai East for Open Cast cum Underground Dhirauli Coal Mine Project in favour of Mahan Energen Ltd (formerly known as M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited) under Singrauli Forest Division, Singrauli District of Madhya Pradesh State.

(Online Proposal No. FP/MP/MIN/142344/2021)

adani
Power

Ref. No./38/MEL/2025

Date: 08.04.2025

To,
Divisional Forest officer,
Singrauli district,
Madhya Pradesh

Sub: Submission of Forest Clearance Stage -1 compliance for Diversion of 1397.54 ha forest land out of which 1335.35 ha Reserved forest land (RF) in various forest compartments and 62.19 ha Revenue forest in various Khasra's of Forest Range Waidhan / Sarai East for Open Cast cum Underground Dhirauli Coal Mine Project in favour of Mahan Energen Ltd (formerly knows as M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited) under Singrauli Forest Division, Singrauli District of Madhya Pradesh State (Online Proposal No. FP/MP/MIN/142344/2021).

Ref: Forest Clearance Stage 1 approval letter granted vide letter no. 8-01/2024-FC I/82880/2024 dated 24.09.2024 by Ministry or Environment Forest and Climate Change, Govt. of India.

Respected Sir/Madam,

Referring to above subject matter for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land out of which 1335.35 ha reserved forest land (RF) in various forest compartments and 62.19 ha revenue forest in various Khasra's of Forest Range Waidhan/ Sarai East in favour of Mahan Energen Ltd (formerly known as M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited) under Singrauli Forest Division, Singrauli District of Madhya Pradesh State.

Please find below point wise compliance of stage 1 Forest Clearance.

Sr. No.	Conditions	Compliance
i.	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	**Noted for Compliance,** Legal status of the diverted forest land will remain unchanged undertaking for the same attached as **Annexure-1.**
ii.	**Compensatory Afforestation:**	
a.	Compensatory afforestation (CA) shall be done on identified land through artificial regeneration of Sal and planting of other native associates of Sal to restore the ecological services of the area. This should be achieved by planting of trees as well as by other measures of eco-restoration, e.g. soil & water conservation and rainwater	**Complied,** CA scheme along with its technical sanctions and amount deposited in CAMPA Madhya Pradesh account as per issued demand note and payment receipt is attached in **Annexure -2.**

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

adani
Power

Sr. No.	Conditions	Compliance
b.	The non-forest land to be identified shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department and shall also be notified as RF/PF under IFA, 1927 or any state /local act before granting the Stage-II approval.	Complied, The CA land equivalent to 1397.54 ha transferred and mutated in favor of the State Forest Department. The details of the same is uploaded on portal CA land mutation details are attached as **Annexure 3.**
c.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required on the CA land, shall be deposited in advance with the Forest Department by the user agency. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include afforestation of indigenous species with appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	Complied, CA scheme along with its technical sanctions and amount of Rs. 987,033,677 is deposited in CAMPA Madhya Pradesh account as per issued demand note and payment receipt is attached in **Annexure -2.**
iii.	**Net Present Value:**	
a.	The User Agency shall transfer the funds towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal in accordance with the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022;	The funds of **Rs. 1,695,861,930/-** towards the cost of Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal has been submitted in the CAMPA Madhya Pradesh account no. 150767282 IFSC Code – UBIN0996335 on 17.10.2024, as per the MoEF&CC's guidelines dated 6.01.2022 read with guidelines dated 19.01.2022. Payment receipt of NPV payment is attached as **Annexure 4**. Screenshot of the Parivesh portal payment verification is also attached as **Annexure -5**.
b.	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the present rate, the user agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	Noted, undertaking for additional NPV is attached as **Annexure -6**
iv.	As per the component wise breakup, the total rationalized area is mentioned as 72.11 ha out of which 51.82 ha is forest land. In this regard the	**Agreed,** The forest land of 51.82 ha given as rationalized area in component wise breakup

Sr. No.	Conditions	Compliance
v.	The User Agency shall prepare a detailed mining plan for 40 years, linking the progress of mining and felling of the trees clearly. Felling of trees shall be done, when it is absolutely necessary in phase-wise manner in the areas which become due for mining as per mining plan;	**Noted.** The mining plan and mine closure plan has been approved by MOC vide File No. MPS-34011/4/2021-MPS, dated: 04.05.2021 the progress of mining and felling of the trees is given in the detailed note attached as **Annexure -8.** Felling of trees will be done in phase-wise manner as per approved mine plan.
vi.	The identified forest land for external OB dump shall be used judiciously by taking appropriate measures to check soil erosion in the area. Since this is non-coal bearing area, hence, after the initial use as OB dump, the entire area shall be reverted back to original by flattening and taking suitable measures including planting of native species;	Noted, Appropriate measures to minimize the soil erosion shall be taken. The OB dump on the forest land will be reclaimed as per approved mine closure plan, entire external dump is planned as flat top surface and native species plantation is proposed. The slope of OB dump biologically reclaimed with shrubs and herbs. Undertaking for the same is attached as **Annexure- 9.**
vii.	A hydrological study for the entire area shall be prepared by reputed organisations like any IIT or NIT at the cost of User Agency. The Hardul Nala retraining work should be done as per the hydrological study and in consultation with water Resources Department.	Hydrological study for the proposed project is prepared by IIT BHU. The Hardul Nala retraining work will be done as per the hydrological study and in consultation with water Resources Department, Govt. of Madhya Pradesh Hydrology report attached as **Annexure 10.** WRD NOC has been granted by office of chief Engineer, Ganga Basin, M.P. vide Memo no 2512/G/W/MP/1-48 of 22 dated 19.4.2022 for nala diversion and the copy is attached as **Annexure -11.**
viii.	Diversion of transmission line shall be done using a defined corridor with minimum centre to centre distance between the lines to economise need of additional land;	Noted, Diversion of transmission line will be done using a defined corridor with minimum centre to centre distance between the lines to economise need of additional land; Undertaking for the same is attached as **Annexure-12.**
ix.	A comprehensive wildlife mitigation plan shall be prepared by the State Govt. for the entire landscape. Although the project area is not part of any Elephant Corridor, but in view of its proximity to an elephant corridor and ESZ of a tiger reserve, the site-specific mitigation plan	**Complied** The Site Specific Wildlife Management Plan has been approved by PCCF (wildlife) with budgetary provision of Rs. 10.65 Cr. vide letter no क्रमांक/व.प्रा./माचि./2022/MINE-140/8522 dated 24.11.2022 (attached as **Annexure- 13**).

Sr. No.	Conditions	Compliance
	should be prepared for funding by user agency to avoid future conflicts;	The amount of 10.65 cr. has been deposited in CAMPA Madhya Pradesh account no. 150767282 IFSC Code – UBIN0996335 dated 02.12.2024 (UTR no. YESBR12024120300021384. Payment receipt is attached as **Annexure 14.**
x.	A Comprehensive Rehabilitation and Resettlement (R&R) Plan shall be prepared and implemented before commencing mining operations in the area;	A Comprehensive Rehabilitation and Resettlement (R&R) Plan has been prepared and approved vide letter no. 2147 /BHU-Arjan /22 dated 18.11.2022 Copy of approved R&R plan attached as **Annexure- 15.**
xi.	Catchment treatment plan should be prepared to compensate the loss of catchment to the small nalas and rivulets in and around the proposed mining lease;	Noted. The Catchment treatment plan has been prepared and approved on 05.11.2024 by PCCF –LM. Bhopal vide order no F-1/845/2023/10-11/88 to compensate the loss of catchment to the small nalas and rivulets in and around the proposed mining lease. The approved Catchment treatment plan report is attached as **Annexure – 16.** Payment towards catchment treatment plan and its mitigation measures has been done on CAMPA Madhya Pradesh on 21/11/2024 with UTR no. YESBR12024112100021845 an amount of Rs.11,973,600/-.
xii.	The State Government shall upload the KML files of the area under diversion and the accepted area for raising compensatory afforestation in the e-Green watch portal of FSI, before handling over forest land to the user agency;	Noted, The same has been uploaded by the State Govt.
xiii.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA account only through **e-portal**(https://parivesh.nic.in/); Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;	**Noted.** The payment of the necessary compliance like CA scheme, NPV, WLMP etc. are deposited in the CAMPA Madhya Pradesh only through **e-portal** (https://parivesh.nic.in/) and the Details of all the payments is verified on PARIVESH portal. Screenshot of PARIVESH protal (payment verified) is attached as **Annexure-5.**
xiv.	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent Reclamation Plan as per the approved Mining Plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be	**Agreed.** The mining shall be done in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent Reclamation Plan as per the approved Mining Plan will be executed from the very first year, and an annual report on implementation will be submitted to the Nodal

Sr. No.	Conditions	Compliance
	submitted to the Nodal Officer, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities are satisfactorily executed.	Officer, Madhya Pradesh as per Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. An undertaking for is attached as **Annexure-17.**
xv.	The user agency shall prepare a schedule for surrender of the mined out and reclaimed forest land in accordance with existing mining plan and submit the same along with an undertaking to surrender the mined out and reclaimed forest land as per such schedule to the MoEF&CC before grant of 'Final' approval under the Adhiniyam for diversion of the said forest land;	**Noted.** Schedule for the surrender of mined out area will be reclaimed as forest land which is approved mine plan and mine closure plan at Chapter no. 8 under the biological reclamation plan. The Schedule for surrender of the reclaimed Forest land is attached as **Annexure 18.**
xvi.	The rehabilitated forest area after closure of mining operations shall be handed over to the State Forest Department for sustainable forest management in the future;	**Noted.** The rehabilitated forest area after closure of mining operations will be handed over to the State Forest Department as per the approved mine plan and mine closure plan. The undertaking regarding the same is attached as **Annexure - 19.**
xvii.	Safety Zone Management: Following activities, at project cost, shall be undertaken by the user agency for the management of safety zone as per relevant guidelines issued by the Ministry's guidelines:	
a.	User agency shall ensure demarcation of safety zone (7.5-meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing and deploying adequate number of watchers under the supervision of the State Forest Department;	**Noted.** We shall ensure demarcation of safety zone (7.5-meter strip all along the inner boundary of the mining lease area), and its fencing, protection and regeneration by erecting adequate number of 6 feet high RCC boundary pillars inscribed with DGPS coordinates with barbed wire fencing. The undertaking for the same is attached as **Annexure -20.**
b.	Boundary of the safety zone of the mining lease, adjacent to habitation/roads, should be properly fenced by the user agency;	**Noted.** The undertaking for the same attached as **Annexure -20.**
c.	Safety zone shall be maintained as green belt around mining lease and to ensure dense canopy in the area, regeneration shall be taken up in this area by the user agency at project cost under the supervision of the State Forest Department;	**Noted.** The undertaking for the same attached as **Annexure -20.**
d.	The State Government and the user agency shall ensure that safety zone is maintained as per the prescribed norms;	**Noted.** The undertaking for the same attached as **Annexure -20.**

Sr. No.	Conditions	Compliance
xviii.	Following activities, as per approved plan / schemes, shall be undertaken in the lease area by the User Agency under the supervision of the State Forest Department:	
a.	Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be implemented within a period of three year with effect from the issue of 'Final' approval in accordance with the approved Plan/Scheme in consultation with the State Forest Department;	**Noted.** The Approved Soil moisture conservation plan/Catchment treatment plan is attached as **Annexure 16.** The undertaking of for implementation is attached as **Annexure - 21.**
b.	Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved Plan/scheme;	**Noted.** The undertaking for the same is attached as **Annexure - 21.**
c.	Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved Plan/Scheme;	**Noted.** The undertaking for the same is attached as **Annexure - 21.**
d.	Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28°; and	**Noted.** The undertaking for the same is attached as **Annexure - 21.**
e.	No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow the top soil management plan.	**Noted.** The undertaking for the same attached as **Annexure - 21.**
xix.	The validity of approval granted under the Adhiniyam shall be for a period coterminous with the validity of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, as amended from time to time or Rules framed there under, or for such period as may be specified by the Central Government;	**Noted.**
xx.	The User Agency either himself or through the State Forest Department shall undertake gap planting and soil and moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any, located within the periphery of 100 m from outer perimeter of the mining lease as per approved plan for plantation and SMC activities submitted along with compliance of 'in-principle' approval;	**Noted.** The SMC/CAT plan is approved vide by Nodal officer on 05.11.2024 vide order no F-1/845/2023/10-11/88. Payment towards the catchment treatment plan and its mitigation measures has been done on CAMPA Madhya Pradesh on 21/11/2024 with UTR no. YESBR12024112100021845 of amount Rs.11,973,600/-. Payment advice is attached as **Annexure 22**. The Conservation activities as per the plan will be implemented to rejuvenate and restock the forest land. The undertaking is attached as **Annexure – 23.**
xxi.	The User Agency shall regularly undertake desilting of village tanks and other water bodies, located within five km from the mine lease	**Noted.** Undertaking for regular desiltation in five km of area is attached as **Annexure – 24**

Sr. No.	Conditions	Compliance
	boundary, as per approved plan, to mitigate the impact of project on such tanks/water bodies;	
xxii.	The User Agency shall comply with the Hon'ble Supreme Court order on regrassing, and re-grass the mining area and any other areas which may have been disturbed due to mining to restore them to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna, etc. in a timely manner;	**Noted.**
xxiii.	Adequate care shall be taken to check any rolling of overburden/dumps beyond the designated area and to check soil erosion caused due to mining activities;	**Noted.**
xxiv.	The user agency shall undertake de-silting of the village tanks and other water bodies located within five km from the mine lease boundary so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies, whenever required;	**Noted.** The undertaking for regular desiltation in five km of area is attached as **Annexure – 24.**
xxv.	The User agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same shall be submitted to the Regional Office along with the 'in-principle' approval; and	**Noted.** The SMC/CAT plan is approved vide by Nodal officer on 05.11.2024 order no F-1/845/2023/10-11/88. Payment of catchment treatment plant has been done on Campa Madhya Pradesh on 21/11/2024 with UTR no. YESBR12024112100021845 of amount Rs.11,973,600/- Payment advice is attached as **Annexure 22**. The Conservation activities as per the plan will be implemented to rejuvenate and restock the forest land. Undertaking is attached as **Annexure - 21.**
xxvi.	Under no circumstances, approval granted for the use of forest land for underground mining, shall subsequently be converted to opencast mining operations.	**Noted.** Mining will be done as per approved mine plan and mine closure plan along with the conditions stipulated in Forest Clearance letter and other statutory approvals.
xxvii.	The R&R Plan shall be implemented as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work and implementation. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	**Noted.** The R&R plan has been approved vide letter no. 2147 /BHU Arjan /22 dated 18.11.20222 and attached as **Annexure-15.**
xxviii.	The user agency shall explore the possibility of translocation of maximum number of trees identified to be felled;	**Noted.** Translocation of trees will be explored as per the site conditions.

Sr. No.	Conditions	Compliance
xxix.	The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	**Noted,** for compliance.
xxx.	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	Environmental Clearance (EC) granted by MoEF&CC vide file no. IA-J-11015/49/2021-IA-II(M), dated 07.12.2024. Copy of EC letter is attached as **Annexure-25.** -
xxxi.	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	**Noted.** The undertaking for no labour camp shall be establish on the forest land and provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site is attached **annexure-26.**
xxxii.	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates; The layout plan of the mining plan/ proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	**Noted.** The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS coordinates The undertaking for no change in layout plan without prior approval from the Central Government is attached as **Annexure-27**
xxxiii.	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	**Noted,** for compliance
xxxiv.	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	**Noted.** Undertaking regarding the same is attached as **Annexure -28.**
xxxv.	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	**Noted,** shall be complied.
xxxvi.	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year regularly;	**Noted,** shall be complied.
xxxvii.	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife shall be carried with by the State Government and user agency; and	**Noted,** shall be complied.

Sr. No.	Conditions	Compliance
xxxviii.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.16 of Chapter 1 of the Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 as issued by this Ministry's letter dated 29.12.2023;	**Noted,** shall be complied.
xxxix.	The compliance report shall be uploaded on **e-portal** (https://parivesh.nic.in/).	**Noted,** shall be complied.

Annexure 1

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Legal status of forest land

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertake that the Legal status of the diverted forest land will remain unchanged for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land In Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 2

Extract of CA scheme amount deposited in CAMPA Madhya Pradesh Account

Sr. no.	CA Scheme	Area (ha)	Type of land	CA scheme amount deposited (Rs.)	UTR/Ref no.	Amount as per UTR (Rs.)	Date of payment
A	**Sagar district**	33.56	Pvt	16618094	YESBR12024102300014390	16,618,094	23.10.2024
B	**Raisen district**	9.839	Pvt	7685979	YESBR12025021200023546	7,685,979	11.02.2025
C	**Agar Malwa District 12 villages**	378.21	Govt	290036577	SBINR12025032179328384	290036577.0	21.03.2025
D	**Shivpuri**	757.88	Govt	506493975	SBINR12025032980544440	250,000,000	29.03.2025
					SBINR12025032980544425	256,493,975	29.03.2025
E	**Agar Malwa District 5 villages**	219.31	Govt	166199052	SBINR12025040781494173	166,199,052	07.04.2025
	total	**1398.79**		**987033677**		**987,033,677**	

Payment advice Sagar District CA scheme

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर वनमंडल, जिला सागर (म.प्र.)

E-mail :- [illegible] Phone & Fax No. :- 07582-236337

क्रमांक / मा.वि. / 2024 / 4764 सागर, दिनांक - 7/10/24

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
स्टाटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
अडानी कॉर्पोरेशन हाउस, शांतिग्राम, SG हाईवे गुजरात.

विषय – वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र चेहन, माढा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकबा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकबा 62.19हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54हे0 वनभूमि में बिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाइन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भ – 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 8–17 / 2023–FC/1/83491/2024 दिनांक 24.09.2024

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्र. एफ–1 / 845 / 2023 / 10–11 / 2023 / 5026 दिनांक 26.09.2024

—000—

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से प्रकरण में सैद्धातिक स्वीकृति जारी की गयी है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक ii(c) अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि का मांग पत्र आवेदक संस्थान को जारी करने बावत् वन मंडल अधिकारी वन मंडल सिंगरौली के पत्र क्रमांक/तक/7024 दिनांक3.10.2024 से इस कार्यालय को लेख किया है वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित निजी गैरवनभूमि रकबा 33.56 हे0 में वृक्षारोपण योजना की जारी तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि रूपये 1,66,18,094.00 (एक करोड़ छियासठ लाख अठारह हजार चौरानवे रूपये) कैम्पा मद में जमा की जाकर हस्तांतरित राशि का यू.टी.आर नम्बर एवं चालान की मूल प्रति प्रस्तुत की जावे।

प्रकरण में इस वन मंडल की भौगोलिक सीमा अंतर्गत ग्राम लक्षनपुरा, तहसील राहतगढ़, की निजी भूमि खसरा क्र. 45.57.56.53/2.53/1.52/2.52/1.51, कुल रकबा 33.56 हे0 क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित की गई है। स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक ii(b) अनुसार प्रस्तावित भूमि को वनभूमि घोषित कराने की कार्यवाही की जाना है गैर वन भूमि को वनभूमि घोषित कराने हेतु मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा जारी प्रचलित चैक लिस्ट व निर्देशों की प्रति पत्र के साथ सलग्न कर आपको प्रदाय की जा रही है कृपया चैक लिस्ट अनुसार अभिलेखों की मूल प्रति इस कार्यालय में शीघ्र उपलब्ध करावे ताकि अधिरोपित शर्तों का पालन किया जा सके।

सलग्न उपरोक्तानुसार

(चन्द्रशेखर सिंह)
भा.व.से.
वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल

पृ.क्रमांक / मा.वि. / 2024 / सागर, दिनांक –

प्रतिलिपि – 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल को उनके संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. वन मंडल अधिकारी वन मंडल सिंगरौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल

STRATATECH MINERAL RESOURCES PVT LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14290GJ2019PTC110138

Payment Advice		Document	2000001715
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	23.10.2024
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12024102400014390
City	BHOPAL		
Ref No	23.10.2024 SMR23		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 16,618,094.00 (Rupees One Crore Sixty Six Lakh Eighteen Thousand Ninety Four Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	18.10.2024	16,618,094.00	0.00	0.00	16,618,094.00
	Total		0.00	0.00	16,618,094.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

Payment advice Raisen District CA scheme

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)

(email : dfo rse@mp.gov.in [Phone & Fax No. 07482 - 232027])

क्रमांक / माचि / 229 रायसेन,दिनांक 20/01 / 2025

प्रति,

मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस
प्रा.लि. अहमदाबाद गुजरात।

विषय :– मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्रा.लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हे.वनभूमि में धिरौली कोल ब्लोक के वनभूमि व्यपवर्तन के आनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म0प्र0 अंतर्गत जिला रायसेन में दी जा रही गैर वनभूमि के उपयुक्तता बाबत्।

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/142344/2021/2910 दिनांक 07.07.2023 तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पृ0 पत्र क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2023 / 10–11 / 2023 / 5026 दिनांक 26.09.2024

--- 00 ---

विषयांकित प्रकरण के संबंध मे लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का सदर्भित पत्र दिनांक 07.07.2023 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उनके द्वारा सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में धिरौली कोल ब्लोक के वनभूमि व्यपवर्तन के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म0प्र0 अंतर्गत दी जा रही गैर वनभूमि की के.एम.एल फाईलें इस कार्यालय को प्रेषित कर उपरोक्त गैर वनभूमि का स्थल निरीक्षण कर यह जानकारी चाही थी कि उपरोक्त उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि, वनभूमि तो नहीं है ? तथा उपरोक्त गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं ? यदि हॉं तो इसकी क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित उनकी ओर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदानुसार इस कार्यालय द्वारा ग्राम चैनपुरा मुजप्ता तहसील बेगमगंज जिला रायसेन स्थित खसरा नं0 120 / 2, खसरा नं. 120 / 1 / 1 / 3 कुल रकबा 9.893 हेक्टेयर उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कराई जाकर योजना तकनीकी स्वीकृति हेतु वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर प्रेषित की गई। तदउपरान्त वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा उपरोक्त प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई। प्रकरण के संबंध मे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का सदर्भित पत्र दिनांक 26.09.2024 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार निर्देशित किया गया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य पर होने वाले व्यय की राशि का मांग पत्र आवेदक विभाग को जारी कर उक्त राशि कैम्पा मद मे जमा कराई जावे। प्रकरण के संबंध मे आपके पत्र दिनांक 09.12.2014 द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित गैर वनभूमि पर फेंसिंग का कार्य आप द्वारा न कराया जाकर वन विभाग द्वारा ही कराया जावे।

अतः सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत ग्राम चैनपुरा मुजप्ता तहसील बेगमगंज जिला रायसेन स्थित निजी भूमि खसरा नं0 120 / 2, खसरा नं. 120 / 1 / 1 / 3 कुल रकबा 9.893 हेक्टेयर उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार व्यय होने वाली **कुल राशि 7685979 / –** होती है जिसे कैम्पा मद मे जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक / एफ–25–36 / 2005 / 10–3 / 2002 / दिनांक 09 / 10 अक्टूबर 2023 द्वारा जारी निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मे पर्यवेक्षण शुल्क की राशि सम्मिलित नही की गई है परियोजना मे प्रथम चरण की स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा कराये जाने हेतु पृथक से मांग पत्र जारी किया जावेगा।

(विजय कुमार)
भा.व.से.
वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

पृ0क्रमांक / माचि / 230 रायसेन, दिनांक 20 / 01 / 2025

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पृ0 पत्र क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2023 / 10–11 / 2023 / 5026 दिनांक 26.09.2024 एवं इस कार्यालय के पृ0 पत्र क्रमांक / माचि / 50 दिनांक 08.01.2025 के संबंध मे सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल रायसेन

ADANI MINING LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14299GJ2022PLC134875

Payment Advice		Document	2000000657
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	11.02.2025
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12025021200023546
City	BHOPAL		
Ref No	11.02.2025 HN29		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 7,685,979.00 (Rupees Seventy Six Lakh Eighty Five Thousand Nine Hundred Seventy Nine Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	21.01.2025	7,685,979.00	0.00	0.00	7,685,979.00
	Total		0.00	0.00	7,685,979.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

Payment advice Agar Malwa District-12 Villages CA scheme

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

पता : टेलीफोन टॉवर के पास ए.बी. रोड़ शाजापुर (म.प्र.) पिन 465001
ई–मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

क्रमांक / तक. / 2025 / 1025 शाजापुर, दिनांक 10.3.25

प्रति,

स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस
प्राइवेट लिमिटेड

विषय– Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 1397.54 ha forest land out of which 1335.35 ha Reserved forest land (RF) in various forest compartments and 62.19 ha Revenue forest in various Khasra's of Forest Range Waidhan/ Sarai East for Open Cast Dhirauli Coal Mine Project in favour of M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited under Singrauli Forest Division, Singrauli District of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/MIN/142344/2021) - regarding.

संदर्भ:– 1.भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 24.09.2024
2.मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन का पत्र कमांक / तकनीकी / 2025 / 1013 दिनांक 25.02.2025

——00——

विषयांतर्गत लेख हैं कि वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न / पूर्व सरई के विभिन्न आरक्षित वनखण्डों की 1335.35 हे. एवं राजस्व वनभूमि 62.19 हे. कुल रकबा 1397.54 हे. वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत उपयोग भूमि के व्यपवर्तन का स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव – FP/MP/MIN/142344/2021 में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा ग्राम बीजानगरी, कण्डारी, मारूबर्डिया, चिपिया, पाड़ल, हटीपुरा, दुर्गपुरा, नारेला, झलारा बड़ौद, खेडा चौहान, धंधेड़ा कानड़ एवं घानीखेड़ी की कुल रकबा 378.21 हेक्टेयर भूमि की तैयार की गई 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा आदेश कमांक / तकनीकी / 2025 / 14 दिनांक 25.02.2025 से जारी की गई हैं :–

	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.में	आबंटित रकबा हे.में	योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
1.	87 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद	12	53.740	18.460	18460	14676060/-
			21 / 1	6.880	6.870	23550	18865957/-
			36 / 1	21.810	14.630		
			19 / 1	1.000	1.000		
			18	1.500	1.050		
					23.550		
			1	21.990	17.020	43290	28469089/-
2.	89 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 22.10.2024	ग्राम कण्डारी तहसील बड़ौद	107 / 2	15.920	9.370		
			105	17.700	12.380		
			107 / 1	10.280	4.520		
					43.290		
			71	29.470	19.180	32490	21571652/-
			75	15.470	13.310		
					32.490		
			102	21.000	13.780	13780	13031259/-
3.	94 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम मारूबर्डिया तहसील बड़ौद	1	34.020	25.900	25900	18661343/-
			55	35.150	10.000	10000	9870876/-
			75	7.190	5.200	15920	13519600/-
			57	10.730	10.720		
					15.920		

Contd....2.

4.	96 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 13.12.2024	ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद	761 752 2272 753 765 776 767	0.400 16.330 13.610 4.840 6.350 1.780 0.310	0.170 11.860 9.450 3.880 5.080 1.260 0.160	31860	21319735/-
					31.86		
5.	85 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम पाडल तहसील बड़ौद	631	39.160	27.210	27210	18967168/-
6.	127 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 22.10.2024	ग्राम हरीपुरा तहसील बड़ौद	8 170	9.300 12.420	9.300 7.540	16840	13256109/-
					16.84		
7.	123 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 31.12.2024	ग्राम दुर्गापुरा तहसील बड़ौद	507 511 618 658 505 506	0.060 2.550 6.190 3.470 3.340 11.620	0.060 2.530 2.000 3.020 2.850 9.680	20140	17878804/-
					20.14		
8.	102 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 25.11.2024	ग्राम नारेला तहसील बड़ौद	1939 1941 1942 1938 1940	2.070 0.740 26.180 4.340 1.640	2.070 0.740 20.610 3.760 1.640	28820	20645659/-
					28.82		
9.	124 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम झलारा बड़ौद तहसील बड़ौद	85 2/3 84 2/2	1.220 5.200 0.880 2.990	0.710 5.060 0.740 1.340	7850	9006160/-
					7.85		
10	84 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद	1360 1361 1362	4.100 2.720 3.090	3.420 1.760 3.090	8270	9359393/-
					8.27		
11	86 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम धधेड़ा कानड़ तहसील आगर	80 102 103/5 139	0.63 6.14 25.65 14.06	0.41 4.95 14.83 3.63	23820	18291903/-
					23.82		
12	91 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 28.10.2024	ग्राम घानीखेड़ी तहसील आगर	80 84 117 79 156/1	0.340 3.000 24.320 3.560 11.780	0.220 1.530 13.340 3.480 11.440	30010	22645810/-
					30.01		
		महायोग			**378.21**	**378210**	**290036577/-**

Contd....3.

उपरोक्त स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की लागत राशि कुल रूपये 290036577/- (उनतीस करोड़ छत्तीस हजार पॉच सौ सतहत्तर रू. मात्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में राशि जमा की जावें तथा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 29003658/– (दो करोड़ नब्बे लाख तीन हजार छः सौ अट्ठावन रू0 मात्र) राज्य की राजस्व मद "0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियां, (0229) विविध प्राप्तियां मद में एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा की जाकर चालान अथवा डी.डी. इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा गैर वनभूमि का आधिपत्य विधिवत रूप से विभाग को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

(हेमलता शाह)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शाजापुर

पृ.क्रमांक/तक/2025/1026 शाजापुर, दिनांक 10.3.25

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर की ओर भेजकर लेख हैं कि कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा आदेश दिनांक 16.11.2024 से ग्राम सनावदा की 32.90 हे. एवं आदेश दिनांक 30.12.2024 से ग्राम शिवगढ़ की 35.67 हे. हस्तांतरित गैर वनभूमि की निर्देशानुसार 11 वर्षीय संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं भेजे तथा आबंटित भूमि निर्देशानुसार सीमांकन उपरांत प्राप्त कर मय KML के एवं भा.व.अ. 1927 की धारा 29 के अधिसूचना प्रस्ताव तैयार करने हेतु चेकलिस्ट अनुसार अभिलेख संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम सहित प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शाजापुर

adani

MAHAN ENERGEN LTD

"ADANI CORPORATE HOUSE" SHANTIGRAM,NEAR VAISHNODEVI CIRCLE,SG HIGHWAY, KHODIYAR,
Gandhinagar GUJARAT INDIA 382421
CIN No: U40100DL2005PLC201961

Payment Advice		Document	2000053645
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	21.03.2025
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	SBINR12025032179328384
City	BHOPAL	PO Number	
Ref No	21.03.2025 MEL68	Vendor Bill Number	00000000
		Plant Code	
Bank IFSC Code	UBIN0996335	Description	Payment of CA Scheme for
Bank A/c No	1507658142344368		

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 290,036,577.00 (Rupees Twenty Nine Crore Thirty Six Thousand Five Hundred Seventy Seven Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	20.03.2025	290,036,577.00	0.00	0.00	290,036,577.00
	Total		0.00	0.00	290,036,577.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

Payment advice Shivpuri District CA scheme

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शिवपुरी (म0प्र0)

दूरभाष एवं फैक्स नं 07492-221012 ई मेल dfotshivp@mp.gov.in मोबाइल : 9424794737

क्रमांक/डी.एम./2025/ 1541 शिवपुरी, दिनांक/ 25/08/2025

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
अडानी कॉर्पोरेट हाउस शांतिग्राम
नियर वैष्णो देवी सर्किल एस.जी.हाईवे
कोडियार अहमदाबाद गुजरात

विषय :- वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर एफ वन कक्षों के रकबा 1335.35 हेक्टेयर वन भूमि तथा विभिन्न खसरो की रकबा 62.19 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 1397.54 हेक्टेयर वन भूमि में धिरोली कॉल ब्लॉक अंतर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा ऊपरी सतह के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड

—00—

विषयांकित के संबंध संदर्भित पत्र के तारतम्य में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र दिनांक 29-04-2024 से अधिरोपित शर्तों के तहत सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, जिसकी छायाप्रति आपकी ओर भेजकर लेख है कि आप अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन कर पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

शर्त क्रमांक ii (c) के पालन में निम्नानुसार राशि जमा करावे । राजस्व भूमि 757.88 हेक्टेयर एवं 562 हेक्टेयर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि :-

क्र.	विवरण	राशि	मद
01	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राशि	50,64,93,975	ई पोर्टल के माध्यम (केम्पा) में जमा करावे

इस आशय का बचन पत्र भी प्रस्तुत करे कि भविष्य में यदि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो यूजर एजेन्सी जमा कराने हेतु बचनबद्ध रहेगी।

परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म०प्र० कोषालय में ऑन लाइन पृथक से जमा कराई जावेगी , इस हेतु आवेदक विभाग बचन पत्र प्रस्तुत करे कि यूजर एजेन्सी पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा कराने हेतु बचनबद्ध रहेगी। पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा कराने हेतु मांग पत्र पृथक से जारी किया जावेगा ।

25/08/25
(सुधांशु यादव)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)

पृष्ठांकन क्रमांक/डी.एम./2024/ 1542 शिवपुरी, दिनांक/ 25/08/2025

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबन्ध) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
2. वन संरक्षक शिवपुरी वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।
3. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरोली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शिवपुरी (म.प्र)

adani

MAHAN ENERGEN LTD

"ADANI CORPORATE HOUSE" SHANTIGRAM,NEAR VAISHNODEVI CIRCLE,SG HIGHWAY, KHODIYAR,
Gandhinagar GUJARAT INDIA 382421
CIN No: U40100DL2005PLC201961

Payment Advice		Document	2000055326
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	29.03.2025
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	SBINR12025032980544440
City	BHOPAL	PO Number	
Ref No	29.03.2025 MEL05	Vendor Bill Number	00000000
		Plant Code	
Bank IFSC Code	UBIN0996335	Description	Advance Payment of CA
Bank A/c No	1507658142344728		

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 250,000,000.00 (Rupees Twenty Five Crore Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	29.03.2025	250,000,000.00	0.00	0.00	250,000,000.00
	Total		0.00	0.00	250,000,000.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

adani

MAHAN ENERGEN LTD

"ADANI CORPORATE HOUSE" SHANTIGRAM,NEAR VAISHNODEVI CIRCLE,SG HIGHWAY, KHODIYAR,
Gandhinagar GUJARAT INDIA 382421
CIN No: U40100DL2005PLC201961

Payment Advice

Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Document	2000055327
Vendor Address		Date	29.03.2025
		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	**S**BI**N**R12025032980544425
City	BHOPAL	PO Number	
Ref No	29.03.2025 MEL05	Vendor Bill Number	00000000
		Plant Code	
Bank IFSC Code	UBIN0996335	Description	Advance Payment of CA
Bank A/c No	1507658142344728		

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 256,493,975.00 (Rupees Twenty Five Crore Sixty Four Lakh Ninety Three Thousand Nine Hundred Seventy Five Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	29.03.2025	256,493,975.0	0.00	0.00	256,493,975.00
	Total	256,493.975.0	0.00	0.00	256,493,975.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

Payment advice Agar Malwa District - 5 Villages CA scheme

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

पता : टेलीफोन टॉवर के पास ए.बी. रोड़ शाजापुर (म.प्र.) पिन 465001
ई-मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

क्रमांक / तक. / 2025 / 1455 शाजापुर, दिनांक 02.4.25

प्रति,

स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस
प्राइवेट लिमिटेड

विषय– Proposal for seeking prior approval of the Central Government under section 2 (1) (ii) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for diversion of 1397.54 ha forest land out of which 1335.35 ha Reserved forest land (RF) in various forest compartments and 62.19 ha Revenue forest in various Khasra's of Forest Range Waidhan/ Sarai East for Open Cast Dhirauli Coal Mine Project in favour of M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited under Singrauli Forest Division, Singrauli District of Madhya Pradesh State (Online No. FP/MP/MIN/142344/2021) - regarding.

संदर्भ– 1.भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 24.09.2024
2.मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन का पत्र कमांक / तकनीकी / 2025 / 1545 दिनांक 28.03.2025

——00——

विषयांतर्गत लेख है कि वनमण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न / पूर्व सरई के विभिन्न आरक्षित वनखण्डों की 1335.35 हे. एवं राजस्व वनभूमि 62.19 हे. कुल रकबा 1397.54 हे. वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अंतर्गत उपयोग भूमि के व्यपवर्तन का स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का ऑनलाईन प्रस्ताव – FP/MP/MIN/142344/2021 में प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए शाजापुर वनमण्डल में आबंटित कुल 597.52 हे. गैर वनभूमि में से कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा ग्राम बीजानगरी, कण्डारी, मारूबर्डिया, चिपिया, पाड़ल, हटीपुरा, दुर्गपुरा, नारेला, झलारा बड़ौद, खेड़ा चौहान, धंधेड़ा कानड़ एवं घानीखेड़ी की कुल रकबा 378.21 हेक्टेयर भूमि की तैयार की गई 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति कमांक / तकनीकी / 2025 / 1013 दिनांक 25.02.2025 से रूपये 290036577 / – का मांगपत्र प्रेषित किया गया है।

प्रकरण में ग्राम खजूरी चौपड़ा, रायपुरिया, गंगापुर, सनावदा एवं शिवगढ़ की शेष गैर वनभूमि रकबा 219.31 हेक्टेयर भूमि की तैयार की गई 11 वर्षीय क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजनाओं में मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन द्वारा आदेश क. / तकनीकी / 2025 / 17 दिनांक 28.03.2025 से निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की गई हैं :–

क्र.	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.में	आबंटित रकबा हे.में	योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
1.	92 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 10.02.2025	ग्राम खजुरी चौपड़ा तहसील बड़ौद	568	46.080	33.470	33470	21081772 / –
	योग :–			46.080	33.470		
2.	88 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 17.03.2025	ग्राम रायपुरिया तहसील आगर	105	11.820	9.720	61020	41416164 / –
			128	22.270	17.120		
			137	1.250	0.800		
			130	6.500	5.300		
			78	49.280	28.080		
	योग :–			91.120	61.020		
3.	160 / अ–20(3) / 2024–25 दिनांक 17.03.2025	ग्राम गंगापुर तहसील बड़ौद	1	17.450	13.680	56250	48163864 / –
			133 / 1	15.070	8.940		
			133 / 2	2.000	1.300		
			149	3.500	3.500		
			153	6.750	6.750		
			282 / 1	2.120	2.120		
			283	4.100	4.100		
			289	4.100	4.100		
			287	3.170	2.240		
			288	1.750	1.750		
			291	5.430	3.080		
			292	10.250	4.690		
	योग :–			77.690	56.250		

Contd....2.

4.	98 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम सनावदा तहसील आगर	1132	6.800	5.100	31600	24637917 / –
			394	0.320	0.130		
			384	3.910	3.190		
			1131	2.320	2.250		
			383	5.500	4.350		
			499 / 1	16.880	16.580		
			योग :–	35.73	31.60		
	योग :–		401	1.990	1.300	1300	2548108
				1.990	1.300		
5.	125 / अ–20(3) / 2023–24 दिनांक 30.12.2024	ग्राम शिवगढ़ तहसील आगर	652	14.350	7.840	35670	28351227 / –
			653	5.650	0.650		
			644	8.960	6.270		
			648	4.600	4.600		
			467	4.440	4.440		
			654	1.750	1.750		
			647	12.620	10.120		
	योग :–			52.370	35.670		
	महायोग				219.31	219310	166199052/-

उपरोक्त स्वीकृत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की लागत राशि कुल रूपये 166199052/- (सोलह करोड़ इकसठ लाख निन्यानवे हजार बावन रू. मात्र) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में राशि जमा की जावें तथा प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 16619905 / – (एक करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार नौ सौ पांच रू0 मात्र) राज्य की राजस्व मद "0406 वानिकी और वन्य जीवन (01) वानिकी, (800) अन्य प्राप्तियां, (0229) विविध प्राप्तियां मद में एम.पी. ऑनलाईन ट्रेजरी अथवा डी.डी. के माध्यम से जमा की जाकर चालान अथवा डी.डी. इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा गैर वनभूमि का आधिपत्य विधिवत रूप से विभाग को हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

(हेमलता शाह)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शाजापुर

पृ.क्रमांक / तक / 2025 / 1456
शाजापुर, दिनांक 02.4.25

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उपवनमंडलाधिकारी, वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर की ओर भेजकर लेख हैं कि प्रकरण में आबंटित गैर वनभूमि निर्देशानुसार सीमांकन उपरांत प्राप्त कर मय KML के एवं भा.व.अ. 1927 की धारा 29 के अधिसूचना प्रस्ताव तैयार करने हेतु चेकलिस्ट अनुसार अभिलेख संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम सहित प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल शाजापुर

CA Scheme and Technical Sanction

12- Villages Agar Malwa

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)-456010

E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in

Ph. (0734) 2512101
Fax (0734) 2512102

क्रमांक/तकनीकी/2025/1013 उज्जैन, दिनांक 25/12/2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः- मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई मे रकवा 1397.54 हे. वनभूमि मे घिरोली कोल ब्लॉक के वनभूमि व्यपवर्तन के ऑनलाईन प्रकरण (FP/MP/MIN/142344/2021) मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित गैर वनभूमियो की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं प्रेषित किये जाने बाबद।

संदर्भः- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर का पत्र क्रं./तक./2025/698 दिनांक 17-02-2025 ।

विषयांतर्गत निवेदन है कि, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके संदर्भित पत्र से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली मे रकवा 1397.54 हे. वनभूमि मे कोल ब्लॉक घिरोली के वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण (ऑनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/142344/2021) मे प्रकरण मे कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेश क्रमांको से वन विभाग को हस्तांतरित की गई गैर वनभूमियों मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं संशोधित कर तकनीकी अनुमोदन हेतु निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

क्र.	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.में	आबंटित रकबा हे.में	योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
1.	87/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद	12	53.740	18.460	18460	14676000 -
			21/1	6.880	6.870	23550	18865957 -
			36/1	21.810	14.630		
			19/1	1.000	1.000		
			18	1.500	1.050		
					23.550		
			1	21.990	17.020	43290	28469089 -
2.	89/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.10.2024	ग्राम कण्डारी तहसील बड़ौद	107/2	15.920	9.370		
			105	17.700	12.380		
			107/1	10.280	4.520		
					43.290		
			71	29.470	19.180	32490	21571652 -
			75	15.470	13.310		
					32.490		
			102	21.000	13.780	13780	13031259 -
3.	94/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम मारूबड़िया तहसील बड़ौद	1	34.020	25.900	25900	18661343 -
			55	35.150	10.000	10000	9870876 -
			76	7.190	5.200	15920	13519600 -
			57	10.730	10.720		
					15.920		

क्र.	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.में	आबंटित रकबा हे.में	योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	वैकल्पिक दृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
4.	96/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 13.12.2024	ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद	761	0.400	0.170	31860	21319735/-
			752	16.330	11.860		
			2272	13.610	9.450		
			753	4.840	3.880		
			765	6.350	5.080		
			776	1.780	1.260		
			767	0.310	0.160		
					31.86		
5.	85/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम पाड़ल तहसील बड़ौद	631	39.160	27.210	27210	18967168/-
6.	127/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.10.2024	ग्राम हटीपुरा तहसील बड़ौद	8	9.300	9.300	16840	13256109/-
			170	12.420	7.540		
					16.84		
7.	123/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 31.12.2024	ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद	507	0.060	0.060	20140	17878804/-
			511	2.550	2.530		
			616	6.190	2.000		
			656	3.470	3.020		
			505	3.340	2.850		
			506	11.620	9.680		
					20.14		
8.	102/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 25.11.2024	ग्राम नारेला तहसील बड़ौद	1939	2.070	2.070	28820	20645659/-
			1941	0.740	0.740		
			1942	26.180	20.610		
			1938	4.340	3.760		
			1940	1.640	1.640		
					28.82		
9.	124/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम झलारा बड़ौद तहसील बड़ौद	85	1.220	0.710	7850	9006160/-
			2/3	5.200	5.060		
			84	0.880	0.740		
			2/2	2.990	1.340		
					7.85		
10	84/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद	1360	4.100	3.420	8270	9359393/-
			1361	2.720	1.760		
			1362	3.090	3.090		
					8.27		
11	66/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम धोंडा कानड़ तहसील आगर	80	0.63	0.41	23820	18291903/-
			102	6.14	4.95		
			103/5	25.65	14.83		
			139	14.06	3.63		
					23.82		

	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.में	आवंटित रकबा हे.में	योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
12	91 / अ-20(3) / 2023-24 दिनांक 28.10. 2024	ग्राम घानीखेड़ी तहसील आगर	80	0.340	0.220	30010	22645810/-
			84	3.000	1.530		
			117	24.320	13.340		
			79	3.580	3.480		
			156 / 1	11.780	11.440		
					30.01		
			महायोग		378.21	378210	

उपरोक्तानुसार प्रेषित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन किया जाकर प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

क्रमांक/तकनीकी/2025/ 1014 उज्जैन, दिनांक 25/2/2025

प्रतिलिपि :-

01- वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं. / तक / 2025 / 698 दिनांक 17-02-2025 के संदर्भ मे सूचनार्थ अग्रेषित ।

02- मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसॉसेस प्रायवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2025/ 14

उज्जैन, दिनांक 25/02/2025

प्रकरण अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रं./गाचि/2023/95 दिनांक 22-08-2023 से जारी तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा निरस्त की जाकर, प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं. 698 दिनांक 17-02-2025 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के वनमण्डल सिंगरौली मे रकवा 1397.54 हे. वनभूमि मे कोल ब्लॉक घिरोली के वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण (ऑनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/142344/2021) मे प्रकरण मे कलेक्टर जिला आगर-मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेश क्रमांको से वन विभाग को हस्तांतरित की गई गैर वनभूमियों मे 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं संशोधित कर तकनीकी अनुमोदन हेतु निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

क्र.	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकवा हे.में	आवंटित रकवा हे.में	योजना अनुसार रोपित पौधा संख्या	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
1.	87/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम बीजानगरी तहसील बड़ौद	12	53.740	10.460	18460	14676060/-
			21/1	6.880	6.870	23550	18865957/-
			36/1	21.810	14.630		
			19/1	1.000	1.000		
			18	1.500	1.050		
					23.550		
			1	21.990	17.020	43290	28469089/-
2.	89/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.10.2024	ग्राम कण्डारी तहसील बड़ौद	107/2	15.920	9.370		
			105	17.700	12.380		
			107/1	10.280	4.520		
					43.290		
			71	29.470	19.160	32490	21571652/-
			75	15.470	13.310		
					32.490		
			102	21.000	13.780	13780	13031259/-
3.	94/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम मारूबर्डिया तहसील बड़ौद	1	34.020	25.900	25900	18661343/-
			55	35.150	10.000	10000	9870876/-
			76	7.190	5.200	15920	13519600/-
			57	10.730	10.720		
					15.920		
4.	96/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 13.12.2024	ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद	761	0.400	0.170	31860	21319735/-
			752	16.330	11.660		
			2272	13.610	9.450		
			753	4.840	3.660		
			765	6.350	5.000		
			776	1.780	1.260		
			767	0.310	0.160		
					31.86		
5.	85/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम पाडल तहसील बड़ौद	631	39.160	27.210	27210	18967168/-

क्र.	आदेश क्र. दिनांक	ग्राम का नाम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा हे.में	आवंटित रकबा हे.में	योजना अनुसार राशित पौधा संख्या	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि
6	127/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.10.2024	ग्राम [illegible] तहसील बड़ौद	8	9.300	9.300	16840	11256100/-
			170	12.420	7.540		
					16.84		
7.	123/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 31.12.2024	ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद	507	0.060	0.060	20140	17878804/-
			511	2.550	2.530		
			616	5.190	2.000		
			658	3.470	3.020		
			505	3.340	2.850		
			506	11.620	9.680		
					20.14		
8.	102/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 25.11.2024	ग्राम नारेला तहसील बड़ौद	1939	2.070	2.070	28820	20615659/-
			1941	0.740	0.740		
			1942	25.180	20.610		
			1938	4.340	3.760		
			1940	1.640	1.640		
					28.82		
9.	124/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 22.11.2024	ग्राम डालारा बड़ौद तहसील बड़ौद	65	1.220	0.710	7850	[illegible]
			2/3	5.200	5.060		
			54	0.880	0.740		
			2/2	2.990	1.340		
					7.85		
10	84/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बड़ौद	1360	4.100	3.420	8270	9359393/-
			1361	2.720	1.760		
			1362	3.090	3.090		
					8.27		
11	86/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 16.11.2024	ग्राम धधेड़ा कानड़ तहसील आगर	80	0.63	0.41	23820	18291903/-
			102	6.14	4.95		
			103/5	25.65	14.83		
			139	14.06	3.63		
					23.82		
12	91/अ-20(3)/2023-24 दिनांक 28.10.2024	ग्राम घानीखेड़ी तहसील आगर	80	0.340	0.220	30010	22645810/-
			84	3.000	1.530		
			117	24.320	13.340		
			79	3.560	3.460		
			156/1	11.780	11.440		
					30.01		
			महायोग		378.21	378210	

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्डल शाजापुर द्वारा उपरांत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाएं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र क्र. 4050 दिनांक 30-12-2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरांत वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी/3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक-एफ-03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्डार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गवर्मेंट ई-मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे।
6) फेंसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।
7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्डलाधिकारी/उपवनमण्डलाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्डलाधिकारी, 50% उपवनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।
8) वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना मे निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।
9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी।
10) नाके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।
11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।
12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।
13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।
14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।
15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. 3410 एवं दिनांक 13-11-2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।
16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।
17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई-ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय-समय पर की जावे।
18) वनमण्डलाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगे।
19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) परियोजना मे आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2025/ 1012 उज्जैन, दिनांक 25/2/2025

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./698 दिनांक 17–02–2025 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम बीजानगरी खसरा नंबर 21/1, 36/1, 18, 19/1 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 23.55 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम बीजानगरी खसरा नंबर 12 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 18.46 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम पाडल खसरा नंबर 631 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 27.21 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 124 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम चिया खुर्द नंबर 752, 2272, 753, 761, 765, 776, 767 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 31.86 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम मारूखर्डिया खसरा नंबर 57, 75 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 15.92 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम मारूवाडिया खसरा नंबर 55 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 10.00 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक ...7.2.25..... को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक ——14—— दिनांक ——25/02/2025—— द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम मारूखेड़िया खसरा नंबर 1 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 25.90 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम धानी खेड़ी खसरा नंबर 80, 79, 84, 156/1, 117 तहसील आगर जिला आगर–मालवा के 30.01 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम धंधेरा कलां खसरा नंबर 102, 80, 139, 103 तहसील आगर जिला आगर–मालवा के 23.82 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 का निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम खेड़ा चौहान खसरा नंबर 1361, 1360, 1362 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 8.27 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम झलारावडोद खसरा नंबर 84, 85, 2/2, 2/3 तहसील वडोद जिला आगर–मालवा के 7.85 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम नरेला खसरा नंबर 1942, 1938, 1939, 1940, 1941 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 28.62 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक .....7.2.25..... को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम दुर्गापुरा खसरा नंबर 511, 507, 505, 506, 616, 656 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 20.14 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम हाटीपुरा खसरा नम्बर 170, 8 तहसील बड़ोद जिला आगर–मालवा के 16.84 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 1-4 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कण्डारी खसरा नंबर 102 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 13.78 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कमलारी खसरा नंबर 71, 75 तहसील बड़ोद जिला आगर–मालवा के 32.49 हेक्टेयर क्षेत्र का मैंने आज दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल ग्राम कण्डारी, बीजानगरी खसरा नंबर 105, 107/2, 107/1, 1 तहसील बडोद जिला आगर–मालवा के 43.29 हेक्टेयर क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 7.2.25 को निरीक्षण किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य एवं प्रबंधन हेतु योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण दिनांक :

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शाजापुर

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 14 दिनांक 25/02/2025 द्वारा जारी की गई।

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

Sagar TS

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर वनमंडल, जिला सागर म.प्र.

E-mail :- dfdnsagar@mp.gov.in, Phone & Fax No. :- 07582-236437

क्रमांक / मा.चि. / 2023 / 3487 सागर, दिनांक 24/7/23

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(कक्ष भू. प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :- गेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्रा.लि. के सिमरोली जिला के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में धिरोली कोल ब्लाक के वनभूमि में व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म.प्र. अन्तर्गत जिला सागर में दी जा रही गैरवनभूमि के उपयुक्तता बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / एफ-1 / FP/MP/MIN /142344/2021 / 2908 दिनांक 07.07.2023

— 0 —

निवेदन है कि विषयांकित प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु इस वनमंडल की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र खुरई के ग्राम लक्षनपुरा, तहसील सहतगढ़ की निजी भूमि खसरा नंबर- 45, 57, 56, 53 / 2, 53 / 1, 52 / 2, 52 / 1, 51 कुल रकबा 33.56 हेक्टेयर में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तकनीकी स्वीकृति उपरांत भेजने हेतु आपके संदर्भित पत्र से निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः निर्देशों के पालन में प्रस्तावित स्थल की क्षतिपूरक वनीकरण योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर के पत्र क्रमांक / व्यय / केम्पा-2023 / 1504 दिनांक 21.07.2023 से जारी की गयी है, वृक्षारोपण योजना का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थल का विवरण	खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्ट. में)	वृक्षारोपण योजना अवधि	वृक्षारोपण की राशि पर्यवेक्षण शुल्क सहित	तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	ग्राम लक्षनपुरा, तहसील सहतगढ़	45, 57, 56, 53 / 2, 53 / 1, 52 / 2, 52 / 1, 51	33.56	2025-26 to 2036-37 (11 years)	16618094.00	84 Dt. 21-07-2023

अतः योजना की प्रति संलग्न कर सम्प्रेषित है।

संलग्न > उपरोक्तानुसार।

(डी.एस. डोडवे)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर वन मंडल

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2023 3488 सागर, दिनांक - 24/7/23

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक / व्यय / केम्पा-2023 / 1504 दिनांक 21.07.2023 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर वन मंडल

आदेश द्वारा मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक, सागर वृत्त, सागर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक / व्यय / कैम्पा-2023 / 84 सागर दिनांक : 21/07/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक / 2908-2909 दिनांक 07/07/2023 के निर्देशों के पालन में उत्तर सागर का पत्र क्रमांक / व्यय / 550 दिनांक 19/07/2023 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मेसर्स स्ट्राटटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्रा.लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हे. वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के प्रभावित वन भूमि में वनमंडल उत्तर सागर के परिक्षेत्र खुरई में आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई 33.56 हेक्ट निजी भूमि वनभूमि पर 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन (वर्ष 2025-26 से वर्ष 2036-37 तक) तकनीकी स्वीकृत हेतु अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक / 621/03/नियम / चार भोपाल दिनांक 03/09/2003 द्वारा Book of financial power, 1995 Volume-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है –

क्र.	वनमंडल का नाम	योजना / कार्य का नाम	परिक्षेत्र	खसरा नं.	रकबा हे.में	राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्तर सागर	घिरौली कोल ब्लॉक FP/MP/MIN/142344 /2021	खुरई	45,57,56, 53/2, 53/1, 52/2, 52/1, 51	33.56	16618094

1. प्रस्तावित क्षेत्र में KML file के अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का घेराव कर सत्यापन करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।
2. कार्य कराने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं राशि आवंटित होने पर ही कार्य प्रारंभ कराये जावें। प्रस्तावित राशि से अधिक राशि का व्यय कदापि न किया जावे।
3. कार्य कराने में श्रम नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में भंडार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं जी.एस.टी.की राशि का तत्काल भुगतान किया जावे। सामग्री के सत्यापन हेतु प्र.मु.व.सं. एवं वन बल प्रमुख म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / कैम्पा / 408/558 दिनांक 10/06/2020 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन उपरांत ही भुगतान किया जावे। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. / कैम्पा / 318 iv/361 दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. रोपण क्षेत्र में मृदा परीक्षण कर उचित जैविक खाद का उपयोग किया जावे।
6. प्राक्कलन में उल्लेखित कार्यों का टाईम प्लान व कार्य प्लान तैयार कर साईट स्पेशिफिक क्रियान्वयन किया जावे।
7. यदि कराये गये कार्य निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य स्थल पर नहीं पाये जाते है तो उक्त संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जावेगा।
8. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मूल्यांकन एवं अनुश्रवण) म.प्र.भोपाल के पत्र क्र. / अनु. / 168 दिनांक 17/05/2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार रोपण क्षेत्र का मूल्यांकन (माह अक्टूबर एवं माह मई में) कराया जावे। संपूर्ण क्षेत्र में रोपित पौधों की औसत ऊंचाई / गोलाई व फोटो ग्राफ्स वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
9. वृक्षारोपण क्षेत्र की KML file सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।
10. वृक्षारोपण हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री स्वीकृत निविदा दर / वरिष्ठ के निर्देशों के अनुरूप ही की जावे भिन्नता पाये जाने पर क्रय करने वाले अधिकारी एवं संबंधित सत्यापनकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. कार्य कराने में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक / कैम्पा / 408/558 दिनांक 10/6/2020 द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/2956-2957 भोपाल दिनांक 26/10/2022 द्वारा जारी निर्देशो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/469/2069-2070 दिनांक 14/09/2022 के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण (CA) एवं NPV मद के अंतर्गत किये जा रहे वृक्षारोपण कार्य में केंचुआ खाद (वर्मीकम्पोस्ट) के उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

14. वृक्षारोपण क्षेत्र मे निरीक्षण पथ का अधिक से अधिक उपयोग पौधा परिवहन में करते हुये सिर बोझ से पौधा परिवहन न्यूनतम रखा जावे।

15. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/कैम्पा/470-62/2539-2540 दिनांक 07/11/2022 द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

16. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-2/2022-23/10-3/1538 भोपाल दिनांक 09/05/2022 द्वारा जारी निर्देशो का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा।

17. आस्थामूलक कार्यो का विस्तृत प्राक्कलन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व वन मण्डल अधिकारी का होगा।

18. वृक्षारोपण योजना के प्रथम वर्ष प्रस्तावित कुल राशि का 25% राशि भू जल संरक्षण कार्य हेतु प्रस्तावित राशि से भू-जल संरक्षण कार्यो के अंतर्गत बोल्डर चैकडेम/ब्रशवुड चेकडेम छोटे-छोटे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चरर्स एवं यथा स्थल पर परकोलेशन टैंक, भू-जल संरक्षण संरचनाओं की गाइडलाईन अनुसार बनाये जावे।

19. वृक्षारोपण मे प्रस्तावित 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क जमा कराने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/1766-1767 दिनांक 02/05/2023 के निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जावे।

उक्त व्यय (कैम्पा मद) के अंतर्गत विकासनीय होगा। उक्त तकनीकी स्वीकृति पंजी के पृष्ठ क्रमांक SS.....3..... के अनुक्रमांक ...11... पर दर्ज की गई है।

(अनिल के सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत सागर

पृ.क्रमांक/व्यय/कैम्पा-2023/1504 सागर दिनांक : 21/07/2023

प्रतिलिपि –

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन मण्डल उत्तर सागर की ओर उनके पत्र क्रमांक/व्यय/550 दिनांक 19/07/2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
5. प्रभारी मानचित्रकार शाखा वृत कार्यालय सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्राक्कलन अनुक्रम-4

मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

परियोजना का नाम	:	मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्रा.लि. सिंगरौली के द्वारा आवेदित वनभूमि के बदले कैम्पा मद क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना। Online Proposal No. FP/MP/MIN/142344/2021
वैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष	:	2025–26 से 2036–37 तक
वृक्षारोपण क्षेत्र का रकवा	:	33.56 हेक्टेयर
खसरा क्रमांक	:	45, 57, 56, 53/2, 53/1, 52/2, 52/1, 51 (निजी भूमि)
ग्राम	:	लक्षनपुरा
तहसील	:	राहतगढ़
बीट	:	जलंधर उत्तर
वन परिक्षेत्र	:	खुरई

उत्तर सागर वनमंडल,

सागर वन वृत्त, सागर (म.प्र.)

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :– 33560
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :–

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
सागौन	20000	01 से 02	90	03 से 05
शीशम	5000	01 से 1.5	45	03 से 05
आंवला	4500	01	45	02 से 2.5
बहेड़ा	1500	01	45	02 से 2.5
नीम	1500	01 से 02	90	03 से 05
हर्रे	1060	01	45	02 से 2.5
सिरस	1000	01 से 1.5	45	03 से 05
योग–	33560			

3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :– क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रैंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जायेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित की गई है।

4. क्षेत्र की सुरक्षा :– वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंक फैंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।

5. पुर्नउत्पादन सफाई :– क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में विरलन कार्य कार्य आयोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

6. सिल्वीकल्चर ऑपरेशन :– क्षेत्र में प्रथम वर्ष में लैण्टाना उन्मूलन का कार्य किया जायेगा। रोपण उपरांत छटवे वर्ष तक प्रति वर्ष 3 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा। सातवे वर्ष में 2 बार तथा आठवें वर्ष में 1 बार निंदाई का कार्य किया जायेगा।

7. रखरखाव :– रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य किया जायेगा।

8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन **कार्य** :– रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी। विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :–

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय–समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।
रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
उत्तर

वनमंडल अधिकारी
उत्तर सागर वनमंडल

उप वन मंडलाधिकारी
उत्तर सागर

कैम्पा मद क्षतिपूर्ति योजना मिश्रित रोपण लक्ष्मनपुरा

प्राप्त निजी भूमि वन घोषित नही हुई है तथा कलेक्टर के द्वारा विभाग को हस्तांतरित नही हुई है

कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप

भाग – एक सामान्य विवरण

(1) परियोजना का विवरण

(अ)	परियोजना का नाम	कैम्पा मद क्षतिपूर्ति योजना मिश्रित रोपण लक्ष्मनपुरा
(ब)	भारत सरकार का अनुमोदन	
(स)	प्रस्तावित वनभूमि का विवरण	
1	जिला	सागर
2	वनमंडल	उत्तर वनमंडल सागर
3	वन परिक्षेत्र	खुरई
4	तहसील	राहतगढ़
5	विकास खण्ड	राहतगढ़
6	जिला पंचायत	सागर
7	ग्राम पंचायत	जनखेड़
8	क्षेत्रीय वन परिक्षेत्र सहायक वृत्त	जनखेड़
9	क्षेत्रीय परिसर (बीट)	जनखेड़ उत्तर

(2) स्थल विशेष जानकारी

1	ग्राम वन समिति	लक्ष्मनपुरा
2	वनखण्ड एवं वन कक्ष क्रमांक	
3	वन कक्ष / खसरा का कुल क्षेत्रफल (हे.)	33.56 हे.
4	वृक्षारोपण का क्षेत्र	33.56 हे.
5	उपचार श्रेणी / घनत्व श्रेणी	
6	उपचार इकाई / कूप क्रमांक एवं बंधु कूप	–
7	स्थल की वन परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी	40 कि.मी.
8	वन कक्ष में पूर्व में किए गए वृक्षारोपण की जानकारी	

वर्ष	योजना	क्षेत्रफल	वर्तमान स्थिति
–	–	–	–

9. ग्राम संसाधन की जानकारी

गठित समिति का प्रकार	समिति का मुख्यालय	समिति में सम्मिलित सदस्य	समिति में सम्मिलित ग्रामों में पशुओं की संख्या	समिति क्षेत्र में उपलब्ध पडत भूमि	कर्जा का स्त्रोत	अन्य
1	2	3	4	5	6	7
ग्रा.व.स.	लक्षनपुरा	–	–	–	–	–

10. समिति के कार्यकारिणी सदस्यों की जानकारी

	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल	पु	म	कुल
आदिवासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरिजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछड़ा वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सामान्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति) रचना–

(ए) टोपोग्राफी : समतल

(बी) ढलान : –

(अ) पानी निकासी : अच्छी

(ब) भू–क्षरण : गली क्षरण मध्यम

(सी) मिट्टी का प्रकार : भूरी काली

(डी) औसत वार्षिक वर्षा : 105 से.मी.

(ई) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हे.) : 50 प्रतिशत

(एफ) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हे.) : 40 प्रतिशत

(जी) पथरीली मिट्टी (हे.) : 10 प्रतिशत

(एच) चट्टानी क्षेत्र : –

1) वन क्षेत्र का विवरण :

वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण : मिश्रित–महुआ, तेंदूपत्ता, बेल, गुली आदि

(ए) वृक्षों की जानकारी : सागौन, सैजा, साज, धवा, केम, महुआ, बे

प्रजाति	20 से.मी. तक की सीधी एवं रोपित पौध का क्षेत्र	21 से.मी. से अधिक के वृक्षों का आच्छादित क्षेत्र
–	–	–
योग	–	–

(बी) साईट क्वालिटी : –

(सी) घनत्व : –

(डी) पूर्ण वनवर्धन का क्षेत्र : –

ठूंठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	20 से.मी. तक की आड़ी–टेढ़ी पौध का क्षेत्र (हे.)	विभिन्न गोलाई में ठूंठों की संख्या					
		21–30 से.मी.	31–45 से.मी.	46–60 से.मी.	61–90 से.मी.	91–120 से.मी.	120 से.मी. से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8
सागवान	–	–	–	–	–	–	–
तेंदू	–	–	–	–	–	–	–
सेंधा	–	–	–	–	–	–	–
धवा	–	–	–	–	–	–	–
महुआ	–	–	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–	–	–

(ई) वनवर्धन का क्षेत्र (हे.) : –

(एफ) गेप वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र (हे.) : –

(जी) खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) : –

(अ) सघन : –

(ब) मध्यम : 05 हे.

(स) विरल : 05 हे.

(एच) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र (हे.) : 33.56 हे.

(आई) चारागाह विकास योग्य क्षेत्र (हे.) : –

(जे) विकृत बांस के भिर्रे (संख्या) : –

(कार्य आयोग्य)

के) जैविक दबाव (जैविक दबाव की जानकारी)

हां या न में देना है : –

प्रकार	जैविक दबाव		
		औसत	नगण्य
वन्य प्राणी		औसत	
चराई	अत्यधिक	औसत	
मानव		औसत	

योजना का उद्देश्य : कैम्पा मद क्षतिपूर्ति योजना से मिश्रित रोपण

क्षेत्रफल : 33.56 हे.

ार कार्यों का संक्षिप्त विवरण :

ेक का क्षेत्र : –

पण का क्षेत्र

(डी) पूर्ण वनवर्धन का क्षेत्र :

ठूंठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	विभिन्न गोलाई में ठूंठों की संख्या						
	20 से.मी. तक की आड़ी-टेढ़ी पौध का क्षेत्र (हे.)	21-30 से.मी.	31-45 से.मी.	46-60 से.मी.	61-90 से.मी.	91-120 से.मी.	120 से.मी. से ऊपर
1	2	3	4	5	6	7	8
सागवान	–	–	–	–	–	–	–
तेंदू	–	–	–	–	–	–	–
खैर	–	–	–	–	–	–	–
धवा	–	–	–	–	–	–	–
महुआ	–	–	–	–	–	–	–
योग	–	–	–	–	–	–	–

(ई) वनवर्धन का क्षेत्र (हे.) :

(एफ) गैर वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र (हे.) : –

(जी) खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) : –

(अ) सघन : –

(ब) मध्यम : –

(स) विरल : 05 हे.

(एच) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र (हे.) : 05 हे.

(आई) चारागाह विकास योग्य क्षेत्र (हे.) : 33.56 हे.

(जे) विकृत घास के भिर्रे (संख्या) : –

(कार्य आयोग्य) : –

(के) जैविक दबाव (जैविक दबाव की जानकारी) : –

हां या न में देना है

प्रकार	जैविक दबाव		
		औसत	नगण्य
वन्य प्राणी		औसत	
चराई	अत्यधिक	औसत	
मानव		औसत	

5) (1) योजना का उद्देश्य : कैम्पा मद क्षतिपूर्ति योजना से मिश्रित रोपण

(2) क्षेत्रफल : 33.56 हे.

6) **उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण** :

कट बैक का क्षेत्र : –

वृक्षारोपण का क्षेत्र : –

(अ) नव : –

(ब) पूर्ण : –

भू-संरक्षण कार्य का क्षेत्र : –

लेन्टाना उन्मूलन : –

(7) **रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किए जावेंगे** : अनुसंधान एवं विस्तार रोपणी चकरा भाग 1

(8) **रोपणी से रोपण स्थल की दूरी** : 80 कि.मी.

(ए) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा –

(बी) सिरबोझ द्वारा : –

(9) **सिचाई का विवरण :**

(अ) जल स्रोत – नदी/नाला/तालाब : पानी का टेंकर

(ब) वृक्षारोपण से जल स्त्रोत की दूरी : 05 मी. तक

(स) सिचाई का प्रकार : मजदूरों द्वारा

(10) **प्रति है. प्राप्त होने वाले पौधो की संख्या :**

(अ) प्रति हेक्टेयर सी.बी.ओ. से प्राप्त होने वाले पौधो की प्रस्तावित संख्या : –

(ब) क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौध (20 से.मी. से अधिक) : –

(स) क्षेत्र में पौधे एव स्थापित पौधे (20 से.मी. गोलाई से कम) :

(द) रोपण में प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधो की संख्या : न्यूनतम 1000 पौधे प्रति है.

(11) **योजना की अवधि** : 2025–26 से 2035–36

(12) 1. योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय : **16618094.00**

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)

2. प्रति हेक्टेयर व्यय (रू. में) : **495175.6**

(13) अन्य विवरण : –

भाग 2 प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] संरक्षित [illegible] को किया गया है [illegible] के द्वारा किया गया है [illegible] सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित [illegible] [illegible]

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना (क्षेत्रफल– 33.56 हेक्टेयर)

(अशिंचित)

वृक्षारोपण क्षेत्र का विवरण बीट जलंधर उत्तर की भौगोलिक सीमा अतर्गत निजी भूमि रकबा 33.56 हेक्टेयर

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमाकन हे0	33.56	ha	0.45	प्रति हे0	15	जॉबदर
2	पक्के मुनारों का निर्माण	25	मुनारा	16	मुनारा	400	गणना के आधार पर
3	ट्रीटमेंट टाइप का क्षेत्र में सीमाकन (सामग्री सहित) हेक्ट.	33.56	ha	1.00	-	34	अनुमानित
4	क्षेत्र सफाई (हे0)	33.56	ha	4.00	प्रति हे0	134	जॉबदर
5	लेण्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	33.56	ha	12.50	प्रति हेक्ट	420	जॉबदर
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.8 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेश साइज, 12 गेज वेनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	2800		2.4	Rmt	6720	गणना के आधार पर
8	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	33560	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	83.9	जॉबदर
7	रोपण हेतु गड्ढा खुदाई संख्या						
	45x45x45 cm	33560	गड्ढे	5	प्रति सैकड़ा	1678	जॉबदर
8	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कुल आयतन का 30 प्रतिशत	917.447	घ0मी0	1.5	प्रति घ0मी0	1376	बाजार दर
9	गोबर खाद डालने हेतु कुल आयतन का 15 प्रतिशत	458.723	घ0मी0	3	प्रति घ0मी0	1376	बाजार दर
10	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	33560	गड्ढे	1.5	100	503	जॉबदर
11	2 हट निर्माण		L.S.			120	अनुमानित
12	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना बोर्ड, पैट, चूना आदि)		-			212	अनुमानित
	योग					13072	
13	भू–जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	8.39	हे0	24.5	24.5 प्रति हे0	3268	अनुमानित
	कुल योग					16340	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का द्वितीय वर्ष

कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा: मात्रा	कार्य की मात्रा: इकाई	दर प्रति इकाई लागत: लागत रुपयों में	दर प्रति इकाई लागत: इकाई	कुल लागत रुपयों में	टिप्पणी
[illegible] कार्य						
[illegible]	1150		[illegible]	प्रति [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	प्रति [illegible]	[illegible]	[illegible]
पौधे का परिवहन [illegible]						
[illegible] द्वारा	800	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] द्वारा [illegible]	800	[illegible]	[illegible]	प्रति [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	1	प्रति [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	1150	[illegible]	1	प्रति [illegible]	[illegible]	[illegible]
प्रथम निंदाई						
पौधे में	1150			[illegible]	[illegible]	[illegible]
द्वितीय निंदाई						
पौधे में	1150			[illegible]	[illegible]	[illegible]
तृतीय निंदाई						
पौधे में	1150		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1150		[illegible]	प्रति [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] सुरक्षा कार्य						
[illegible]	3000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1150	[illegible]			240	अनुमानित
[illegible] अनुमान [illegible]	1150			Lumpsum	200	अनुमानित
[illegible] (अतिरिक्त [illegible] आदि [illegible])					50	अनुमानित
योग					[illegible]	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
[illegible] सागर

योजना का तृतीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	नर्सरी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनर्रोपण हेतु)	3356		0.03546	20 रुपये प्रति पौधा	119	कालान दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						कालान दर
	ट्रक / टैक्टर द्वारा	3356		1.5	100	50	औबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 किलोमीटर	3356		0.4	प्रति सैकड़ा	13	औबदर
3	चलनीक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					20	अनुमानित
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों से	33560		1.25	100	420	औबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों से	33560		1	100	336	औबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों से	33560		1	100	336	औबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डालकाई	33560		0.6	सैकड़ा	201	औबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	औबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	2.25	किमी	17	औबदर
9	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		09 माह			240	अनुमानित
10	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	33560	3000		Lumsum	200	अनुमानित
11	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					50	अनुमानित
		योग-				2012	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का चतुर्थ वर्ष

(अभिलिखित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (रु.वि.)		कुल मानव दिवस	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधो के पुनर्रोपण हेतु)	3356		0.03546	20 रुपये प्रति पौधा	119	बजट दर
2	पौधो का परिवहन (संख्या)						बजट दर
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	3356		1.5	100	50	जीबदर
	सिर बोझ द्वारा 5 कि0मी0	3356		0.4	प्रति सैकड़ा	13	जीबदर
3	प्रथम निराई						
	पौधो मे	33560		1.25	100	420	जीबदर
4	द्वितीय निराई						
	पौधो मे	33560		1	100	336	जीबदर
5	तृतीय निराई						
	पौधो मे	33560		1	100	336	जीबदर
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डालना	33560		0.6	सैकड़ा	201	जीबदर
7	आकस्मिक,अग्नि सुरक्षा लाइन						
	6 मीटर चौडी	3000	mtr	3.35	किमी	10	जीबदर
	3 मीटर चौडी	7500	mtr	2.25	किमी	17	जीबदर
8	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		09 माह			240	अनुमानित
	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	33560	6000		Lumsum	200	अनुमानित
9	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					25	अनुमानित
	योग-					1967	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का पंचम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	[illegible] फेंसिंग मरम्मत कार्य					50	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई						
	पौधा से	33560		1.25	100	420	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधा से	0		1	100	0	जॉबदर
4	तृतीय निंदाई						
	पौधा से	0		1	100	0	जॉबदर
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डालना	33560		0.6	सैकड़ा	201	जॉबदर
6	[illegible] अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	जॉबदर
	5 मीटर चौड़ी	7500	mtr	2.25	किमी	17	जॉबदर
7	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा प्रहरी		09 माह			240	अनुमानित
	एस्टीमेट अनुसार सिंचाई	33560	3000		Lumsum	200	अनुमानित
8	अन्य व्यय	3356				25	अनुमानित
	योग					1163	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

(असिंचित)

योजना का षष्ठम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	33560		1.25	100	420	जॉबदर
2	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में			1	100	0	जॉबदर
3	तृतीय निंदाई						
	पौधों में			1	100	0	जॉबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	mtr	3.35	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	mtr	2.25	किमी	17	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा		09 माह			240	अनुमानित
	उपलब्धता अनुसार सिंचाई	33560	3000		Lumsum	200	अनुमानित
7	अन्य व्यय					25	अनुमानित
	योग :-					911	

(असिंचित)

योजना का सप्तम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधों में		5000	1.25	100	0	जॉबदर
2	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में		5000	1	100	0	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	3000	2000 mtr	3.35	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	6000 mtr	2.25	किमी	17	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा		09 माह			240	अनुमानित
5	अन्य व्यय					25	अनुमानित
					योग:-	292	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का अष्टम वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधो मे	0		1.25	100	0	जॉबदर
2	द्वितीय निंदाई						
	पौधो मे	0		1	100	0	जॉबदर
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौडी	3000	mtr	3.35	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौडी	7500	mtr	2.25	किमी	17	जॉबदर
4	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			240	अनुमानित
5	अन्य व्यय					30	अनुमानित
	योग–					297	

योजना का नवम वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	प्रथम निंदाई						
	पौधो मे	0	5000	1.25	100	0	जॉबदर
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौडी	3000	2000 mtr	3.35	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौडी	7500	6000 mtr	2.25	किमी	17	जॉबदर
3	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			240	अनुमानित
4	अन्य व्यय					30	अनुमानित
					योग–	297	

योजना का दशम वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौडी	3000	2000 mtr	3.35	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौडी	7500	6000 mtr	2.25	किमी	17	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			240	अनुमानित
3	अन्य व्यय					30	अनुमानित
					योग–	297	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

योजना का ग्यारहवां वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
1	6 मीटर चौड़ी	3000	2000 mtr	3.35	किमी	10	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	7500	6000 mtr	2.25	किमी	17	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा / 1 सुरक्षा श्रमिक		9 माह			240	अनुमानित
3	अन्य व्यय					20	अनुमानित
					योग:-	287	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

गोशवारा

आदर्श रोपण योजना रकवा 33.56 हे.
अवधि वर्ष 2025–26 से 2036–37 तक

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस	मजदूरी दर	राशि (रूपये में)
2025-26	16340	1	16340	402	6568701
2026-27	4646	1.06	4925	426	2098073
2027-28	2012	1.1236	2260	452	1021703
2028-29	1967	1.191	2342	479	1122011
2029-30	1163	1.2625	1468	508	745752
2030-31	911	1.3382	1220	538	656182
2031-32	292	1.4185	414	571	236449
2032-33	297	1.504	447	605	270178
2033-34	297	1.594	473	641	303384
2034-35	297	1.69	502	680	341226
2036-37	287	1.79	514	721	370303
योग			30905		13733962
रोपण का 5 प्रतिशत आस्था मूलक कार्य				5%	686698
रोपण का 1 प्रतिशत मानव संसाधन विकास कार्य				1%	137340
रोपण का 4 प्रतिशत मूल्यांकन एवं अनुश्रवण				4%	549358
योग :–					1373396
कुल योग :–					15107358
कुल राशि पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क				10%	1510736
महायोग :–					16618094

वन परिक्षेत्र अधिकारी
खुरई

उप वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर

वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर वन मंडल

कार्यालयीन आदेश क्र. / व्यय / 2023 / 24 दिनांक 21/7/23 में उल्लेखित शर्तों के अधीन तकनीकी स्वीकृति

मुख्य वन संरक्षक
सागर वन वृत्त सागर

Raisen TS

आदेश पारित द्वारा राजेश कुमार खरे (मा.व.से.) वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल

—00—

आदेश / क्रमांक / माचि / 391 भोपाल, दिनांक 8, नवम्बर 2023

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / 1194 / 191 / 2022 / नियम / चार दिनांक 14 / 07 / 2022 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए **मेसर्स स्ट्राटटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्रा.लि. के (ऑन लाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/142344/2021) सिंगरोली जिले के तहसील सरई, में घिरौली कोल ब्लाक की 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि का, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन के बदले में जिला रायसेन में चयनित, ग्राम चैनपुरा भुजपा, तह. बेगमगंज, खसरा क्रमांक 120 / 2, 120 / 1 / 1 / 3 की 9.893 निजी गैर वन भूमि , पर क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/142344/2021/2910 दिनांक 07 / 07 / 2023 से दिये गये गये निर्देश के अनुपालन में** वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल रायसेन के पत्र क्रमांक / माचि / 2136 दिनांक 7 / 11 / 2023 द्वारा प्रस्तुत स्थल विशेष की 11 वर्षीय (वर्ष 2025–26 से 2035–36 तक) वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना **कुल राशि रूपये 84,54,577 / – की तकनीकी स्वीकृति** निम्नानुसार जारी की जाती है:–

1. उक्त कार्य में भंडार क्रय नियमों का पालन किया जावे एवं बजट आवंटन से अधिक व्यय न किया जावे।
2. कार्य श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला हो एवं तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त हो।
3. चयनित स्थल किसी अन्य योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो, इसका ध्यान रखा जावे, इसकी जवाबदारी वनमंडलाधिकारी की रहेगी।
4. समस्त यांत्रिकी कार्य अनुमोदित जाब दर अनुसार ही कराया जावे। जिन यांत्रिकी कार्यों के जाब दर अपर प्रधान मु.व.सं. विकास अथवा इस कार्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है ऐसे समस्त कार्यों के दर वृत्त स्तरीय समिति से अनुमोदित करावें एवं तकनीकि स्वीकृति में दर्शाई राशि की त्रुटिविहीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करें। तदुपरांत ही कार्य प्रारम्भ करें।
5. वैकल्पिक वृक्षारोपण की सफलता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सुनिश्चित की जावे एवं जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रति वर्ष माह मई एवं अक्टूबर की स्थिति में कराई जावे।
6. योजना में उल्लेखित सी.बी.ओ. से प्राप्त पौधों, क्षेत्र में पूर्व से उपलब्ध वृक्षों तथा क्षेत्र में सीधे एवं स्थापित पौधों तथा रोपण से प्राप्त पौधों के पृथक पृथक अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका / दैयक / रोपण आदि) नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. वृक्षारोपण पंजी में समय समय पर (हर तीन माह में) कराये गये कार्य के अद्यतन छायाचित्र व कार्य संपादन के हर बिंदुओं का विवरण इंद्राज किया जाना आवश्यक है।
8. प्रधान मु0व0सं0 एवं वनबल प्रमुख म.प्र. भोपाल तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त,भोपाल

पृ.क्रमांक / माचि / 647 भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2023

प्रतिलिपि: महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर अनुमोदित योजना की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (क्रैम्पा) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. वनमंडलाधिकारी सा0 वन मंडल रायसेन की ओर उनके पत्र क्रमांक / माचि / 2136 दिनांक 7 / 11 / 2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त,भोपाल

E/cf act year 2012/T.S.Order 2012.doc

7-11-23

Shivpuri TS

TS-Shivpuri

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 116 शिवपुरी, दिनांक 11.8.23

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल क्रमांक 20 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / डी.एम. / 3540 दिनांक 27.7.2023 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के [illegible] में एकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में चिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि ऋणपर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय [illegible] भूमि पर 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.	परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	एकबा है.	कुल राशि
1	स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (चिरौली कॉल ब्लॉक)	सतनवाड़ा	196	डोंगरी – I	17.60	10248317
2		सतनवाड़ा	50,51,52,53,54, 55, 177,181	डोंगरी – II	60.84	26487794
3		सतनवाड़ा	3	झिरनिया	7.75	6403188
4		पोहरी	4,6 / 1,3	रघुनाथपुरा	11.96	11505246
5		पोहरी	750 / 2, 751, 756, 753, 755, 2791	मारोरा खालसा, दुल्हारा	88.20	36622599
6		पोहरी	1, 16, 756, 753, 755	मारोरा खालसा, झालयासा	83.03	37237693
7		पोहरी	1490, 1494,	अतबई	35.00	14339736
8		कोलारस	95	कुदोनिया माफी	47.67	28922404
				योग :	352.95	171762777

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। [illegible] किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावे,
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त, कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा [illegible] अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक [illegible] न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर [illegible] प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त [illegible] का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बाबत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार [illegible] हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल [illegible] मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।

(अनुराग रंजाये)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

6337
14/8/2023
शिवपुरी (म.प्र.)

DFO
14/8/23

पृ.कमांक / कैम्पा. / 2023 / 2131

शिवपुरी, दिनांक [illegible]-3-23

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उनके उनके पत्र कमांक / 3590 दिनांक 27.1.2023 के संदर्भ में उक्त अनुमोदित योजनाओं की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 D-01-00 DIST\PCAMP\ORDER 2023.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 29 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंशियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल क्रमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / व्यय / डी.एम. / 679 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 18 दिनांक 10-2-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से क्रमांक 01 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनबाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	खसरा / सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (है.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	137	बसई-।	16.86	9198047

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जावे एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जावे तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जावें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 542 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 30

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल कमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम. / 679 दिनांक 19-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक / 18 दिनांक 10-2-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से कमांक 02 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	खसरा / सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (है.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	150, 151, 152, 153, 155	बसई-11	126.20	43477410

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी
25.2

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 543 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC I 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

शिवपुरी, दिनांक : 27 -2-2025

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 34

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंशियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल कमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम. / 679 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक / 18 दिनांक 10-2-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से कमांक 06 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनबाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	खसरा / सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (है.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	33	इमलीपुरा-।	10.28	7598105

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 556 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC I 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 547 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2025/35 शिवपुरी, दिनांक : 27 -2-2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल कमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक/व्यय/डी.एम./679 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक/18 दिनांक 10-2-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से कमांक 07 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनबाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	खसरा/ सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (है.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	2	इमलीपुरा-II	18.18	8637354

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. कय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी
26.2

D:\ACER PC 1 01-01-2023\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 548 शिवपुरी, दिनांक : 27 -2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी
25.2

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TPCAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 36 शिवपुरी, दिनांक : 27 –2–2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सारल क्रमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / व्यय / डी.एम / 679 दिनांक 18–2–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 18 दिनांक 10–2–2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से क्रमांक 08 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनबाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024–25 से 2034–35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	खसरा / सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (है.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	19	इमलीपुरा–III	23.72	11686366

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यो के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियो हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC I 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 549 शिवपुरी, दिनांक : 27 -2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 31 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल कमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम. / 679 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक / 18 दिनांक 10-2-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से कमांक 03 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	खसरा / सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (है.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	1577, 1578	बूडदा-।	9.98	7452420

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जावें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

पृ.कमांक / कैम्पा. / 2025 / 544 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2025/32 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल कमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक/व्यय/डी.एम./679 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक/18 दिनांक 10-2-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से कमांक 04 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनवाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	खसरा/ सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (हे.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	1605 से 1608, 1611, 1614, 1653 से 1656	बूड़दा-II	47.78	16266584

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी
25.2

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 545 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक/कैम्पा/2025/33 शिवपुरी, दिनांक 27 -2-2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल क्रमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक/व्यय/डी.एम./679 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/18 दिनांक 10-2-2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति मे से क्रमांक 05 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर वन परिक्षेत्र सतनबाड़ा में उपलब्ध कराई गैर वन भूमि पर 11 वर्षीय वर्ष 2024-25 से 2034-35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	खसरा/ सर्वे नम्बर	स्थल का नाम	रकबा (है.)	कुल राशि
1	2	4	5	6
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) छिरौली कोल ब्लॉक	1334, 1560 से 1562, 1565 से 1567, 1643	बूड़दा-III	152.83	35133886

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर/श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जावे एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण/मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक/त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना मे पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाईन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC I 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 546 शिवपुरी, दिनांक : 27-2-2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार, वृत्त कार्यालय शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 37 शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंशियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल कमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम. / 680 दिनांक 18–2–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक / 17 दिनांक 11–8–2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से कमांक– 01 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव कमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधे वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वर्ष 2024–25 से 2034–35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	स्थल का नाम	रकबा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (धिरौली कॉल ब्लॉक)	पोहरी	P-832	टुकी	55.00	21078083

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर थस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक / कैम्पा. / 2025 / 550 शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 38 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल क्रमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / व्यय / डी.एम. / 680 दिनांक 18–2–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 17 दिनांक 11–8–2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से क्रमांक– 02 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधें वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वर्ष 2024–25 से 2034–35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	स्थल का नाम	रकवा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कॉल ब्लॉक)	पोहरी	P-835	सुखाबाग	55.00	21135147

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर धरपा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जाये तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 551 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2025 / 39 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल कमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम. / 680 दिनांक 18–2–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश कमांक / 17 दिनांक 11–8–2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से कमांक– 03 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव कमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधे वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वर्ष 2024–25 से 2034–35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	स्थल का नाम	रकबा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कोल ब्लॉक)	पोहरी	P-838	ठाकुरबाबा	50.00	19674405

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यो के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यो की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमो के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक / कैम्पा. / 2025 / 552 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 40 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल क्रमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / व्यय / डी.एम. / 680 दिनांक 18–2–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 17 दिनांक 11–8–2023 से प्रदान की गई तकनीकी स्वीकृति में से क्रमांक– 04 की तकनीकी स्वीकृति निरस्त की जाकर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधें वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वर्ष 2024–25 से 2034–35 तक वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	स्थल का नाम	रकबा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (धिरौली कॉल ब्लॉक)	पोहरी	P-838	मुण्डो टोरिया	50.00	19787668

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यो के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जावे एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर धस्पा किये जावे।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यो की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 553 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 42 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल क्रमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / व्यय / डी.एम. / 681 दिनांक 18–2–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि मे घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि मे शेष रहे पौधें वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	स्थल का नाम	रकवा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कॉल ब्लॉक)	बदरवास	R-135	अटूनी	60.00	22359853

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य मे निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमो के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बाबत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक मे अंकित किये जावें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय मे ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 555 शिवपुरी, दिनांक 27 / 2 / 2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 41 शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल कमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम. / 681 दिनांक 18–2–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सारई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव कमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधें वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	स्थल का नाम	रकबा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कोल ब्लॉक)	बदरवास	P-1245	रांछी	60.00	21787920

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जावे एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जावें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक / कैम्पा. / 2025 / 554 शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 4-3 शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल कमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम / 681 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई मे रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव कमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधें वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	स्थल का नाम	रकबा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कॉल ब्लॉक)	बदरवास	P-1205	गणेशखेड़ा-।	60.00	22071941

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जाये तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर धरपा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक / कैम्पा / 2025 / 556 शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 4-4- शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग-2 के सरल क्रमांक-20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / व्यय / डी.एम. / 681 दिनांक 18-2-2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकवा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधें वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	स्थल का नाम	रकवा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कॉल ब्लॉक)	बदरवास	P-1204	गणेशखेड़ा-II	52.00	19508834

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :-

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जावे एवं समय-समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय-समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10-6-2020 के निर्देशानुसार 4-4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमाई कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 557 शिवपुरी, दिनांक 27/2/2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी
25-2

D:\ACER PC1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 64 — शिवपुरी, दिनांक 17 / 3 / 2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल कमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / डी.एम. / 1124 दिनांक 10–3–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव कमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधों में स्थल परिवर्तन किया गया है, जिसके फलस्वरूप वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष कमांक	स्थल का नाम	रकबा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कॉल ब्लॉक)	कोलारस	RF-1232	इचोनिया	60.00	21760253

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जावे।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

पृ.कमांक / कैम्पा. / 2025 / 731 — शिवपुरी, दिनांक 17 / 3 / 2025

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2023 / 63

शिवपुरी, दिनांक 17 / 3 / 2025

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर 1995 के भाग–2 के सरल क्रमांक–20 अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र क्रमांक / व्यय / डी.एम. / 1124 दिनांक 10–3–2025 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में घिरौली कोल ब्लॉक के वन भूमि व्यपवर्तन के ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु आवंटित शासकीय राजस्व भूमि में शेष रहे पौधों में स्थल परिवर्तन किया गया है, जिसके फलस्वरूप वन भूमि पर आर.डी.एफ. क्षेत्रों की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

परियोजना का नाम	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	स्थल का नाम	रकबा है.	कुल राशि
स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगरौली (म.प्र.) (घिरौली कॉल ब्लॉक)	कोलारस	RF 273	खोरना	60.00	21731721

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जाये तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावे।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. क्रय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदि स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जायें तथा प्रति प्लाट कितने गड्ढे खोदे गये हैं, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जायें।
11. परियोजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि म.प्र. कोषालय में ऑन लाइन जमा कराई जावे।

(आदर्श श्रीवास्तव)
वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 17 / 3 / 2025

पृ.क्रमांक / कैम्पा. / 2025 / 730

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल शिवपुरी की ओर उक्त अनुमोदित योजना की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

4. मानचित्रकार वन वृत्त शिवपुरी की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

D:\ACER PC 1 01-01-2025\TP\CAMPA\ORDER 2025.doc

Annexure 3

CA Land Details

S.N.	District	Tehsil	Village	Allotted Area (Ha)
1	Shivpuri	Pohari	Atawai	35
2	Shivpuri	Pohari	Dulahara	20
3	Shivpuri	Pohari	Jhalwasa	12.1
4	Shivpuri	Kolaras	Kudoniya Mafi	47.67
5	Shivpuri	Bairad	Budda	210.59
6	Shivpuri	Bairad	Basai	143.06
7	Shivpuri	Bairad	Imlipura	52.18
8	Shivpuri	Bairad	Raghunathpura	11.96
9	Shivpuri	Bairad	Marora Khalsa	139.13
10	Shivpuri	Shivpuri	Dongari	78.44
11	Shivpuri	Shivpuri	Jhirniya	7.75
12	Agar Malwa	Agar	Ghani Khedi	30.01
13	Agar Malwa	Agar	Shivgarh	35.67
14	Agar Malwa	Barod	Padal	27.21
15	Agar Malwa	Barod	Hatipura	16.84
16	Agar Malwa	Barod	Jhalara Barod	7.85
17	Agar Malwa	Barod	kandari	72.54
18	Agar Malwa	Barod	Bijanagari	59.03
19	Agar Malwa	Agar	Dhandheda	23.82
20	Agar Malwa	Agar	Sanawada	32.9
21	Agar Malwa	Barod	Chipiya	31.86
22	Agar Malwa	Barod	Kheda Chouhan	8.27
23	Agar Malwa	Barod	Marubardiya	51.82
24	Agar Malwa	Barod	Khajuri Chopda	33.47
25	Agar Malwa	Barod	Durgpura	20.14
26	Agar Malwa	Barod	Narela	28.82

27	Agar Malwa	Barod	Gangapur	56.25
28	Agar Malwa	Agar	Raipuriya	61.02
29	Raisen	Begumganj	Chainpura	9.893
30	Sagar	Rahatgarh	Laxmanpura	33.56
	Total in Ha			**1398.853**
	Required			**1397.54**

CA Land Mutation letter and Maps

Raisen district

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चेनपुरा मुंजप्ता			पटवारी हल्का:पन्दरभटा			तहसील:बेगमगंज			जिला:रायसेन		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1546076406 81F274DBK8B5H0	120/1/1/1/3 (S)		4.7930 हेक्टेयर	अरविन्द कुमार अहिरवार पुत्र बैजनाथ अहिरवार पता वन परिक्षेत्र अधिकरी सामान्य	1						न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0001/अ-6/2022-23, आदेश दि. 26/04/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय नायब तहसीलदार के

				वनमंडल जिला रायसेन रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्रकरण क्र. 0165/अ-27/2022-23, आदेश दि. 30/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 120/1/1/1/3 को दस्तावेज क्रं. MP292652023A11813634 दिनांक 09-MAY-23 से मेसर्स स्ट्राटाटे मिनरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0058/अ-6/2023-24, आदेश दि. 07/12/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 120/2,120/1/1/1/3 को दस्तावेज क्रं. MP292652024A11346234 दिनांक 22-NOV-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0450/अ-6/2024-25, आदेश दि. 23/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			कृषि								
			रु.5.98								जरिये न्यायालय नायब तह0 महो0 सुलतानगंज के राप्रक्र 35/अ-27/2014-15 पर पारित आदेश दिनॉक□20/05/2015 के अनुसार प्रविष्टी दर्ज की गई । जरिये नापॅजी क्रमॉक 04 पर पारित आदेश दिनॉक 20/05/2015 के□अनुसार दर्ज ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चेनपुरा मुंजप्ता			पटवारी हल्का:पन्दरभटा			तहसील: बेगमगंज			जिला:रायसेन			वर्ष: 2024-2025		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/ पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	अरविन्द कुमार अहिरवार पुत्र बैजनाथ अहिरवार जाति अहिरवार		120/2 (S) 5.1000 हेक्टेयर	कृषि	6.26		कुल भू-राजस्व	6.26	71.60		80.99	9.39 051/	71.60	

	पता वन परिक्षेत्र अधिकरी सामान्य वनमंडल जिला रायसेन रायसेन मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय						पंचायत उपकर	3.13				9999999/0029/04/24/098371 26-APR-24 shubham bhalavi		
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						
			कुल क्षे. 5.1000 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 6.26		प्रीमियम	0.00						
							शास्ति	0.00						
							योग	9.39						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

Shivpuri District Mutation

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0175/अ-20(3)/2023-24 /2884

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 02.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार तहसील पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0012/अ-20(3)/2023-24 से प्रतिवेदित किया है कि ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0022/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 14/08/2024 से तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2023 प्रेषित कर अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी ,तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत अतवेई जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 08/06/2024, नगर

तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर हेतु ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 2,68,80,000/-(दो करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार रूपये) संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार पोहरी हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 07.11.2024

प्रकरण क्र./0175/अ-20(3)/2023-24/284

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार पोहरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:अतवेई			पटवारी हल्का:अतवेई			तहसील:पोहरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748832 83YEQUDAEVQJH0	1490/2 (S)		10.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0175/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। सिहद्दा C नहरवरी जलवासा निजी ग्राम नस्व है।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:अतवेई			पटवारी हल्का:अतवेई			तहसील:पोहरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748819 83Y856DAEZ1MH0	1494/2 (S)		25.0000 हेक्टेयर ₹.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0175/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। महु58, जी.टी. स्टेशन सही हालत मे है। चांदा O.P.H. नस्व है। सिहद्दा L नगरा झलवासा नस्व है।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0172/अ-20(3)/2023-24 / 289

म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित घिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दुल्हारा तहसील पोहरी जिला शिवपुरी(म.प्र.) की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2791 रकबा 133.950 हेक्टेयर मे से रकबा 20.00 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार तहसील पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0011/अ-20(3)/2023-24 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम दुल्हारा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2791 रकबा 133.950 हेक्टेयर मे से रकबा 20.00 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित घिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एवं अक्स नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0021/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 16/08/2024 से तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रस्तावित भूमि की नोईयत परिवर्तित करते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2023 प्रेषित कर अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित घिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में ग्राम दुल्हारा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2791 रकबा 133.950 हेक्टेयर मे से रकबा 20.00 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित घिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी ,तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत दुल्हारा जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 25/01/2024, नगर

तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 मे दिये गये प्रावधान अनुसार ग्राम दुल्हारा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 2791 रकबा 133.950 हेक्टेयर मे से रकबा 20.00 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तित कर स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरोली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 2,11,20,000/-(दो करोड ग्यारह लाख बीस हजार रूपये) संबंधित शीर्ष में स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार पोहरी हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
शिवपुरी दिनांक 07.11.24

प्रकरण क्र./0172/अ-20(3)/2023-24 /289
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार पोहरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:दुल्हारा			पटवारी हल्का:दुल्हारा			तहसील:पोहरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610747695 83JEFDDAEGFGH0	2791/1 (S)		20.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0172/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0176/अ-20(3)/2023-24 / 988

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिनांक 02.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम झलवासा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 01 रकबा 4.030 हेक्टेयर में से रकबा 3.64 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 16 रकबा 13.460 हेक्टेयर में से रकबा 8.46 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 12.10 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार तहसील पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0013/अ-20(3)/2023-24 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम झलवासा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 01 रकबा 4.030 हेक्टेयर में से 3.64 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 16 रकबा 13.460 हेक्टेयर में से 8.46 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 12.10 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एवं अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0023/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 14/08/2024 से तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2023 प्रेषित कर अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम झलवासा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 01 रकबा 4.030 हेक्टेयर में से 3.64 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 16 रकबा 13.460 हेक्टेयर में से 8.46 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 12.10 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी ,तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत झलवासा जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 14/03/2024, नगर

तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर ग्राम झलवासा तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 01 रकबा 4.030 हेक्टेयर में से 3.64 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 16 रकबा 13.460 हेक्टेयर में से 8.46 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 12.10 हेक्टेयर भूमि स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवंटित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 1,16,16,000/-(एक करोड सोलह लाख सोलह हजार रूपये) संबंधित शीर्ष में स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार पोहरी हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय मे प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)
शिवपुरी दिनांक 07.1.24

प्रकरण क्र./0176/अ-20(3)/2023-24 / 288
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार पोहरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एव पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:झलवासा			पटवारी हल्का:झलवासा			तहसील:पोहरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610747717 83J2ZLDAEUFFH0	16/2 (S)		8.4600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0176/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:झलवासा			पटवारी हल्का:झलवासा			तहसील:पोहरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610747684 83J1LNDAEZGVH0	1/2 (S)		3.6400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0176/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। सिद्धा चॉदा क्र. C मुकाबले ग्राम नहखरी दुल्हारा व निज ग्राम स्थल पर अविद्यमान है।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0167/अ-20(3)/2023-24 / 282

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07 नवम्बर 2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुदौनियामाफी तहसील कोलारस की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 95 रकबा 61.650 हेक्टेयर मे से रकबा 47.67 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार तहसील कोलारस ने प्रकरण क्रमांक 0004/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 31/07/2024 से प्रतिवेदित किया है कि ग्राम कुदौनियामाफी तहसील कोलारस की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 95 रकबा 61.650 हेक्टेयर मे से 47.67 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 15/03/2024, पत्रिका दिनांक 15/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एंव अक्स नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। तहसीलदार कोलारस ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस ने प्रकरण क्रमांक 0047/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 14/08/2024 से तहसीलदार कोलारस के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2023/1116 दिनांक 15.03.2023 प्रेषित कर अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम कुदौनियामाफी तहसील कोलारस की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 95 रकबा 61.650 हेक्टेयर मे से 47.67 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोलारस ,तहसीलदार कोलारस के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत मकरारा जनपद पंचायत कोलारस के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 13/03/2024,

नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर हेतु ग्राम कुदौनियामाफी तहसील कोलारस की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 95 रकबा 61.650 हेक्टेयर मे से रकबा 47.67 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 3,01,65,576/-(तीन करोड एक लाख पैंसठ हजार पाँच सौ छिहत्तर रूपये) संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्स-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार कोलारस हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0167/अ-20(3)/2023-24 / 282 शिवपुरी दिनांक 07.11.2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोलारस जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार कोलारस की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कुदौनिया माफी			पटवारी हल्का:मकरारा			तहसील:कोलारस			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610755852 837BLJDAFEU5H0	95/1 (S)		22.4700 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0167/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-

			रु.0.00								अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कुदौनिया माफी			पटवारी हल्का:मकरारा			तहसील:कोलारस			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610755863 837BDRDAFYG8H0	95/2 (S)		25.2000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0167/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-

			रु.0.00								अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0173/अ-20(3)/2023-24/468

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 03/03/2025 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 02.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बूडदा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1561 रकबा 62.610 हेक्टेयर मे से 51.77 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1578 रकबा 36.520 हेक्टेयर मे से 9.02 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1614 रकबा 2.800 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1562 रकबा 58.140 हेक्टेयर मे से 21.04 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1605 रकबा 2.670 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 48.440 हेक्टेयर मे से 40.66 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1560 रकबा 15.850 हेक्टेयर मे से 3.15 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1577 रकबा 2.220 हेक्टेयर में से 0.96 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1611 रकबा 3.070 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1656 रकबा 36.620 हेक्टेयर मे से 6.32 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1566 रकबा 15.690 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1607 रकबा 6.980 हेक्टेयर मे से 3.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1654 रकबा 37.900 हेक्टेयर में से 20.39 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1565 रकबा 4.200 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1606 रकबा 2.870 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1653 रकबा 1.920 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1334 रकबा 17.280 हेक्टेयर मे से 12.07 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1567 रकबा 4.250 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1608 रकबा 1.640 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1655 रकबा 3.000 हेक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 210.59 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड ने प्रकरण क्रमांक 0006/अ-20(3)/2023-24 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम बूडदा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1561 रकबा 62.610 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1561/1 रकबा 51.77 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1578 रकबा 36.520 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1578/1 रकबा 9.02 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1614 रकबा 2.800 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1562 रकबा 58.140 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1562/1 रकबा 21.04 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1605 रकबा 2.670 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 48.440 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1643/1 रकबा 40.66 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1560 रकबा 15.850 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1560/1 रकबा 3.15 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1577 रकबा 2.220 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1577/1 रकबा 0.96 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1611 रकबा 3.070 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1656 रकबा 36.620 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1656/1 रकबा 6.32 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1566 रकबा 15.690 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1607 रकबा 6.980 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1607/1 रकबा 3.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1654 रकबा 37.900 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1654/1 रकबा 20.39 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1565 रकबा 4.200 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1606 रकबा 2.870 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1653 रकबा 1.920 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1334 रकबा 17.280 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1334/1 रकबा 12.07 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1567 रकबा 4.250 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1608 रकबा 1.640 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक

1655 रकबा 3.000 हेक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 210.59 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई, जिसमें नियत अवधि में एक आपत्ति ग्रामवासी ग्राम बूढदा तहसील बैराड द्वारा तहसीलदार बैराड को आपत्ति पेश की गयी । खसरो की प्रति एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0027/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 06/01/2025 से नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन से सहमत होते ग्राम बूडदा की उक्त प्रस्तावित भूमि में से सर्वे क्रमांक 1562 रकबा 58.140 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1562/1 रकबा 21.04 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 48.440 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1643/1 रकबा 40.66 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1566 रकबा 15.690 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1565 रकबा 4.200 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1334 रकबा 17.280 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1334/1 रकबा 12.07 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1567 रकबा 4.250 हेक्टेयर की नोईयत चरनोई से परिवर्तित करते हुए भूमि हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में नियत अवधि पश्चात दिनांक 16/03/2024 को दैनिक भास्कर ग्वालियर में ग्रामवासी ग्राम बूडदा द्वारा तहसीलदार बैराड को उक्त आवेदित भूमि हस्तांतरण के क्रम में प्रस्तुत ज्ञापन के संबंध मे खबर प्रकाशित हुयी एवं श्री रामनिवास रावत मंत्री महोदय वन, पर्यावरण विभाग म.प्र.शासन भोपाल ने पत्र क्र. 439 दिनांक 25/09/2024 प्रेषित कर ग्राम बूडदा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1561 के क्रम में शिकायतकर्ता श्री सुरेश धाकड एवं अन्य निवासी ग्राम बूडदा तहसील बैराड के आवेदन के आधार पर आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को संज्ञान में लेकर उचित कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया गया है । उक्त नियत अवधि अंदर प्राप्त आपत्ति एवं नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्तियों के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग पोहरी से स्पष्ट प्रतिवेदन मंगाया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग पोहरी ने पत्र क्र. एसडीओ/प्रवाचक/2025/831, 832 दिनांक 24/02/2025 एवं 835 दिनांक 25/02/2025 प्रेषित कर प्रतिवेदित किया है कि, ग्रामीणो के द्वारा समय समय पर पेश आपत्तियो के निराकरण के सबंध में नायब तहसीलदार गोर्वधन के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को वनभूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बूडदा तहसील बैराड की रकवा 210.59 हेक्टेयर भूमि वनविभाग को हस्तांतरित की जा सकती है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2022/4959 दिनांक 11.10.2022 से अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम बूडदा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1561 रकबा 62.610 हेक्टेयर मे से 51.77 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1578 रकबा 36.520 हेक्टेयर मे से 9.02 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1614 रकबा 2.800 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1562 रकबा 58.140 हेक्टेयर मे से 21.04 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1605 रकबा 2.670 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1643

रकबा 48.440 हेक्टेयर मे से 40.66 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1560 रकबा 15.850 हेक्टेयर मे से 3.15 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1577 रकबा 2.220 हेक्टेयर में से 0.96 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1611 रकबा 3.070 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1656 रकबा 36.620 हेक्टेयर मे से 6.32 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1566 रकबा 15.690 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1607 रकबा 6.980 हेक्टेयर मे से 3.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1654 रकबा 37.900 हेक्टेयर में से 20.39 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1565 रकबा 4.200 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1606 रकबा 2.870 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1653 रकबा 1.920 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1334 रकबा 17.280 हेक्टेयर मे से 12.07 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1567 रकबा 4.250 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1608 रकबा 1.640 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1655 रकबा 3.000 हेक्टेयर कुल किता 20 कुल रकबा 210.59 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी ,नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बूडदा जनपद पंचायत पोहरी की अनापत्ति दिनांक 05/10/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 मे दिये गये प्रावधान अनुसार ग्राम बूडदा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1562 रकबा 58.140 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1562/1 रकबा 21.04 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 48.440 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1643/1 रकबा 40.66 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1566 रकबा 15.690 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1565 रकबा 4.200 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1334 रकबा 17.280 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1334/1 रकबा 12.07 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1567 रकबा 4.250 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 97.91 हेक्टेयर की नोईयत चरनोई से परिवर्तित करते हुये, ग्राम बूडदा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1561 रकबा 62.610 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1561/1 रकबा 51.77 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1578 रकबा 36.520 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1578/1 रकबा 9.02 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1614 रकबा 2.800 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1562 रकबा 58.140 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1562/1 रकबा 21.04 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1605 रकबा 2.670 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 1643 रकबा 48.440 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1643/1 रकबा 40.66 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1560 रकबा 15.850 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1560/1 रकबा 3.15 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1577 रकबा 2.220 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1577/1 रकबा 0.96 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1611 रकबा 3.070 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1656 रकबा 36.620 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1656/1 रकबा 6.32 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1566 रकबा 15.690 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1607 रकबा 6.980 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1607/1 रकबा 3.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1654 रकबा 37.900 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1654/1 रकबा 20.39 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1565 रकबा 4.200 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1606 रकबा 2.870 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1653 रकबा 1.920 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1334 रकबा 17.280 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्र. 1334/1 रकबा 12.07 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 1567 रकबा 4.250 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 1608 रकबा 1.640 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1655 रकबा 3.000 हेक्टेयर

कुल किता 20 कुल रकबा 210.59 हेक्टेयर अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात-3 दिनांक 05/01/2021 के पैरा 05 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 20,89,05,280/-(बीस करोड नवासी लाख पांच हजार दो सो अस्सी रूपये) संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बैराड हस्तांतरित भूमि का खसरे में अमल उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0173/अ-20(3)/2023-24/468 शिवपुरी दिनांक 03/03/2025

प्रतिलिपि

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार बैराड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614321202 83Q81CDAJKL6H0	1577/1 (S)		0.9600 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614321189 83Q28TDAJNSJH0	1654/1 (S)		20.3900 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614321235 83Q7LHDAJP6BH0	1656/1 (S)		6.3200 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1482574768 83Q3JMDAJJNLH0	1608 (S)		1.6400 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			पठार 1.6400								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614321178 83Q4ZBDAJL4EH0	1607/1 (S)		3.1000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1481034194 83Q425DAJ3LKH0	1567 (S)		4.2500 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20/2023-24, आदेश दि. 03/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			चरागाह 4.25								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1480993086 83PVBCDAJ4MZH0	1566 (S)		15.6900 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था							न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20/20 23-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			चरागाह 15.69								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1480954331 83PTZJDAJ2G4H0	1565 (S)		4.2000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20/2023-24, आदेश दि. 03/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			चरागाह 4.2								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1482789857 83Q0T5DAJKMJH0	1614 (S)		2.8000 हेक्टेयर पठार	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20/2023-24, आदेश दि. 03/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			2.8000								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1482467591 83Q54EDAJJLHH0	1605 (S)		2.6700 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20/2023-24, आदेश दि. 03/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			पठार 2.6700								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1482684041 83Q26EDAJJS8H0	1611 (S)		3.0700 हेक्टेयर								न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			पठार 3.0700	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1482503409 83Q5NEDAJK9VH0	1606 (S)		2.8700 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			पठार 2.8700								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1484142243 83PUPVDAJZ1DH0	1653 (S)		1.9200 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			पठार 1.9200								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1484210024 83Q42RDAJLLAH0	1655 (S)		3.0000 हेक्टेयर पठार	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			3.0000								
			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83PFYEDAYV4BH0	1562/1 (S)		21.0400 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83PHSJDAJ4ETH0	1643/1 (S)		40.6600 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								श्रीमान तहसीलदार महोदय के प्र.क्र.66/2014-15/अ-6-अ आदेश दिनांक 29.05.2016 से तहसीलदार पोहरी के प्र.क्र. 80/1998-99/अ-19 आदेश दिनांक 30.09.2000 के पालन मे दुरुस्ती कर सर्वे क्र. 1643 रकवा 2.00 हे. पर मीना पत्नी केदारी जाति वैश्य हिस्सा. ½ सरोज पत्नी शिवसिंह जाति किरार भूमि स्वामी पट्टा अमल किया

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |

2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83Q0S8DAJ13BH0	1334/1 (S)		12.0700 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614321246 83PA39DAYNPMH0	1560/1 (S)		3.1500 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83P99YDAYU98H0	1561/1 (S)		51.7700 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बूड़दा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614321268 83Q5REDAJCV0HO	1578/1 (S)		9.0200 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0173/ अ-20(3)/ 2023-24, आदेश दि. 03/03/2 025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0177/अ-20(3)/2023-24 / 285

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 02.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम वसई तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 153 रकबा 29.040 हेक्टेयर. मे से 22.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 155 रकबा 9.00 हेक्टेयर मे से 3.81 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 151 रकबा 33.900 हेक्टेयर में से 33.46 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 150 रकबा 64.580 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 137 रकबा 48.200 हेक्टेयर मे से 16.86 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 152 रकबा 1.770 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 143.06 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड ने प्रकरण क्रमांक 0005/अ-20(3)/2023-24 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम वसई तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 153 रकबा 29.040 हेक्टेयर. मे से 22.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 155 रकबा 9.00 हेक्टेयर मे से 3.81 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 151 रकबा 33.900 हेक्टेयर में से 33.46 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 150 रकबा 64.580 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 137 रकबा 48.200 हेक्टेयर मे से 16.86 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 152 रकबा 1.770 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 143.06 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0026/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 14/08/2024 से नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2022/4959 दिनांक 11.10.2022 प्रेषित कर अवगत कराया है कि, स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम वसई तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 153 रकबा 29.040 हेक्टेयर. मे से 22.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 155 रकबा 9.00 हेक्टेयर मे से 3.81 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 151 रकबा 33.900 हेक्टेयर में से 33.46 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 150 रकबा 64.580 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 137 रकबा 48.200 हेक्टेयर मे से 16.86 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 152 रकबा 1.770 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 143.06 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण

हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी , नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बूडदा जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 09/06/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर ग्राम वसई तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 153 रकबा 29.040 हेक्टेयर. मे से 22.58 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 155 रकबा 9.00 हेक्टेयर मे से 3.81 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 151 रकबा 33.900 हेक्टेयर में से 33.46 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 150 रकबा 64.580 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 137 रकबा 48.200 हेक्टेयर मे से 16.86 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 152 रकबा 1.770 हेक्टेयर कुल किता 06 कुल रकबा 143.06 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 11,44,48,000/-(ग्यारह करोड चबालीस लाख अडतालीस हजार रूपये) संबंधित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बैराड हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के द्वारा जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0177/अ-20(3)/2023-24/285
शिवपुरी दिनांक 07.11.2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार बैराड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:वसई			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1162603012 83RZH0DAKUB6H0	152 (S) जंगल खुर्द लाल सी		1.7700 हेक्टेयर का.का. 1.7700 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0177/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:वसई			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748922 83QZSCDAJNFAH0	137/2 (S)		16.8600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0177/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। चांदा Eसे J विधमान है एवं सब ट्रर्वस नं. 1से1 तक विधमान है

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

specimen copy

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:वसई			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1160856459 83RJNKDAL1GZH0	150 (S) खुर्द लाल सी		64.5800 हेक्टेयर वर्ग.का. 64.5800 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0177/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। चादा Xसे S तक विधमान है

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:वसई			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748988 83RKBQDAKSKDH0	151/2 (S)		33.4600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0177/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। चांदा J विधमान है

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

specimen copy

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:वसई			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748966 83RQUCDAL2AMH0	153/2 (S)		22.5800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0177/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। चांदा F से I तक विधमान है

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:वसई			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748909 83RRKQDAL636H0	155/2 (S)		3.8100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0177/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

Cadastral Map Showing The Proposed Compensatory Afforestation (CA) Land for SMRPL in Village -Basai, Tehsil - Bairrad, District - Shivpuri, State - M.P. Sheet II

Area Statement of Basai For CA Land

Sl.No	District	Tehsil	Village	Patwari Halka	Patch	Khasra No	Kul Rakba(Ha)	Propossed Area(Ha)	Land Use
1	Shivpuri	Bairrad	Basai	105	1	137	48.20	16.86	Pahad
					Patch 1 Area		**48.20**	**16.86**	
2	Shivpuri	Bairrad			2	150	64.58	64.58	Kabil Kast,Jungle Khurd
3	Shivpuri	Bairrad				151	33.90	33.46	Kabil Kast,Jungle Khurd
4	Shivpuri	Bairrad				152	1.77	1.77	Kabil Kast,Jungle Khurd
5	Shivpuri	Bairrad				153	29.04	22.58	Kabil Kast,Jungle Khurd
6	Shivpuri	Bairrad				155	9.00	3.81	Pahad
					Patch 2 Area		**138.29**	**126.20**	
Total Area (Patch 1 + Patch 2)							**186.49**	**143.06**	

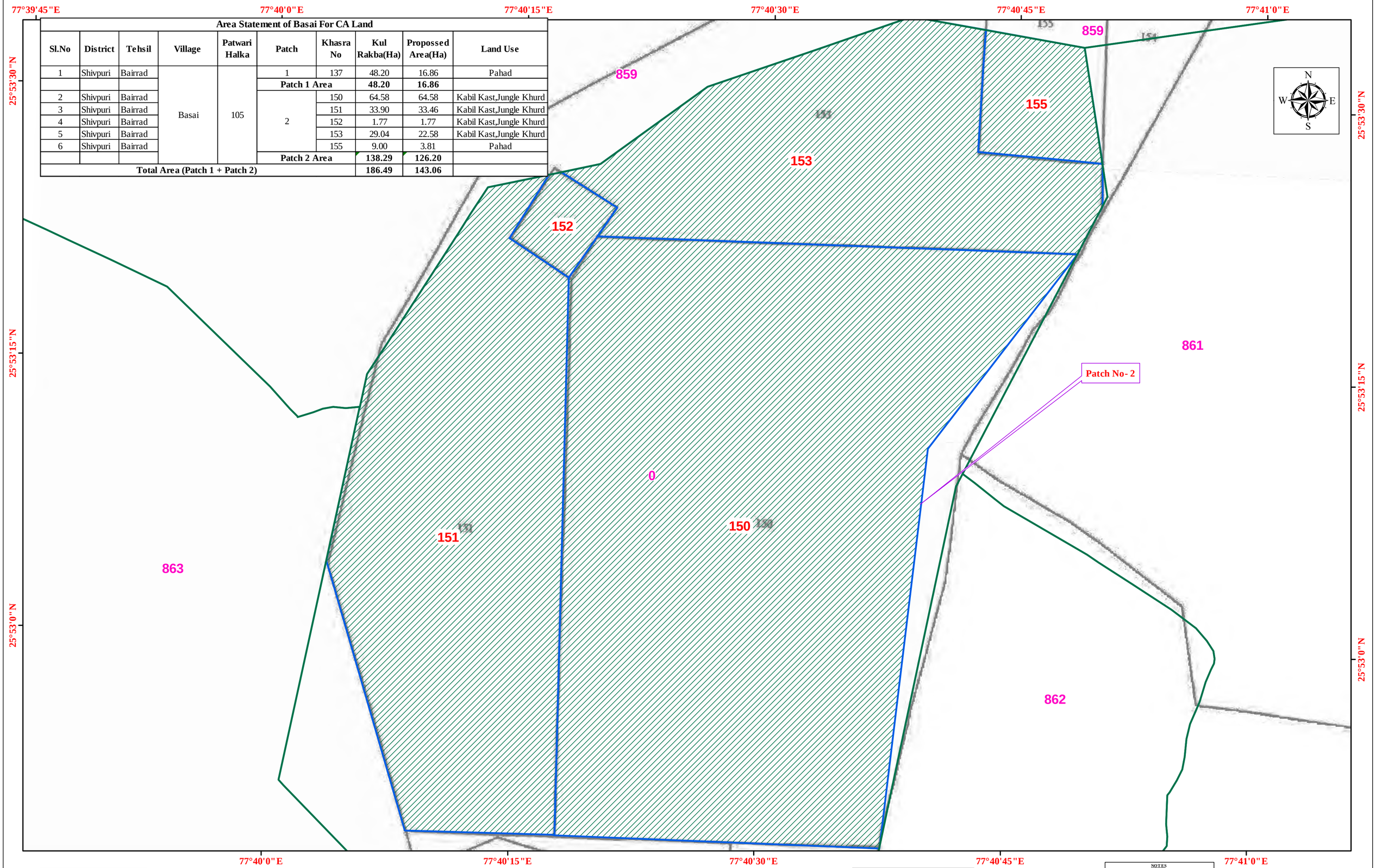

Survey & Mapping By :
Sargeo Enterprises
Ranchi, Jharkhand
Printed On : 29.03.2022

Submitted By :
Stratatech Mineral Resources Pvt Ltd.
Dhirauli Coal Block, singrauli

Scale - 1:4,000
0 40 80 160 240 320
Meters

Legend
Proposed CA Boundary
Existing Forest Compartment

NOTES

Cadastral Map Showing The Proposed Compensatory Afforestation (CA) Land for SMRPL in Village -Basai, Tehsil - Bairrad, District - Shivpuri, State - M.P. Sheet I

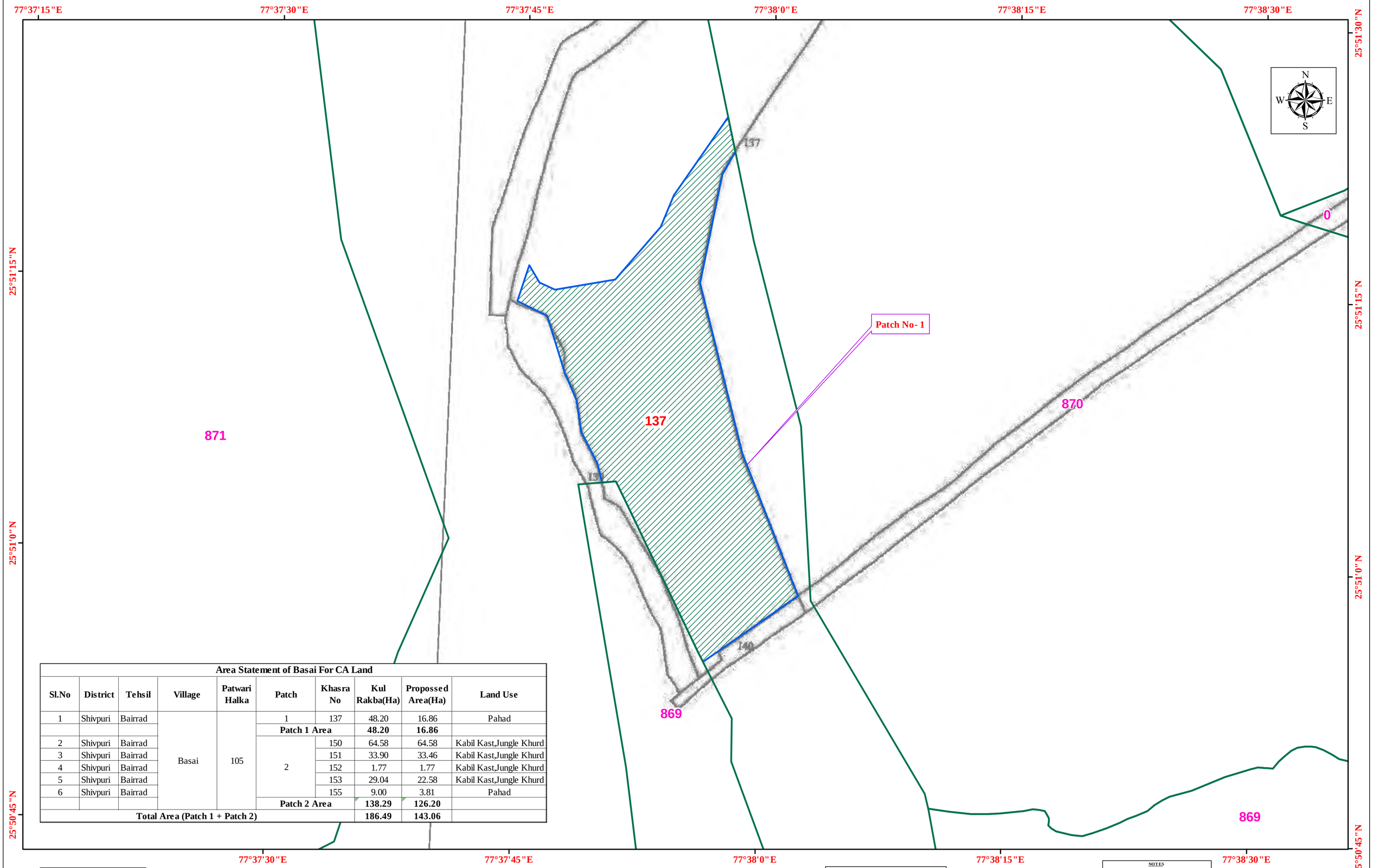

Area Statement of Basai For CA Land									
Sl.No	District	Tehsil	Village	Patwari Halka	Patch	Khasra No	Kul Rakba(Ha)	Propossed Area(Ha)	Land Use
1	Shivpuri	Bairrad	Basai	105	1	137	48.20	16.86	Pahad
					Patch 1 Area		**48.20**	**16.86**	
2	Shivpuri	Bairrad			2	150	64.58	64.58	Kabil Kast,Jungle Khurd
3	Shivpuri	Bairrad				151	33.90	33.46	Kabil Kast,Jungle Khurd
4	Shivpuri	Bairrad				152	1.77	1.77	Kabil Kast,Jungle Khurd
5	Shivpuri	Bairrad				153	29.04	22.58	Kabil Kast,Jungle Khurd
6	Shivpuri	Bairrad				155	9.00	3.81	Pahad
					Patch 2 Area		**138.29**	**126.20**	
Total Area (Patch 1 + Patch 2)							**186.49**	**143.06**	

Survey & Mapping By :
Sargeo Enterprises
Ranchi, Jharkhand
Printed On : 29.03.2022

Submitted By :
Stratatech Mineral Resources Pvt Ltd.
Dhirauli Coal Block, singrauli

Scale - 1:4,000
0 40 80 160 240 320
Meters

Legend
Proposed CA Boundary
Existing Forest Compartment

NOTES

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0174/अ-20(3)/2023-24 / २९३

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेडमे ऑनलाइन आवेदन दिनांक 02.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम ईमलीपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 33 रकबा 12.020 हेक्टेयर में से 10.28 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 02 रकबा 18.180 हेक्टेयर , एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 25.340 हेक्टेयर में से 23.72 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 52.18 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड ने प्रकरण क्रमांक 0007/अ-20(3)/2023-24 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम ईमलीपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 33 रकबा 12.020 हेक्टेयर में से 10.28 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 02 रकबा 18.180 हेक्टेयर , एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 25.340 हेक्टेयर में से 23.72 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 52.18 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0028/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 14/08/2024 से नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2022/4959 दिनांक 11.10.2022 से अवगत कराया है कि, स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम ईमलीपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 33 रकबा 12.020 हेक्टेयर में से 10.28 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 2 रकबा 18.180 हेक्टेयर , एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 25.340 हेक्टेयर में से 23.72 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 52.18 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी ,नायब तहसीलदार वृत-1 गोवर्धन तहसील बैराड के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बूडदा जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 09/06/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर ग्राम ईमलीपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 33 रकबा 12.020 हेक्टेयर में से रकबा 10.28 हेक्टेयर ,सर्वे क्रमांक 2 रकबा 18.180 हेक्टेयर , एवं सर्वे क्रमांक 19 रकबा 25.340 हेक्टेयर में से रकबा 23.72 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 52.18 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित घिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 3,25,60,320/-(तीन करोड पच्चीस लाख साठ हजार तीन सौ बीस रूपये) संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बैराड हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0174/अ-20(3)/2023-24 /288 शिवपुरी दिनांक 07.11.2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार बैराड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:ईमलीपुरा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610749012 83Q835DAJU48H0	33/1 (S)		10.2800 हेक्टेयर रु0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0174/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:ईमलीपुरा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1001548989 83QRYLDAKD0LH0	2 (S)		18.1800 हेक्टेयर का.का. 18.1800 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0174/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:ईमलीपुरा			पटवारी हल्का:बूढदा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748999 83QPGQDAK96BH0	19/1 (S)		23.7200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0174/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

Cadastral Map Showing The Proposed Compensatory Afforestation (CA) Land for SMRPL in Village -Imlipura, Tehsil - Bairrad, District - Shivpuri, State - M.P. Sheet II

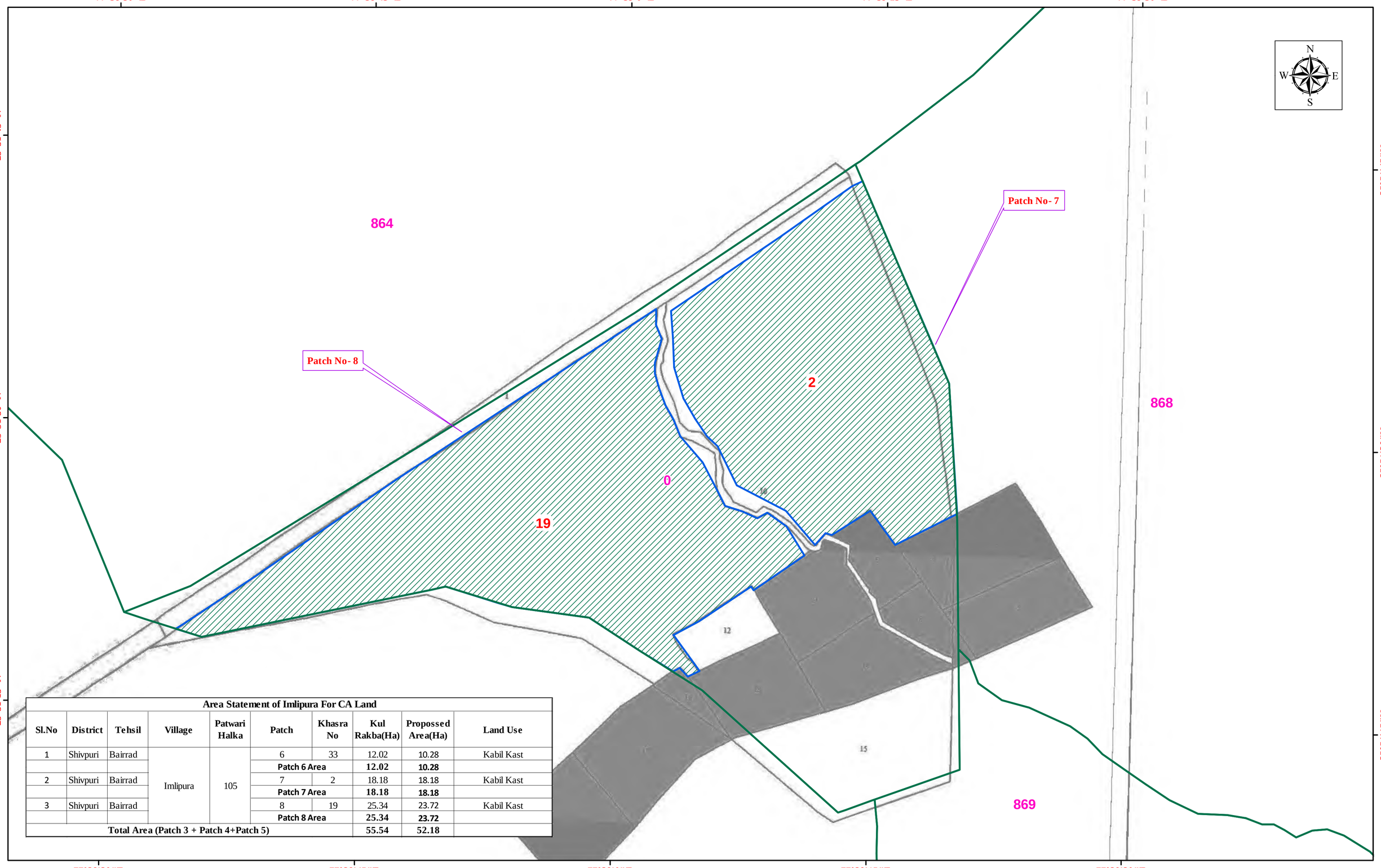

Area Statement of Imlipura For CA Land									
Sl.No	District	Tehsil	Village	Patwari Halka	Patch	Khasra No	Kul Rakba(Ha)	Propossed Area(Ha)	Land Use
1	Shivpuri	Bairrad	Imlipura	105	6	33	12.02	10.28	Kabil Kast
					Patch 6 Area		**12.02**	**10.28**	
2	Shivpuri	Bairrad			7	2	18.18	18.18	Kabil Kast
					Patch 7 Area		**18.18**	**18.18**	
3	Shivpuri	Bairrad			8	19	25.34	23.72	Kabil Kast
					Patch 8 Area		**25.34**	**23.72**	
Total Area (Patch 3 + Patch 4+Patch 5)							**55.54**	**52.18**	

Survey & Mapping By :
Sargeo Enterprises
Ranchi, Jharkhand
Printed On : 29.03.2022

Submitted By :
Stratatech Mineral Resources Pvt Ltd.
Dhirauli Coal Block, singrauli

Scale - 1:4,000
0 40 80 160 240 320
Meters

Legend
Proposed CA Boundary
Existing Forest Compartment

NOTES

Cadastral Map Showing The Proposed Compensatory Afforestation (CA) Land for SMRPL in Village -Imlipura, Tehsil - Bairrad, District - Shivpuri, State - M.P. Sheet I

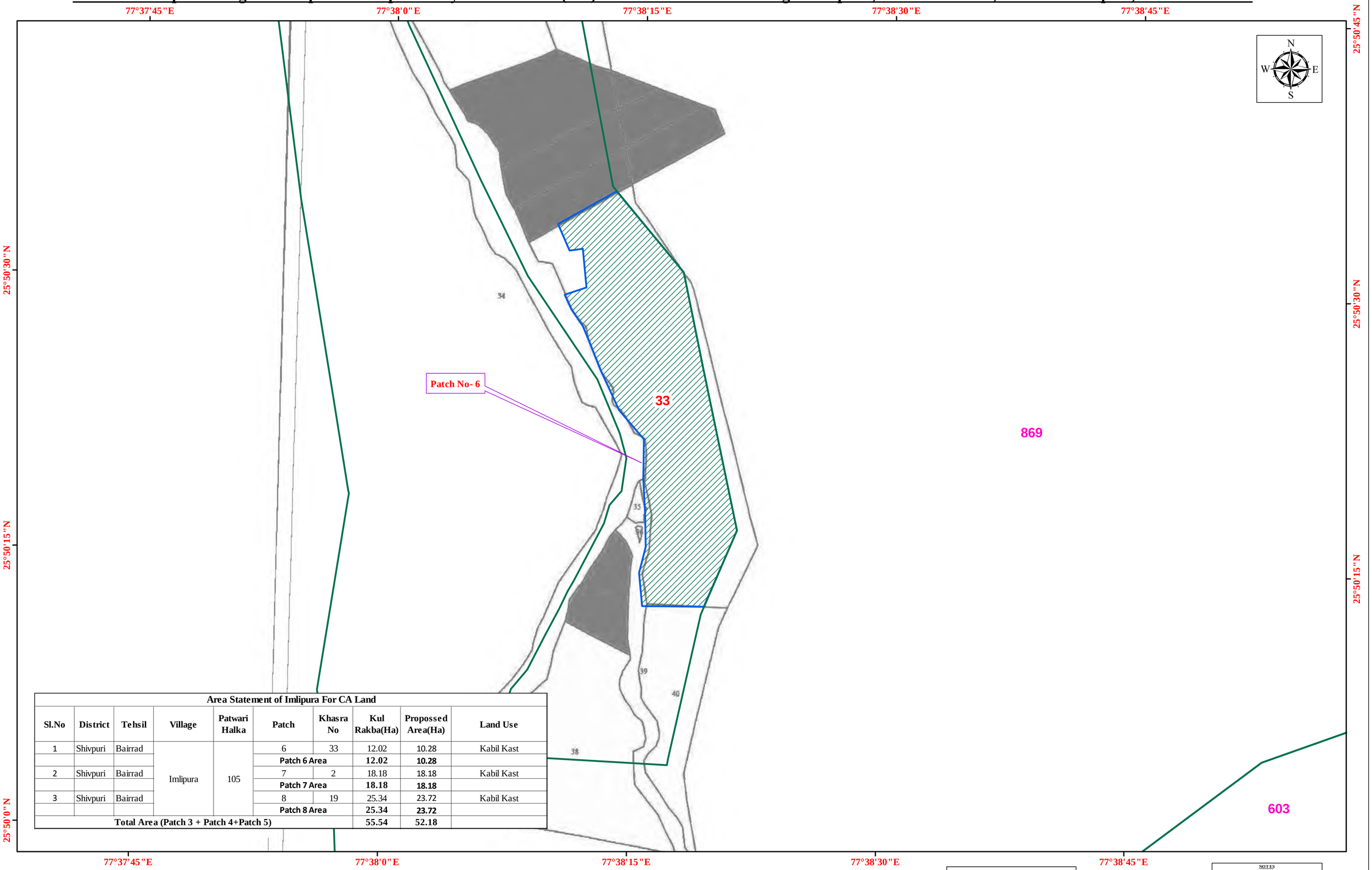

Area Statement of Imlipura For CA Land

Sl.No	District	Tehsil	Village	Patwari Halka	Patch	Khasra No	Kul Rakba(Ha)	Propossed Area(Ha)	Land Use
1	Shivpuri	Bairrad	Imlipura	105	6	33	12.02	10.28	Kabil Kast
					Patch 6 Area		**12.02**	**10.28**	
2	Shivpuri	Bairrad			7	2	18.18	18.18	Kabil Kast
					Patch 7 Area		**18.18**	**18.18**	
3	Shivpuri	Bairrad			8	19	25.34	23.72	Kabil Kast
					Patch 8 Area		**25.34**	**23.72**	
Total Area (Patch 3 + Patch 4+Patch 5)							**55.54**	**52.18**	

Survey & Mapping By :
Sargeo Enterprises
Ranchi, Jharkhand
Printed On : 29.03.2022

Submitted By :
Stratatech Mineral Resources Pvt Ltd.
Dhirauli Coal Block, singrauli

Scale - 1:4,000
0 40 80 160 240 320
Meters

Legend
Proposed CA Boundary
Existing Forest Compartment

NOTES

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0169/अ-20(3)/2023-24 / 2847

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

विवरण की संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 10.410 हेक्टेयर में से रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 04 रकबा 16.980 हेक्टेयर मे से 2.98 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 6/1 रकबा 7.600 हेक्टेयर मे से रकबा 2.98 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 11.96 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार बैराड ने प्रकरण क्रमांक 0005/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 28/06/2024 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 10.410 हेक्टेयर में से रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 04 रकबा 16.980 हेक्टेयर मे से 2.98 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 6/1 रकबा 7.600 हेक्टेयर मे से रकबा 2.98 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 11.96 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। तहसीलदार बैराड ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0025/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 18/07/2024 से तहसीलदार बैराड के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2023/1116 दिनांक 15.03.2023 से प्रेषित कर अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 10.410 हेक्टेयर में से रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 04 रकबा 16.980 हेक्टेयर मे से 2.98 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 6/1 रकबा 7.600 हेक्टेयर मे से रकबा 2.98 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 11.96 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी ,तहसीलदार बैराड के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत जौराई जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 20/06/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बैराड की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 3 रकबा 10.410 हेक्टेयर में से रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 04 रकबा 16.960 हेक्टेयर में से 2.98 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 6/1 रकबा 7.600 हेक्टेयर मे से रकबा 2.98 हेक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 11.96 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित घिरोली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 66,97,600/-(छियासठ लाख सन्तानवे हजार छः सौ रूपये)संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बैराड हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत , अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0169/अ-20(3)/2023-24 /287 शिवपुरी दिनांक 07-11-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार बैराड की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत , अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:रघुनाथपुरा			पटवारी हल्का:जौराई			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611383376 83ZAZ1DACJMAH0	3/1 (S)		6.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0169/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-

											अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								ट्रार्वस चादा नस्व है HI देहाजा वनविभाग

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:रघुनाथपुरा			पटवारी हल्का:जौराई			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611385571 83Z8FNDACJ63H0	4/1 (S)		2.9800 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0169/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-

											अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								ट्रावर्स चांदा नं.4 RI देहाजा MB नस्ल है

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

2:39 71%
mpbhulekh.gov.in:8092/U...
mpbhulekh.gov.in:8092

[illegible]			[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	[illegible]	[illegible] 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	[illegible] 1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible] 4. [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612425914 [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	1						[illegible]
			[illegible]								[illegible]

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Viewing an offline copy of this page
Reload

Treatment Map Showing The Proposed Compensator [illegible]
in Village - Raghunathpura, Tehsil - Bairrad, District - Shivpuri, State - M.P.

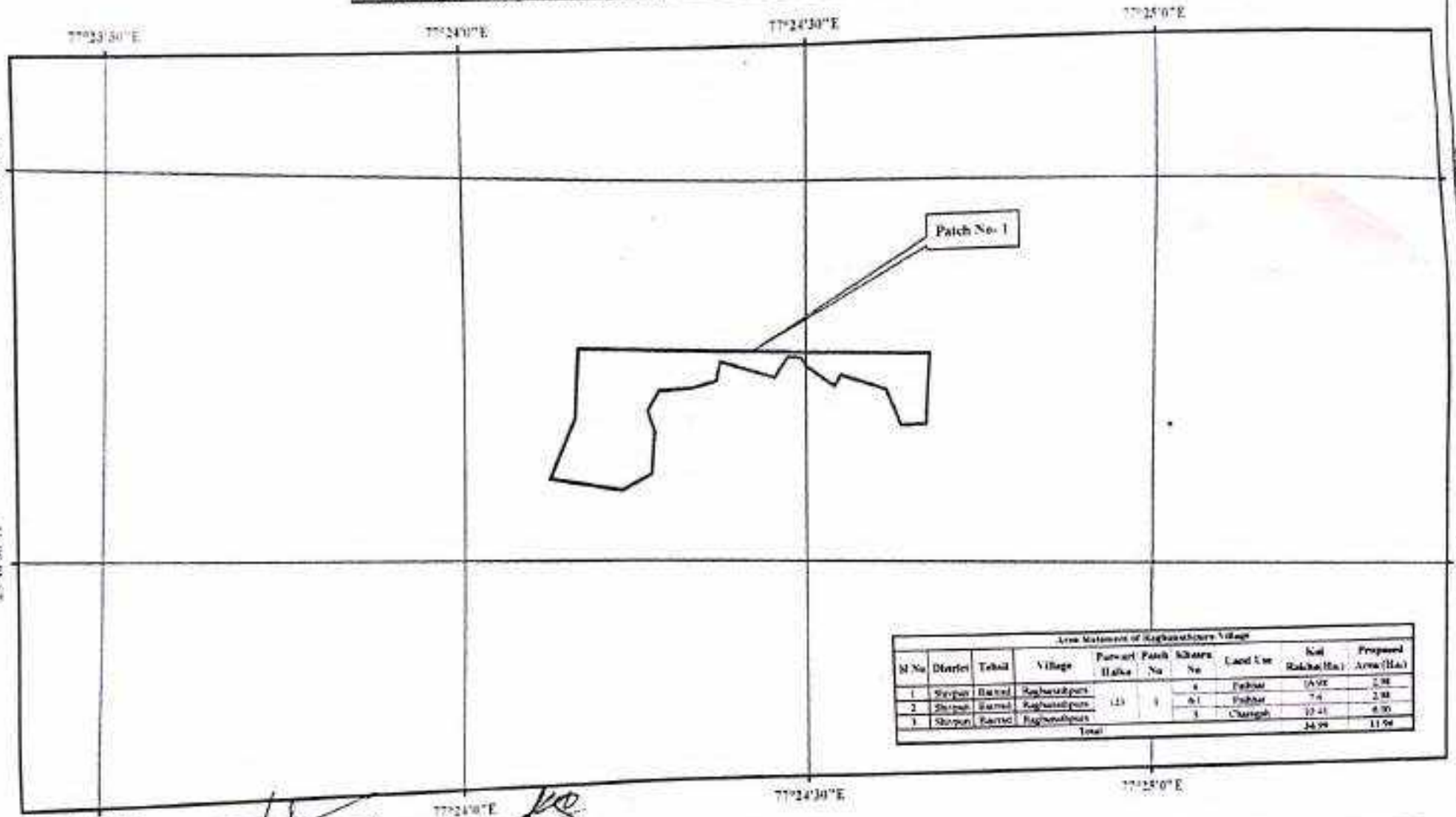

Area Statement of Raghunathpura Village

Sl No	District	Tehsil	Village	Patwari Halka	Patch No	Khasra No	Land Use	Kal Rakha(Ha.)	Proposed Area (Ha.)
1	Shivpuri	Bairrad	Raghunathpura	123	1	4	Pathar	16.98	2.88
2	Shivpuri	Bairrad	Raghunathpura			6.1	Pathar	7.6	2.88
3	Shivpuri	Bairrad	Raghunathpura			3	Charagah	10.41	6.00
Total								34.99	11.94

Survey & Mapping By :
Sargeo Enterprises
Ranchi, Jharkhand
Submitted On : 19.03.2023

Submitted By:
Stratatech Mineral Resources Pvt Ltd.
Dhirauli Coal Block, Singrauli

Scale - 1:12,500
0 100 200 400 600 800
Meters

Legend
Patch Boundary

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0175/अ-20(3)/2023-24 /2884

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07.11.2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 02.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत तहसीलदार तहसील पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0012/अ-20(3)/2023-24 से प्रतिवेदित किया है कि ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में उद्घोषणा का प्रकाशन कर एवं दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्तियां बुलाई गई आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। तहसीलदार पोहरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी ने प्रकरण क्रमांक 0022/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 14/08/2024 से तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2023 प्रेषित कर अवगत कराया है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी ,तहसीलदार पोहरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत अतवेई जनपद पंचायत पोहरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 08/06/2024, नगर

तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर हेतु ग्राम अतवेई तहसील पोहरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1490 रकबा 33.320 हेक्टेयर में से 10.00 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1494 रकबा 91.500 हेक्टेयर में से 25.00 हेक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 35.00 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 2,68,80,000/-(दो करोड़ अड़सठ लाख अस्सी हजार रूपये) संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार पोहरी हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

शिवपुरी दिनांक 07.11.2024

प्रकरण क्र./0175/अ-20(3)/2023-24/284

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार पोहरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर आधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748933 83JH6KDAEPHYH0	750/2/2 (S)		42.7500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1411606484 83JE6ADAEQH6H0	751 (S)		7.1000 हेक्टेयर पिछाई 7.1000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610747741 83JCERDAET2EH0	753/2 (S)		9.1200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748876 83JC6KDAEZNYH0	755/2 (S)		9.2900 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748887 83JC6KDAEZNYH0	755/3 (S)		9.2900 हेक्टेयर 0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:मारौरा खालसा			पटवारी हल्का:मारौराखालसा			तहसील:बैराड			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे का अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610748843 83J6G6DAEQE4H0	756/2 (S)		61.5800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0170/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

Cadastral Map Showing The Proposed Compensatory Afforestation (CA) Land for SMRPL in Village -Marora Khalsa, Tehsil - Bairrad, District - Shivpuri, State - M.P.

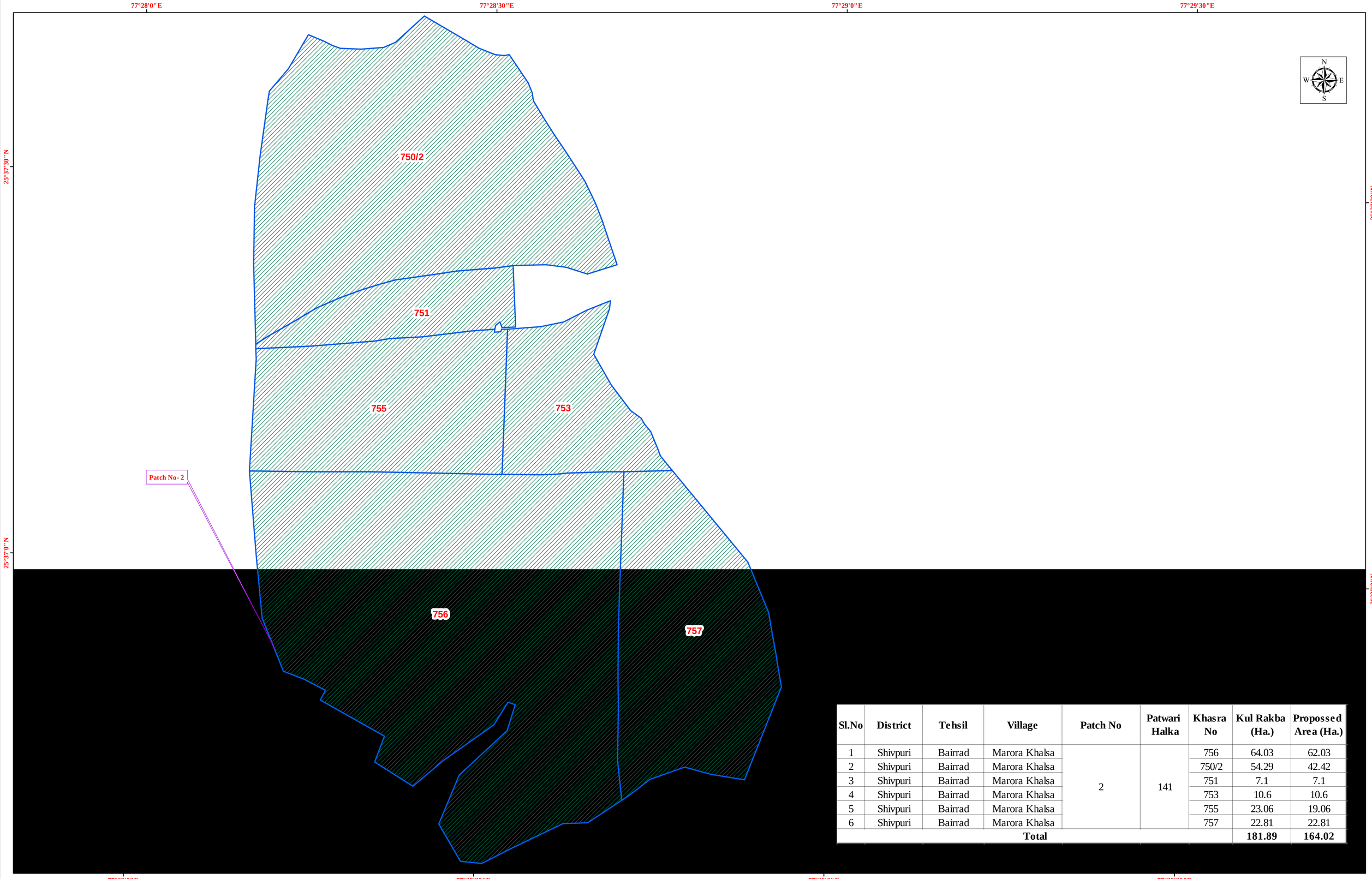

Sl.No	District	Tehsil	Village	Patch No	Patwari Halka	Khasra No	Kul Rakba (Ha.)	Propossed Area (Ha.)
1	Shivpuri	Bairrad	Marora Khalsa	2	141	756	64.03	62.03
2	Shivpuri	Bairrad	Marora Khalsa			750/2	54.29	42.42
3	Shivpuri	Bairrad	Marora Khalsa			751	7.1	7.1
4	Shivpuri	Bairrad	Marora Khalsa			753	10.6	10.6
5	Shivpuri	Bairrad	Marora Khalsa			755	23.06	19.06
6	Shivpuri	Bairrad	Marora Khalsa			757	22.81	22.81
Total							**181.89**	**164.02**

Legend

Proposed CA Boundary

Scale - 1:4,000

0 40 80 160 240 320

Meters

NOTES

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0171/अ-20(3)/2023-24 / 399

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण वावत:

//आदेश//

(आज दिनांक 03/01/2025 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 55 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 53 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 54 रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 52 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 198 रकबा 31.850 हेक्टेयर में से 17.60 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 51 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 181 रकबा 4.00 हेक्टेयर में से 3.64 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 50 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 177 रकबा 23.780 हेक्टेयर में से 21.20 हेक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 78.44 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0010/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 28/03/2024 ,14/05/2024 एवं 25/09/2024 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 55 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 53 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 54 रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 52 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 198 रकबा 31.850 हेक्टेयर में से 17.60 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 51 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 181 रकबा 4.00 हेक्टेयर में से 3.64 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 50 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 177 रकबा 23.780 हेक्टेयर में से 21.20 हेक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 78.44 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में दिनांक 29/02/2024 से उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई साथ ही दो दैनिक समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन कराये जाने हेतु लेख किया गया । समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024, पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गयी, जो की प्रकरण में संलग्न है । खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0054/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 15/04/2024, 27/05/2024 एवं 11/11/2024 से नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी का पत्र क्रमांक डीएम/2023/1116 दिनांक 15.03.2023 संलग्न है जिसमे लेख है कि, स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 55 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 53 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 54 रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 52 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 198 रकबा 31.850 हेक्टेयर में से 17.60 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 51 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 181 रकबा 4.00 हेक्टेयर में से 3.64 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 50 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 177 रकबा 23.780 हेक्टेयर में से 21.20 हेक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 78.44 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्ताबेजो का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी , नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत करईकरउ जनपद पंचायत शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 दिनांक 10/03/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर हेतु ग्राम डोगरी तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 55 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 53 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 54 रकबा 6.00 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 52 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 198 रकबा 31.850 हेक्टेयर में से 17.60 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 51 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 181 रकबा 4.00 हेक्टेयर में से 3.64 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 50 रकबा 6.00 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 177 रकबा 23.780 हेक्टेयर में से 21.20 हेक्टेयर कुल किता 09 कुल रकबा 78.44 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 5,39,66,720/-(पांच करोड उन्चालीस लाख छियासठ हजार सात सौ बीस रूपये) संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव

संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0171/अ-20(3)/2023-24 / 399 शिवपुरी दिनांक 07/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्टाटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्टाटाटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1060837738 83LJBZDAPVG9H0	50 (S)		6.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2023-24 एवं आदेश दिनांक07/01/2025के अनुसार दिनांक 07/02/2025 को शामिल खसरा एवं खसरा

											टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/ अ-20(3)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से भूमि म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक बृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061971582 83LJB5DAQ1G1H0	51 (S)		6.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2023-24 एवं आदेश दिनांक07/01/2025के अनुसार दिनांक 07/02/2025 को शामिल खसरा एवं खसरा

											टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0171/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/ अ-20(3)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से भूमि म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक बृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1063108258 83LJAZDAQ3FQH0	52 (S)		6.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2023-24 एवं आदेश दिनांक07/01/2025के अनुसार दिनांक 07/02/2025 को शामिल खसरा एवं खसरा

											टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/ अ-29(3)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से भूमि म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरित)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064248738 83LJACDAQ5F5H0	53 (S)		6.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2023-24 एवं आदेश दिनांक07/01/2025के अनुसार दिनांक 07/02/2025 को शामिल खसरा एवं खसरा

											टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/ अ-20(3)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से भूमि म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1065373176 83LGJHDAQ5E5H0	54 (S)		6.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2023-24 एवं आदेश दिनांक07/01/2025के अनुसार दिनांक 07/02/2025 को शामिल खसरा एवं खसरा

											टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/ अ-20(3)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से भूमि म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1066507795 83LGK3DAQ3ESH0	55 (S)		6.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2023-24 एवं आदेश दिनांक07/01/2025के अनुसार दिनांक 07/02/2025 को शामिल खसरा एवं खसरा

											टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			रु.0.00								न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/ अ-20(३)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से भूमि म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक बृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611389856 83LNF5DAQ8URH0	177/1 (S)		21.2000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2 023-24 एवं आदेश दिनांक07/0 1/2025के अनुसार दिनांक

											07/02/2025 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
				रु.0.00							न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/अ-20(3)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से सर्वे न १७७ रकवा 23.७८ हेक्टर मै से रकवा 21.२० हेक्टर पर भूमि म.प्र. शासन वन विभाग

											भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611389801 83LQAKDAQ8BMH0	181/1 (S)		3.6400 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2 023-24 एवं आदेश दिनांक07/0 1/2025के अनुसार दिनांक

											07/02/2025 को शामिल खसरा एवं खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
				रु.0.00							न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/अ-20(3)/2023-२४/३९९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से सर्वे न १८१ रकवा 4.०० हेक्टर मै से रकवा 3.६४ हेक्टर पर भूमि

											म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:डोगरी			पटवारी हल्का:करईकेरऊ			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611389823 83LUDLDAQFZ7H0	198/1 (S)		17.6000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						कलेक्टर द्वारा प्र. क्र.0171/ अ-20(3)/2023-24 एवं आदेश दिनांक07/01/2025के अनुसार दिनांक

											07/02/2025 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0171/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
											श्रीमान कलेक्टर महो. शिवपुरी के प्र.क्र.38/2001-02 अ-59 आ.दि.20.3.2002 द्वारा वीड से जगलखुर्द घोषित किया गया न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक ०१७१/अ-20(3)/2023-२४/३९

			रु.0.00								९ आदेश दिनांक 07-01-२०२५ से सर्वे न १९८ रकवा 31.८५ हेक्टर मै से रकवा 17.६० हेक्टर पर भूमि म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा चीफ ऑफ़ क्लस्टर सिंगरोली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांरण)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

FOREST MAP SHOWING THE PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) LAND FOR SMRPL. IN DIVISION - SHIVPURI, STATE - MP

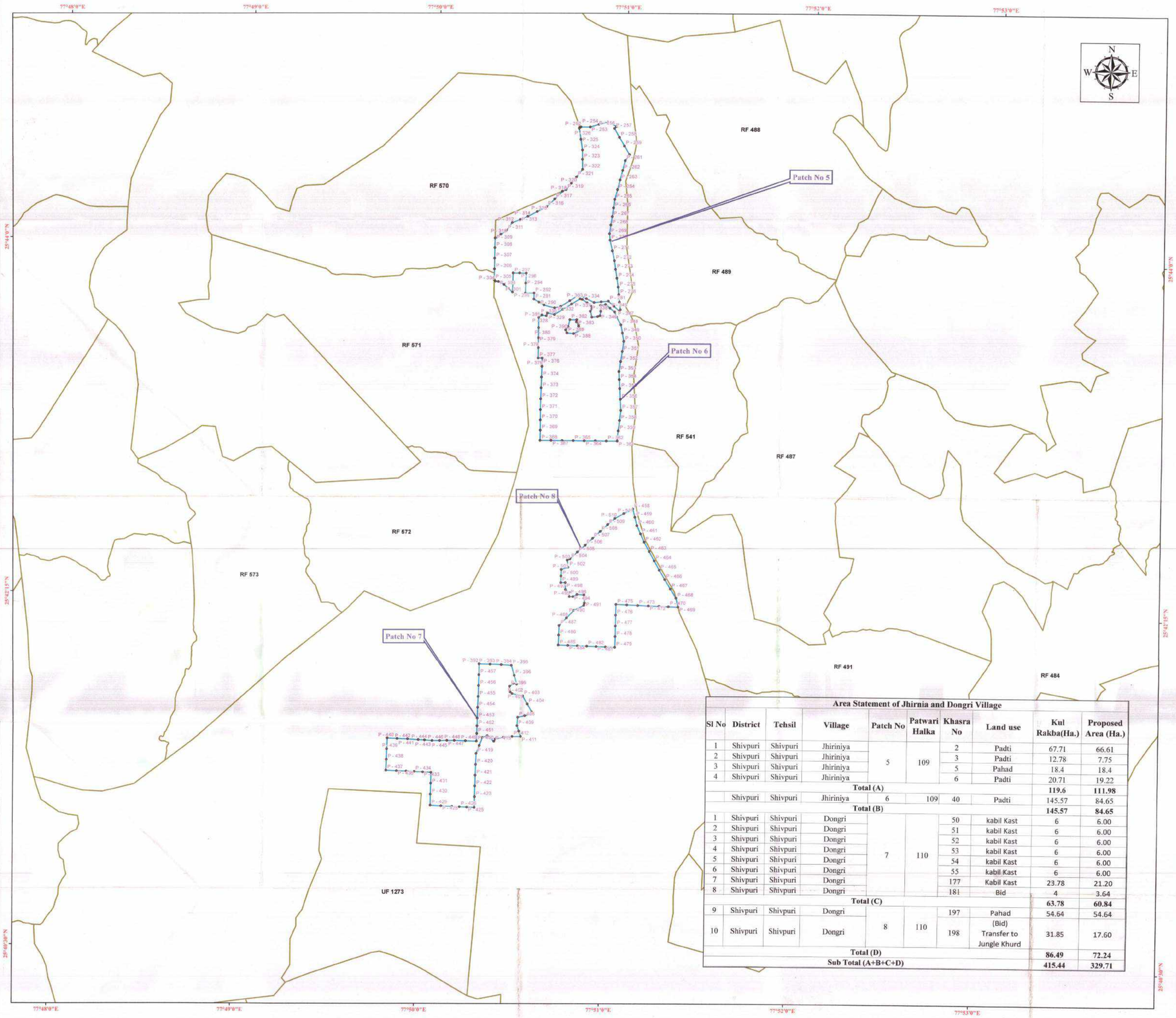

Pillar Point Coordinate

Pillar ID	Patch	Easting	Northing	Latitude	Longitude
P - 252	5	785529.475	2850363.674	25°44'36.70027"	77°50'46.28872"
P - 253	5	785610.503	2850366.981	25°44'36.75083"	77°50'49.19617"
P - 254	5	785688.556	2850394.432	25°44'37.58736"	77°50'52.01560"
P - 255	5	785766.608	2850421.882	25°44'38.42387"	77°50'54.83504"
P - 256	5	785843.999	2850383.187	25°44'37.11318"	77°50'57.57952"
P - 257	5	785827.462	2850364.335	25°44'36.51271"	77°50'56.97207"
P - 258	5	785875.969	2850286.614	25°44'33.95518"	77°50'58.65081"
P - 259	5	785924.476	2850208.892	25°44'31.39764"	77°51'00.32952"
P - 260	5	785972.983	2850131.171	25°44'28.84010"	77°51'02.00821"
P - 261	5	785937.926	2850075.939	25°44'27.07143"	77°51'00.70862"
P - 262	5	785918.909	2849986.642	25°44'24.18546"	77°50'59.95767"
P - 263	5	785899.892	2849897.345	25°44'21.29949"	77°50'59.20673"
P - 264	5	785880.875	2849808.048	25°44'18.41351"	77°50'58.45580"
P - 265	5	785861.858	2849718.751	25°44'15.52754"	77°50'57.70488"
P - 266	5	785853.92	2849639.128	25°44'12.94788"	77°50'57.35865"
P - 267	5	785845.983	2849559.504	25°44'10.36821"	77°50'57.01242"
P - 268	5	785838.045	2849479.881	25°44'07.78855"	77°50'56.66619"
P - 269	5	785830.108	2849400.258	25°44'05.20889"	77°50'56.31997"
P - 270	5	785836.723	2849341.719	25°44'03.30358"	77°50'56.51174"
P - 271	5	785862.229	2849245.986	25°44'00.17740"	77°50'57.35193"
P - 272	5	785885.834	2849157.391	25°43'57.28431"	77°50'58.12945"
P - 273	5	785901.017	2849077.301	25°43'54.67325"	77°50'58.61166"
P - 274	5	785916.199	2848997.21	25°43'52.06220"	77°50'59.09385"
P - 275	5	785931.382	2848917.12	25°43'49.45114"	77°50'59.57605"
P - 276	5	785941.17	2848848.529	25°43'47.21725"	77°50'59.87372"
P - 277	5	785950.958	2848779.938	25°43'44.98336"	77°51'00.17149"
P - 278	5	785960.746	2848711.348	25°43'42.74946"	77°51'00.46921"
P - 279	5	785954.394	2848699.04	25°43'42.35432"	77°51'00.23158"
P - 280	5	785902.383	2848742.01	25°43'43.78596"	77°50'58.40091"
P - 281	5	785850.372	2848784.979	25°43'45.21759"	77°50'56.56983"
P - 282	5	785787.375	2848775.623	25°43'44.95799"	77°50'54.30442"
P - 283	5	785724.378	2848766.267	25°43'44.69839"	77°50'52.03901"
P - 284	5	785654.76	2848797.94	25°43'45.77558"	77°50'49.56800"
P - 285	5	785585.141	2848829.613	25°43'46.85276"	77°50'47.09697"
P - 286	5	785507.258	2848773.072	25°43'45.07151"	77°50'44.26144"
P - 287	5	785429.374	2848716.53	25°43'43.29024"	77°50'41.42593"
P - 288	5	785377.119	2848700.655	25°43'42.81140"	77°50'39.54053"
P - 289	5	785280.546	2848723.144	25°43'43.60922"	77°50'36.09619"
P - 290	5	785233.919	2848747.906	25°43'44.44584"	77°50'34.44396"
P - 291	5	785187.292	2848772.668	25°43'45.28245"	77°50'32.79172"
P - 292	5	785184.916	2848827.091	25°43'47.05116"	77°50'32.74857"
P - 293	5	785104.864	2848824.77	25°43'47.03182"	77°50'29.87725"
P - 294	5	785104.448	2848915.186	25°43'49.96778"	77°50'29.93217"
P - 295	5	785104.031	2849005.601	25°43'52.90373"	77°50'29.98709"
P - 296	5	785044.661	2849003.268	25°43'52.86951"	77°50'27.85709"
P - 297	5	784985.292	2849000.935	25°43'52.83528"	77°50'25.72709"
P - 298	5	784986.958	2848913.856	25°43'50.00678"	77°50'25.71956"
P - 299	5	784988.623	2848826.777	25°43'47.17829"	77°50'25.71204"
P - 300	5	784949.253	2848860.009	25°43'48.28481"	77°50'24.32643"
P - 301	5	784909.883	2848893.24	25°43'49.39133"	77°50'22.94082"
P - 302	5	784882.155	2848907.845	25°43'49.88492"	77°50'21.95813"
P - 303	5	784856.966	2848916.947	25°43'50.19805"	77°50'21.06225"
P - 304	5	784831.99	2848918.217	25°43'50.25674"	77°50'20.16790"
P - 305	5	784819.66	2848931.549	25°43'50.69824"	77°50'19.73623"
P - 306	5	784816.972	2849030.226	25°43'53.90400"	77°50'19.71600"
P - 307	5	784814.129	2849127.979	25°43'57.07990"	77°50'19.68953"
P - 308	5	784811.596	2849224.188	25°44'00.20545"	77°50'19.67300"
P - 309	5	784809.423	2849312.068	25°44'03.06031"	77°50'19.66291"
P - 310	5	784857.67	2849349.383	25°44'04.23815"	77°50'21.42124"
P - 311	5	784905.917	2849386.698	25°44'05.41598"	77°50'23.17959"
P - 312	5	784954.6	2849461.311	25°44'07.80450"	77°50'24.98239"
P - 313	5	785024.715	2849493.325	25°44'08.79492"	77°50'27.52058"
P - 314	5	785094.829	2849525.34	25°44'09.78532"	77°50'30.05877"
P - 315	5	785176.85	2849574.553	25°44'11.32577"	77°50'33.03709"
P - 316	5	785258.342	2849622.707	25°44'12.83221"	77°50'35.99564"
P - 317	5	785329.594	2849694.921	25°44'15.12700"	77°50'38.60571"
P - 318	5	785393.717	2849770.551	25°44'17.53765"	77°50'40.96291"
P - 319	5	785425.321	2849786.212	25°44'18.02400"	77°50'42.10800"
P - 320	5	785468.086	2849846.206	25°44'19.94194"	77°50'43.68746"
P - 321	5	785510.85	2849906.2	25°44'21.85988"	77°50'45.26694"
P - 322	5	785561.779	2849977.649	25°44'24.14400"	77°50'47.14800"
P - 323	5	785556.641	2850069.707	25°44'27.13661"	77°50'47.03507"
P - 324	5	785551.952	2850153.731	25°44'29.86800"	77°50'46.93200"
P - 325	5	785533.95	2850251.501	25°44'33.05506"	77°50'46.36234"
P - 326	5	785515.389	2850352.308	25°44'36.34111"	77°50'45.77497"
P - 327	6	785265.921	2848631.989	25°43'40.65977"	77°50'35.50151"
P - 328	6	785305.791	2848625.8	25°43'40.43091"	77°50'36.92590"
P - 329	6	785315.052	2848650.274	25°43'41.21906"	77°50'37.27676"
P - 330	6	785377.891	2848640.352	25°43'40.85291"	77°50'39.52157"
P - 331	6	785451.313	2848691.725	25°43'42.46950"	77°50'42.19314"
P - 332	6	785524.735	2848743.098	25°43'44.08608"	77°50'44.86473"
P - 333	6	785598.157	2848794.472	25°43'45.70264"	77°50'47.53634"
P - 334	6	785618.662	2848790.503	25°43'45.55941"	77°50'48.26829"
P - 335	6	785662.318	2848760.737	25°43'44.56237"	77°50'49.81015"
P - 336	6	785705.975	2848730.972	25°43'43.56532"	77°50'51.35200"
P - 337	6	785709.408	2848709.578	25°43'42.86829"	77°50'51.45850"
P - 338	6	785694.855	2848685.765	25°43'42.10533"	77°50'50.91844"
P - 339	6	785710.73	2848632.187	25°43'40.35461"	77°50'51.44601"
P - 340	6	785760.671	2848639.132	25°43'40.54509"	77°50'53.24151"
P - 341	6	785781.507	2848648.393	25°43'40.83115"	77°50'53.99555"
P - 342	6	785788.121	2848690.395	25°43'42.19027"	77°50'54.26517"
P - 343	6	785781.381	2848742.216	25°43'43.87754"	77°50'54.06369"
P - 344	6	785827.683	2848753.461	25°43'44.21017"	77°50'55.73212"
P - 345	6	785869.686	2848721.711	25°43'43.14984"	77°50'57.21314"
P - 346	6	785911.689	2848689.961	25°43'42.08950"	77°50'58.69415"
P - 347	6	785931.532	2848645.643	25°43'40.63665"	77°50'59.37113"
P - 348	6	785973.733	2848574.605	25°43'38.30053"	77°51'00.82880"
P - 349	6	785990.995	2848500.461	25°43'35.88111"	77°51'01.39009"
P - 350	6	786008.572	2848424.529	25°43'33.40332"	77°51'01.96492"
P - 351	6	785998.85	2848332.211	25°43'30.41278"	77°51'01.54133"
P - 352	6	785989.028	2848239.892	25°43'27.42223"	77°51'01.11775"
P - 353	6	785979.206	2848147.573	25°43'24.43169"	77°51'00.69417"
P - 354	6	785986.228	2848074.856	25°43'22.06576"	77°51'00.88955"
P - 355	6	785994.218	2847992.119	25°43'19.37382"	77°51'01.11186"
P - 356	6	786003.749	2847893.426	25°43'16.16273"	77°51'01.37704"
P - 357	6	786013.285	2847794.68	25°43'12.94992"	77°51'01.64236"
P - 358	6	786006.239	2847701.333	25°43'09.92403"	77°51'01.31752"
P - 359	6	785999.119	2847607.008	25°43'06.86644"	77°51'00.98928"
P - 360	6	785993.633	2847534.319	25°43'04.51021"	77°51'00.73634"
P - 361	6	785995.461	2847512.287	25°43'03.79357"	77°51'00.78482"
P - 362	6	785897.201	2847508.632	25°43'03.74382"	77°50'57.26012"
P - 363	6	785758.94	2847504.977	25°43'03.69405"	77°50'53.73542"
P - 364	6	785700.679	2847501.322	25°43'03.64425"	77°50'50.21071"
P - 365	6	785602.419	2847497.667	25°43'03.59443"	77°50'46.68600"
P - 366	6	785504.158	2847494.013	25°43'03.54458"	77°50'43.16129"
P - 367	6	785405.898	2847490.358	25°43'03.49471"	77°50'39.63658"
P - 368	6	785307.637	2847486.703	25°43'03.44482"	77°50'36.11187"
P - 369	6	785303.935	2847579.99	25°43'06.47630"	77°50'36.05125"
P - 370	6	785300.233	2847673.277	25°43'09.50778"	77°50'35.99063"
P - 371	6	785296.531	2847765.563	25°43'12.53926"	77°50'35.93001"
P - 372	6	785295.208	2847865.617	25°43'15.75631"	77°50'35.95912"
P - 373	6	785293.885	2847964.671	25°43'18.97336"	77°50'35.98823"
P - 374	6	785292.562	2848063.724	25°43'22.19041"	77°50'36.01734"
P - 375	6	785291.239	2848162.778	25°43'25.40746"	77°50'36.04646"
P - 376	6	785288.269	2848238.711	25°43'27.87499"	77°50'35.99868"
P - 377	6	785252.233	2848237.229	25°43'27.85210"	77°50'34.70584"
P - 378	6	785248.98	2848329.398	25°43'30.84694"	77°50'34.66044"
P - 379	6	785245.727	2848421.566	25°43'33.84179"	77°50'34.61505"
P - 380	6	785242.474	2848513.734	25°43'36.83663"	77°50'34.56966"
P - 381	6	785239.221	2848605.902	25°43'39.83147"	77°50'34.52427"
P - 382	6	785516.654	2848599.845	25°43'39.44054"	77°50'44.46429"
P - 383	6	785578.461	2848601.958	25°43'39.46584"	77°50'46.68138"
P - 384	6	785577.138	2848582.114	25°43'38.82247"	77°50'46.61860"
P - 385	6	785598.304	2848560.948	25°43'38.12039"	77°50'47.36095"
P - 386	6	785597.643	2848545.073	25°43'37.60541"	77°50'47.32496"
P - 387	6	785630.716	2848517.291	25°43'36.68022"	77°50'48.48897"
P - 388	6	785555.309	2848473.635	25°43'35.31561"	77°50'45.75226"
P - 389	6	785496.44	2848478.265	25°43'35.50719"	77°50'43.64565"
P - 390	6	785485.195	2848504.724	25°43'36.37413"	77°50'43.26304"
P - 391	6	785503.716	2848535.151	25°43'37.34907"	77°50'43.95045"
P - 392	7	784858.309	2845420.593	25°41'56.67501"	77°50'18.41412"
P - 393	7	784956.42	2845422.767	25°41'56.67711"	77°50'21.93180"
P - 394	7	785054.421	2845423.005	25°41'56.61639"	77°50'25.44400"
P - 395	7	785147.592	2845421.256	25°41'56.49449"	77°50'28.78164"
P - 396	7	785177.263	2845330.478	25°41'53.52633"	77°50'29.77491"
P - 397	7	785203.155	2845251.261	25°41'50.93613"	77°50'30.64169"
P - 398	7	785174.703	2845256.548	25°41'51.12769"	77°50'29.62616"
P - 399	7	785138.985	2845228.767	25°41'50.25063"	77°50'28.32471"
P - 400	7	785136.339	2845200.985	25°41'49.35045"	77°50'28.20846"
P - 401	7	785146.922	2845177.834	25°41'48.59137"	77°50'28.56988"
P - 402	7	785164.782	2845163.282	25°41'48.10640"	77°50'29.19867"
P - 403	7	785264.009	2845146.088	25°41'47.47880"	77°50'32.74134"
P - 404	7	785308.989	2845074.651	25°41'45.12787"	77°50'34.29809"
P - 405	7	785353.968	2845003.213	25°41'42.77694"	77°50'35.85483"
P - 406	7	785356.614	2844984.692	25°41'42.17374"	77°50'35.93535"
P - 407	7	785292.783	2844967.164	25°41'41.64923"	77°50'33.63441"
P - 408	7	785228.952	2844949.635	25°41'41.12471"	77°50'31.33348"
P - 409	7	785224.983	2844870.26	25°41'38.55028"	77°50'31.13003"
P - 410	7	785243.173	2844821.643	25°41'36.95903"	77°50'31.74438"
P - 411	7	785261.363	2844773.025	25°41'35.36777"	77°50'32.35873"
P - 412	7	785186.618	2844770.379	25°41'35.33410"	77°50'29.67820"
P - 413	7	785107.905	2844757.812	25°41'34.98103"	77°50'26.84780"
P - 414	7	785038.452	2844738.629	25°41'34.40671"	77°50'24.34415"
P - 415	7	785024.561	2844717.463	25°41'33.72916"	77°50'23.83007"
P - 416	7	784963.045	2844766.411	25°41'35.36139"	77°50'21.66337"
P - 417	7	784920.712	2844748.551	25°41'34.81107"	77°50'20.13259"
P - 418	7	784895.907	2844674.468	25°41'32.42299"	77°50'19.18663"
P - 419	7	784871.102	2844600.384	25°41'30.03489"	77°50'18.24069"
P - 420	7	784872.103	2844500.421	25°41'26.78849"	77°50'18.19958"
P - 421	7	784873.182	2844401.265	25°41'23.56829"	77°50'18.16185"
P - 422	7	784875.256	2844302.953	25°41'20.37476"	77°50'18.16046"
P - 423	7	784877.344	2844203.999	25°41'17.16036"	77°50'18.15906"
P - 424	7	784879.414	2844105.884	25°41'13.97324"	77°50'18.15768"
P - 425	7	784812.483	2844106.259	25°41'14.03214"	77°50'15.75961"
P - 426	7	784745.552	2844106.635	25°41'14.09102"	77°50'13.36154"
P - 427	7	784678.621	2844107.011	25°41'14.14990"	77°50'10.96347"
P - 428	7	784579.366	2844107.636	25°41'14.23941"	77°50'07.40729"
P - 429	7	784480.111	2844108.262	25°41'14.32889"	77°50'03.85110"
P - 430	7	784478.016	2844208.198	25°41'17.57517"	77°50'03.85288"
P - 431	7	784475.921	2844308.134	25°41'20.82145"	77°50'03.85467"
P - 432	7	784473.826	2844408.07	25°41'24.06774"	77°50'03.85645"
P - 433	7	784398.149	2844408.688	25°41'24.14052"	77°50'01.14512"
P - 434	7	784321.276	2844409.315	25°41'24.21444"	77°49'58.39089"
P - 435	7	784247.572	2844409.673	25°41'24.27739"	77°49'55.75004"
P - 436	7	784160.417	2844409.411	25°41'24.32956"	77°49'52.62667"
P - 437	7	784062.71	2844409.118	25°41'24.38803"	77°49'49.12516"
P - 438	7	784061.909	2844506.831	25°41'27.56126"	77°49'49.17151"
P - 439	7	784061.108	2844604.545	25°41'30.73449"	77°49'49.21786"
P - 440	7	784060.307	2844702.259	25°41'33.90772"	77°49'49.26422"
P - 441	7	784152.306	2844702.484	25°41'33.85100"	77°49'52.56121"
P - 442	7	784245.635	2844702.713	25°41'33.79344"	77°49'55.90583"
P - 443	7	784343.169	2844701.41	25°41'33.68319"	77°49'59.39999"
P - 444	7	784400.741	2844700.445	25°41'33.61174"	77°50'01.46234"
P - 445	7	784469.665	2844699.289	25°41'33.52620"	77°50'03.93135"
P - 446	7	784536.921	2844702.879	25°41'33.59589"	77°50'06.34423"
P - 447	7	784604.176	2844706.47	25°41'33.66557"	77°50'08.75711"
P - 448	7	784671.432	2844710.06	25°41'33.73523"	77°50'11.16999"
P - 449	7	784770.479	2844711.355	25°41'33.70820"	77°50'14.72034"
P - 450	7	784869.526	2844712.65	25°41'33.68114"	77°50'18.27069"
P - 451	7	784868.541	2844782.859	25°41'35.96141"	77°50'18.28945"
P - 452	7	784867.555	2844853.067	25°41'38.24168"	77°50'18.30822"
P - 453	7	784866.569	2844923.275	25°41'40.52195"	77°50'18.32698"
P - 454	7	784864.917	2845022.739	25°41'43.75256"	77°50'18.34440"
P - 455	7	784863.265	2845122.202	25°41'46.98317"	77°50'18.36183"
P - 456	7	784861.613	2845221.666	25°41'50.21379"	77°50'18.37925"
P - 457	7	784859.961	2845321.129	25°41'53.44440"	77°50'18.39668"
P - 458	8	786167.346	2846898.876	25°42'43.75653"	77°51'06.47032"
P - 459	8	786189.87	2846823.884	25°42'41.30587"	77°51'07.21951"
P - 460	8	786212.395	2846748.892	25°42'38.85521"	77°51'07.96869"
P - 461	8	786249.767	2846674.809	25°42'36.42362"	77°51'09.25073"
P - 462	8	786287.14	2846600.725	25°42'33.99202"	77°51'10.53275"
P - 463	8	786336.529	2846517.602	25°42'31.25847"	77°51'12.23841"
P - 464	8	786385.918	2846434.478	25°42'28.52492"	77°51'13.94406"
P - 465	8	786435.307	2846351.355	25°42'25.79136"	77°51'15.64968"
P - 466	8	786489.447	2846268.528	25°42'23.06408"	77°51'17.52580"
P - 467	8	786543.587	2846185.7	25°42'20.33679"	77°51'19.40189"
P - 468	8	786597.728	2846102.873	25°42'17.60949"	77°51'21.27796"
P - 469	8	786620.886	2846024.413	25°42'15.04577"	77°51'22.04707"
P - 470	8	786635.688	2846023.189	25°42'15.06588"	77°51'18.99279"
P - 471	8	786450.489	2846021.965	25°42'15.08599"	77°51'15.93851"
P - 472	8	786355.979	2846020.71	25°42'15.11158"	77°51'12.55046"
P - 473	8	786258.265	2846020.389	25°42'15.16970"	77°51'09.04835"
P - 474	8	786160.346	2846020.066	25°42'15.22793"	77°51'05.53888"
P - 475	8	786061.662	2846019.741	25°42'15.28659"	77°51'02.00200"
P - 476	8	786064.321	2845922.037	25°42'12.11244"	77°51'02.02165"
P - 477	8	786066.979	2845824.333	25°42'08.93828"	77°51'02.04130"
P - 478	8	786069.637	2845726.63	25°42'05.76413"	77°51'02.06095"
P - 479	8	786072.296	2845628.926	25°42'02.58998"	77°51'02.08060"
P - 480	8	785987.782	2845628.109	25°42'02.62271"	77°50'59.05126"
P - 481	8	785903.269	2845627.293	25°42'02.65543"	77°50'56.02191"
P - 482	8	785818.755	2845626.476	25°42'02.68812"	77°50'52.99256"
P - 483	8	785734.242	2845625.66	25°42'02.72081"	77°50'49.96320"
P - 484	8	785649.728	2845624.843	25°42'02.75347"	77°50'46.93385"
P - 485	8	785565.215	2845624.026	25°42'02.78611"	77°50'43.90449"
P - 486	8	785564.338	2845716.07	25°42'05.77525"	77°50'43.94417"
P - 487	8	785563.618	2845804.57	25°42'08.64923"	77°50'43.98675"
P - 488	8	785625.144	2845876.294	25°42'10.93492"	77°50'46.24711"
P - 489	8	785686.67	2845948.017	25°42'13.22060"	77°50'48.50750"
P - 490	8	785772.898	2845998.461	25°42'14.79803"	77°50'51.63675"
P - 491	8	785778.175	2846018.807	25°42'15.45496"	77°50'51.84160"
P - 492	8	785769.364	2846093.231	25°42'17.87755"	77°50'51.58338"
P - 493	8	785707.393	2846095.432	25°42'17.99242"	77°50'49.36415"
P - 494	8	785671.43	2846072.322	25°42'17.26727"	77°50'48.05742"
P - 495	8	785640.209	2846071.793	25°42'17.27195"	77°50'46.93810"
P - 496	8	785636.998	2846110.603	25°42'18.53429"	77°50'46.85302"
P - 497	8	785602.117	2846133.589	25°42'19.31805"	77°50'45.62102"
P - 498	8	785597.644	2846198.407	25°42'21.41273"	77°50'45.51049"
P - 499	8	785558.61	2846196.834	25°42'21.38897"	77°50'44.11035"
P - 500	8	785557.04	2846256.147	25°42'23.31588"	77°50'44.09989"
P - 501	8	785555.469	2846315.46	25°42'25.24279"	77°50'44.08943"
P - 502	8	785615.503	2846338.857	25°42'25.96043"	77°50'46.25910"
P - 503	8	785604.92	2846403.328	25°42'28.06110"	77°50'45.92963"
P - 504	8	785627.41	2846415.498	25°42'28.44052"	77°50'46.74505"
P - 505	8	785691.836	2846481.486	25°42'30.53791"	77°50'49.10506"
P - 506	8	785756.262	2846547.473	25°42'32.63528"	77°50'51.46509"
P - 507	8	785820.688	2846613.46	25°42'34.73264"	77°50'53.82514"
P - 508	8	785885.114	2846679.447	25°42'36.82999"	77°50'56.18521"
P - 509	8	785949.541	2846745.435	25°42'38.92732"	77°50'58.54531"
P - 510	8	786011.056	2846804.966	25°42'40.81708"	77°51'00.79613"
P - 511	8	786089.201	2846851.921	25°42'42.28681"	77°51'03.63321"

Area Statement of Jhirnia and Dongri Village

Sl No	District	Tehsil	Village	Patch No	Patwari Halka	Khasra No	Land use	Kul Rakba(Ha.)	Proposed Area (Ha.)
1	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya	5	109	2	Padti	67.71	66.61
2	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya			3	Padti	12.78	7.75
3	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya			5	Pahad	18.4	18.4
4	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya			6	Padti	20.71	19.22
Total (A)								119.6	111.98
	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya	6	109	40	Padti	145.57	84.65
Total (B)								145.57	84.65
1	Shivpuri	Shivpuri	Dongri	7	110	50	kabil Kast	6	6.00
2	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			51	kabil Kast	6	6.00
3	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			52	kabil Kast	6	6.00
4	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			53	kabil Kast	6	6.00
5	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			54	kabil Kast	6	6.00
6	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			55	kabil Kast	6	6.00
7	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			177	Kabil Kast	23.78	21.20
8	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			181	Bid	4	3.64
Total (C)								63.78	60.84
9	Shivpuri	Shivpuri	Dongri	8	110	197	Pahad	54.64	54.64
10	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			198	(Bid) Transfer to Jungle Khurd	31.85	17.60
Total (D)								86.49	72.24
Sub Total (A+B+C+D)								415.44	329.71

Submitted By:
Stratatech Mineral Resources Pvt Ltd.
Dhirauli Coal Block, Singrauli

Survey & Mapping By :
Sargeo Enterprises
Ranchi, Jharkhand
Printed On : 4.10.2022

Scale - 1:12,500
0 125 250 500 750 1,000
Meters

Legend
- Pillar Point
- Patch_Boundary
- Existing Forest Compartment

उप वन मण्डलाधिकारी
जय वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

NOTES

न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0168/अ-20(3)/2023-24 / 398

म.प्र.शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण बाबत)

//आदेश//

(आज दिनांक 07/01/2025 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड ने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 01.01.2024 प्रस्तुत कर स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0011/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 28/03/2024 ,14/05/2024 एवं 25/09/2024 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि हस्तांतरण के संबंध में दिनांक 29/02/2024 से उद्घोषणा का प्रकाशन किया गया नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई साथ ही दो दैनिक समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन कराये जाने हेतु लेख किया गया । समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 03/03/2024 एवं पत्रिका दिनांक 04/03/2024 में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गयी, जो की प्रकरण में संलग्न है । खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी की ओर प्रेषित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0055/अ-20(3)/2023-24 प्रतिवेदन दिनांक 15/04/2024, 27/05/2024 एवं 11/11/2024 से नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन से सहमत होते अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी का पत्र क्रमांक डीएम/2023/1116 दिनांक 15.03.2023 संलग्न है जिसमे स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है ।

प्रकरण में आवेदित भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि हस्तांतरित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्ताबेजो का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी , नायब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बम्हारी जनपद पंचायत शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव कमांक 17 दिनांक 10/03/2024, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा के आधार पर हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 03 रकबा 12.780 हेक्टेयर में से 7.750 हेक्टेयर भूमि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक में प्रभावित रकबा 1436.19 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण भूमि मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-101/2019/ सात -3 दिनांक 05/01/2021 में दिये प्रावधान अनुसार आवेदित भूमि हस्तांतरित करने के लिये वर्ष 2024-25 की गाइडलाइन अनुसार सिंचित कृषि भूमि के बाजार मूल्य के 1.6 गुणा के बराबर की राशि प्रीमियम 52,08,000/-(बावन लाख आठ हजार रूपयें) संबन्धित शीर्ष में स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) द्वारा जमा करने की शर्त पर मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा । तहसीलदार शिवपुरी हस्तांतरित भूमि का खसरे में उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0168/अ-20(3)/2023-24 / 398 शिवपुरी दिनांक 27/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि, हस्तांतरित भूमि की उक्त निर्धारित प्रीमियम राशि स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के जमा करने के पश्चात चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करायें तदुपरांत ,अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
7. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. चीफ ऑफ क्लस्टर सिंगरौली स्ट्राटाटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:झिरनिया			पटवारी हल्का:बम्हारी			तहसील:शिवपुरी			जिला:शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611389867 83MS3LDAQ6R8H0	3/1 (S)		7.7500 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0168/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 07/01/2025 के अनुसार भू-

			रु.0.00								अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

FOREST MAP SHOWING THE PROPOSED COMPENSATORY AFFORESTATION (CA) LAND FOR SMRPL. IN DIVISION - SHIVPURI, STATE - MP

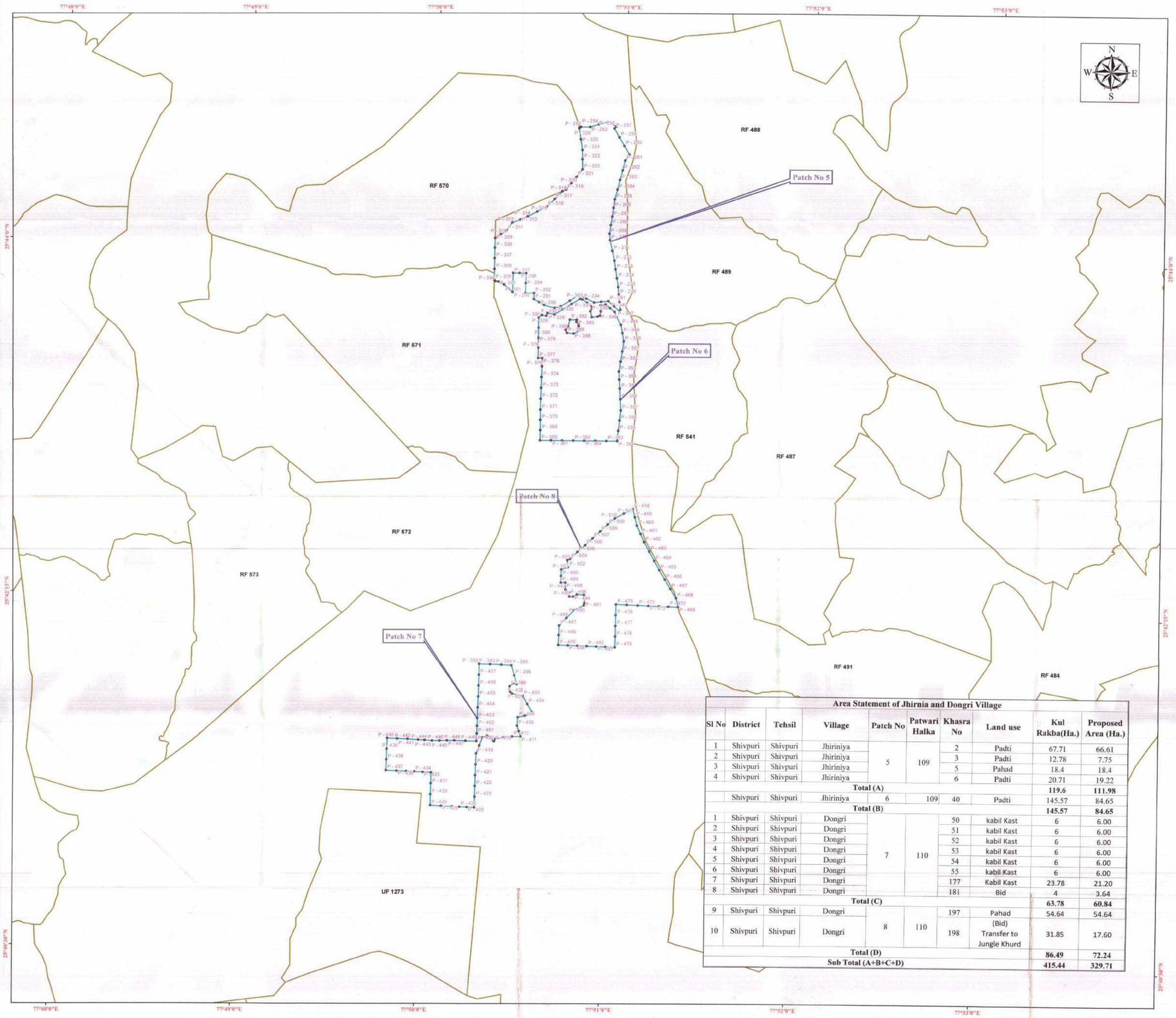

Pillar Point Coordinate

Pillar ID	Patch	Easting	Northing	Latitude	Longitude
P - 252	5	785529.475	2850363.674	25°44'36.70027"	77°50'46.28872"
P - 253	5	785610.503	2850366.981	25°44'36.75083"	77°50'49.19617"
P - 254	5	785688.556	2850394.432	25°44'37.58736"	77°50'52.01560"
P - 255	5	785766.608	2850421.882	25°44'38.42387"	77°50'54.83504"
P - 256	5	785843.999	2850383.187	25°44'37.11318"	77°50'57.57952"
P - 257	5	785827.462	2850364.335	25°44'36.51271"	77°50'56.97207"
P - 258	5	785875.969	2850286.614	25°44'33.95518"	77°50'58.65081"
P - 259	5	785924.476	2850208.892	25°44'31.39764"	77°51'00.32952"
P - 260	5	785972.983	2850131.171	25°44'28.84010"	77°51'02.00821"
P - 261	5	785937.926	2850075.939	25°44'27.07143"	77°51'00.70862"
P - 262	5	785918.909	2849986.642	25°44'24.18546"	77°50'59.95767"
P - 263	5	785899.892	2849897.345	25°44'21.29949"	77°50'59.20673"
P - 264	5	785880.875	2849808.048	25°44'18.41351"	77°50'58.45580"
P - 265	5	785861.858	2849718.751	25°44'15.52754"	77°50'57.70488"
P - 266	5	785853.92	2849639.128	25°44'12.94788"	77°50'57.35865"
P - 267	5	785845.983	2849559.504	25°44'10.36821"	77°50'57.01242"
P - 268	5	785838.045	2849479.881	25°44'07.78855"	77°50'56.66619"
P - 269	5	785830.108	2849400.258	25°44'05.20889"	77°50'56.31997"
P - 270	5	785836.723	2849341.719	25°44'03.30358"	77°50'56.51174"
P - 271	5	785862.229	2849245.986	25°44'00.17740"	77°50'57.35193"
P - 272	5	785885.834	2849157.391	25°43'57.28431"	77°50'58.12945"
P - 273	5	785901.017	2849077.301	25°43'54.67325"	77°50'58.61166"
P - 274	5	785916.199	2848997.21	25°43'52.06220"	77°50'59.09385"
P - 275	5	785931.382	2848917.12	25°43'49.45114"	77°50'59.57605"
P - 276	5	785941.17	2848848.529	25°43'47.21725"	77°50'59.87372"
P - 277	5	785950.958	2848779.938	25°43'44.98336"	77°51'00.17149"
P - 278	5	785960.746	2848711.348	25°43'42.74946"	77°51'00.46921"
P - 279	5	785954.394	2848699.04	25°43'42.35432"	77°51'00.23158"
P - 280	5	785902.383	2848742.01	25°43'43.78596"	77°50'58.40091"
P - 281	5	785850.372	2848784.979	25°43'45.21759"	77°50'56.56983"
P - 282	5	785787.375	2848775.623	25°43'44.95799"	77°50'54.30442"
P - 283	5	785724.378	2848766.267	25°43'44.69839"	77°50'52.03901"
P - 284	5	785654.76	2848797.94	25°43'45.77558"	77°50'49.56800"
P - 285	5	785585.141	2848829.613	25°43'46.85276"	77°50'47.09697"
P - 286	5	785507.258	2848773.072	25°43'45.07151"	77°50'44.26144"
P - 287	5	785429.374	2848716.53	25°43'43.29024"	77°50'41.42593"
P - 288	5	785377.119	2848700.655	25°43'42.81140"	77°50'39.54053"
P - 289	5	785280.546	2848723.144	25°43'43.60922"	77°50'36.09619"
P - 290	5	785233.919	2848747.906	25°43'44.44584"	77°50'34.44396"
P - 291	5	785187.292	2848772.668	25°43'45.28245"	77°50'32.79172"
P - 292	5	785184.916	2848827.091	25°43'47.05116"	77°50'32.74857"
P - 293	5	785104.864	2848824.77	25°43'47.03182"	77°50'29.87725"
P - 294	5	785104.448	2848915.186	25°43'49.96778"	77°50'29.93217"
P - 295	5	785104.031	2849005.601	25°43'52.90373"	77°50'29.98709"
P - 296	5	785044.661	2849003.268	25°43'52.86951"	77°50'27.85709"
P - 297	5	784985.292	2849000.935	25°43'52.83528"	77°50'25.72709"
P - 298	5	784986.958	2848913.856	25°43'50.00678"	77°50'25.71956"
P - 299	5	784988.623	2848826.777	25°43'47.17829"	77°50'25.71204"
P - 300	5	784949.253	2848860.009	25°43'48.28481"	77°50'24.32643"
P - 301	5	784909.883	2848893.24	25°43'49.39133"	77°50'22.94082"
P - 302	5	784882.155	2848907.845	25°43'49.88492"	77°50'21.95813"
P - 303	5	784856.966	2848916.947	25°43'50.19805"	77°50'21.06225"
P - 304	5	784831.99	2848918.217	25°43'50.25674"	77°50'20.16790"
P - 305	5	784819.66	2848931.549	25°43'50.69824"	77°50'19.73623"
P - 306	5	784816.972	2849030.226	25°43'53.90400"	77°50'19.71600"
P - 307	5	784814.129	2849127.979	25°43'57.07990"	77°50'19.68953"
P - 308	5	784811.596	2849224.188	25°44'00.20545"	77°50'19.67300"
P - 309	5	784809.423	2849312.068	25°44'03.06031"	77°50'19.66291"
P - 310	5	784857.67	2849349.383	25°44'04.23815"	77°50'21.42124"
P - 311	5	784905.917	2849386.698	25°44'05.41598"	77°50'23.17959"
P - 312	5	784954.6	2849461.311	25°44'07.80450"	77°50'24.98239"
P - 313	5	785024.715	2849493.325	25°44'08.79492"	77°50'27.52058"
P - 314	5	785094.829	2849525.34	25°44'09.78532"	77°50'30.05877"
P - 315	5	785176.85	2849574.553	25°44'11.32577"	77°50'33.03709"
P - 316	5	785258.342	2849622.707	25°44'12.83221"	77°50'35.99564"
P - 317	5	785329.594	2849694.921	25°44'15.12700"	77°50'38.60571"
P - 318	5	785393.717	2849770.551	25°44'17.53765"	77°50'40.96291"
P - 319	5	785425.321	2849786.212	25°44'18.02400"	77°50'42.10800"
P - 320	5	785468.086	2849846.206	25°44'19.94194"	77°50'43.68746"
P - 321	5	785510.85	2849906.2	25°44'21.85988"	77°50'45.26694"
P - 322	5	785561.779	2849977.649	25°44'24.14400"	77°50'47.14800"
P - 323	5	785556.641	2850069.707	25°44'27.13661"	77°50'47.03507"
P - 324	5	785551.952	2850153.731	25°44'29.86800"	77°50'46.93200"
P - 325	5	785533.95	2850251.501	25°44'33.05506"	77°50'46.36234"
P - 326	5	785515.389	2850352.308	25°44'36.34111"	77°50'45.77497"
P - 327	6	785265.921	2848631.989	25°43'40.65977"	77°50'35.50151"
P - 328	6	785305.791	2848625.8	25°43'40.43091"	77°50'36.92590"
P - 329	6	785315.052	2848650.274	25°43'41.21906"	77°50'37.27676"
P - 330	6	785377.891	2848640.352	25°43'40.85291"	77°50'39.52157"
P - 331	6	785451.313	2848691.725	25°43'42.46950"	77°50'42.19314"
P - 332	6	785524.735	2848743.098	25°43'44.08608"	77°50'44.86473"
P - 333	6	785598.157	2848794.472	25°43'45.70264"	77°50'47.53634"
P - 334	6	785618.662	2848790.503	25°43'45.55941"	77°50'48.26829"
P - 335	6	785662.318	2848760.737	25°43'44.56237"	77°50'49.81015"
P - 336	6	785705.975	2848730.972	25°43'43.56532"	77°50'51.35200"
P - 337	6	785709.408	2848709.578	25°43'42.86829"	77°50'51.45850"
P - 338	6	785694.855	2848685.765	25°43'42.10533"	77°50'50.91844"
P - 339	6	785710.73	2848632.187	25°43'40.35461"	77°50'51.44601"
P - 340	6	785760.671	2848639.132	25°43'40.54509"	77°50'53.24151"
P - 341	6	785781.507	2848648.393	25°43'40.83115"	77°50'53.99555"
P - 342	6	785788.121	2848690.395	25°43'42.19027"	77°50'54.26517"
P - 343	6	785781.381	2848742.216	25°43'43.87754"	77°50'54.06369"
P - 344	6	785827.683	2848753.461	25°43'44.21017"	77°50'55.73212"
P - 345	6	785869.686	2848721.711	25°43'43.14984"	77°50'57.21314"
P - 346	6	785911.689	2848689.961	25°43'42.08950"	77°50'58.69415"
P - 347	6	785931.532	2848645.643	25°43'40.63665"	77°50'59.37113"
P - 348	6	785973.733	2848574.605	25°43'38.30053"	77°51'00.82880"
P - 349	6	785990.995	2848500.461	25°43'35.88111"	77°51'01.39009"
P - 350	6	786008.572	2848424.529	25°43'33.40332"	77°51'01.96492"
P - 351	6	785998.85	2848332.211	25°43'30.41278"	77°51'01.54133"
P - 352	6	785989.028	2848239.892	25°43'27.42223"	77°51'01.11775"
P - 353	6	785979.206	2848147.573	25°43'24.43169"	77°51'00.69417"
P - 354	6	785986.228	2848074.856	25°43'22.06576"	77°51'00.88955"
P - 355	6	785994.218	2847992.119	25°43'19.37382"	77°51'01.11186"
P - 356	6	786003.749	2847893.426	25°43'16.16273"	77°51'01.37704"
P - 357	6	786013.285	2847794.68	25°43'12.94992"	77°51'01.64236"
P - 358	6	786006.239	2847701.333	25°43'09.92403"	77°51'01.31752"
P - 359	6	785999.119	2847607.008	25°43'06.86644"	77°51'00.98928"
P - 360	6	785993.633	2847534.319	25°43'04.51021"	77°51'00.73634"
P - 361	6	785995.461	2847512.287	25°43'03.79357"	77°51'00.78482"
P - 362	6	785897.201	2847508.632	25°43'03.74382"	77°50'57.26012"
P - 363	6	785758.94	2847504.977	25°43'03.69405"	77°50'53.73542"
P - 364	6	785700.679	2847501.322	25°43'03.64425"	77°50'50.21071"
P - 365	6	785602.419	2847497.667	25°43'03.59443"	77°50'46.68600"
P - 366	6	785504.158	2847494.013	25°43'03.54458"	77°50'43.16129"
P - 367	6	785405.898	2847490.358	25°43'03.49471"	77°50'39.63658"
P - 368	6	785307.637	2847486.703	25°43'03.44482"	77°50'36.11187"
P - 369	6	785303.935	2847579.99	25°43'06.47630"	77°50'36.05125"
P - 370	6	785300.233	2847673.277	25°43'09.50778"	77°50'35.99063"
P - 371	6	785296.531	2847765.563	25°43'12.53926"	77°50'35.93001"
P - 372	6	785295.208	2847865.617	25°43'15.75631"	77°50'35.95912"
P - 373	6	785293.885	2847964.671	25°43'18.97336"	77°50'35.98823"
P - 374	6	785292.562	2848063.724	25°43'22.19041"	77°50'36.01734"
P - 375	6	785291.239	2848162.778	25°43'25.40746"	77°50'36.04646"
P - 376	6	785288.269	2848238.711	25°43'27.87499"	77°50'35.99868"
P - 377	6	785252.233	2848237.229	25°43'27.85210"	77°50'34.70584"
P - 378	6	785248.98	2848329.398	25°43'30.84694"	77°50'34.66044"
P - 379	6	785245.727	2848421.566	25°43'33.84179"	77°50'34.61505"
P - 380	6	785242.474	2848513.734	25°43'36.83663"	77°50'34.56966"
P - 381	6	785239.221	2848605.902	25°43'39.83147"	77°50'34.52427"
P - 382	6	785516.654	2848599.845	25°43'39.44054"	77°50'44.46429"
P - 383	6	785578.461	2848601.958	25°43'39.46584"	77°50'46.68138"
P - 384	6	785577.138	2848582.114	25°43'38.82247"	77°50'46.61860"
P - 385	6	785598.304	2848560.948	25°43'38.12039"	77°50'47.36095"
P - 386	6	785597.643	2848545.073	25°43'37.60541"	77°50'47.32496"
P - 387	6	785630.716	2848517.291	25°43'36.68022"	77°50'48.48897"
P - 388	6	785555.309	2848473.635	25°43'35.31561"	77°50'45.75226"
P - 389	6	785496.44	2848478.265	25°43'35.50719"	77°50'43.64565"
P - 390	6	785485.195	2848504.724	25°43'36.37413"	77°50'43.26304"
P - 391	6	785503.716	2848535.151	25°43'37.34907"	77°50'43.95045"
P - 392	7	784858.309	2845420.593	25°41'56.67501"	77°50'18.41412"
P - 393	7	784956.42	2845422.767	25°41'56.67711"	77°50'21.93180"
P - 394	7	785054.421	2845423.005	25°41'56.61639"	77°50'25.44400"
P - 395	7	785147.592	2845421.256	25°41'56.49449"	77°50'28.78164"
P - 396	7	785177.263	2845330.478	25°41'53.52633"	77°50'29.77491"
P - 397	7	785203.155	2845251.261	25°41'50.93613"	77°50'30.64169"
P - 398	7	785174.703	2845256.548	25°41'51.12769"	77°50'29.62616"
P - 399	7	785138.985	2845228.767	25°41'50.25063"	77°50'28.32471"
P - 400	7	785136.339	2845200.985	25°41'49.35045"	77°50'28.20846"
P - 401	7	785146.922	2845177.834	25°41'48.59137"	77°50'28.56988"
P - 402	7	785164.782	2845163.282	25°41'48.10640"	77°50'29.19867"
P - 403	7	785264.009	2845146.088	25°41'47.47880"	77°50'32.74134"
P - 404	7	785308.989	2845074.651	25°41'45.12787"	77°50'34.29809"
P - 405	7	785353.968	2845003.213	25°41'42.77694"	77°50'35.85483"
P - 406	7	785356.614	2844984.692	25°41'42.17374"	77°50'35.93535"
P - 407	7	785292.783	2844967.164	25°41'41.64923"	77°50'33.63441"
P - 408	7	785228.952	2844949.635	25°41'41.12471"	77°50'31.33348"
P - 409	7	785224.983	2844870.26	25°41'38.55028"	77°50'31.13003"
P - 410	7	785243.173	2844821.643	25°41'36.95903"	77°50'31.74438"
P - 411	7	785261.363	2844773.025	25°41'35.36777"	77°50'32.35873"
P - 412	7	785186.618	2844770.379	25°41'35.33410"	77°50'29.67820"
P - 413	7	785107.905	2844757.812	25°41'34.98103"	77°50'26.84780"
P - 414	7	785038.452	2844738.629	25°41'34.40671"	77°50'24.34415"
P - 415	7	785024.561	2844717.463	25°41'33.72916"	77°50'23.83007"
P - 416	7	784963.045	2844766.411	25°41'35.36139"	77°50'21.66337"
P - 417	7	784920.712	2844748.551	25°41'34.81107"	77°50'20.13259"
P - 418	7	784895.907	2844674.468	25°41'32.42299"	77°50'19.18663"
P - 419	7	784871.102	2844600.384	25°41'30.03489"	77°50'18.24069"
P - 420	7	784872.103	2844500.421	25°41'26.78849"	77°50'18.19958"
P - 421	7	784873.182	2844401.265	25°41'23.56829"	77°50'18.16185"
P - 422	7	784875.256	2844302.953	25°41'20.37476"	77°50'18.16046"
P - 423	7	784877.344	2844203.999	25°41'17.16036"	77°50'18.15906"
P - 424	7	784879.414	2844105.884	25°41'13.97324"	77°50'18.15768"
P - 425	7	784812.483	2844106.259	25°41'14.03214"	77°50'15.75961"
P - 426	7	784745.552	2844106.635	25°41'14.09102"	77°50'13.36154"
P - 427	7	784678.621	2844107.011	25°41'14.14990"	77°50'10.96347"
P - 428	7	784579.366	2844107.636	25°41'14.23941"	77°50'07.40729"
P - 429	7	784480.111	2844108.262	25°41'14.32889"	77°50'03.85110"
P - 430	7	784478.016	2844208.198	25°41'17.57517"	77°50'03.85288"
P - 431	7	784475.921	2844308.134	25°41'20.82145"	77°50'03.85467"
P - 432	7	784473.826	2844408.07	25°41'24.06774"	77°50'03.85645"
P - 433	7	784398.149	2844408.688	25°41'24.14052"	77°50'01.14512"
P - 434	7	784321.276	2844409.315	25°41'24.21444"	77°49'58.39089"
P - 435	7	784247.572	2844409.673	25°41'24.27739"	77°49'55.75004"
P - 436	7	784160.417	2844409.411	25°41'24.32956"	77°49'52.62667"
P - 437	7	784062.71	2844409.118	25°41'24.38803"	77°49'49.12516"
P - 438	7	784061.909	2844506.831	25°41'27.56126"	77°49'49.17151"
P - 439	7	784061.108	2844604.545	25°41'30.73449"	77°49'49.21786"
P - 440	7	784060.307	2844702.259	25°41'33.90772"	77°49'49.26422"
P - 441	7	784152.306	2844702.484	25°41'33.85100"	77°49'52.56121"
P - 442	7	784245.635	2844702.713	25°41'33.79344"	77°49'55.90583"
P - 443	7	784343.169	2844701.41	25°41'33.68319"	77°49'59.39999"
P - 444	7	784400.741	2844700.445	25°41'33.61174"	77°50'01.46234"
P - 445	7	784469.665	2844699.289	25°41'33.52620"	77°50'03.93135"
P - 446	7	784536.921	2844702.879	25°41'33.59589"	77°50'06.34423"
P - 447	7	784604.176	2844706.47	25°41'33.66557"	77°50'08.75711"
P - 448	7	784671.432	2844710.06	25°41'33.73523"	77°50'11.16999"
P - 449	7	784770.479	2844711.355	25°41'33.70820"	77°50'14.72034"
P - 450	7	784869.526	2844712.65	25°41'33.68114"	77°50'18.27069"
P - 451	7	784868.541	2844782.859	25°41'35.96141"	77°50'18.28945"
P - 452	7	784867.555	2844853.067	25°41'38.24168"	77°50'18.30822"
P - 453	7	784866.569	2844923.275	25°41'40.52195"	77°50'18.32698"
P - 454	7	784864.917	2845022.739	25°41'43.75256"	77°50'18.34440"
P - 455	7	784863.265	2845122.202	25°41'46.98317"	77°50'18.36183"
P - 456	7	784861.613	2845221.666	25°41'50.21379"	77°50'18.37925"
P - 457	7	784859.961	2845321.129	25°41'53.44440"	77°50'18.39668"
P - 458	8	786167.346	2846898.876	25°42'43.75653"	77°51'06.47032"
P - 459	8	786189.87	2846823.884	25°42'41.30587"	77°51'07.21951"
P - 460	8	786212.395	2846748.892	25°42'38.85521"	77°51'07.96869"
P - 461	8	786249.767	2846674.809	25°42'36.42362"	77°51'09.25073"
P - 462	8	786287.14	2846600.725	25°42'33.99202"	77°51'10.53275"
P - 463	8	786336.529	2846517.602	25°42'31.25847"	77°51'12.23841"
P - 464	8	786385.918	2846434.478	25°42'28.52492"	77°51'13.94406"
P - 465	8	786435.307	2846351.355	25°42'25.79136"	77°51'15.64968"
P - 466	8	786489.447	2846268.528	25°42'23.06408"	77°51'17.52580"
P - 467	8	786543.587	2846185.7	25°42'20.33679"	77°51'19.40189"
P - 468	8	786597.728	2846102.873	25°42'17.60949"	77°51'21.27796"
P - 469	8	786620.886	2846024.413	25°42'15.04577"	77°51'22.04707"
P - 470	8	786635.688	2846023.189	25°42'15.06588"	77°51'18.99279"
P - 471	8	786450.489	2846021.965	25°42'15.08599"	77°51'15.93851"
P - 472	8	786355.979	2846020.71	25°42'15.11158"	77°51'12.55046"
P - 473	8	786258.265	2846020.389	25°42'15.16970"	77°51'09.04835"
P - 474	8	786160.346	2846020.066	25°42'15.22793"	77°51'05.53888"
P - 475	8	786061.662	2846019.741	25°42'15.28659"	77°51'02.00200"
P - 476	8	786064.321	2845922.037	25°42'12.11244"	77°51'02.02165"
P - 477	8	786066.979	2845824.333	25°42'08.93828"	77°51'02.04130"
P - 478	8	786069.637	2845726.63	25°42'05.76413"	77°51'02.06095"
P - 479	8	786072.296	2845628.926	25°42'02.58998"	77°51'02.08060"
P - 480	8	785987.782	2845628.109	25°42'02.62271"	77°50'59.05126"
P - 481	8	785903.269	2845627.293	25°42'02.65543"	77°50'56.02191"
P - 482	8	785818.755	2845626.476	25°42'02.68812"	77°50'52.99256"
P - 483	8	785734.242	2845625.66	25°42'02.72081"	77°50'49.96320"
P - 484	8	785649.728	2845624.843	25°42'02.75347"	77°50'46.93385"
P - 485	8	785565.215	2845624.026	25°42'02.78611"	77°50'43.90449"
P - 486	8	785564.338	2845716.07	25°42'05.77525"	77°50'43.94417"
P - 487	8	785563.618	2845804.57	25°42'08.64923"	77°50'43.98675"
P - 488	8	785625.144	2845876.294	25°42'10.93492"	77°50'46.24711"
P - 489	8	785686.67	2845948.017	25°42'13.22060"	77°50'48.50750"
P - 490	8	785772.898	2845998.461	25°42'14.79803"	77°50'51.63675"
P - 491	8	785778.175	2846018.807	25°42'15.45496"	77°50'51.84160"
P - 492	8	785769.364	2846093.231	25°42'17.87755"	77°50'51.58338"
P - 493	8	785707.393	2846095.432	25°42'17.99242"	77°50'49.36415"
P - 494	8	785671.43	2846072.322	25°42'17.26727"	77°50'48.05742"
P - 495	8	785640.209	2846071.793	25°42'17.27195"	77°50'46.93810"
P - 496	8	785636.998	2846110.603	25°42'18.53429"	77°50'46.85302"
P - 497	8	785602.117	2846133.589	25°42'19.31805"	77°50'45.62102"
P - 498	8	785597.644	2846198.407	25°42'21.41273"	77°50'45.51049"
P - 499	8	785558.61	2846196.834	25°42'21.38897"	77°50'44.11035"
P - 500	8	785557.04	2846256.147	25°42'23.31588"	77°50'44.09989"
P - 501	8	785555.469	2846315.46	25°42'25.24279"	77°50'44.08943"
P - 502	8	785615.503	2846338.857	25°42'25.96043"	77°50'46.25910"
P - 503	8	785604.92	2846403.328	25°42'28.06110"	77°50'45.92963"
P - 504	8	785627.41	2846415.498	25°42'28.44052"	77°50'46.74505"
P - 505	8	785691.836	2846481.486	25°42'30.53791"	77°50'49.10506"
P - 506	8	785756.262	2846547.473	25°42'32.63528"	77°50'51.46509"
P - 507	8	785820.688	2846613.46	25°42'34.73264"	77°50'53.82514"
P - 508	8	785885.114	2846679.447	25°42'36.82999"	77°50'56.18521"
P - 509	8	785949.541	2846745.435	25°42'38.92732"	77°50'58.54531"
P - 510	8	786011.056	2846804.966	25°42'40.81708"	77°51'00.79613"
P - 511	8	786089.201	2846851.921	25°42'42.28681"	77°51'03.63321"

Area Statement of Jhirnia and Dongri Village

Sl No	District	Tehsil	Village	Patch No	Patwari Halka	Khasra No	Land use	Kul Rakba(Ha.)	Proposed Area (Ha.)
1	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya	5	109	2	Padti	67.71	66.61
2	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya			3	Padti	12.78	7.75
3	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya			5	Pahad	18.4	18.4
4	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya			6	Padti	20.71	19.22
Total (A)								119.6	111.98
	Shivpuri	Shivpuri	Jhiriniya	6	109	40	Padti	145.57	84.65
Total (B)								145.57	84.65
1	Shivpuri	Shivpuri	Dongri	7	110	50	kabil Kast	6	6.00
2	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			51	kabil Kast	6	6.00
3	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			52	kabil Kast	6	6.00
4	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			53	kabil Kast	6	6.00
5	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			54	kabil Kast	6	6.00
6	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			55	kabil Kast	6	6.00
7	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			177	Kabil Kast	23.78	21.20
8	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			181	Bid	4	3.64
Total (C)								63.78	60.84
9	Shivpuri	Shivpuri	Dongri	8	110	197	Pahad	54.64	54.64
10	Shivpuri	Shivpuri	Dongri			198	(Bid) Transfer to Jungle Khurd	31.85	17.60
Total (D)								86.49	72.24
Sub Total (A+B+C+D)								415.44	329.71

Submitted By:
Stratatech Mineral Resources Pvt Ltd.
Dhirauli Coal Block, Singrauli

Survey & Mapping By :
Sargeo Enterprises
Ranchi, Jharkhand
Printed On : 4.10.2022

Scale - 1:12,500
0 125 250 500 750 1,000
Meters

Legend
- Pillar Point
- Patch_Boundary
- Existing Forest Compartment

उप वन मण्डलाधिकारी
जय वन मण्डल शिवपुरी (म.प्र.)

NOTES

Sagar district Mutation letters

ra Sdp Prajapati

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP33712024A11243120
पंजीकरण की तिथि	16/10/2024
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	16/10/2024
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	27989039.99
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	0
पंजीयन शुल्क (रूपये)	0
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	0
उप पंजीयक का नाम	KAUSHLENDRA SINGH
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय सागर

खरीदार- स्वयं

नाम	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता श्री अजब सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम	--
पता	उत्तर सागर वन मंडल जिला सागर वन विभाग म.प्र. शासन , सागर, मध्य प्रदेश, भारत

विक्रेता - स्वय

संगठन का नाम	मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद
अधिकृत व्यक्ति का नाम	ललन कुमार
पता	स्थायनीय कार्यालय ग्राम झलरी,ब्लॉ.क घिरोली , तह. सरई सिंगरौली -486886 म०प्र०, सागर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by
KAUSHLENDRA
SINGH
Date: 2024.10.16
18:00:57 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

Ira Sdp Prajapati

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP33712024A11243120
पंजीकरण की तिथि	16/10/2024
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	16/10/2024
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	27989039.99
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	0
पंजीयन शुल्क (रूपये)	0
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	0
उप पंजीयक का नाम	KAUSHLENDRA SINGH
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय सागर

खरीदार- स्वयं

नाम	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता श्री अजब सिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम	--
पता	उत्तर सागर वन मंडल जिला सागर वन विभाग म.प्र. शासन , सागर, मध्य प्रदेश, भारत

विक्रेता - स्वयं

संगठन का नाम	मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद
अधिकृत व्यक्ति का नाम	ललन कुमार
पता	स्थायनीय कार्यालय ग्राम झलरी,ब्लॉक घिरोली , तह. सरई सिंगरौली -486886 म०प्र०, सागर, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed by KAUSHLENDRA SINGH
Date: 2024.10.16 18:00:57 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01013316102024015564		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	0		
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	0	नगर पालिका ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0	उपकर राशि (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	16/10/2024 16:36:12		
यूजर आईडी / जारीकर्ता	Rajkishore Gupta/SP013344804202101150		
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	Narayan Yadav's House, Behind Pateriya Building, Vrindavan Ward, Sagar सागर सागर		

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	हस्तांतरण-पत्र
लिखत	हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छूट गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमे से जो भी अधिक हो ऐसे अतिरिक्त भाग पर प्रभार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत।
उद्देश्य	हस्तांतरण पत्र

पहले पक्ष के विवरण

संगठन का नाम	मेससं स्ट्राटटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद
पता	स्थानीय कार्यालय ग्राम झलरी,ब्लो,क पिरौली , तह. सरई सिंगरोली -486886 म०प्र०
व्यक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

नाम	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता श्री अजब सिंह ठाकुर
पता	उत्तर सागर वन मंडल जिला सागर वन विभाग म.प्र. शासन
व्यक्तियों की संख्या	1

हस्तांतरित भूमि स्थित मौजा लक्ष्मनपुरा प.ह.नं. 60 रा.नि.मं. राहतगढ़ तह. राहतगढ़ जिला सागर का हक्क भूमि स्वा०मी खसरा नं. 45,57,56,53/2,53/1,52/2,52/1,51 कुल आठ खसरा का कुल रकबा 33.56 हे० असिंचित भूमि आपको हस्तांतरण की है।

dra Sdp Prajapati

हस्तांतरण भूमि स्थित मौजा लक्ष्मनपुरा प.ह.न. 60 रा.नि.म. राहतगढ़ तह. राहतगढ़ जिला सागर का हद्द-
भूमि स्वामी खसरा न. 45,57,56,53/2,53/1,52/2,52/1,51 कुल आठ खसरा का कुल रकबा
33.56 हे० असिंचित भूमि आपको हस्तांतरण की है |

नाम हस्तांतरण ग्रहीता :- म०प्र० शासन के राज्यपाल वन विभाग मध्यप्रदेश
द्वारा अधिकृत वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर, जिला सागर म.प्र. शासन |

द्वारा- चन्द्रशेखर सिंह उम्र 56 वर्ष वल्द श्री कमल सिंह
भा.व.से. वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर वन मंडल सागर
निवासी - शिवाजी वार्ड लखनादोन, जिला सिवनी |
आधार कार्ड क्र. :- 2928-7890-8376

अधिकृत :- चंद्रभूषण सिंह ठाकुर उम्र 34 वर्ष पिता श्री अजब सिंह ठाकुर
(वन क्षेत्रपाल) वन परिक्षेत्र अधिकारी खुरई जिला सागर |
निवासी ग्राम जरुआखेड़ा सागर, तहसील व जिला सागर |
आधार कार्ड क्र. 4007-3967-0666

नाम हस्तांतरण कर्ता :-

मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात), पेन कार्ड न.- ABCCS7144P
मुख्यस कार्यालय अदाणी कॉरपोरेट हाउस, शांतिग्राम, एस.जी. हाईवे अहमदाबाद गुजरात
स्थायनीय कार्यालय ग्राम झलरी,ब्लॉ,क चिरौली , तह. सरई सिंगरौली -486886 म०प्र०

प्राधिकृत अधिकारी

श्री ललन कुमार उम्र 40 वर्ष वल्द श्री रामचंद झा
टीचर्स कालोनी पूर्णिया बिहार
आधार कार्ड क्र. 7221 1632 5276, मो० 9109115675

उक्त भूमि वन विभाग म०प्र० शासन को क्षतिपूर्ति निवारण हेतु हस्तांतरित की जा रही है | इसलिए स्टाम्प शुल्क एव पंजीयन शुल्क मॉफ किया गया है इस हस्तांतरण पत्र से मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 वन्यप्राणी संरक्षण नियम 1973 की धारा 20 या धारा 22 क पंजीयन अधिनियम 1908 या अन्या किसी प्रवृष्टि अधिनियम के किसी प्रावधानों का भी उल्लंघन नहीं होता है |
विवरण हस्तांतरण भूमि स्थित मौजा लक्ष्मनपुरा पटवारी हल्का नंबर 60 राजस्व निरीक्षक मंडल राहतगढ़ तह. राहतगढ़ जिला सागर |

MP33712024A11243120 | 01013316102024015564

खसरा न. 45 का रकवा 3.94 हे०, जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11132960431 लगानी सरकारी 23.50/- रुपया सालाना की है |

खसरा न. 57 का रकवा 7.4 हे०, जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11132960591 लगानी 5.50/- रुपया सालाना की है|
खसरा न. 56 का रकवा 2.5 हे०, जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11132961102 लगानी 1.90/- रुपया सालाना की है |
खसरा न. 53/2 का रकवा 4.93 हे०, जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11132961964 लगानी 4.00/- रुपया सालाना की है |
खसरा न. 53/1 का रकवा 4.93 हे०, जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11132961259 लगानी 4.00/- रुपया सालाना की है |
खसरा न. 52/2 का रकवा 9.08 हे०, जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11132962485 लगानी सरकारी रुपया सालाना की है |
खसरा न. 52/1 का रकवा 0.6 हे०, जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11132963600 लगानी सरकारी रुपया सालाना की है |
खसरा न. 51 का रकवा 0.18 हे० जमीन हस्तांतरण की है | जिसका ऋण पुस्तिका क्रमांक CLR No.- 11133074309 लगानी सरकारी रुपया सालाना की है |
इस तरह कुल हस्तांतरण आठ खसरा नम्बरो का कुल रकवा 33.56 हे० भूमि आपको हस्ता नात्रित की है, याने तैतीस दशमलव पांच छः हे० असिंचित भूमि आपको हस्तांतरित की है |

खसरा न. 45 की दिशाए :-
उत्त र में - तरनजीत की भूमि
दक्षिण में - नेतराम की भूमि
पूर्व मे - वन विभाग की भूमि
पश्चिम में - सैर

खसरा न. 57 की दिशाए :-
उत्त र में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
दक्षिण में - वन विभाग की भूमि
पूर्व मे - नेतराम की भूमि
पश्चिम में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि

खसरा न. 56 की दिशाए :-
उत्त र में - किरण बाई एव अन्य- की भूमि
दक्षिण में - वन विभाग की भूमि

MP33712024A11243120 | 01013316102024015564

पूर्व में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
पश्चिम मे - हस्तांतरण कर्ता की भूमि

खसरा नं. 53/2 की दिशाएं :-
उत्त्र मे - किरण बाई एवं बी.एस. गर्ग की भूमि
दक्षिण में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
पूर्व में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
पश्चिम में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि

खसरा नं. 53/1 की दिशाएं :-
उत्त र में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
दक्षिण में - वन विभाग की भूमि
पूर्व मे - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
पश्चिम में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि

खसरा नं. 52/2 की दिशाएं :-

उत्त र में - राजकुमार की भूमि
दक्षिण में - वन विभाग की भूमि
पूर्व मे - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
पश्चिम मे - वन विभाग की भूमि

खसरा नं. 52/1 की दिशाएं :-
उत्त र में - राजकुमार की भूमि
दक्षिण में - वन विभाग की भूमि
पूर्व में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
पश्चिम में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि

खसरा नं. 51 की दिशाएं :-
उत्त र मे - श्रेयाश की भूमि
दक्षिण में - हस्तांतरण कर्ता की भूमि
पूर्व में - राजकुमार की भूमि

MP33712024A11243120 | 01013316102024015564

पश्चिम मे – सतीश की भूमि एव सरकारी रास्ता–

1. हस्तान्त्रण भूमि भूदान न्यास से सबधित नही है, उक्त भूमि शासकीय पटटे की नहीं है | उक्त भूमि विक्रय से 165 भू राजस्व संहिता की धाराओ का उल्लघन नही होता है, और न ही रजिस्ट्री करण अधिनियम की धारा 22'क' के प्रावधानो का उल्लघन किया गया है |
2. हस्तांतरित भूमि डामल रोड़ से दो कि.मी. दूर है, एव बस्ती से एक कि.मी. की दूरी पर स्थित कृषि भूमि आपको हस्तांतरण की है |
3. हस्तातरित भूमि असिचित एक फसली है, जिसमे सिचाई का कोई साधन उपलब्धब नही है |

4. हस्तातरित भूमि हस्तातरण कर्ता की खरीदशुदा संपति है, जो आज दिन वन विभाग को पूरी की पूरी भूमि हस्तांतरित कि है |

5. उक्त भूमि कार्यालय वनमंडल अधिकारी, उत्तर सागर वनमंडल जिला सागर म.प्र. के वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर के वन मडल द्वारा श्री चदभूषण सिह (वनक्षेत्रपाल) वन परिक्षेत्र अधिकारी खुरई को उक्त भूमि की रजिस्ट्री कराने हेतु अधिकृत किया गया है जिसका पत्र क्रमाक/मा.चि./2024/4905 सागर दिनाक 15/10/2024 है।

6. हस्तातरित भूमि के मूल्यांकन के संबध मे कोई विवाद किसी न्यायालय मे लबित नही है, और न ही रजिस्ट्रीकरण अधिनियम का कोई उल्लंघन किया गया है |

उक्ति भूमि वन विभाग म०प्र० शासन को क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु हस्तांतरित की जा रही है | इसीलिए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क माफ किया गया है, इस हस्तातरण पत्र से मध्यवप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 वन्यनप्राणी सरक्षण नियम 1973 की धारा 20 या धारा 22 क पजीयन अधिनियम 1908 या अन्य किसी प्रवृष्टि अधिनियम के किसी प्रावधानो का भी उल्लंघन नही होता है |

ऐसा कि हम हस्तांत्रण कर्ता पक्ष क्र. 2 मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राईवेट लिमिटेड अहमदाबाद (गुजरात) के द्वारा उपरोक्त लिखित भूमि धिरोली कोल ब्लॉरक अतर्गत ओपन कास्टर कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग में प्राप्त भूमि कि क्षतिपूर्ति के ऐवज में कार्यालय वनमण्डल अधिकारी उत्तर सागर वनमंडल जिला सागर म.प्र. के पत्र क्रमाक/मा.वि./2024/4905 मे दिनाक 15/10/2024 की पूर्ति हेतू यह हस्तात्रण-पत्र का निष्पादन किया जा रहा है इस तरह धिरोली कोल ब्लॉ क अतर्गत ओपन कास्टय कोयला उत्खनन के लिये भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण की शर्त की पूर्ती की जा रही है |

इस वास्ते साथ राजी खुशी के गवाहों के समक्ष दोनो पक्षकारो के बतलाये अनुसार एव उनके द्वारा दिये गये दस्ता वेजो के आधार पर हस्तातरण पत्र लिख दिया कि सनद् रहे व वक्त पर काम आवे

वक्त तारीख 16/10/2024 स्थान सागर

MP33712024A11243120 | 01013316102024015564

----------Please turn over/कृप्या पृष्ठ पलटिये।----------

MP33712024A11243120 | 01013316102024015564

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:लक्ष?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1055676789 81SD1VDBC8ANH0	45 (S)		3.9400 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 3.9400 खसरा क्रं. 45 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11025811 दिनांक 11-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज

				प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0389/अ-6/2022-23, आदेश दि. 31/01/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			कृषि								
			रु.23.50								भूमि इलाहाबाद बैंक शाखा जरूआखेडा में बंधक है।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:लक्ष्?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1062501906 81SE93DBC1Q2H0	51 (S)		0.1800 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 0.1800 खसरा क्रं. 51 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11032033 दिनांक 12-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज

				प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय के प्रकरण क्र. 0390/अ-6/2022-23, आदेश दि. 01/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			कृषि								
			रु.4.00								न्यायालय अ.वि.अ. महो. राहतगढ के रा.प्र.क्र.- 38अ/6 बर्ष- 2011-12 आ.दि. - 13-03-13 न्याया. तह. महौ.□राहतगढ के आ.दि. - 23/03/2013 के पालन मे

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:लक्ष्?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1063633667 81SDGJDBC2QEH0	52/1 (S)		0.6000 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 0.6000 न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0159/ब-121/2021-22, आदेश दि. 18/11/2021 के

			कृषि रु.0.00	प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय		मध्यप्रदेश गृहनिर्माण मंडल पिता जबलपुर पता जबलपुर मध्य प्रदेश 1 भाग शासकीय पट्टेदार					अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 52/1 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11036740 दिनांक 14-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय के प्रकरण क्र. 0403/अ-6/2022-23, आदेश दि. 02/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:लक्ष्?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1063635478 81SBFJDBC2ZUH0	52/2 (S)		9.0800 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 9.0800 खसरा क्रं. 52/2 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11032035 दिनांक 12-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज

				प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय के प्रकरण क्र. 0391/अ-6/2022-23, आदेश दि. 02/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			कृषि								
			रु.0.00								न्यायालय अ.वि.अ. महो. राहतगढ के रा.प्र.क्र.- 14अ/6 बर्ष- 2011-12 आ.दि. - 13-03-13 न्याया. तह. महौ.□राहतगढ के आ.दि. - 30/03/2013 के पालन मे

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:लक्ष्?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064776375 81SAEHDBC57JH0	53/1 (S)		4.9300 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 4.9300 खसरा क्रं. 53/1 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11032038 दिनांक 12-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज

				प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय के प्रकरण क्र. 0392/अ-6/2022-23, आदेश दि. 01/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
				कृषि							
				रु.4.00							न्यायालय अ.वि.अ. महो. राहतगढ के रा.प्र.क्र.- 38अ/6 बर्ष- 2011-12 आ.दि. - 13-03-13 न्याया. तह. महौ.□राहतगढ के आ.दि. - 23/03/2013 के पालन मे

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:लक्ष्?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064777005 81SAY9DBC48AH0	53/2 (S)		4.9300 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 4.9300 खसरा क्रं. 53/2 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11032123 दिनांक 12-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज

specimen copy

				प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय के प्रकरण क्र. 0395/अ-6/2022-23, आदेश दि. 03/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
				कृषि							
				रु.4.00							न्यायालय अ.वि.अ. महो. राहतगढ के रा.प्र.क्र.- 38अ/6 बर्ष- 2011-12 आ.दि. - 13-03-13 न्याया. तह. महौ.□राहतगढ के आ.दि. - 23/03/2013 के पालन मे

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:लक्ष?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1068147371 81SARCDBC64QH0	56 (S)		2.5000 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 2.5000 खसरा क्रं. 56 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11031941 दिनांक 12-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज

				प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय के प्रकरण क्र. 0394/अ-6/2022-23, आदेश दि. 01/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			कृषि								
			रु.1.90								न्यायालय नायवतहसीलदार महो. राहतगढ के रा.प्र.क्र.- अ/6 बर्ष-2016-17 आ.दि. - 19-09-16 के पालन मे

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:लक्ष्?ामनपुरा			पटवारी हल्का:जलंधर			तहसील:राहतगढ			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1069252863 81SAR1DBC7FFH0	57 (S)		7.4000 हेक्टेयर	चंद्रभूषण सिंह ठाकुर पिता अजब सिंह ठाकुर पता उत्तर वन मंडल वन विभाग सागर सागर मध्य	1						पड़ती ५ बार्स से ज्यादा 7.4000 खसरा क्रं. 57 को दस्तावेज क्रं. MP33712022A11031959 दिनांक 12-OCT-22 से मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज

				प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय							प्राइवेट लिमिटेड को विक्रय किया गया | न्यायालय के प्रकरण क्र. 0393/अ-6/2022-23, आदेश दि. 02/11/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | खसरा क्रं. 45,51,52/1,52/2,53/1,53/2,56,57 को दस्तावेज क्रं. MP33712024A11243120 दिनांक 16-OCT-24 से को विक्रय किया गया | न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0516/अ-6/2024-25, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |
			कृषि								
			रु.5.50								न्यायालय अ.वि.अ. महो. राहतगढ के रा.प्र.क्र.- 38अ/6 बर्ष- 2011-12 आ.दि. - 13-03-13 न्याया. तह. महौ.□राहतगढ के आ.दि. - 23/03/2013 के पालन मे न्यायालय अ.वि.अ. महो. राहतगढ के रा.प्र.क्र.- 37अ/6 बर्ष-□2011-12 आ.दि. - 13-03-13 न्याया. तह. महौ. राहतगढ के आ.दि. - 23/03/2013 के पालन मे

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

Agar Malwa District Mutation

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836381 81QZS2D8S4UEH0	1/1 (S)		17.0200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836403 81QBYTD8S5K9H0	12/1 (S)		18.4600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । (यह जमीन सिंचित है)

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836471 81QDMFD8S838H0	18/1 (S)		1.0500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्या.जि.महो.शाजापुर के प्र.क्र. 27 अ 59/1999-2000 दि.14.7.2000 के पालन में गे.मु.बर्डी स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1024841621 81QEAQD8S804H0	19/1 (S)		1.0000 हेक्टेयर गे.मु.बर्डी 1.0000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्या.ना.तह.महो बड़ौद के प्र.क्र.25/2000-2001 अ 3 दि.23.7.2001 के पालन में बटांकन स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836572 81QGKKD8S93TH0	21/1/1 (S)		6.8700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्या.जि.महो.शाजापुर के प्र.क्र.27 अ 59/99-2000 दि.14.7.2000 के पालन में गे.मु.बर्डी स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:बीजानगरी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836425 81QG3RD8SDYLH0	36/1/1 (S)		14.6300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0087/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्या.जि.महो.शाजापुर के प्र.क्र.27अ 59/99-2000 के पालन में गे.मु.बर्डी स्वी.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 87/अ-20(3)/2023-24

(दिनांक [illegible] 4 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम बीजानगरी तहसील बडौद स्थित की कुल किता 6 कुल भूमि **106.92** हेक्टेयर भूमि में से **59.03** हेक्टेयर भूमि की मांग धिंरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम बीजानगरी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	12	53.740	18.46
2	21/1	6.880	6.87
3	36/1	21.810	14.63
4	19/1	1.00	1.000
5	1	21.990	17.02
6	18	1.500	1.05
	कुल किता 6	**106.92 हेक्टेयर**	**59.03 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/री/2024/136 बीजानगरी दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को पत्र जारी कर आपत्ति/अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 97/तक./2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024 ,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. जयसिंहपुरा का पत्र क्रमांक/कं.यं./जयसिंहपुरा/कार्य/2023-24/38 दिनांक 15.04.2024, अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक/2024/637 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गयाप्रकरण में ग्राम पंचायत बीजानगरी तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा द्वारा अपने ठहराव/प्रस्ताव दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पंचायत बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा असहमति दी गई है। पटवारी ग्राम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि की नोईयत घासबीड/बर्डी दर्ज है। ग्राम की मिसल में निस्तार चरनोई का कुल रकबा **148.85** हे. दर्ज है। आवेदित भूमि यदि आंवटित की जाती है तो चरनोई का शेष कुल रकबा **148.85** हे. बचेगा। यदि आवेदित भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाती है तो ग्राम की चरनोई भूमि का रकबा प्रभावित नहीं होगा। उक्त भूमि

पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 59.03 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम बीजानगरी की सिंचित भूमि 15,23,800/- (पंद्रह लाख तेईस हजार आठ सौ रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के शाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 14,39,19,862/- (चौदह करोड़ उन्तालीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बासठ रूपये) होना लेख किया गया है। नायब तहसीलदार बीजानगरी ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि आवंटन की अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनुभाग आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत बीजानगरी द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.08.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम बीजानगरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 21.99 हे. में से रकबा 17.02 हे., 12 रकबा 53.74 हे. में से 18.46 हे., 21/1 रकबा 6.88 हे. में से रकबा 6.87 हे., 36/1 रकबा 21.81 में से रकबा 14.63 हे., 18 रकबा 1.50 हे. में से 1.05 हे., 19/1 रकबा 1.00 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हे. भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम बीजानगरी तहसील बडौद स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 106.92 हे. में से 59.03 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण 14,39,19,862/- (चौदह करोड़ उनचालीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ बासठ रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

6/ नायब तहसीलदार बीजानगरी , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.
आगर मालवा, दिनांक 22 /11/2024

क्रमांक/रीडर/2024/473
प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौदा
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा(म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611612944 81M5H4D8SMELH0	752/2 (S)		11.8600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. मे)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611613023 81M3MND8SQAUH0	753/1 (S)		3.8800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611612999 81M76GD8SZJRH0	761/1 (S)		0.1700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611121318 81M74TD8SQ6NH0	765/1 (S)		5.0800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611121307 81M51TD8SRAGH0	767/2 (S)		0.1600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611612966 81M5SCD8SSA8H0	776/2 (S)		1.2600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:चिपिया			पटवारी हल्का:चिपिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611121353 81M1E6D8SP98H0	2272/2 (S)		9.4500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0096/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 13/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 96/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 13 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम चिपिया तहसील बडौद स्थित की कुल भूमि **43.62** हेक्टेयर भूमि में से **31.86** हेक्टेयर भूमि की मांग घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम चिपिया की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	761	0.400	0.17
2	752	16.330	11.860
3	2272	13.610	9.450
4	753	4.840	3.88
5	765	6.350	5.08
6	776	1.780	1.26
7	767	0.310	0.16
	कुल किता 7	**43.62 हेक्टेयर**	**31.86 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। विज्ञप्ति प्रकाशन अवधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं।कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 166 दिनांक 27/02/2024 के द्वारा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश वि.वि कम्पनी जयसिंहपुरा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर, हल्का पटवारी ग्राम चिपिया एवं संरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चिपिया को पत्र जारी कर अनापत्ति चाही गई। सहायक यंत्री म. प्र.प.क्षे. वि.वि. कंपनी लिमिटेड जयसिंहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक / क.प. / जयसिंहपुरा / कार्य/ 2023-24/32 दिनांक 12/04/2024 से अनापत्ति दी गई है।ग्राम पंचायत चिपिया, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय उज्जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर से प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभिमत प्रस्तुत नही किया गया।प्रकरण में कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल शाजापुर मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक / मा.चि. /2023/2360 शाजापुर दिनांक 06/06/2023 के द्वारा आवेदित सर्वे नंबरो को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना लेख किया है।हल्का पटवारी चिपिया द्वारा प्रतिवेदन मय खसरा नक्शा की तीन प्रतिलिपि में एवं मिसल बंदोबस्त की छायाप्रति सहित प्रस्तुत कर लेख किया है कि ग्राम चिपिया स्थित भूमि आवेदित सर्वे नंबर वर्तमान रिकार्ड अनुसार शासकीय है। जिसमें सर्वे क्रमांक 752 रकबा 16.33 चरनोई मद, 753 रकबा 4.84 चारागाह मद, 765 रकबा 6.35 गोचर मद, 776 रकबा 1.78 गोचर मद **2272** रकबा **13.61** हेक्टेयर भूमि चरनाई मद, कुल **5** किता भूमि गोचर चारागाह एवं चरनाई मद में दर्ज है एवं शेष सर्वे नंबर **761** रकबा **0.400**, एवं **767** रकबा **0.310** हेक्टेयर बर्डी तथा कदीम मद में दर्ज है। आवेदित सर्वे नंबरों में से चरनोई, चारागाई एवं गोचर मद की भूमि का आवंटन किया जाने से

ग्राम का चरनोई का रकबा प्रभावित होने पर दिया जाना उचित नही होगा। ग्राम चिपिया का भोगोलिक रकबा 1083.180 हे. है। शामिल जोत (खाते का रकबा) का रकबा मिसल बंदोबस्त अनुसार 586.800 हे. है। जिससे ग्राम में शामिल जोत (खाते) के 2 प्रतिशत चरनोई रकबा 11.730 हेक्टेयर सुरक्षित रखना अनिवार्य है। आवेदित सर्वे नंबर अतिक्रमण मुक्त है। जिसमें किसी प्रकार की जल संरचना हाईटेंशन लाईन एवं समशान, कब्रस्तान आदि नही है। आवेदित सर्वे नंबरो का मुताबिक मिसल बंदोबस्त एवं वर्तमान अभिलेख अनुसार नोईयत एवं आवंटन योग्य वक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि की जानकारी है। उपरोक्त सर्वे नंबरों में हल्का पटवारी द्वारा सर्वे नंबर 752, 753, 765, 776, 2272 योग 5 किता चरनोई, चारगाह एवं गोचर मद में होने के कारण इनके आवंटन से ग्राम चिपिया का 2 प्रतिशत चरनोई रकबा प्रभावित होना प्रतिवेदित किया है। परन्तु ग्राम में न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा के प्रकरण क्रमांक 0078/120(3)/2022-23 दिनांक 17/04/2023 के द्वारा ग्राम चिपिया का सर्वे नंबर 1353 में ग्राम के शामिल जोत (खाते का) का रकबा 586.80 हे. का 2 प्रतिशत रकबा 11.730 हेक्टेयर सुरक्षित किया गया है। जिससे आवेदित सर्वे नंबरो के आवंटन से ग्राम के चरनोई हेतु आरक्षित रकबे में कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। अतः आवेदित भूमि का आवंटित किया जाना उचित प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तावित ग्राम चिपिया स्थित भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 अनुसार सिंचित भूमि प्रति हेक्टेयर का मूल्य 12,52,000 रूपये के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि मान से आवेदित रकबा 31.860 हेक्टेयर भूमि के मूल्य का निर्धारण 6,38,21,952/- (छः करोड़ अडतीस लाख इक्कीस हजार नो सो बावन रूपये मात्र) होता है। नायब तहसीलदार झोंटा द्वारा ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक भूमि सर्वे नंबर 761 रकबा 0.400 में से 0.170 हे.. 752 रकबा 16.330 में से 11.860 हे., 2272 रकबा 13.610 में से 9.450 हे., 753 रकबा 4.840 में से 3.880 हे., 765 रकबा 6. 350 में से 5.080 हे., 776 रकबा 1.780 में से 1.260 हे., 767 रकबा 0.310 में से 0.160 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 31. 860 हेक्टेयर भूमि आवेदक के आवेदन के परिपेक्ष में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनुभाग आगर- बड़ौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक भूमि सर्वे नंबर 761 रकबा 0.400 में से 0.170 हे.. 752 रकबा 16.330 में से 11.860 हे., 2272 रकबा 13.610 में से 9.450 हे., 753 रकबा 4.840 में से 3.880 हे., 765 रकबा 6. 350 में से 5.080 हे., 776 रकबा 1.780 में से 1.260 हे., 767 रकबा 0.310 में से 0.160 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 31. 860 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम चिपिया तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक भूमि सर्वे नंबर 761 रकबा 0.400 में से 0.170 हे., 752 रकबा 16.330 में से 11.860 हे., 2272 रकबा 13.610

में से 9.450 हे., 753 रकबा 4.840 में से 3.880 हे., 765 रकबा 6. 350 में से 5.080 हे., 776 रकबा 1.780 में से 1.260 हे., 767 रकबा 0.310 में से 0.160 हेक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 31. 860 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम चिपिया तहसील बडौद स्थित कुल किता 7 कुल रकबा **31.860 हेक्टेयर** पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण निर्धारण **6,38,21,952/-** (छः करोड़ अडतीस लाख इक्कीस हजार नो सो बावन रूपये मात्र) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

13/12/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/497
प्रतिलिपि :-

आगर मालवा, दिनांक 13 /12/2024

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

13/12/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612545131 81K7KTD939RNH0	80/2 (S)		0.4100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612545107 81K89JD93D6YH0	102/2 (S)		4.9500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612796016 81KA67D93BJCH0	103/6 (S)		14.8300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023, आदेश दि. 16/11/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:धंधेड़ा			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612545153 81K8M7D93EPQH0	139/2 (S)		3.6300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0086/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 86/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम धंधेडा तहसील आगर की कुल भूमि **46.48** हेक्टेयर भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम धंधेडा की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	103	25.650	20.05
2	80	0.630	0.41
3	102	6.140	4.95
4	139	14.060	4.59
	कुल किता 4	46.48हेक्टेयर	30 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। एच आर पंजी जावक क्रमांक 176 दिनांक 15.02.2024 को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया तथा दो समाचार (दैनिक भास्कर, नईदुनिया) पत्रो में विज्ञप्ति का प्रकाशित की गई। अधीक्षण यंत्री संचा/संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि० कं० लिमि० आगर वृत्त आगर, कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) संभाग आगर मालवा वन परिक्षेत्र अधिकारी आगर मालवा वनमण्डल तथा नगर परिषद कानड द्वारा भूमि आवंटन के संबंध में अनापत्ति प्रस्तुत की गयी है। कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन को अभिमत हेतु लिखा गया था किन्तु उनकी ओर से अभिमत अप्राप्त होने से मध्यप्रदेश नजूल निर्वतन निर्देश 2020 की कण्डिका 48(2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागो के जिला अधिकारियो से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा की उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागो को कोई आपत्ति नहीं है ।ग्राम पंचायत चकबडाबीड की ओर से दिनांक 10.06.2024 को ठहराव प्रस्ताव पारित किया जाकर आपत्ति ली गयी। प्रकरण में पटवारी ग्राम धंधेडा तहसील आगर जिला आगर मालवा के द्वारा (प्रारूप -5) में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम धंधेडा के सर्वे नं. 103 (गोचर) कुल रकबा 25.65 हे. गोचर मिसल बंदोबस्त में दर्ज है। वर्तमान खसरा अभिलेख में सर्वे नं. 103 रकबा 25.65 हे. गोचर भूमि के रूप में दर्ज है। साथ ही प्रतिवेदित किया गया कि अंतिम हस्त लिखित खसरा अनुसार सर्वे नं. 103, 5 बंटाकनों में विभाजित है, जिसमें से सर्वे नं. 103/2 गोठान, 103/3 शमशान, 103/4 कब्रिस्तान, की भूमि होने से आवंटन के लिए अनउपयुक्त है तथा सर्वे क्रमांक 103/5 रकबा 19.05 हे. में से रकबा 8.00 हे. पर तालाब है, जिसके कारण भूमि आवंटन के अनउपर्युक्त है, उपरोक्त सर्वे नं. 103/5 में से केवल 11.05 हे. भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त है। सर्वे नं. 103/1 रकबा 4.45 हे. गोचर मद में दर्ज है। जिसमें से केवल 3.78 हे. भूमि आवंटित हेतु उपर्युक्त है क्योंकि यदि संपूर्ण रकबा आवंटित किया जाता है तो ग्राम में दो प्रतिशत

चरनोई का सुरक्षित रकबा प्रभावित होता है। सर्वे नं. 80 कुल रकबा 0.63 हे. में से 0.41 , 102 रकबा 6.14 हे. में से 4.95हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त है। इस प्रकार ग्राम धंधेडा की कुल आवेदित भूमि 30.00 हे. में से आवेदित संस्था को 23.82 हे. भूमि आवंटित किया जाना उपयुक्त है।ग्राम धंधेडा मे निजी भूमि का क्षेत्रफल 103.74 हे. शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 118.83 कुल ग्राम का क्षेत्रफल 222.57 हे. है, अंतिम हस्तलिखित खसरे के अनुसार गोचर का कुल क्षेत्रफल 5.87 है. है, दो प्रतिशत के मान से आवश्यक गोचर का क्षेत्रफल 2.0748 है। यदि 103/1 रकबा 4.45 गोचर हेतु आवंटित होता है तो चरनोई का 2 प्रतिशत रकबा कम हो जायेगा। 2 प्रतिशत चरनोई के रकबे के लिए 0.67 हे. रकबा कम पड़ रहा है अतः 103/1 रकबा 4.45 मेसे 0.67 है. गोचर के लिए आरक्षित छोडकर आवंटित किया जाता है तो 2 प्रतिशत चरनोई प्रभावित नही होगी। कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम धंधेडा की सिचित भूमि 9,28,000 /- नौ लाख अठाईस हजार प्रति हे. के मान से है, आवंटन हेतु कुल प्रस्तावित 23.82 हे. भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 /सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 3,53,67,936/- (तीन करोड तिरपन लाख सरसठ हजार नौ सौ छत्तीस रूपये) होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत चकबडाबीड द्वारा आपत्ति पेश की गई। किंतु आपत्ति में किस बाबत् आपत्ति है का उल्लेख नही किया गया है। अतः आपत्ति निराधार/ओचित्तहीन है। नायब तहसीलदार कानड द्वारा ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्र. 80 रकबा 0.63 में से 0.41 102 रकबा 6.14 में से4.95, 103 रकबा 25.65 में से 14.83 हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया । उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । जिसमें ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्र. 80 रकबा 0.63 में से 0.41 102 रकबा 6.14 में से4.95, 103 रकबा 25.65 में से 14.83 हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत चकबडाबीड द्वारा उनके पत्र दिनांक 10.06.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्र. 80 रकबा 0.63 में से 0.41 102 रकबा 6.14 में से4.95, 103 रकबा 25.65 में से 14.83 हे., 139 रकबा 14.06 में से 3.63 हे. कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की

धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक अनुसार ग्राम धंधेडा तहसील आगर स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 46.48 में से 23.82 हेक्टेयर पर म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 /सात-3 दिनांक 05.01.2021 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 3,53,67,936/- (तीन करोड तिरपन लाख सरसठ हजार नौ सौ छत्तीस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

6/ नायब तहसीलदार कानड, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/439 आगर मालवा, दिनांक 16 /11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दूर्गापूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416719 81Q5KAD8Z0UYH0	505/2 (S)		2.8500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दूर्गापूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416822 81Q61ED8NTPPH0	506/2 (S)		9.6800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दूर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1355466058 81Q6GTD8Z07KH0	507 (S)		0.0600 हेक्टेयर पहाड चटटान 0.0600 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दूर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाइ संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416765 81Q7YHD8NV8DH0	511/1 (S)		2.5300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						अन्य जलश्रोत न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दूर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416787 81Q44TD8Z2RTH0	616/2 (S)		2.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:दूर्गपूरा			पटवारी हल्का:खन्दवास			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610416743 81Q2BED8Z4Q2H0	656/2 (S)		3.0200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0123/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 31/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 123/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 21/12/2024 को पारित)

-00-

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित की कुल भूमि **27.230** हेक्टेयर भूमि में से **20.14** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम दुर्गपुरा की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	507	0.060	0.060
2	511	2.550	2.53
3	616	6.190	2.00
4	656	3.470	3.02
5	505	3.340	2.85
6	506	11.620	9.68
	कुल किता 6	27.230 हेक्टेयर	20.14 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। प्रकरण में दिनांक 11/03/2024 से अधीक्षण यंत्री म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं लिमि बड़ौद द्वारा भूमि आवंटन में विदयुत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) उपसभाग आगर-मालवा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत/परामर्श लिया जाएगा यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। प्रकरण में कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आगर-मालवा वनमंडल पत्र क्रमाक/2024/635 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत खंदवास द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 09.06.2024 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 है, 505 रकबा 3.34 हे .में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे. 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे., 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 है. भूमि को आवंटित किये जाने हेतु आवेदक स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उक्त भूमि ग्राम की गौचर भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा अमृत सरोबर अतर्गत 02 तालाबों का निर्माण, 01 वाटर हार्वेस्टिंग पोण्ड, 03 सामुदायिक वृक्षारोपण परियोजनाए प्रगतिरत होकर वर्तमान में मनरेगा योजना अंतर्गत 03 परकोलेशन टेंक निर्माण किया जाना

प्रस्तावित है। जिनका निर्माण एव सरक्षण संवर्धन किया जाना अतिआवश्यक है। इसलिये उक्त भूमि आवंटन पर ग्राम सभा की आपत्ति मान्य करते हुए उक्त भूमि आवंटित नहीं की जावें। प्रकरण में पटवारी ग्राम दुर्गपुरा के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जाच रिपोर्ट अनुसार ग्राम का शामिल जोत का रकबा 338.73 हे. है। शासकीय मद गैर मुमकीन चरनोई का रकबा 48.48 हे. मिसल बंदोबस्त में दर्ज है। शामिल जोत के रकबे का 2 प्रतिशत 6.77 हे. होता है। उक्त भूमि आवंटन के पश्चात चरनोई का शेष रकबा 45.46 हे बचता है। जो कि चरनोई के 2 प्रतिशत रकबा 6.77 हे. से अधिक है। अतः भूमि आवंटन से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होता है। हल्का पटवारी दुर्गपुरा द्वारा ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे., 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे कुल किता 06 कुल रकबा 20.14 है. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम दुर्गपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 है. 507 रकबा 0.060 हे. 505 रकबा 3.34 है. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 20.14 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम दुर्गपुरा की सिंचित भूमि 13,42,080 (अक्षरी तेरह लाख बयालीस हजार अस्सी रूपये) प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 4,32,47,185/- (अक्षरी चार करोड बत्तीस लाख सैतालीस हजार एक सौ पिचयासी रूपये) होता है। तहसीलदार बड़ौद द्वारा ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे. 507 रकबा 0.060 हे. 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे., 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे. 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 20.14 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन श्रीमान की ओर उचित कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी आगर-बड़ौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बड़ौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. मे से 20.14 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत खंदवास द्वारा उनके ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 09.06.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया गया की ग्राम दुर्गपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 511 रकबा 2.55 हे. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. मे से 20.14 हेक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा अमृत सरोवर अतर्गत 02 तालाबों का निर्माण, 01 वाटर हार्वेस्टिंग पोण्ड, 03 सामुदायिक वृक्षारोपण परियोजनाए प्रगतिरत होकर वर्तमान में मनरेगा योजना अंतर्गत 03 परकोलेशन टेंक निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित भूमि छोड़ कर दिया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 4.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम दुर्गपुरा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्र. 511 रकबा 2.55 है. में से 2.53 हे., 507 रकबा 0.060 हे., 505 रकबा 3.34 हे. में से 2.85 हे. 506 रकबा 11.62 हे. में से 9.68 हे., 616 रकबा 6.19 हे. में से 2.00 हे. 656 रकबा 3.47 हे. में से 3.02 हे. कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. मे से 20.14 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021अनुसार ग्राम दुर्गपुरा तहसील बडौद स्थित कुल किता 06 कुल रकबा 27.230 हे. में से 20.14 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 4,32,47,185/- (अक्षरी चार करोड बत्तीस लाख सैतालीस हजार एक सौ पिचयासी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।
5. अगर आवेदित भूमि पर किसी भी प्रकार की विद्युत संरचना स्थापित है तो उसके संबंध में विद्युत विभाग से अभिमत प्रापत किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

31/12/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/574 आगर मालवा, दिनांक 31/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

31/12/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:घानीखेडी			पटवारी हल्का:घानीखेड़ी			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610830012 81JE3KD942J9H0	79/1 (S)		3.4800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:घानीखेडी			पटवारी हल्का:घानीखेड़ी			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610829922 81JCM8D943P2H0	80/1 (S)		0.2200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:घानीखेडी			पटवारी हल्का:घानीखेड़ी			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610829909 81JBMYD941T2H0	84/1 (S)		1.5300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:घानीखेडी			पटवारी हल्का:घानीखेड़ी			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610829966 81J8Q1D944UBH0	117/1 (S)		13.3400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:घानीखेडी			पटवारी हल्का:घानीखेड़ी			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610829944 81JCLGD945Q2H0	156/1/1 (S)		11.4400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0091/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 91 /अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम घानीखेडी तहसील आगर स्थित की कुल किता 5 कुल भूमि **43** हेक्टेयर भूमि में से **30.01** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है । ग्राम घानीखेडी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	80	0.340	0.22
2	84	3.000	1.53
3	117	24.320	13.34
4	79	3.560	3.48
5	156/1	11.780	11.44
	कुल किता 5	43 हेक्टेयर	**30.01** हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि दो समाचार (दैनिक भास्कर नईदुनिया) पत्रो में विज्ञप्ति का प्रकाशित की गई है जावक पंजी क्रमांक **128-134** कानड दिनांक **15. 02.2024** से कार्यालय अधीक्षण यंत्री संचा/संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि० कं० लिमि० वृत्त आगर ,कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) संभाग आगर मालवा ,कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन तथा ग्राम पंचायत घानीखेडी को पत्र को अभिमत हेतु लिखा गया । कार्यापालन यंत्री (कार्यालय) अधीक्षण यंत्री (संचा/संधा) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि वृत्त आगर द्वारा पत्र दिनांक 23/02/2024 से सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 23/02/2024 , नगर परिषद कानड के पत्र दिनांक 30.04.2024 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की ओर से निर्धारित समयावधि में अभिमत अप्राप्त है। इस कारण मध्यप्रदेश नजुल निर्वतन निर्देश **2020** के अनुसार उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत की आपत्ति अनुसार ग्राम के पास तथा ग्राम कृपालपुर के पास मवेशी को चराने हेतु उक्त भूमियों के अलावा अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है। साथ ही भविष्य में होने वाले विकास कार्य के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी, ग्राम घानीखेडी मे गोशाला निर्माण का कार्य भी प्रस्तावित है। अतः ग्राम घानीखेडी में भूमि आवंटित नही की जावे।प्रकरण में पटवारी ग्राम घानीखेडी तहसील आगर जिला आगर मालवा के द्वारा (प्रारूप -5) में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम घानीखेड़ी में भूमि सर्वे क्रमांक **80** रकबा **0.34** हे. में से रकबा **0.22, 84** रकबा **3.00** में से रकबा **1.53, 117** रकबा **24. 32**हे. में से रकबा **13.34, 79** रकबा **3.560** हे. में से रकबा **3.48** हे., **156/1** रकबा **11.78**हे. में से रकबा **11.44,** कुल किता **05** कुल रकबा **43.00** हे. में से **30.01** का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वर्तमान रिकार्ड अनुसार ग्राम घानीखेडी का भौगोलिक रकबा **446.68** है. है व ग्राम का खाते का रकबा **231.9** हे. व ग्राम का गैर खाता का रकबा **214.76** हे. है। ग्राम घानीखेडी में खाते

की भूमि का 2 प्रतिशत रकबा 4.63 हे. होता है जो कि उक्त आवंटन के पश्चात् सुरक्षित रहेगा। ग्राम मे उक्त आवंटन के पश्चात् चरनोई का कुल रकबा 32.96 हे. सुरक्षित रहेगा। प्रिमियम राशि का गणना पत्रक सलग्न किये गये हैकलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम घानीखेडी की सिचित भूमि 14,48,800 /- चौदह लाख अडतालीस हजार आठ सौ रूपये प्रति हे. के मान से है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे क्रमांक 80 में से रकबा 0.22 हे०, सर्वे क्रमांक 84 में से रकबा 1.53 हे० सर्वे क्रमांक 117 में से रकबा 13. 34 हे०, सर्वे क्रमांक 79 में से रकबा 3.48 हे . सर्वे क्रमांक 156/1 में से रकबा 11.44 हे० कुल किता 5 कुल प्रस्तावित रकबा 30.01 हे० भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 6,95,65,580/- (छः करोड पचानवे लाख पैसठ हजार पाँच सौ अस्सी रूपये) होता हैप्रकरण में ग्राम पंचायत के द्वारा आवंटन के संबध में आपत्ति पेश की गई है। उक्त आपत्ति के परिपेक्ष में 32.96 हे. भूमि ग्राम वासियो के लिए विभिन्न प्रयोजन हेतु छोडी गई है। किंतु ग्राम वासी संतुष्ट नहीं है। ग्राम वासियों / ग्राम पंचायत की आपत्ति आधार हिन होने से खारिज किया जाना उचित है। नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी ग्राम घानीखेडी तहसील आगर की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम घानीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 80 रकबा 0.34 हे. में से रकबा 0.22, 84 रकबा 3.00 में से रकबा 1.53,117 रकबा 24.32हे. में से रकबा 13.34, 79 रकबा 3.56 हे. में से रकबा 3.48 हे., 156/1 रकबा 11.78 हे. में से रकबा 11.44, कुल किता 05 कुल रकबा 43.00 हे. में से 30.01 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को उचित प्रतिवेदित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम घानीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 80 रकबा 0.34 हे. में से रकबा 0.22, 84 रकबा 3.00 में से रकबा 1.53, 117 रकबा 24.32हे. में से रकबा 13.34, 79 रकबा 3.56 हे. में से रकबा 3.48 हे., 156/1 रकबा 11.78 हे. में से रकबा 11.44, कुल किता 05 कुल रकबा 43.00 हे. में से 30.01 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत घानीखेडी तहसील आगर द्वारा पत्र दिनांक 28.02.2024 को आपत्ति सहित ठहराव प्रस्ताव अनुमोदन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति के संबंध में नायब तहसीलदार कानड द्वारा आपत्ति के परिपेक्ष में कुल 32.96 हेक्टेयर भूमि ग्राम वासियों के लिए विभिन्न प्रयोजन हेतु छोडी गयी है अत: उनके द्वारा ली गयी आपत्ति में निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम घानीखेडी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 80 रकबा 0.34 हे. में से रकबा 0.22, 84 रकबा 3.00 में से रकबा 1.53 , 117 रकबा 24.32 हे. में से रकबा 13.34, 79 रकबा 3.56 हे. में से रकबा 3.48 हे., 156/1 रकबा 11.78 हे. में से रकबा 11.44, कुल किता 05 कुल रकबा 43.00 हे. में से 30.01 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020

के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम घानीखेडी तहसील आगर स्थित कुल किता 5 कुल रकबा **43.00** हे. मेसे **30.01** हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण **6,95,65,580/-** (छः करोड पचानवे लाख पैसठ हजार पाँच सौ अस्सी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।
5. अगर आवेदित भूमि पर किसी भी प्रकार की विद्युत संरचना स्थापित है तो उसके संबंध में विद्युत विभाग से अभिमत प्रापत किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

6/ नायब तहसीलदार कानड , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें

28/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/382
आगर मालवा, दिनांक 28 /10/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड , की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

28/10/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:हटीपुरा			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010849062 81QUCHD8ZR7KH0	8 (S)		9.3000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0127/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:हटीपुरा			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1605690786 81QSKDD8ZQTEH0	170/1 (S)		7.5400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0127/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 127/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम हटीपुरा तहसील बड़ौद स्थित की कुल किता 7 कुल भूमि 48.04 हेक्टेयर भूमि में से 38.43 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम हटीपुरा की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा
1	5/2	7.050	7.050
2	225	7.670	6.440
3	8	9.300	9.300
4	5/3	10.600	7.22
5	169	0.400	0.400
6	170	12.420	7.54
7	9	0.600	0.48
	कुल किता 7	48.04 हेक्टेयर	38.43 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बड़ौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया।प्रकरण में दिनांक 11/03/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु, सरपंच सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांचमय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। कार्यालय सहायक यंत्री म. प्र. प. क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक /स.पं./2024-25/39 बड़ौद दिनांक 19.04.2024 से अवगत कराया कि ग्राम हटीपुरा तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5/2 रकबा 7.05 हे., 5/3 रकबा 10.60 हे. में से 7.22 हे., 8 रकबा 9.30 हे., 9 रकबा 0.60 हे. में से 0.48 हे., 169 रकबा 0.40 हे., 170 रकबा 12.42 हे. में से 7. 54 हे., 225 रकबा 7.67 है. में से 6.44 हे. भूमि को स्ट्राटा टेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को आवंटित किये जाने में विदयुत विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर-मालवा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है।अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागों को कोई आपत्ती नहीं है। कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी आगर-मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक 2024/642 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 5/2 रकबा 7.05 हे.. 5/3 रकबा 10.60 हे. में से 7.22 हे., 8 रकबा 9.30 हे., 9 रकबा 0.60 हे. में से 0.48 हे., 169 रकबा 0.40 हे., 170 रकबा 12.42 है. में से 7.54 हे., 225 रकबा 7.67 हे. में से 6.44 हे. कुल किता 07 कुल रकबा 38.43 हे. भूमि को स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा. लि. द्वारा वन विभाग को आवंटित

किये जाने में वन विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। ग्राम पंचायत झलारा बडौद द्वारा दिनांक **08.06.2024** द्वारा पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पंचायत झलारा बडौद में गौ शाला संचालित हो रही है। गौ शाला होने के कारण गायों को चरने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है। अतः ग्राम पंचायत कोई भूमि संबंधित आवेदक को देने के पक्ष में नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम हटीपुरा के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-**5**) में जानकारी की पूर्ति की गई। ग्राम हटीपुरा की मिसल बंदोबस्त में गोचर भूमि का कुल रकबा **42.91** हे. भूमि दर्ज होकर सुरक्षित थी, बंदोबस्त वर्ष **1994** से वर्तमान वर्ष तक समय समय पर हुए राजस्व रिकार्ड अध्यतन पश्चात मात्र एक सर्वे नंबर **5/3** कुल रकबा **10.60** हे. भूमि वर्ष **2023-24** की खसरा जिल्द राजस्व रिकार्ड में उल्लेखित होकर प्रदर्शित हो रही है। यह कि ग्राम हटीपुरा के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में निस्तार गोचर भूमि का कुल रकबा **10.60** हे. प्रदर्शित है। ग्राम हटीपुरा की वर्ष **2023-24** खसरा जिल्द में ग्राम का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल **353.63** हे. दर्ज है। जिस मान से **2** प्रतिशत **7.07** हे. होता है। यह कि आवेदित सर्वे नंबरान में सर्वे नंबर **5/3** रकबा **10.60** हे. में से **7.22** हे. भूमि यदि वन विभाग को आवंटन होती है तो तदोपरांत ग्राम में केवल **3.38** हे. भूमि गोचर शेष रह जाएगी, जो कि गोचर भूमि के न्यूनतम **2** प्रतिशत रकबा **7.07** हे. से कम होगी अर्थात उक्त सर्वे नंबर के आवंटन से गोचर भूमि का रकबा प्रभावित होगा। यह कि सर्वे नंबर **5/2** व **5/3** का रकबा अंतिम हस्तलिखित खसरा नकल व वर्तमान कम्प्युटरीकृत खसरा नकल में परस्पर विनिमय अथवा एक दूसरे से परिवर्तित होकर प्रदर्शित है, अर्थात अंतिम हस्तलिखित खसरा नक्कल **2009-14** की खसरा नकल में सर्वे नंबर **5/2** का रक10.60 है. व सर्वे नंबर 5/3 का रकबा 7.05 है. प्रदर्शित है तथा वर्तमान कम्प्युटरीकृत खसरा नकल में सर्वे नंबर 5/2 का रकबा 7.05 है. व सर्वे नंबर 5/3 का रकबा 10.60 हे. प्रदर्शित है। अतः आवेदित सर्वे नंबरान 5/3 रकबा 10.60 हे. (गोचर का रकबा प्रभावित होने से), सर्वे नंबर 9 रकबा 0.60 हे. (गौठान), सर्वे नंबर 169 रकबा 0.40 हे. (खलिहान), निस्तार की भूमि होने से तथा सर्वे नंबर 225 रकबा 7.67 है. (खेल मैदान हेतु) तथा सर्वे क्रमांक 5/2 रकबा 7.05 हे. (रकबा त्रुटी होने से) भूमि को छोंडकर इसके अतिरिक्त शेष आवेदित सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे. सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 है. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम हटीपुरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 है. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम हटीपुरा की सिंचित भूमि 10,19,200 अक्षरी दस लाख उन्नीस हजार दो सौ प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 2,74,61,325/- अक्षरी (दो करोड चोहत्तर लाख इकसठ हजार तीन सौ पच्चीस रूपये) होता है। तहसीलदार तहसील बडौद द्वारा ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद की आवेदित भूमि में से सर्वे नंबरान 5/3 रकबा 10.60 हे. (गोचर का रकबा प्रभावित होने से), सर्वे नंबर 9 रकबा 0.60 हे. (गौठान), सर्वे नंबर 169 रकबा 0.40 हे. (खलिहान), निस्तार की भूमि होने से एवं सर्वे नंबर 225 रकबा 7.67 हे. (खेल मैदान हेतु) तथा सर्वे क्रमांक 5/2 रकबा 7.05 हे. (रकबा त्रुटी होने से) भूमि को छोडकर इसके अतिरिक्त शेष आवेदित सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार बडौद के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद की आवेदित भूमि में से सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत झलारा द्वारा उनके पत्र दिनांक 08.06.2024 से आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आपत्ति आवेदन का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अपने आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद की आवेदित भूमि में से आवेदित सर्वे क्रमांक 8 रकबा 9.30 हे., सर्वे क्रमांक 170 रकबा 12.42 हे. में से 7.54 हे. कुल किता 02 कुल रकबा 16.84 हे. भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम हटीपुरा तहसील बडौद स्थित कुल किता 2 कुल रकबा 16.84 हे. हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण 2,74,61,325/- अक्षरी दो करोड चोहत्तर लाख इकसठ हजार तीन सौ पच्चीस रूपये जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/376
प्रतिलिपि :-

आगर मालवा, दिनांक 22 /10/2024

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/10/24

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:झलारा बडौद			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836616 81QUSED8PFY3H0	2/2/1 (S)		1.3400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:झलारा बडौद			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836515 81R0EFD8PFFHH0	2/3/1 (S)		5.0600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:झलारा बडौद			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836594 81R0ZDD8PGSLH0	84/1 (S)		0.7400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:झलारा बडौद			पटवारी हल्का:झलारा बडौद			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836368 81QVSJD8PGPHH0	85/1 (S)		0.7100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0124/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 28/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 124/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 08 अक्टूबर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित तहसील बडौद की कुल भूमि **10.29** हेक्टेयर भूमि में से **7.85** हेक्टेयर भूमि की मांग घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम झलारा बडौद की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा
1	85	1.220	0.71
2	2/3	5.200	5.06
3	84	0.880	0.74
4	2/2	2.990	1.34
	कुल किता 4	**10.29** हेक्टेयर	**7.85** हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार बडौद ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं।दिनांक 11/03/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया।कार्यालय सहायक यंत्री म. प्र. प. क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक/स.पं./2024-25/38 बडौद दिनांक 19.04.2024 से अवगत कराया कि झलारा बडौद तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे. भूमि को वन विभाग को आवंटित किये जाने में विदयुत विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश तथा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर-मालवा द्वारा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत/परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागों को कोई आपत्ती नहीं है।प्रकरण में कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी आगर-मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/2024/636 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अवगत कराया कि झलारा बडौद तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे. भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. वन विभाग को आवंटित किये जाने में विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। ग्राम पंचायत

झलारा बडौद द्वारा दिनांक 08.06.2024 द्वारा पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम पंचायत झलारा बडौद में गौ शाला संचालित हो रही है। गौ शाला होने के कारण गायों को चरने के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है। अतः ग्राम पंचायत कोई भूमि संबंधित आवेदक को देने के पक्ष में नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम झलारा बडौद के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वर्तमान खसरा अभिलेख में आवेदित भूमि शासकीय अंकित है।ग्राम झलारा बडौद की मिसल बंदोबस्त में निस्तार गोचर का कुल रकबा 73.22 हे. दर्ज है। वर्ष 2023-24 की खसरा जिल्द में ग्राम झलारा बडौद का शामिल जोत का कुल रकबा 690.16 हे. दर्ज है। जिस मान से ग्राम में गोचर भूमि का न्यूनतम 2 प्रतिशत रकबा 13.80 हे. होता है। यदि उक्त आवेदित सर्वे नंबर की भूमि कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित होती है तो गोचर भूमि का कुल शेष रकबा 18.11 हे. है। चरनोई का 2 प्रतिशत रकबा प्रभावित नहीं होगा। हल्का पटवारी झलारा बडौद द्वारा ग्राम झलारा बडौद तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण के उददेश्य से वन विभाग को आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम झलारा बडौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम झलारा बडौद की सिंचित भूमि 13,20,000 अक्षरी तेरह लाख बीस हजार प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 1,65,79,200/- अक्षरी एक करोड पेंसठ लाख उन्यासी हजार दो सौ रूपये होता है। प्रकरण में ग्राम झलारा बडौद तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि वर्तमान खसरा वर्ष 2024-25 में शासकीय भूमि है जिसे वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम झलारा बडौद तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हे. भूमि को घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत द्वारा उनके पत्र दिनांक 08.06.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अतः ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम झलारा बडौद तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे नंबर 2/2 रकबा 2.99 हे. में से 1.34 हे., 2/3 रकबा 5.20 हे. में से 5.06 हे., 84 रकबा 0.88 हे. में से 0.74 हे., 85 रकबा 1.22 हे. में से 0.71 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 7.85 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम झलारा बडौद तहसील बडौद स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 10.29 में से 7.85 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 1,65,79,200/- अक्षरी एक करोड पेंसठ लाख उन्यासी हजार दो सौ रूपये जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

6/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नगल इस न्यायालय को भिजवायें।

28/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/385
आगर मालवा, दिनांक 28/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

28/10/24

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394014 81RADRD8S6LPH0	71/1 (S)		19.1800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष:-2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394003 81R81ED8S36NH0	75/1 (S)		13.3100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394058 81QU3YD8S1ATH0	102/1 (S)		13.7800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394036 81QRLKD8S61EH0	105/1 (S)		12.3800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394071 81QTGMD8S8ECH0	107/1/1 (S)		4.5200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:कण्डारी			पटवारी हल्का:बीजानगरी			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1598394115 81QUQPD8S92CH0	107/2/1 (S)		9.3700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0089/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 18/10/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 89/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को पारित)

22/10/2024

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम कण्डारी तहसील बडौद की कुल भूमि **109.8400** हेक्टेयर भूमि में से **72.54** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम कण्डारी की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	107 / 2	15.920	9.37
2	71	29.470	19.18
3	105	17.700	12.38
4	75	15.470	13.31
5	107 / 1	10.280	4.52
6	102	21.00	13.78
	कुल किता 6	109.84 हेक्टेयर	72.54 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/री/2024/129 बीजानगरी दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को पत्र जारी कर आपत्ति/अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।संबंधित विभाग अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 100/तक./2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024 , म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. जयसिंहपुरा का पत्र क्रमांक/कं.यं./जयसिंहपुरा/कार्य./2023-24/40 दिनांक 15.04.2024 , अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक/2024/638 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत बीजानगरी तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.08.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कंडारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 हे. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 हे., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा असहमति दी गई है। पटवारी ग्राम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम कंडारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. की भूमि की नोईयत पठार दर्ज है। ग्राम की मिसल में निस्तार चरनोई का कुल रकबा 69.38 हे. दर्ज है। आवेदित

भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 72.54 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम बीजानगरी की सिंचित भूमि 11,20,000/- (ग्यारह लाख बीस हजार रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 12,99,91,680/- (बारह करोड़ निन्यानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) होना लेख किया गया है। नायब तहसीलदार ने ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे.कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर भूमि आवंटन की अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत बीजानगरी द्वारा उनके पत्र दिनांक 29.08.2024 से आयोजित ग्राम सभा के निर्णय अनुसार भूमि आवंटन के संबंध में असहमति प्रदान की गयी है। ग्राम पंचायत की आपत्ति का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है जिससे की सहमत हुआ जा सकें अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 71 रकबा 29.47 हे. में से 19.18 हे., 75 रकबा 15.47 हे. में से 13.31 हे., 102 रकबा 21.00 है. में से 13.78 हे., 105 रकबा 17.70 हे. में से 12.38 है., 107/2 रकबा 15.92 हे. में से 9.37 हे. एवं 107/1 रकबा 10.28 हे. में से 4.52 हे. कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम कंडारी तहसील बडौद स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 72.54 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 12,99,91,680/- (बारह करोड़ निन्यानवे लाख इक्यानवे हजार छः सौ अस्सी रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

6/ नायब तहसीलदार बीजानगरी , की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/10/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/375
प्रतिलिपि :-

आगर मालवा, दिनांक 22 /10/2024

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

22/10/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:खजुरी चौपड़ा			पटवारी हल्का:उमरपुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाइ संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612323652 81PQH4D8URB8H0	568/2 (S)		33.4700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0092/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 10/02/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 92/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 10 फरवरी 2025 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कोल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है।

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया प्रकरण में कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 182 दिनांक 21/02/2024 से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 183 दिनांक 28/02/2024 द्वारा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, कनिष्ट यंत्री मध्यप्रदेश वि.वि कम्पनी जयसिंहपुरा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर, हल्का पटवारी ग्राम खजुरी चौपड़ा एवं संरपंच/सचिव ग्राम पंचायत उमरपुर को पत्र जारी कर अनापत्ति चाही गई। कार्यालय सहायक यंत्री म. प्र.प.क्षे. वि.वि. कंपनी लिमिटेड जयसिंहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक /क. य/जयसिंहपुरा/कार्य/ 2023-24/33 दिनांक 12/04/2024 से अनापत्ति दी गई है। ग्राम पंचायत उमरपुर, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय उज्जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर से प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गया। वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल शाजापुर मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2023/2360 शाजापुर दिनांक 06/06/2023 के द्वारा आवेदित सर्वे नंबरो को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना लेख किया है। हल्का पटवारी आवेदित भूमि सर्वे नंबर 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त अनुसार गैर मुमकिन एवं वर्तमान खसरा अभिलेख में गैर मुमकिन पहाड मद दर्ज अभिलेख है। वर्तमान मौका अनुसार आवेदित सर्वे नंबर में पंचायत द्वारा छोटी-छोटी 11 तलाईयो का निमार्ण किया गया है। जिनमें बरसात में पानी रहता है। शेष मौसम में भूमि अनुपयोगी रहता है, उक्त भूमि से किसी प्रकार का होईटेंशन लाईन, श्मशान, कब्रस्तान आदि नही होना लेख किया है।पटवारी प्रतिवेदन संलग्न मिसल बंदोबस्त की नकल एवं वर्तमान खसरा अभिलेख अनुसार आवेदित सर्वे नंबर 568 रकबा 46.080 में से 33.470 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त एवं वर्तमान अभिलेख अनुसार गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि है। जिसमे पंचायत द्वारा छोटी-छोटी तलाईयो का निमार्ण किया गया है। जो वर्षाकाल के अतिरिक्त अन्य मौसम में अनुपयोगी है। भूमि के आवंटन से ग्राम के 2 प्रतिशत चरनोई हेतु आरक्षित रकबा प्रभावित नहीं होता है। अतः आवंटन किया जाना उचित है। प्रकरण में आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबे का ग्राम खजुरी चौपड़ा का कलेक्टर गाईड लाइन वर्ष 2024-25 के अनुसार सिंचित प्रति हेक्टेयर का मूल्य 12,00,000/- रूपये के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6- 101/2019/सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि मान से आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबा 33.470 हेक्टेयर भूमि के मूल्य का निर्धारण 6,42,62,400/- (छः करोड़, बयालिस लाख बासठ हजार चार सौ रूपये मात्र) होता है। नायब तहसीलदार झोंटा के द्वारा ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर आवेदक संस्था के आवेदन पर वन विभाग को वैकल्पिक

वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 10.02.2025 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 10.02.2025 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात-3 भोपाल दिनांक **05.01.2021** के अनुसार ग्राम खजुरी चौपडा तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 568 रकबा 46.080 हेक्टेयर में से 33.47 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 6,42,62,400/- (छः करोड़, बयालिस लाख बासठ हजार चार सौ रूपये मात्र)जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5/ नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नक्शा इस न्यायालय को भिजवायें।

10/2/25

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 92/अ-20(3)/2023-24

क्रमांक/रीडर/2025/ 88

आगर मालवा, दिनांक 10/02/2025

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौदा
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल करायें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें।

10/2/25

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:खेडा चौहान			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1471725911 81MRA8D8ZN2VH0	1362 (S)		3.0900 हेक्टेयर का0का0 3.0900 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0084/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 84/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 16 नवम्बर 2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम खेड़ा चौहान तहसील बडौद स्थित की कुल भूमि **9.910** हेक्टेयर भूमि में से **8.27** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरोली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम खेड़ा-चौहान की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1360	4.100	3.42
2	1361	2.720	1.76
3	1362	3.090	3.09
	कुल किता 3	**9.910** हेक्टेयर	**8.27** हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। प्रकरण में दिनांक 16/02/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु तथा सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मयं प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे. वि.वि.क. लिमि. बड़ौद द्वारा पत्र क्रमांक/क.पं/2024-25/6827 बडौद दिनांक 11.03.2024 से अवगत कराया कि ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 हे., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 हे., 1362 रकबा 3.090 हे. भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में विदयुत विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि.(भ/स) उपसंभाग आगर-मालवा द्वारा पत्र क्रमांक/96/तक/2023-24 आगर दिनांक 23.02.2024 से अवगत कराया कि ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है.,1361 रकबा 2.720 है. में से 1.76 हे., 1362 रकबा 3.090 हे. भूमि यदि शासकीय है. तो स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। वनपरिक्षेत्र अधिकारी ,वन परिक्षेत्र आगर मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/2024/633 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अवगत कराया कि ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 है. में से 3.42 है.,1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 हे.,1362 रकबा 3.090 है. भूमि को स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में वन विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। दो समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। ग्राम पंचायत खेडा नारेला द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक

5 दिनांक 16.09.2024 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 है. में से. 3.42 हे. 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है., 1362 रकबा 3.090 है. कुल किता 3 कुल रकबा 8.27 है भूमि का स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ती नहीं है। पंचायत का ठहराव प्रस्ताव प्रकरण में संलग्न किया गया है। प्रकरण में पटवारी ग्राम खेडा चौहान के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम खेडा चौहान की गोचर भूमि का रकबा 11.16 हे. है। ग्राम की शामिल जोत का कुल रकबा 318. 08 हे. है जिसका 2 प्रतिशत 6.36 हे. होता है, अतः उक्त भूमि आवंटन से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होगा। हल्का पटवारी खेडा चौहान द्वारा ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है. 1361 रकबा 2.720 हे., में से 1.76 हे.,1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 8.27 है. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम खेडा चौहान स्थित भूमि सर्वे क्रमाक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है. 1361 रकबा 2. 720 हे. में से 1.76 हे., 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल प्रस्तावित रकबा 8.27 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 अनुसार ग्राम खेडा चौहान की सिंचित भूमि 14,32,000 (अक्षरी चौदह लाख बत्तीस हजार) प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमाक एफ-6- 101/2019/सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 1,89,48,224/- अक्षरी एक करोड नवासी लाख अडतालीस हजार दो सौ चौबीस रूपये होता है। तहसीलदार द्वारा ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है., 1361 रकबा 2.720 हे में से 1.76 है., 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल प्रस्तावित रकबा 8.27 हे. भूमि को वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर- बड़ौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है. एवं 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 9.910 हे. मे से 8.27 हे. भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बड़ौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम खेडा चौहान तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1360 रकबा 4.100 हे. में से 3.42 है., 1361 रकबा 2.720 हे. में से 1.76 है.एवं 1362 रकबा 3.090 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 9.910 हे. मे से 8.27 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 . दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम खेडा चौहान तहसील बडौद स्थित कुल किता 3 कुल रकबा 9.910 हे. मे से 8.27 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर

राशि के मान से निर्धारण 1,89,48,224/- (एक करोड नवासी लाख अडतालीस हजार दो सौ चौबीस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5/ तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-Singh 16/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/५५० आगर मालवा, दिनांक 16/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-Singh 16/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836537 81QLJ5D8U4E7H0	1/1 (S)		25.9000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612077401 81QELLD8U44JH0	55/7 (S)		10.0000 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

			रु.0.00								

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836447 81QDGMD8U1GBH0	57/1 (S)		10.7200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:मारुबर्डिया			पटवारी हल्का:मारूबर्डिया			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836561 81QBZZD8U41NH0	75/1 (S)		5.2000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0094/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 22/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 94/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 11 नवम्बर 2024 को पारित)

-00-

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम मारूबर्डिया तहसील बडौद स्थित की कुल भूमि **87.09** हेक्टेयर भूमि में से **51.82** हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम मारूबर्डिया की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1	34.020	25.90
2	75	07.190	05.20
3	57	10.730	10.72
4	55	35.150	10.00
	कुल किता 4	**87.09** हेक्टेयर	**51.82** हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। प्रकरण में विधिवत विज्ञप्ति जारी की गई। कार्यलयीन पत्र क्रमांक/री/2024/137 मारूबर्डिया दिनांक 04.04.2024 से संबंधित विभाग को जत्र जारी कर आपत्ति/अनापत्ति हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग आगर मालवा द्वारा पत्र क्रमांक 103/तक./2024-25 आगर दिनांक 05.04.2024 , म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. जयसिंहपुरा का पत्र क्रमांक/कं.यं./जयसिंहपुरा/कार्य./2023-24/41 दिनांक 15.04.2024 ,अनुविभागीय अधिकारी (वन) परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक/2024/639 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया एवं संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं ग्राम पंचायत मारूबर्डिया द्वारा कोई आपत्ति/अनापत्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।प्रकरण में पटवारी ग्राम बीजानगरी जांच प्रतिवेदन लिया गया। जिसमें पटवारी ग्राम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे. कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हे. भूमि के संबंध में नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के प्रावधानों के तहत प्राप्त किया गया।सर्वे क्रमांक 1 जिसमें वर्तमान में उत्तर में ग्राम पंचायत मारूबर्डिया द्वारा वृक्षारोपण कर छोटी-छोटी गढढेनुमा डबरी खोदकर मौके पर कब्जा है एवं तालाब लगभग 1.60 हे. पर स्थित है।सर्वे क्रमांक 55 में तालाब लगभग 10.00 हे.

स्थित है तथा 0.40 हे. मे शमशान स्थित है व 0.21 हे. में आवास योजना, 1.00 हे. में शासकीय भवन हेतु 0.30 हे. में गौठान, 0.10 हे. में मृत मवेशियों का चमड़ा निकालने हेतु सुरक्षित है।ग्राम मारूबर्डिया का भौगोलिक क्षेत्रफल 673.75 हे. भूमि है। शामिल जोत का रकबा 475.09 हे. भूमि है। अलावा जोत का रकबा 9.54 हे. भूमि है। शामिल जोत के मान से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा 9.50 हे. बनता है। भूमि आवंटन से गौचर का रकबा प्रभावित नही होगा। उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। कुल प्रस्तावित रकबा 51.82 हे. भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम मारूबर्डिया की सिंचित भूमि 10,66,400/- (दस लाख छियासठ हजार चार सौ रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 08,84,17,356/- (आठ करोड़ चौरासी लाख सत्रह हजार तीन सौ छप्पन रूपये) होना लेख किया गया है। वन विभाग, आगर-मालवा मप्र शासन को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित होना प्रतिवेदित किया गया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे. कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हे. भूमि नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के प्रावधानों की कण्डिका 49 एवं 142 के तहत भूमि आंवटन किया जाना उचित होगा। नायब तहसीलदार ने प्रकरण अनुशंसा सहित उपखण्ड अधिकारी आगर- बड़ौद जि को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे. कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हे. भूमि को घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम मारूबर्डिया स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 34.02 हे. में से रकबा 25.90 हे., 55 रकबा 35.15 हे. में से 10.00 हे., 57 रकबा 10.72 हे., 75 रकबा 7.19 हे. में से रकबा 5.20 हे.

कुल किता 04 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग** को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021अनुसार ग्राम मारूबर्डिया तहसील् बडौद स्थित कुल किता 4 कुल रकबा 87.08 हे. में से 51.82 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 08,84,17,356/- (आठ करोड़ चौरासी लाख सत्रह हजार तीन सौ छप्पन रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5/ नायब तहसीलदार बीजानगरी , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि की प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-lin C 22/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/ 470 आगर मालवा, दिनांक 22 /11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल कराये तथा खसरा नकल तत्काल इस न्यायालय को भिजवायें।

R-lin C 22/11/24

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राविधि 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612077456	1938/1 (S)		3.7600 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492164235 81MQKQD8ZB6BH0	1939 (S)		2.0700 हेक्टेयर कदीम 2.0700 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492186983 81MQ75D8Z8TCH0	1940 (S)		1.6400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:नारेला			पटवारी हल्का:नारेला			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1492210585 81MPGKD8Z8Q0H0	1941 (S)		0.7400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0102/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 25/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 102/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 1 नवम्बर 2024 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित की कुल भूमि **34.970** हेक्टेयर भूमि में से **28.82** हेक्टेयर भूमि की मांग घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम नारेला की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1939	2.070	2.070
2	1941	0.740	0.740
3	1942	26.180	20.61
4	1938	4.340	3.76
5	1940	1.640	1.640
	कुल किता 5	34.970 हेक्टेयर	28.82 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं तहसीलदार से करवायी गयी। तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। नियत समयावधि में कोई आपत्ती प्राप्त नहीं। प्रकरण में दिनांक 16/02/2024 से अधीक्षण यंत्री म. प्र. विद्युत वितरण कंपनी बड़ौद, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग आगर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश उज्जैन म. प्र. को अभिमत हेतु सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत को ठहराव प्रस्ताव तथा हल्का पटवारी को मौका जांच मय प्रतिवेदन के पेश किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया। प्रकरण में कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बड़ौद द्वारा पत्र से अवगत कराया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे.,1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे., 1940 रकबा 1.640 हे. भूमि को वृक्षारोपण हेतु स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु अभिमत चाहा गया है। इस संबंध में अवगत कराया जाता है कि उपरोक्तानुसार भूमि आवंटन करने में विदयुत विभाग को आपत्ती है। उक्त परिसर पर 11 के. व्ही. के 5 नं. पी.सी.सी. पोल की लाईन गुजर रही है। जो पोल 11 के. व्ही. भीमाखेडी घरेलू फिडर के हैं। अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. (भ/स) उपसभाग आगर-मालवा द्वारा पत्र क्रमाक/93/तक/2023-24 आगर दिनांक 23.02.2024 से अवगत कराया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे., 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे., 1940 रकबा 1.640 हे. भूमि यदि शासकीय है, तो विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा द्वारा आज दिनांक तक अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्ठिका 48 (2) () यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यत पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा की उन्हें कोई आपत्ती नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र आगर-मालवा वनमंडल शाजापुर म.प्र. द्वारा पत्र क्रमांक/2024/634 आगर मालवा दिनांक 20.04.2024 से अवगत कराया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे., 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180

हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3. 76 हे. 1940 रकबा 1.640 हे. भूमि को स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने में वन विभाग को कोई आपत्ती नहीं है। ग्राम पंचायत खेड़ा नारेला द्वारा ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 7 दिनांक16.09.2024 प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 है., 1941 रकबा 0.740 हे. ,1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 है. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है., 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे भूमि को स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्रा.लि. के द्वारा वन विभाग को वृक्षारोपण हेतु आवटित किये जाने में ग्राम पचायत को कोई आपत्ती नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम नारेला के द्वारा रिपोर्ट (प्रारूप-5) में जानकारी की पूर्ति की गई। पटवारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम नारेला की गोचर भूमि का रकबा 39.28 हे. है। ग्राम की शामिल जोत का कुल रकबा 412.74 है. है जिसका 2 प्रतिशत 8.25 हे. होता है, अतः उक्त भूमि आवंटन से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा प्रभावित नहीं होता है। हल्का पटवारी नारेला द्वारा ग्राम नारेला तहसील बड़ौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे., 1941 रकबा 0.740 हे. 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे. 1940 रकबा 1.640 हे कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किया जाना उचित प्रतिवेदित किया है। प्रीमियम राशि गणना प्रपत्र अनुसार ग्राम नारेला स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 है. 1941 रकबा 0.740 है. 1942 रकबा 26.180 है. से 20.61 है. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है. 1940 हे.1.640 हे कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम नारेला में सिंचित भूमि 12,11,760 (अक्षरी बारह लाख ग्यारह हजार सात सौ साठ रूपये) प्रति हेक्टेयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के भाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 5,58,76,677/- अक्षरी (पांच करोड अडवान लाख छिहत्तर हजार छः सौ सतहत्तर रूपये) होता है। तहसीलदार बडौद द्वारा ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 है. 1941 रकबा 0.740 है. 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 है. 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 हे. 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु प्रतिवेदन उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1939 रकबा 2.070 हे. 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है. 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 34.970 हे. मे से 28.82 हेक्टेयर भूमि को घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्र. 1939 रकबा 2.070 हे. 1941 रकबा 0.740 हे., 1942 रकबा 26.180 हे. में से 20.61 हे., 1938 रकबा 4.340 हे. में से 3.76 है. 1940 रकबा 1.640 हे. कुल किता 5 कुल रकबा 28.82 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 अनुसार ग्राम नारेला तहसील बडौद स्थित कुल किता 5

कुल रकबा 34.970 हे. मे से 28.82 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 5,58,76,677/- (पांच करोड अडवान लाख छिहत्तर हजार छः सौ सतहत्तर रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।
5. सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे. वि. वि. कं. लिमि. बड़ौद द्वारा आवेदित भूमि पर पर 11 के. व्ही. के 5 नं. पी.सी.सी. पोल की लाईन गुजर रही है। जो पोल 11 के. व्ही. भीमाखेडी घरेलू फिडर के होने का उल्लेख किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर पूर्व से स्थापित विद्युत संरचना को नियमानुसार शिफ्टिंग किया जाना होगा तथा विद्युत विभाग से उक्त संबंध में अभिमत भी प्राप्त किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

तहसीलदार बडौद, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

25/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/474 आगर मालवा, दिनांक 25 /11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार बडौद, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

25/11/24

कलेक्टर
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:पाड़ल			पटवारी हल्का:कॉगनीखेडा			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1611836504 81LQDFD8SY3DH0	631/2 (S)		27.2100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0085/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 85/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 16 नवम्बर 2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 32.21 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है।

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। प्रकरण में कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 168 दिनांक 27/02/2024 से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया।कार्यालयीन पत्र एच आर नंबर 174 दिनांक 27/02/2024 के द्वारा संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, कनिष्ट यंत्री मध्यप्रदेश वि.वि कम्पनी जयसिंहपुरा, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर, हल्का पटवारी एवं संरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कांगनीखेड़ा को पत्र जारी कर अनापत्ति चाही गई। कार्यालय सहायक यंत्री म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड जयसिंहपुरा द्वारा पत्र क्रमांक/क.य./जयसिंहपुरा/कार्य./2023-24/31 दिनांक 12/04/2024 से अनापत्ति दी गई है।ग्राम पंचायत कांगनीखेड़ा द्वारा ठहराव प्रस्ताव के साथ पत्र प्रेषित कर आवेदित सर्वे नंबर 631 रकबा 39.160 हे. मे गौशाला निर्मित होने के कारण भूमि के आवंटन में आपत्ति दर्ज कराई गई है एवं भूमि आवंटन नही किये जाने का लेख किया है। संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय उज्जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग आगर से प्रकरण में प्रतिवेदन दिनांक तक कोई अभिमत प्रस्तुत नहीं किया गयाकार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल शाजापुर मध्यप्रदेश के द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/2360 शाजापुर दिनांक 06/06/2023 के द्वारा आवेदित सर्वे नंबरो को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना लेख किया है। पटवारी पाडल द्वारा प्रतिवेदन में लेख किया है कि ग्राम पाडल स्थित भूमि आवेदित सर्वे नंबर 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त अनुसार नाकाबिल कास्त मद एवं वर्तमान खसरा अभिलेख में काबिल कास्त पहाड़ मद दर्ज अभिलेख है। वर्तमान मौका अनुसार आवेदित सर्वे नंबर मे गौशाला निर्मित है, जिसमें 70- 75 गौवंश रहते है और चरते है। मौका पंचनामा अनुसार ग्रामिणो द्वारा उक्त सर्वे नंबर गौवंश के चरने हेतु सुरक्षित रखने तथा भूमि आवंटन से असहमति दर्ज कराई है। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन प्रारूप 5 में भूमि पर किसी प्रकार की जल संरचना हाइटेंशन लाईट, श्मशान, कब्रस्तान नही होना लेख किया है। धार्मिक स्थान के रूप में गौशाला के नजदीक हनुमान मंदिर निर्माणाधिन होना बताया है तथा ग्राम मे चरनोई का कुल रकबा 49.940 हेक्टेयर आरक्षित होना लेख किया है।पटवारी प्रतिवेदन संलग्न मिसल बंदोबस्त की नकल एवं वर्तमान खसरा अभिलेख अनुसार आवेदित सर्वे नंबर 631 रकबा 39.160 में से 32.210 हेक्टेयर मिसल बंदोबस्त अनुसार नाकाबिल कास्त मद में तथा वर्तमान खसरा अभिलेख में काबिल कास्त व पहाड मद मे दर्ज है। जिसके आवंटन से ग्राम के चरनोई हेतु आरक्षित रकबा प्रभावित नही होता है।ग्राम पंचायत एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन अनुसार सर्वे नंबर 631 में आवंटन हेतु आवेदित रकबा 32.210 हेक्टेयर के अंदर दक्षिण पश्चिम भाग पर गोशाला निर्मित है। जिसके आवंटन होने से निर्मित गोशाला एवं उसमे निवासरत पशुधन के चराई की समस्या होने की संभावना है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए एवं आवेदित सर्वे नंबर चरनोई मद का नहीं होने के कारण आवेदित रकबा में से 5.000 हेक्टेयर घटाकर निर्मित गोशाला तथा पशुओ की चराई हेतु सुरक्षित रखते हुए शेष रकबा 27.210 हेक्टेयर का आवंटन किया जाना

प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम में 49.94 हेक्टेयर भूमि चरनोई हेतु आरक्षित है।आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबे का ग्राम पाडल का कलेक्टर गाईड लाइन वर्ष 2024-25 के अनुसार सिंचित प्रति हेक्टेयर का मूल्य 9,69,600/- रूपये के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि मान से आवंटन हेतु प्रस्तावित रकबा 27.210 हेक्टेयर भूमि के मूल्य का निर्धारण 4,22, 12,506/- (चार करोड़, बाईस लाख बारह हजार पांच सौ छः रूपये मात्र) होता है। नायब तहसीलदार झोंटा द्वारा ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि आवेदन के परिपेक्ष में वन विभाग को आवंटित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत कांगनीखेडा तहसील बडौद द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08.06.2024 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का निर्णय लिया गया है। नायब तहसीलदार झोंटा द्वारा ग्राम पंचायत की आपत्ति के निराकरण के संबंध में आवेदित रकबा से 5.00 हेक्टेयर घटाकर निर्मित गौशाला तथा पशुओं की चराई हेतु सुरक्षित रखी है। अत: ग्राम पंचायत द्वारा ली गयी आपत्ति निराधार होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 07.10.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम पाडल तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 631 रकबा 39.160 हेक्टेयर में से 27.210 हेक्टेयर भूमि पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण 4,22, 12,506/- (चार करोड़, बाईस लाख बारह हजार पांच सौ छः रूपये मात्र) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है:-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आवंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

6/ नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2024/438 आगर मालवा, दिनांक 16/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौदा
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार झोंटा, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा(म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाइ संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612845112 81HNJCD94DGEH0	383/1 (S)		0.1800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612845134 81HNUCD94FBCH0	383/3 (S)		4.1700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाइ संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613009035 81HMM7D94D4TH0	384/1 (S)		1.9800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613009079 81HLTAD94D7CH0	384/5 (S)		1.2100 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612845189 81HZ2DD94D6NH0	394/2 (S)		0.1300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612845156 81HPA4D94C6CH0	401/2 (S)		1.3000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613756092 81HRG1D94GHLH0	499/1/2 (S)		16.5800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612845101 81HRTTD94J8QH0	1131/2 (S)		2.2500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:सनावदा			पटवारी हल्का:सनावदा			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613009092 81HS2TD94LDJH0	1132/2 (S)		5.1000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0098/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 16/11/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 98/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 18 नवम्बर 2024 को पारित)

-00-

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16/01/2024 प्रस्तुत कर ग्राम सनावदा तहसील आगर मालवा स्थित की कुल भूमि 39.810हेक्टेयर भूमि में से 33.81 हेक्टेयर भूमि की मांग घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम सनावदा की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	392	0.600	0.53
2	1132	6.800	5.10
3	394	0.320	0.13
4	401	1.990	1.30
5	384	3.910	3.19
6	1131	2.320	2.25
7	383	5.500	4.35
8	499/1	16.880	16.58
9	393	1.490	0.38
	कुल किता 9	**39.810 हेक्टेयर**	**33.81 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बड़ौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार कानड ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में आर पंजी जावक क्रमांक 177 दिनांक 15.02.2024 को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । कार्यालय अधीक्षण यंत्री (संचा/ संघा) म०प्र०प०क्षे०वि०वि० क० लि० आगर वृत्त ,कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) सभाग आगर मालवा , वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र आगर की ओर से अभिमत प्राप्त जिसमें अनापत्ति प्रस्तुत की गयी। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन तथा ग्राम पंचायत सनावदा को पत्र लिखा गया था. किन्तु अभिमत अप्राप्त है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वतन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियो से सानान्यतः 15 दिवस की अवधि में अभिनत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा की उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागो को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में पटवारी ग्राम सनावदा तहसील आगर जिला आगर मालवा द्वारा (प्रारूप 5) में जाच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि मिसल बंदोबस्त के अनुसार ग्राम सनावदा में भूमि सर्वे क्रमांक 392 रकबा 0.60 हे. गोठान, 1132 रकबा 6.80 गोचर हेतु 394 रकबा 0.32 गोचर, 401 रकबा 1.99 पहाड, 384 रकबा 3.91 हे. का.का., 1131 रकबा 2.32 है. पहाड, 383 रकबा 5.50 हे.गोचर 499 रकबा 20.88 गोचर 393 रकबा 1:49 है. गोठान के रूप में दर्ज है। वर्तमान कम्प्यूटर रिकार्ड 2024-25 ग्राम सनावदा में भूमि सर्वे क्रमांक 392 रकबा 0.60 हे. गोठान 1132 रकबा 6.80 चरागाह 394 रकबा 0.32 गोचर 401 रकबा 1.99 पहाड, 384 रकबा 3.91 हे. काका, 1131 रकबा 2.32 हे. पहाड 383 रकबा 5.50 हे. गोचर 499/1 रकबा 16.88 गैर मुमकिन चरनोई, 393 रकबा 1.49 गोठान के रूप में दर्ज है। पटवारी द्वारा प्रतिवेदन में उल्लेख किया कि भूमि सर्वे नं. 392 एवं 393 निस्तार (गोठान) भूमि होने से आवंटन योग्य नहीं है।

कुल आवेदित भूमि 33.81हे. में से 32.90 है. भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त है तथा उक्त आवंटन उपरांत ग्राम की 2 प्रतिशत चरनोई भूमि प्रभावित नहीं होगी। कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम सनावदा की सिंचित भूमि 12,48,000 /- बारह लाख अडतालीस हजार रूपये प्रति हे. के मान से है, आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे क्रमांक 1132 रकबा 6.800 हे. मेसे 5.10. 394 रकबा 0.320 रकबा 0.13, 401 रकबा 1.990 हे. मेसे 1.30. 384 रकबा 3.910 मेसे 3.19 1131 रकबा 2.320 मेसे 2.25 383 रकवा 5.500 मेसे 4.35, 499/1 रकबा 16.880 मेसे 16.58. कुल किता 07 कुल रकबा 32.90 भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 6,56,94,720/- (छःकरोड छप्पन लाख चौरानवे हजार सात सी बीस रूपये) होता है। नायब तहसीलदार कानड के द्वारा ग्राम सनावदा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1132 रकबा 6.800 हे. मेसे 5.10 चारागाह, 394 रकबा 0.320 रकवा 0.13 गोचर, 401 रकबा 1.990 हे. में से 1.30 पहाड, 384 रकबा 3. 910 में से 3.19 का.का., 1131 रकवा 2.320 में से 2.25 पहाड, 383 रकबा 5.500 में से 4.35 गोचर, 499/1 रकबा 16.880 में से 16.58 गै॰मु॰चरनोई, कुल किता 07 कुल प्रस्तावित रकबा 32.90 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी आगर- बड़ौद जिला आगर मालवा को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम सनावदा तहसील आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1132 रकबा 6.800 हे. में से 5.10 चारागाह, 394 रकबा 0.320 रकवा 0.13 गोचर, 401 रकबा 1.990 हे. में से 1.30 पहाड, 384 रकबा 3. 910 में से 3.19 का.का., 1131 रकवा 2.320 में से 2.25 पहाड, 383 रकबा 5.500 में से 4.35 गोचर, 499/1 रकबा 16.880 मे से 16.58 गै॰मु॰चरनोई, कुल किता 07 कुल प्रस्तावित रकबा 32.90 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 04.11.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम सनावदा तहसील आगर मालवा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1132 रकबा 6.800 हे. में से 5.10 चारागाह, 394 रकबा 0.320 रकवा 0.13 गोचर, 401 रकबा 1.990 हे. में से 1.30 पहाड, 384 रकबा 3. 910 में से 3.19 का.का., 1131 रकवा 2.320 में से 2.25 पहाड, 383 रकबा 5.500 में से 4.35 गोचर, 499/1 रकबा 16.880 में से 16.58 गै॰मु॰चरनोई, कुल किता 07 कुल प्रस्तावित रकबा 32.90 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021के अनुसार ग्राम सनावदा तहसील आगर मालवा स्थित कुल किता 07 कुल प्रस्तावित रकबा 32.90 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 6,56,94,720/- (छःकरोड छप्पन लाख चौरानवे हजार सात सी बीस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।
5. आवेदित भूमि पर अगर कोई विद्युत संरचना स्थापित है तो किसी भी निर्माण से पूर्व विद्युत विभाग से अभिमत प्राप्त करना होगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5/ नायब तहसीलदार कानड, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/रीडर/2024/441 आगर मालवा, दिनांक 16/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी वनमंडल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौदा
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

16/11/24

कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1342379902 81LQ9VD94TLTH0	467 (S)		4.4400 हेक्टेयर बर्डी 4.4400 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612324102 81LN3ND94Z7JH0	644/1 (S)		0.5700 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612324124 81LN5HD94N2CH0	644/3 (S)		5.7000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612324157 81LNBMD94R9DH0	647/1/2 (S)		10.1200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्र. 0076/अ-6(अ)/2024-25, आदेश दि. 30/07/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित | न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1391908228 81LKSKD94UZSH0	648 (S)		4.6000 हेक्टेयर बर्डी 4.6000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी परिस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1612324179 81LLH4D94RC9H0	652/2 (S)		7.8400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1610830067 81LYY3D94VCJH0	653/2 (S)		0.6500 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:शिवगड़			पटवारी हल्का:शिवगढ़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1393195004 81LHJ4D94VQKH0	654 (S)		1.7500 हेक्टेयर बर्डी 1.7500 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0125/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 30/12/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

//न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 125/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 30/12/2024 को पारित)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित की कुल किता 7 कुल भूमि 52.3700 हेक्टेयर भूमि में से 43.00 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित हेक्टेयर वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। ग्राम शिवगढ की आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	652	14.350	10.17
2	653	5.650	5.650
3	644	8.960	6.270
4	648	4.600	4.600
5	467	4.440	4.440
6	654	1.750	1.750
7	647	12.620	10.120
	कुल किता 7	**52.3700 हेक्टेयर**	**43.00 हेक्टेयर**

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में एच आर पंजी जावक क्रमांक **1006-1008** दिनांक **04. 09.2024** को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। दो समाचार (दैनिक भास्कर, नईदुनिया) पत्रो में विज्ञप्ति का प्रकाशित की गई है। प्रकरण में जावक पंजी क्रमांक **835-841** कानड दिनांक **04.09.2024** से कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन ,कार्यालय अधीक्षण यंत्री संचा/संधा) म०प्र०प०क्ष०वि०वि० कं० लिमि० आगर वृत्त , कार्यपालन यंत्री लो०नि०वि० (भ/प) संभाग आगर मालवा को अभिमत हेतु लिखा गया था किन्तु उनका अभिमत अप्राप्त है। प्रकरण में उक्त विभागों को पत्र जारी करने के उपरांत भी उक्त विभागों द्वारा अभिमत प्रदान नहीं किया गया है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वतन निर्देश **2020** की कण्डिका **48(2)** (झ) के अनुसार निर्धारित समयावधि में अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा की उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अतः कण्डिका अनुसार उक्त विभागो को कोई आपत्ति नहीं है।प्रकरण में जावक पंजी क्रमांक **835-841** कानड दिनांक **04.09. 2024** से ग्राम पंचायत शिवगढ को पत्र लिखा गया था, आपत्ति प्राप्त हुई जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम शिवगढ में गायों के लिये दो शासकीय गोशाला संचालित है जिसमे लगभग **300** एवं ग्राम में भी लगभग **200** पशुओं कृषकों के पास है। ग्रामों की गाय भी शिवगढ़ की भूमि पर चरने आती है। अतः ग्राम शिवगढ की भूमि आवंटित नहीं की जावे ।पटवारी ग्राम शिवगढ़ तहसील आगर जिला आगर मालवा के द्वारा (प्रारूप -5) में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम शिवगढ़ के सर्वे क्रमांक **652** रकबा **14.35** में से **10.17** हे., **653** रकबा **5.65** हे. , **644** रकबा **8.96** में से **6.27** हे., **648** रकबा **4.60** हे., **467** रकबा **4.44** हे., **654** रकबा **1.75** हे., **647** रकबा **12.62** में से **10.12** हेक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा **52.37** हे. में से **43.00** हेक्टयर भूमि का आवंटन चाहा गया है. जिसके संबंध में मेरे द्वारा मौका जांच कर पूर्व में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो बंदोबस्त वर्ष **1995-96** के आधार पर तैयार किया गया था। वर्ष **2012-13** में अंतिम हस्तलिखित खसरे अनुसार प्रतिवेदन चाहा गया है जो कि निम्नानुसार है, ग्राम में खाते की भूमि का कुल रकबा **301. 97** हेक्टयर है जिसका **2%** चरनोई का रकबा

6.03 हेक्टयर होता है। ग्राम में कुल चरनोई भूमि 8.68 हेक्टयर है जिसमें से आवेदक को 2.17 हेक्टयर भूमि प्रदाय करने से ग्राम मे चरनोई की भूमि 6.51 हेक्टयर बचेगी जो कि 2 चरनोई के रकबे से अधिक है। आवेदित भूमि पर मौका जांच के दौरान उपस्थित ग्रामवासियो एवं ग्राम पंचायत शिवगढ़ द्वारा भूमि आवंटन किए जाने पर मौखिक आपत्ति दर्ज कराई थी । आपत्ति के संबंध में में ग्राम पंचायत सरपंच एव सचिव द्वारा नायब तहसीलदार कानड के समक्ष में उपस्थित हुए तथा आपत्ति की सुनवाई उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार सर्वे क्रमांको से गौचर हेतु भूमि का आवंटन चाहा गया है।

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	वन विभाग को आवंटित किये जाने योग्य रकबा (हेक्टेयर में)	ग्राम पंचायत द्वारा गोचर हेतु सुरक्षित रखा जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)	अन्य
1	652	14.350	7.84	6.51	गोचर हेतु
2	653	5.650	0.65	5.00	गोचर हेतु
3	644	8.960	6.27	2.00	खेल मैदान हेतु
4	648	4.600	4.60	--	--
5	467	4.440	4.44	--	--
6	654	1.750	1.75	--	--
7	647	12.620	10.12	--	--
	कुल किता 7	52.37	35.67	13.51	

इस प्रकार ग्राम पंचायत शिवगढ द्वारा आवंटन किए जाने वाली भूमि में से 13.51 हेक्टेयर भूमि ग्राम उपयोग हेतु रखे जाने का निवेदन किया है तथा ग्राम की 35.67 हे. भूमि को आवेदित संस्था के आवेदन पर वन विभाग को भूमि आवंटन करने में कोई आपत्ति नहीं होना उल्लेख किया है। आवेदक द्वारा पटवारी को समक्ष में दिए गए **Cadastral map** में **Proposed** क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी अतिक्रमण नहीं है। सर्वे क्रमांक 647 में दो शासकीय पट्टेदार (1) भंवरबाई पति अमरा जाति चमार निग्रा शिवगढ (2) मोहन, उमराव पिता नारायण एवं रेखाबाई पति मोहन जाति चमार निग्रा शिवगढ प्रत्येक 0.50 हेक्टयर पर काबिज है जिसे **Cadastral map** में **Proposed** क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। सर्वे क्रमांक 644 में दक्षिण दिशा की ओर महेश पिता रामविलास जाति ब्राहम्ण रकबा 0.40 हेक्टयर, फारुख पिता इमाम रकबा 1.00 हेक्टयर, आजाद पिता अब्बास खां व मुमताज पिता बेली खां रकबा 0.20 द्वारा अतिक्रमण किया गया है। साथ ही पूर्व दिशा में बालु पिता मांगु जाति चमार, रमेश पिता सिद्ध जाति चमार द्वारा 0.40 हेक्टयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है एवं सर्वे क्रमांक 647 के पश्चिम मेड पर विक्रम पिता कालू द्वारा 0.20 हेक्टयर भूमि पर अतिक्रमण किया है। हांलाकि **Cadastral map** में उक्त समस्त अतिक्रमित क्षेत्रो **Proposed** क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। पटवारी के द्वारा प्रारूप-5 में रिपोर्ट, प्रिमियम राशि का गणना पत्रक सलग्न किये गये जिसमें कलेक्टर महोदय की गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम शिवगढ की सिंचित भूमि 15,22,600/- (पंद्रह लाख बाईस हजार छः सौ रूपये) प्रति हेक्टयर के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से 8,68,97,827/- (आठ करोड अडसठ लाख सन्तानवे हजार आठ सौ सत्ताईस रूपये) होता है। नायब तहसीलदार कानड द्वारा पटवारी ग्राम शिवगढ तहसील आगर की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 652 रकबा 14.35 में से 7.84 हे., 653 रकबा 5.65 में से 0.65 हे. , 644 रकबा 8.96 में से 6.27 हे., 648 रकबा 4.60 हे., 467 रकबा 4.44

हे., 654 रकबा 1.75, 647 रकबा 12.62 में से 10.12 हे. कुल किता 7 कुल रकबा 52.37 हे. में से 35.67 हेक्टेयर राजस्व भूमि विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार कानड के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.12.2024 . को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 652 रकबा 14.35 में से 7.84 हे., 653 रकबा 5.65 में से 0.65 हे. , 644 रकबा 8.96 में से 6.27 हे., 648 रकबा 4.60 हे., 467 रकबा 4.44 हे., 654 रकबा 1.75, 647 रकबा 12.62 में से 10.12 हे. कुल किता 7 कुल रकबा 52.37 हे. में से 35.67 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 09.12.2024 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 652 रकबा 14.35 में से 7.84 हे., 653 रकबा 5.65 में से 0.65 हे. , 644 रकबा 8.96 में से 6.27 हे., 648 रकबा 4.60 हे., 467 रकबा 4.44 हे., 654 रकबा 1.75, 647 रकबा 12.62 में से 10.12 हे. कुल किता 7 कुल रकबा 52.37 हे. में से 35.67 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-101/2019/सात-3 दिनांक 05.01.2021 के अनुसार ग्राम शिवगढ तहसील आगर स्थित कुल किता 7 कुल रकबा **52.37** हे. में से 35.67 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण निर्धारण **8,68,97,827/-** (आठ करोड अडसठ लाख सन्तानवे हजार आठ सौ सत्ताईस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेंगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेंगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होंगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेंगा।

5/ नायब तहसीलदार कानड , की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवावें।

30/12/24

(राघवेन्द्र सिंह)

कलेक्टर

जिला आगर-मालवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 125/अ-20(3)/2023-24

क्रमांक/रीडर/2024/524

आगर मालवा, दिनांक 30/12/2024

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बड़ौदा
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड , की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

कलेक्टर
जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
जिला आगर मालवा म.प्र

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615270241 81R43GD8U1ANH0	1/3 (S)		13.6800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615270173 81R0GND8TVKMH0	133/1/3 (S)		8.9400 हेक्टेयर	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।
			रु.0.00								ब.न. 3 केआ.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615270296 81R15VD8U0L6H0	133/2/1 (S)		1.3000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1160479642 81QSZUD8TUHGH0	149 (S)		3.5000 हेक्टेयर गे.मु.बर्डी 3.5000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ब.न. 35 के आ .

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1163998089 81QRDQD8TUMAH0	153 (S)		6.7500 हेक्टेयर गे.मु,बर्डी 6.7500 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ब.न. 35 के आ.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1257788924 81QS9GD8U1A4H0	282/1 (S)		2.1200 हेक्टेयर चरोखर 2.1200 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1258384623 81QPSHD8U0U8H0	283 (S) ब		4.1000 हेक्टेयर गे.मु.बर्डी 4.1000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ब.न. 35 मे आ.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष:-2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615270195 81QP50D8U284H0	287/2 (S)		2.2400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ब.न. 35 के आ.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261334531 81QZ17D8U24LH0	288 (S)		1.7500 हेक्टेयर गे,मु,बर्डी 1.7500 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ब.न. 35 के आ.

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261923783 81QZ0ED8U0NJH0	289 (S)		4.1000 हेक्टेयर गे,मु,बर्डी 4.1000 रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ब.न. 35

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615270263 81QQ0VD8U3M2H0	291/1 (S)		3.0800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:गंगापुर			पटवारी हल्का:गंगापुर			तहसील:बड़ौद			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615270149 81QP6YD8U4QBH0	292/2 (S)		4.6900 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0160/ अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । ब.न. 35

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 160/अ-20(3)/2024-25

आदेश

(दिनांक 7 मार्च 2025 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम गंगापुर तहसील बडौद स्थित कुल किता 22 कुल रकबा 111.910 हेक्टेयर भूमि की मांग धिंरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	41	2.7100	2.7100
2	113	1.06	1.06
3	149	3.500	3.500
4	287	3.17	3.17
5	292	10.25	10.25
6	40	6.100	6.100
7	111	1.1200	1.1200
8	133/2	2.00	2.00
9	283	4.100	4.100
10	291	5.4300	5.4300
11	1	17.45	17.45
12	42	1.35	1.35
13	130	10.00	10.00
14	152	0.59	0.59
15	288	1.75	1.75
16	444	1.77	1.77
17	9	5.800	5.800
18	43	3.500	3.500
19	133/1	15.07	15.07
20	282/1	2.1200	2.1200
21	289	4.100	4.100
22	445	8.9700	8.9700
	कुल किता 22	111.91 हेक्टेयर	111.91 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र कमांककमांक 27/तक/2024-25 आगर दिनांक 24.01.2024 एवं म.प्र. प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि जयसिंहपुरा से अनापत्ति प्राप्त हुई जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अनुविभागीय अधिकारी वन परिक्षेत्र आगर मालवा वन मंडल शाजापुर द्वारा पत्र क्रमांक **NOC/2024/709** आगर मालवा दिनांक 18.02.2025

द्वारा आवेदित भूमि उपयुक्त बतलाई गयी है। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति /अनापत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। पटवारी ग्राम गंगापुर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम की मिसल में निस्तार चरनोई का कुल रकबा 261.56 है दर्ज है। आवेदित भूमि यदि आवंटित की जाती है तो चरनोई का शेष कुल रकबा 119.02 हे. है तथा शामिल जोत के रकबे का 2 प्रतिशत 25.21 हे. होता है तथा वर्तमान मे चरनोई का कुल रकबा 229.87 हे. है यदि आवेदित भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित की जाती है तो ग्राम की चरनोई भूमि की शामिल जोत का 2 प्रतिशत रकबा प्रभावित नही होता है। अतिक्रमण की स्थिति लगभग 22.87 हे.पर है। वर्तमान मे यदि भूमि आवंटित कि जाती है तो चरनोई भूमि का कुल रकवा 119.02 है. शेष रह जाता है जो कि शामिल जोत के रकबे के 2 प्रतिशत् (25.21 हे.) से अधिक होना प्रतिवेदित किया गया है। भूमि का कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम गंगापुर की सिंचित भूमि 14,43,000/- (चौदह लाख तिरयालिस हजार रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 21,28,71,360/- (ईक्कीस करोड़ अट्ठाईस लाख इकत्तर हजार तीन सौ साठ रूपये) होना लेख किया गया है। ग्राम गंगापुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1 रकबा 17.45 हे. में से 13.68, सर्वे क्रमांक 9 रकबा 5.80 हे. में से 3.66, सर्वे क्रमांक 40 रकबा 6.10 हे., सर्वे क्रमांक 41 रकबा 2.71 हे., सर्वे क्रमांक 42 रकबा 1.35 हे. में से 0.66, सर्वे क्रमांक 43 रकबा 3.50 हे. में से 0.55, सर्वे क्रमांक 111 रकबा 1.12 हे में से 0.56, सर्वे क्रमांक 113 रकबा 1.06 हे. में से 0.64, सर्वे क्रमांक 130 रकबा 10.00 हे. में से 9.10, सर्वे क्रमांक 133/1 रकबा 15.07 है. में से 8.94, सर्वे क्रमांक 133/2 रकबा 2.00 हे. में से 1.30, सर्वे क्रमांक 149 रकबा 3.50 हे. सर्वे क्रमांक 153 रक़बा 6.75 हे, सर्वे क्रमांक 282/1 रकबा 2.12 हे., सर्वे क्रमांक 283 रकबा 4.10 हे., सर्वे क्रमांक 287 रकबा 3.17 हे में से 2.24, सर्वे क्रमांक 288 रकबा 1.75 हे. सर्वे क्रमांक 289 रकबा 4.10 हे., सर्वे क्रमांक 291 रकबा 5.43 है. में से 3.08, सर्वे क्रमांक 292 रकबा 10.25 हे. में से 9.60, सर्वे क्रमांक 444 रकबा 1.77 हे. में से 1.14, सर्वे क्रमांक 445 रकबा 8.97 हे. में से 5.92 हे. कुल किता 22 कुल रकवा 111.91 हे. में से कुल प्रस्तावित रकबा 92.20 हेक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित की गयी है। नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम गंगापुर तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे कमांक 1 रकबा 17.45 हे. में से 13.68, सर्वे क्रमांक 9 रकबा 5.80 हे. में से 3.66, सर्वे क्रमांक 40 रकबा 6.10 हे., सर्वे क्रमांक 41 रकबा 2.71 हे., सर्वे क्रमांक 42 रकबा 1.35 हे. में से 0.66, सर्वे क्रमांक 43 रकबा 3.50 हे. में से 0.55, सर्वे क्रमांक 111 रकबा 1.12 हे में से 0.56, सर्वे क्रमांक 113 रकबा 1.06 हे. में से 0.64, सर्वे क्रमांक 130 रकबा 10.00 हे. में से 9.10, सर्वे क्रमांक 133/1 रकबा 15.07 है. में से 8.94, सर्वे क्रमांक 133/2 रकबा 2.00 हे. में से 1.30, सर्वे क्रमांक 149 रकबा 3.50 हे. सर्वे क्रमांक 153 रक़बा 6.75 हे, सर्वे क्रमांक 282/1 रकबा 2.12 हे., सर्वे क्रमांक 283 रकबा 4.10 हे., सर्वे क्रमांक 287 रकबा 3.17 हे में से 2.24, सर्वे क्रमांक 288 रकबा 1.75 हे. सर्वे क्रमांक 289 रकबा 4.10 हे., सर्वे क्रमांक 291 रकबा 5.43 है. में से 3.08, सर्वे क्रमांक 292 रकबा 10.25 हे. में से 9.60, सर्वे क्रमांक 444 रकबा 1.77 हे. में से 1.14, सर्वे क्रमांक 445 रकबा 8.97 हे. में से 5.92 हे. कुल किता 22 कुल रकवा 111.91 हे. में से 92.20 हेक्टेयर भूमि आवेदक संस्था के आवेदन पर वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ प्राधिकृत अधिकारी, स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक 29/एम.ई.एल./2025 दिनांक 03.03.2025 प्रस्तुत कर उनके द्वारा ग्राम गंगापुर तहसील बडौद में आवेदित रकबा 111.91 हेक्टेयर भूमि में से 56.25 हेक्टेयर से ही वन भूमि की पूर्ति होना उल्लेखित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1	17.45	13.68
2	133/1	15.07	8.94
3	133/2	2.00	1.30
4	149	3.50	3.50
5	153	6.75	6.75
6	282/1	2.12	2.12
7	283	4.10	4.10
8	289	4.10	4.10
9	287	3.17	2.24
10	288	1.75	1.75
11	291	5.43	3.08
12	292	10.25	4.69
	कुल किता 12	**77.69 हेक्टेयर**	**56.25 हेक्टेयर**

उपरोक्त तालिका में प्राधिकृत अधिकारी, स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम गंगापुर के कुल किता 12 कुल रकबा 77.69 हेक्टेयर में से 56.25 हेक्टेयर भूमि से वन भूमि की पूर्ति होना उल्लेखित किया गया है।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 03.03.2025 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।जिसके द्वारा ग्राम गंगापुर तहसील बडौद कुल किता 22 कुल रकबा 111.91 हे. में से 92.20 हेक्टेयर भूमि आवंटित हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्राधिकृत अधिकारी, स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक 29/एम.ई.एल./2025 दिनांक 03.03.2025 प्रस्तुत कर उनके द्वारा ग्राम गंगापुर तहसील बडौद में आवेदित रकबा 111.91 हेक्टेयर भूमि में से 56.25 हेक्टेयर से ही वन भूमि की पूर्ति होना उल्लेखित किया गया। अत: समिति द्वारा प्रकरण के अवलोकन उपरांत ग्राम गंगापुर तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 17.45 हेक्टेयर में से 13.68 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 133/1 रकबा 15.07 रकबा 8.94 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 133/2 रकबा 2.00 हेक्टेयर में से 1.30 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 149 रकबा 3.50 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 153 रकबा 6.75 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 282/1 रकबा 2.12 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 283 रकबा 4.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 289 रकबा 4.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 287 रकबा 3.17 हेक्टेयर में से 2.24 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 288 रकबा 1.75 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 291 रकबा 5.43 हेक्टेयर 3.08 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 292 रकबा 10.25 हेक्टेयर में से 4.69 हेक्टेयर भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 77.69 हेक्टेयर में से 56.25 हेक्टेयर भूमि को धिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम गंगापुर की सिंचित भूमि 14,43,000/- (चौदह लाख तिरयालिस हजार रूपये) प्रति हे. के मान से दी जा रही भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019/सात-3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण **12,98,70,000/-** (बारह करोड़ अठायनवे लाख सत्तर हजार रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत गंगापुर द्वारा दिनांक 27.01.2025 को आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमे उल्लेखित किया गया कि ग्राम गंगापुर(नीचे का खेडा) में गौशाला निर्मित है गौशाला में लगभग 150 गाये व ग्राम गंगापुर (उपर का खेडा) में लगभग 500 गाये है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति पेश कर भूमि आवंटित नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी, स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक 29/एम.ई.एल./2025 दिनांक 03.03.2025 प्रस्तुत कर उनके द्वारा ग्राम गंगापुर तहसील बडौद में आवेदित रकबा 111.91 हेक्टेयर भूमि में से 56.25 हेक्टेयर से ही वन भूमि की पूर्ति होने से तथा ग्राम का 2 प्रतिशत चरनोई रकबा प्रभावित नहीं होने से ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आवेदन निरस्त किया जाता है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 03.03.2025 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम गंगापुर तहसील बडौद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1 रकबा 17.45 हेक्टेयर में से 13.68 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 133/1 रकबा 15.07 रकबा 8.94 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 133/2 रकबा 2.00 हेक्टेयर में से 1.30 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 149 रकबा 3.50 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 153 रकबा 6.75 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 282/1 रकबा 2.12 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 283 रकबा 4.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 289 रकबा 4.10 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 287 रकबा 3.17 हेक्टेयर में से 2.24 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 288 रकबा 1.75 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 291 रकबा 5.43 हे. में से 3.08 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 292 रकबा 10.25 हेक्टेयर में से 4.69 हेक्टेयर भूमि कुल किता 12 कुल रकबा 77.69 हेक्टेयर में से 56.25 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजन हेतु वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात-3 भोपाल दिनांक **05.01.2021** के अनुसार ग्राम गंगापुर तहसील बडौद स्थित कुल किता 12 कुल रकबा 77.69 हेक्टेयर में से 56.25 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण **12,98,70,000/-** (बारह करोड़ अठायनवे लाख सत्तर हजार रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तो के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी ।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा ।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5/ नायब तहसीलदार बीजानगरी, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें ।

17/3/25

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 160/अ-20(3)/2024-25

क्रमांक/रीडर/2025/258

आगर मालवा, दिनांक 17/3/2025

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौद।
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बीजानगरी , की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवायें।

17/3/25

कलेक्टर
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला आगर मालवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 88/अ-20(3)/2023-24

आदेश

(दिनांक 17 मार्च 2025 को पारित)

--00--

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरसीएमएस पोर्टल पर आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 04.01.2024 को प्रस्तुत कर ग्राम रायपुरिया तहसील आगर स्थित कुल किता 6 कुल रकबा 93.210 हेक्टेयर भूमि की मांग धिरौली कोल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु की गयी है। आवेदित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)	आवेदित रकबा (हेक्टेयर में)
1	105	11.820	5.22
2	128	22.270	18.89
3	137	1.250	0.56
4	130	6.500	4.05
5	78	49.280	44.28
6	129	2.090	1.96
	कुल किता 6	111.21 हेक्टेयर	74.96 हेक्टेयर

2/ आनलाईन प्राप्त आवेदन की जांच उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार से करवायी गयी। नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया कि प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया दो समाचार पत्र (दैनिक भास्कर एवं नईदुनिया) में भी विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी। प्रकरण में जावक पंजी क्रमांक 135-141 कानड दिनांक 15.02.2024 से अधीक्षण यंत्री , संचा/संधा म.प्र.प.क्ष.वि.वि.कं.लिमि. आगर , कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. (भ/प) संभाग आगर मालवा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला उज्जैन को अभिमत हेतु पत्र लिख गया किन्तु उनकी ओर से अभिमत अप्राप्त है। मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 48 (2) (झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यत: पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत /परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जावेगा की उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अत: कण्डिका अनुसार उक्त विभागों को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत चकबडाबीड के द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पटवारी रायपुरिया द्वारा रिर्पोट में उल्लेखित किया कि आवेदित सर्वे क्रमांक 78 रकबा 49.28 हेक्टेयर में से 21.2 हेक्टेयर पर तालाब बांध तथा अतिक्रमण एवं रास्ता होने से 28.08 हेक्टेयर भूमि रिक्त है। सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.8 हेक्टेयर में से 2.10 हेक्टेयर पर तालाब आदि एवं अतिक्रमण होने से 9.72 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 128 रकबा 22.27 रकबा 5.15 हेक्टेयर भूमि रास्ता , तलाई अतिक्रमण होने से 17.12 हेक्टेयर , सर्वे क्रमांक 130 रकबा 6.50 हेक्टेयर में से 1.20 हेक्टेयर पर अतिक्रमण एवं तालाब होने से 5.30 हेक्टेयर तथा सर्वे 137 रकबा 1.25 हेक्टेयर में से 0.80 हेक्टेयर भूमि रिक्त भूमि है। इस प्रकार कुल आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि सर्वे नं. 78 रकबा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि रिकक्त होकर उपलब्ध है। आवेदित भूमि 78, 105,128,129,130 एवं 137 वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था को आवंटित किये जाने का उल्लेखित किया गया है किन्तु आवेदित सर्वे नम्बरों में प्रस्तावित सर्वे नम्बरों पर वर्तमान में मौके पर किसी भी प्रकार का वृक्षारोपण नहीं है। कलेक्टर गाईड लाईन वर्ष 2024-25 के अनुसार ग्राम रायपुरिया की सिंचित

भूमि 9,60,000/- (नौ लाख साठ हजार) प्रति हे. के मान से है, आवंटन हेतु कुल प्रस्तावित 61.02 है. भूमि का बाजार मूल्य म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात 3 के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिचिंत कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारिण 9,37,26,720 (नौ करोड सैतीस लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रूपये) होता है। नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि सर्वे नं. 78 रकबा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि आवेदक संस्था के आवेदन पर वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रयोजनार्थ आवंटन किये जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद को प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी आगर-बडौद ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

3/ जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 03.03.2025 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसमें ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि सर्वे नं. 78 रकबा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि को घिरौली कॉल ब्लाक में प्रभावित वन भूमि के एवज में वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

4/ ग्राम पंचायत चकबडाबीड तहसील आगर के द्वारा दिनांक 9.6.2024 को ठहराव प्रस्ताव पारित कर उल्लेखित किया कि ग्राम रायपुरिया की भूमि आवेदक स्ट्राटाटेक मिनरल रिर्सोसेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है अत: वृक्षारोपण में पानी तालाब द्वारा पिलायें जाने का प्रस्ताव रखा था जिस पर ग्राम वासी सहमत नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में ठोस कारण नहीं होने से निरस्त की जाती है।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 03.03.2025 में भूमि आवंटन की अनुशंसा किये जाने, उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) आगर-बडौद एवं नायब तहसीलदार प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि सर्वे नं. 78 रकबा 49.28 में से 28.08, 128 रकबा 22.27 हे. में से 17.12हे., 130 रकबा 6.50 हे. में से 5.30 हे., सर्वे क्रमांक 137 रकबा 1.25 हे. में से 0.80 एवं सर्वे क्रमांक 105 रकबा 11.82 हे. में से 9.72 हे. कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर भूमि को मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के प्रावधान के तहत उसके वर्तमान प्रयोजन से कम किया जाकर **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु **वन विभाग को** मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के निर्देश 8 (7) के प्रावधान के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-6-101/2019 / सात-3 भोपाल दिनांक **05.01.2021** के अनुसार ग्राम रायपुरिया तहसील आगर की आवेदित भूमि कुल किता 05 कुल रकबा 61.02 हेक्टेयर पर परिपत्र के पैरा क्रमांक 05 के अनुसार बाजार मूल्य के 1.6 गुणा सिंचित कृषि भूमि के बराबर राशि के मान से निर्धारण 9,37,26,720 (नौ करोड सैतीस लाख छब्बीस हजार सात सौ बीस रूपये) जमा किये जाने की शर्त पर निम्नानुसार शर्तों के साथ हस्तांतरित की जाती है :-

1. विभाग को किसी भी निर्माण के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्थल अनुमति एवं स्थानीय ग्राम पंचायत से बिल्डिंग अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. विभाग यदि 02 वर्ष में उक्त आबंटित भूमि का उपयोग नहीं करता है तो उक्त भूमि को बगैर किसी सूचना के पूर्ववत शासन मद में दर्ज कर लिया जावेगा।
3. भूमि का उपयोग **वैकल्पिक वृक्षारोपण** प्रयोजन हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा, अन्यथा प्रयोजन में भूमि का उपयोग किये जाने की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. हस्तांतरित भूमि पर निर्माण के समय जल संर्वधन एवं पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन किया जाना होगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन होने की दशा में यह भूमि हस्तांतरण आदेश स्वतः शून्यवत हो जावेगा।

5/ नायब तहसीलदार कानड, की ओर आदेशानुसार हस्तांतरित भूमि के संबंध में निर्धारित राशि जमा किये जाने के उपरांत ही प्रविष्टि अभिलेख में अंकित करावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवावें।

17/3/25

(राघवेन्द्र सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

क्रमांक/रीडर/2025/259 आगर मालवा, दिनांक 17/3/2025

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल शाजापुर की ओर सूचनार्थ।
2. उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) आगर-बडौदा
3. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार कानड, की ओर भेजकर लेख है कि आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल निर्धारित राशि जमा कराये जाने के उपरांत किया जावें तथा खसरा नकल इस न्यायालय को भिजवावें।

17/3/25

कलेक्टर
जिला आगर मालवा म.प्र.

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:रायपुरिया			पटवारी हल्का:चकबड़ाबीड़			तहसील:आगर			जिला:आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/ भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/ पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/ पिता/ पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1614430361 81JRS8D93898H0	78/2 (S)		28.0800 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/ अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

प्रिंट

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167629803

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615946174 81JQ7PD93HMBH0	105/2 (S)		9.7200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2024-25, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

Specimen Copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167631093

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615946139 81JQ22D93DGEH0	128/2 (S)		17.1200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय ---आदेशकर्ता चयन करें--- के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

Specimen Copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167641818

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरूसी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे: फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के ब्यौरे: फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1615946106 81JU5AD93DAMH0	130/2 (S)		5.3000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

Specimen Copy

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11167631932

Specimen Copy

ग्राम: रायपुरिया			पटवारी हल्का: चकबड़ाबीड़			तहसील: आगर			जिला: आगर-मालवा		वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	गैरकृषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1613756114 81JUKZD93E20H0	137/2 (S)		0.8000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0088/अ-20(3)/2023-24, आदेश दि. 17/03/2025 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित |

Annexure - 4

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in फोन–07805-233336 फैक्स–233335

सूचना का अधिकार

क्र0 / तक0 / 6251

सिंगरौली, दिनांक. 08-10-2024

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
अडानी कॉर्पोरेशन हाउस, शांतिग्राम, गुजरात

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकवा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 62.19 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 8-01/2024-FC/I/82880/2024 दिनांक 24.09.2024

–000–

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन मण्डल सिंगरौली अंतर्गत वन परिक्षेत्र बैढ़न के कक्ष क्रमांक आर. 353, 354, 356, 361, वन परिक्षेत्र माड़ा के कक्ष क्रमांक आर. 534 एवं वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक आर. 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 337, 357, 360, 377 में प्रभावित वनभूमि रकवा 1335.35 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे0 कुल रकवा 1397.54 हे0 भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड का सिंगरौली जिला के सरई तहसील में आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का संलग्नित विवरण निम्नानुसार है :–

क0	मद का नाम	रकवा (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	कुल योग
1	नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	1335.35	1,64,05,97,657 / –	1,64,05,97,657 / –
		62.19	5,95,64,338 / –	5,95,64,338 / –
2	35 नग बोरहोल पूर्वेक्षण कार्य की पूर्व में जमा नेट प्रेजेन्ट वैल्यू	भारत सरकार के पत्र क्रमांक 5–3 / 2007 एफसी दिनांक 17.11.2020 के बिन्दु क्रमांक 6.8 (v)(c) के तहत	43,00,065 / –	43,00,065 / –
			1,69,58,61,930 / –	**1,69,58,61,930 / –**

3. एन.पी.वी. रकवा 1397.54 हे0 की राशि रू. 1,69,58,61,930 / –(रू. एक अरब उनहत्तर करोड अट्ठावन लाख इकसठ हजार नौ सौ तीस मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0 / तक0 / 6252

सिंगरौली दिनांक. 08-10-2024

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

Swets docs/Arpit docs/Dhirauli coal block/memo

STRATATECH MINERAL RESOURCES PVT LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14290GJ2019PTC110138

Payment Advice		Document	2000001619
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	17.10.2024
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12024101700011249
City	BHOPAL		
Ref No	17.10.2024 SMR21		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 450,000,000.00 (Rupees Forty Five Crore Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	11.10.2024	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00
	Total		0.00	0.00	450,000,000.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

STRATATECH MINERAL RESOURCES PVT LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14290GJ2019PTC110138

Payment Advice		Document	2000001620
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	17.10.2024
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12024101700011248
City	BHOPAL		
Ref No	17.10.2024 SMR21		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 450,000,000.00 (Rupees Forty Five Crore Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	11.10.2024	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00
	Total		0.00	0.00	450,000,000.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

STRATATECH MINERAL RESOURCES PVT LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14290GJ2019PTC110138

Payment Advice		Document	2000001621
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	17.10.2024
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12024101700009389
City	BHOPAL		
Ref No	17.10.2024 SMR21		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 345,861,930.00 (Rupees Thirty Four Crore Fifty Eight Lakh Sixty One Thousand Nine Hundred Thirty Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	11.10.2024	345,861,930.00	0.00	0.00	345,861,930.00
	Total		0.00	0.00	345,861,930.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

STRATATECH MINERAL RESOURCES PVT LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14290GJ2019PTC110138

Payment Advice		Document	2000001618
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	17.10.2024
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12024101700009391
City	BHOPAL		
Ref No	17.10.2024 SMR21		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 450,000,000.00 (Rupees Forty Five Crore Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	11.10.2024	450,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00
	Total		0.00	0.00	450,000,000.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

Annexure 5

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account - My Proposals Environment Clearance - Only CRZ Clearance - My Proposals Forest Clearance - My Proposals Wildlife Clearance - Help -

Help

Click on Generate Challan to generate challan

Paid : This icon shows that the payment has been deducted.

To be Paid : This icon shows that the payment of this cell is to be made.

Challan Generated : This icon shows that the Challan has been generated.

*Proposals received on or after 13th July 2014 | All Proposals received upto 13th July 2014

No.	Proposal No	Application No	Application No (Ver.)	Proposal Name	Category	Area (ha.)	User Agency Name	Date of EP PRESCRIPTS	Demand Verified Date	Action	Fill Payment Details	Status
	IA/MP/MIN/142344/2021	MP/42344/2021/186	90/42344/96	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	03-1-2025	Paid	Paid	Paid
	IA/MP/MIN/142344/2025	MP/42344/2025/728	90/42344/98	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	23-1-2025	Paid	Paid	Paid
	IA/MP/MIN/142344/2021	MP/42344/2021/188	90/42344/88	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	21-1-2025	Paid	Paid	Paid
	IA/MP/MIN/142344/2025	MP/42344/2025/240	90/42344/94	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	28-1-2025	Paid	Paid	Paid
	IA/MP/MIN/142344/2021	MP/42344/2021/144	90/42344/84	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	05-11-2024	Paid	Paid	Paid
	IA/MP/MIN/142344/2021	MP/42344/2021/213	90/42344/83	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	22-11-2024	Paid	Paid	Paid
	IA/MP/MIN/142344/2021	MP/42344/2021/312	90/42344/92	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	04-10-2024	Paid	Paid	Paid
	IA/MP/MIN/142344/2021	MP/42344/2021/377	90/42344/97	Dhauli Coal Block	Mining	120.0134	STRATEGIC MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED	24-9-2024	04-10-2024	Paid	Paid	Paid

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN142344202118	5814234418	24 Sep 2024	**CA:** 166199052/-, **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 0/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 166199052/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 03 Apr 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 03 Apr 2025 **Transaction Date** : 07 Apr 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/020420251807231369_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
2	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN142344202172	5814234472	24 Sep 2024	**CA:** 506493975/-, **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 0/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 506493975/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 27 Mar 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 27 Mar 2025 **Transaction Date** : 29 Mar 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/260320251626574595_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
3	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN142344202136	5814234436	24 Sep 2024	**CA:** 290036577/-, **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 0/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 290036577/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 17 Mar 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 17 Mar 2025 **Transaction Date** : 21 Mar 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/110320251946589135_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
4	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN142344202124	5814234424	24 Sep 2024	**CA:** 7685979/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 0/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 7685979/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 28 Jan 2025 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 05 Feb 2025 **Transaction Date** : 12 Feb 2025	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/220120251444372207_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
5	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN142344202164	5814234464	24 Sep 2024	**CA:** 0/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 0/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 106500000/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Wild life management plan :** 106500000/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 29 Nov 2024 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 02 Dec 2024 **Transaction Date** : 03 Dec 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/291120241533588840_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
6	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN142344202121	5814234421	24 Sep 2024	**CA:** 0/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 0/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 11973600/- **Addl CA :** 0/- **CAT :** 11973600/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 12 Nov 2024 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 13 Nov 2024 **Transaction Date** : 21 Nov 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/121120241244456649_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=

7	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN1423442021312	581423443123	24 Sep 2024	**CA:** 16618094/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 0/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 16618094/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 24 Oct 2024 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 24 Oct 2024 **Transaction Date** : 23 Oct 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/231020241142011911_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=
8	FP/MP/MIN/142344/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/142344/2021) Dhirauli Coal Block	MIN1423442021977	581423449977	24 Sep 2024	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1695861930/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1695861930/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 14 Oct 2024 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 15 Oct 2024 **Transaction Date** : 17 Oct 2024	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/101020241852393219_FPMPMIN Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)
(HTTPS://DATA.GOV.IN/) (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)
(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Annexure 6

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Additional NPV

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines, owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) hereby undertakes to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land in Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 7

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes that the forest land of 51.82 ha given as rationalized area in component-wise breakup shall not be used for any non-site-specific activity or additional infrastructure other than mining and its allied activities for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land in Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 8

Phase wise Tree Feeling plan

		Land Requirement (Ha)		Plantation on Reclaimed Land (Ha)			Number of Tree Planted		
Phasing of Land	Years from Start of Mining Operation	Forest Land (Ha)	Tentati-ve no of tree to be felled	Plantati-on area in Forest Land (Ha)	Plantati-on area in Non Forest Land (Ha)	Total Plantatio-n area (Ha)	Plantati-on in forest land (Nos)	Plantati on in non-forest land (Nos)	Total Plantati-on (Nos)
Phase I	1 to 3	345.33	141011	4	16	20	10000	40000	50000
Phase II	4 to 5	300.17	122570	32	8	40	48000	12000	60000
Phase III	6 to 10	237.06	96800	224	259.57	483.57	336000	389355	725355
Phase IV	11 to 15	136.17	55603	150	76.94	226.94	225000	115410	340410
Phase V	16 to 20	220.41	90001	150	74.77	224.77	225000	112155	337155
Phase VI	21 to 30	108.66	44370	200	123.62	323.62	300000	185430	485430
Phase VII	31 to 40	49.74	20311	200	210.45	410.45	300000	315675	615675
Final Closure		0	0	437.54	245.22	682.76	656310	367830	1024140
Total		**1397.54**	**570666**	**1397.54**	**1014.57**	**2412.11**	**2100310**	**1537855**	**3638165**

Annexure 9

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

OB dump reclamation

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes that the OB dump on the forest land will be reclaimed as per approved mine closure plan, entire external dump is planned as flat top surface and native species plantation is proposed for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land in Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited

(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Annexure 10

HYDROLOGY REPORT

FOR

Dhirauli Coal Mine (The "Block")

Dist Singrauli, Madhya Pradesh.

Project Proponent

M/s. Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

DECEMBER, 2024

(Issue 01, Rev. 0)

Prepared by:

Indian Institute of Technology (BHU)
Department of Civil Engineering
Varanasi Pin- 221005
Uttar Pradesh, INDIA

Dr. Suresh Kumar
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
IIT (BHU) Varanasi-221005

Dr. Pramod Soni
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
IIT (BHU) Varanasi

Contents

1 INTRODUCTION 6
1.1 Scope of Work IIT (BHU) PO Letter 7
2 INTRODUCTION 8
2.1 Site Visit 8
3 GENERAL ENVIRONMENTAL SETTING: 10
3.1 Location: 10
3.2 Communication: 11
3.3 Topography & Drainage density: 11
4 GEOLOGY & HYDROGEOLOGY: 12
4.1 Geology: 12
4.1.1 Local Geology: 12
4.2 Hydrogeology: 13
4.2.1 Hydrogeological Setting: 13
4.2.2 Mode of Occurrence: 14
4.2.3 Generalized Hydrogeological Model: 14
4.3 Depth to Water Level: 15
5 MINING: 17
6 CLIMATIC WATER BALANCE MODEL 20
6.1 SWAT MODEL SETUP 22
6.2 WATER BALANCE 23
6.3 SWAT simulation with Nala Diversion 24
6.4 Effect of nala Diversion on Hydrology 25
7 AREA DRAINAGE DENSITY 28
7.1 Morphometric Analysis 33
7.2 Infiltration Characteristics 34
8 HYDROLOGY: 36
8.1 Stream Flow Measurement 36
8.2 Area Measurement at Gauges site: 36
8.2.1 Topographic Contour Survey 36
8.2.2 Indirect Stream Flow Measurement 37
8.2.3 Validation of Model: 41
8.3 Empirical Methods for Flood Estimation: 42

8.3.1 Dicken's Method:.....42
8.3.2 Surface Runoff Yield - Availability of Water in Hurdul Nala: 43
8.4 Study of Availability of Water in Hurdul Nala: 44
8.4.1 Seasonal Nala- Mine Area 44
8.5 Overall Impact of Nala Diversion and its contribution to other big streams i.e. Gopad River etc.: 44
8.6 Impact on livelihood support in its downstream and providing alternative in case of diversion: 45
8.7 Rationality of nala diversion in term of coal conservation and stream restoration:.....45
8.8 Effect on aquatic ecology (if any) and mitigation measures for the same. 45
9 MINE WATER QUALITY: 46
10 WATER MANAGEMENT: 47
10.1 Need for Nala Diversion trench: 47
10.2 External Water Management: 47
10.3 Proposed Diverted Nala Trench:.....48
10.4 Design Calculation of Diverted Nala Trench:.....50
10.5 Details of external diverted Nala trench: 52
10.6 HEC-RAS Model Analysis of Nala Diversion:.....52
10.7 Internal Water Management:.....54
11 Conclusions.....55

List of Figures

Figure 1: Location Map 6
Figure 2: Near Hurdul nala 8
Figure 3: Near Diversion Point 9
Figure 4: Digital Elevation Model (DEM) 10
Figure 5: Location on Toposheet 11
Figure 6: Hydrogeology Map of Dhirauli Coal Field (Source: District Survey Report) 13
Figure 7: Generalized Hydrogeological Model 14
Figure 8: mining Stage Plans 17
Figure 9: Top Soil Management 18
Figure 10: Daily Rainfall Time-Series 20
Figure 11: Annual Rainfall Time-Series 21
Figure 12: Normal Rainfall 21
Figure 13: Normal Rainfall 22
Figure 14: Annual Water Balance for Gopad Watershed 23
Figure 15: SWAT Model with nala Diversion 24
Figure 16: Water Yield without Nala Diversion 25
Figure 17: Water Yield with Nala Diversion 26
Figure 18: Flow in Reaches without Nala Diversion 26
Figure 19: Flow in Reaches with Nala Diversion 27
Figure 20: Increase in discharge due to Nala Diversion 27
Figure 21: Comparison of discharge in Hurdul Nala due to Nala Diversion 28
Figure 22: Area Watershed 29
Figure 23: Sone Watershed 30
Figure 24: Sone Watershed on Google Earth 31
Figure 25: Gopad Watershed 31
Figure 26: Hurdul Nala Watershed 32
Figure 27: External and Internal Mine watershed 32
Figure 28: Stream Gauging Points 33
Figure 29: Infiltration Test 34
Figure 30: Catchment Area 38
Figure 31: Catchment Properties 39
Figure 32: Synthetic Unit Hydrograph 39
Figure 33: Isopluvial Map 40
Figure 34: Peak Runoff Hydrograph for Dhirauli Gauging Station 42
Figure 35: Hurdul Nala Diversion 48
Figure 36: Design of Nala Diversion Trench 50
Figure 37: HEC-RAS model Set-up 53
Figure 38: Water Surface Profile 53
Figure 39: HEC-RAS model output 53
Figure 40: Water Surface Profile 54

List of Tables

Table 1: Mine Block Details....6
Table 2: List of Coordinal Points....10
Table 3: Stratigraphic succession of Singrauli Coalfield....12
Table 4: Stratigraphic succession of Singrauli Coalfield....13
Table 5: Pre Monsoon & Post Monsoon Water Level....15
Table 6: Pre Monsoon & Post Monsoon Water Level....16
Table 7: Annual Rainfall....20
Table 8: Extreme Rainfall....22
Table 9: Watersheds....30
Table 10: Stream Orders....34
Table 11: Peak Discharge Summary....43
Table 12: Peak Discharge Summary....44
Table 13: Design Capacities of velocity peak flow estimation for trench....50
Table 14: Details of diverted nala trench....52

1 INTRODUCTION

The M/s. Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) was allotted a coal mines vide Order no NA- 104/7/2020-NA dated 03.03.2021 by Ministry of Coal, Govt. of India. The Particular of block is given in Table 1 and the location map in Figure 1

Table 1: Mine Block Details

Name of Coal Mine	Dhirauli
Coal Field	Singrauli Coalfield
Latitude	23° 56′ 07" N - 24° 03′ 04″ N (Provisional)
Longitude	82° 19′ 04″ E-82° 24′ 21″ E (Provisional)
Villages	Dhirauli, Suliyari, Phatani, Beri-Berdaha, Majhauli Path, Belwar
Tehsil/ Taluka	Singrauli
District	Singrauli
State	Madhya Pradesh

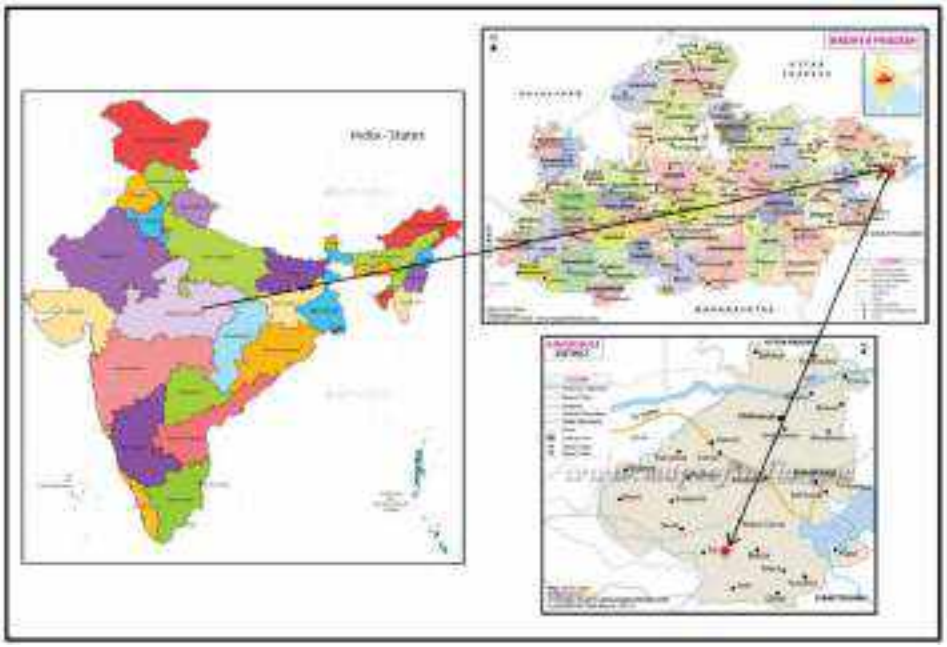

Figure 1: Location Map

1.1 Scope of Work IIT (BHU) PO Letter

1. To assess the cumulative impact of diversion of Hurdul stream
2. Study of availability of water in Hurdul i.e., perennial,/seasonal
3. Overall impact of nala diversion and its contribution to other big streams i.e., Gopad River etc.
4. Impact on livelihood support in its downstream and provisioning of alternatives in case of diversion
5. Effect on Aquatic Ecology (if any) and mitigation measures fir the same
6. Study of existing aquatic environment and its management considering the diversion of Hurdul nala
7. Hydrology assessment of the study area
8. Rationality of nala diversion in terms of coal conservation and stream restoration
9. To design the suitable nala profile proposed for diversion in line with State and Central guidelines based on contour survey and geotechnical parameters
10. Assessment of impact and diversion of nala considering minimum impact of aquatic life and environment
11. Impact assessment report of nala Diversion and design of nala in line with State and Central Government guidelines
12. Issue for construction drawings including longitudinal and cross sections (100 m interval) for proposed nala Diversion and embankment

2 INTRODUCTION

The M/s. Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) was allotted a coal mines vide Order no NA-104/7/2020-NA dated 03.03.2021 by Ministry of Coal, Govt. of India. The Particular of block is given in Table 1 and the location map in Figure 1

2.1 Site Visit

A site visit was conducted on October 12th, 2024, by a team from IIT (BHU), including Dr. Suresh Kumar and Dr. Pramod Soni, accompanied by engineers from Adani (Figure 2 and Figure 3). The team visited two locations. The first location was Hurdul Nala, where the possibility of water diversion exists. The second location was the outlet point of the diverted canal. During the visit, Hurdul Nala had almost no discharge, while the outlet point had a very small amount of water flow.

Figure 2: Near Hurdul nala

Figure 3: Near Diversion Point

3 GENERAL ENVIRONMENTAL SETTING:

3.1 Location:

The Dhirauli Coal Block boundary coordinates in WGS-84 datum as per CMPDI is as follows in Table 2. The area is part of Toposheet no 64 I/5 (1:50000).

Table 2: List of Coordinal Points

Points	Northing	Easting
1	23° 56' 07"	82° 19' 04"
2	23° 56' 07"	82° 24' 21"
3	23° 03' 04"	82° 24' 21"
4	23° 03 04"	82° 19' 04"

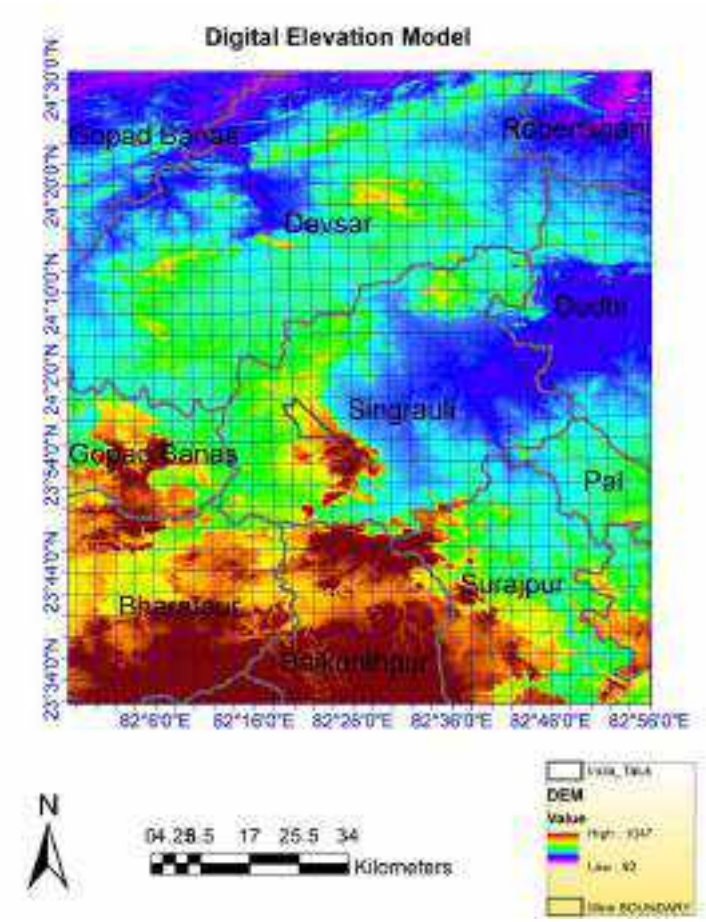

Figure 4: Digital Elevation Model (DEM)

3.2 Communication:

The block is accessible via multiple roads, including a metalled road from Singrauli and Waidhan, and is 18 km from the nearest railway station, Sarai-Gram. The nearest airport is Varanasi, 250 km away. Shakti Nagar and Renukoot are key industrial towns in the vicinity.

3.3 Topography & Drainage density:

The southern part of Dhirauli block has a generally plain topography, while the north-eastern and south-central areas are rugged and forest-covered with hillocks reaching up to 638 m above mean sea level. The central block is traversed by the Hurdul Nala, which controls the drainage pattern, along with smaller seasonal streams that follow a dendritic to sub-dendritic pattern. Digital Elevation Models (DEMs) were used to illustrate these features.

Figure 5: Location on Toposheet

4 GEOLOGY & HYDROGEOLOGY:

4.1 Geology:

The Singrauli coalfield is the northernmost part of the Son-Mahanadi master Gondwana basin, bordered in the north by an east-west trending boundary fault parallel to the Narmada-Son lineament. The southern boundary is marked by the Mahadeva hills, while the eastern boundary is formed by the unconformable contact between the Talchir beds and Precambrian rocks. The western boundary is defined by the interface between Precambrian and supra Barakar sediments.

Stratigraphy:

Thus based on both the surface and sub-surface data available, the following stratigraphic succession is given in Table 3

Table 3: Stratigraphic succession of Singrauli Coalfield

Age	Group	Formation	Lithology
Cretaceous		Intrusives	Dolerite dykes & sills
Upper Triassic (?)	Upper Gondwana	Mahadeva	Coarse grains, ferruginous sandstone with bands of shale, clay and conglomerates.
Lower Triassic	Lower Gondwana	Panchet	White, greenish white and pink micaceous, medium to coarse grianed sandstone with red beds, greenish brown silty shales and conglomerates
Upper Permian		Raniganj (215-403 m)	Fine grained sandstones and shales with coal seams including 134 m thick Jhingurdah seam
Midle Permian		Barren Measures (125-300 m)	Very coarse grained, ferruginous, sandstones, green clays & shales
Lower Permian		Barakar (325-600 m)	Medium to coarse grained, sandstoes, shales, clays and coal seams
Upper Carboniferous to Lower Permian		Talchir (75 - 130 m)	Tillite, sandstone, siltstones, needle shales etc.
Unconformity			
Precambrian		Precambrian	Phyllites, quartzites, schists and gneisses

4.1.1 Local Geology:

4.1.1.1 Geological Structures:

The Dhirauli block is traversed by 11 normal gravity faults (F1 to F11) with varying magnitudes of displacement from 5 m to 85 m. These faults form two distinct sets trending NW-SE and NE-SW. Ten of these faults have minor throws (5 m to 35 m), except for F9 with a maximum throw of 85 m. The block has a general NE-SW strike, shifting to E-W in the southern region, with a gentle dip of 2° to 4° in various directions. Coal reserves for the block have been estimated in the mine plan, with details provided in Table 3.2.

Table 4: Stratigraphic succession of Singrauli Coalfield

Sr. No.	Type of Description	Reserve (Million ton)
1	Gross Geological Reserve	620.013
2	Net Geological Reserve	558.011
3	Mineable Reserve	313.79

(Source: Mine Plan given by proponent)

4.2 Hydrogeology:

4.2.1 Hydrogeological Setting:

Singrauli Coal Field is located in Sone Drainage density basin. Dhirauli Coal Block form a part of Singrauli main Coal Block. The top formation is Raniganj Sandstone/shale of lower Barakar. The Raniganj formation form aquifer above coal seam. Hydrogeological Map is given in Figure 3.1.

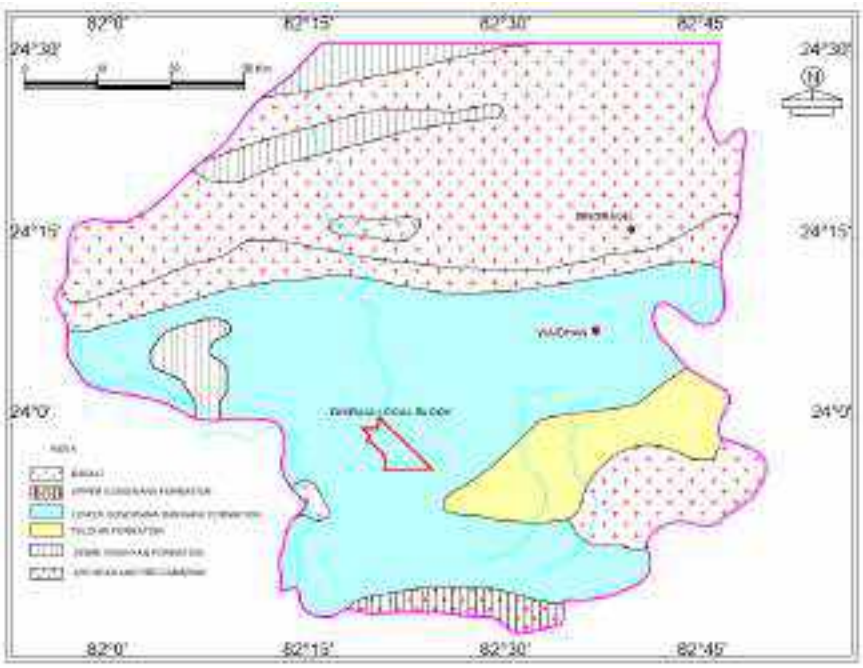

Figure 6: Hydrogeology Map of Dhirauli Coal Field (Source: District Survey Report)

4.2.2 Mode of Occurrence:

Groundwater in the Dhirauli block is found under both unconfined and semi-confined to confined conditions. Unconfined conditions exist in permeable formations like top sandy soil or loose sandstones. The deeper aquifers are semi-confined due to the presence of leaky aquitards. A band of carb-shale/coal in the lower Barakars acts as an extensive aquiclude, leading to confined conditions in the underlying aquifer due to the impermeable shale and coal seam above.

4.2.3 Generalized Hydrogeological Model:

Generalized hydrogeological model of the study area is prepared by using open cast and underground coal mining characteristics and depth according to Pre-Feasibility Report given by proponent. Based on lithology it is informed that there are one semi confined and eight confined aquifer systems and seven aquiclude and decipher in Figure 3.2.

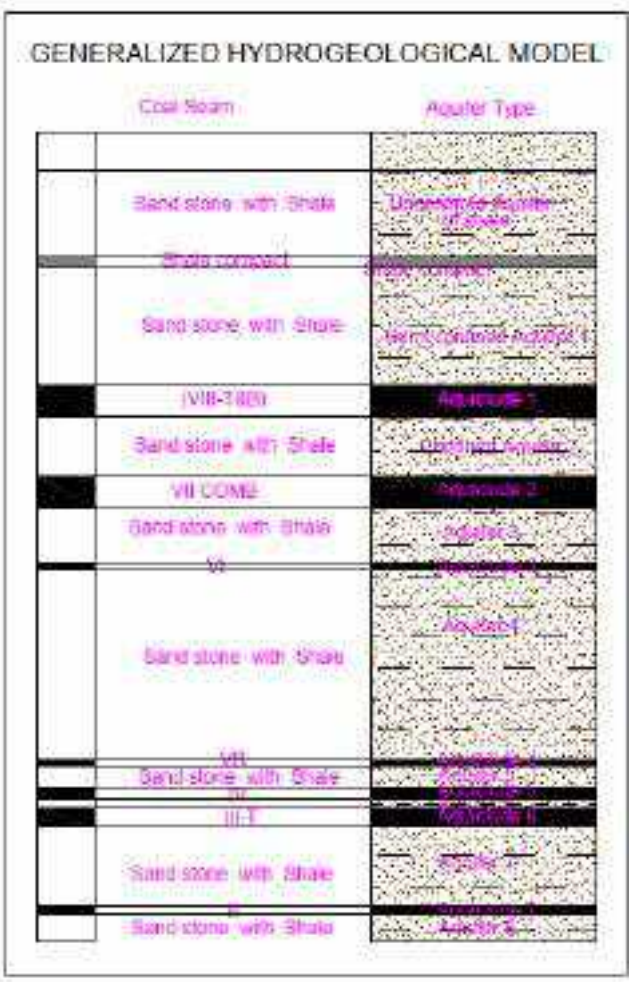

Figure 7: Generalized Hydrogeological Model

4.3 Depth to Water Level:

The groundwater trend analysis for the Dhirauli coal block area has been based on 10 years of data from the Central Ground Water Board (CGWB) National Hydrographic Station at Sarai Village, approximately 20 km from the block. This analysis highlights the following:

- **Water Level Fluctuations**: A 7.2 m fluctuation in water levels was observed, attributed to the recharge zone near the Hurdul Watershed, also known as the ridge area of the basin.
- **Groundwater Recharge during Non-Mining**:
  - The recharge area is 33 km^2 with an annual water level fluctuation of 4 m and a specific yield of 3%, leading to an estimated recharge of 3.96 million cubic meters (MCM) per year.
  - Using the Rainfall Infiltration Method, with a coefficient of 12%, groundwater recharge is calculated as 3.98 MCM per year.
  - The average annual groundwater recharge is 3.97 MCM/year.
- **Groundwater Recharge during Mining**:
  - During mining, due to changes in soil infiltration capacity, the rainfall infiltration coefficient is increased to 23% based on a UNDP study, resulting in an estimated recharge of 7.6 MCM/year.
  - The net increase in groundwater recharge due to mining is 3.63 MCM/year.
- **Non-Monsoon Mine Seepage**: Groundwater seepage from the mine area into the Hurdul Nala is estimated at a daily flow of 0.36 m^3/sec, providing a steady contribution to the local drainage system during non-monsoon periods.

Table 5: Pre Monsoon & Post Monsoon Water Level

Location- Sarai Village			
Sr no.	Year	Pre monsoon	Post monsoon
1	2011	6	2.64
2	2012	5.2	2.94
3	2013	5.9	2.3
4	2014	5.3	3.4
5	2015	5	2.8
6	2016	5.99	5.55
7	2017	7.25	7.17
8	2018	5	3
9	2019	5.8	3.6
10	2020	6	3.6

Table 6: Pre Monsoon & Post Monsoon Water Level

Sr. No.	Pre and post monsoon	Trend water level 2010	Trend water level 2020	Year of Data	Trend fall or rise	Trend rise or decline	Remarks
		A	B		A-B/10		
1	Pre	5.6	5.9	10	0.3/10	-0.03	There is annual decline in water level
2	Post	2.8	4.5	10	1.7/10	-0.17	

5 MINING:

The Dhirauli Coal Mine is designed to be developed using a combination of open-cast mining (up to Seam VII) and underground mining (below Seam VII to Seam II) methods to maximize coal extraction and ensure resource conservation. The mine's development will commence from the southwestern corner of the block, at the outcrop of Seam VII, and proceed along the strike of the seam in a systematic manner.

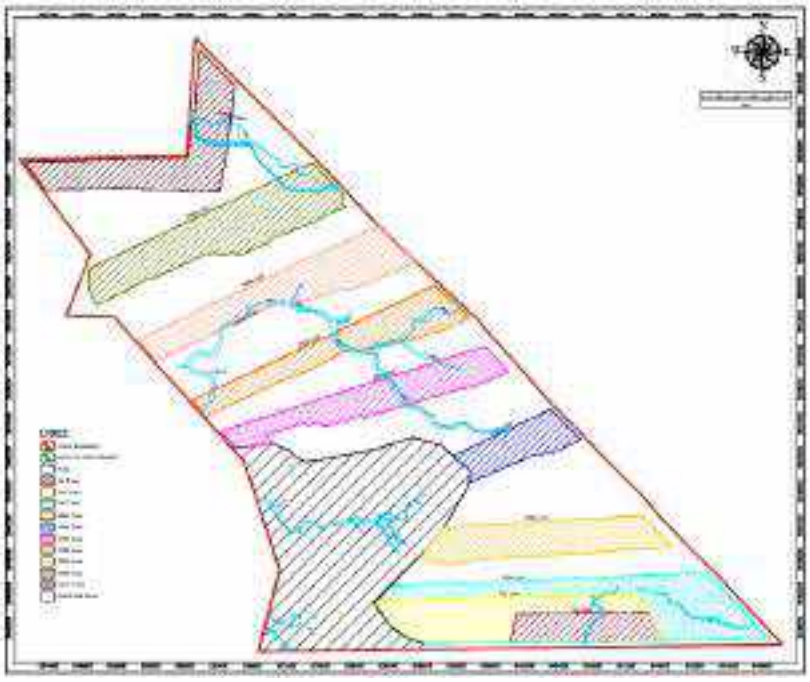

Figure 8: mining Stage Plans

Open-Cast Mining:

Open-cast mining will be conducted up to a depth of 280 meters, targeting the coal reserves down to the floor of Seam VII. The stripping ratio for the opencast portion is 10.55 cubic meters of overburden per ton of coal. The external dump for overburden will be established on non-coal bearing land beyond the Seam VII outcrop, covering an area of approximately 387.55 hectares. An additional 21 hectares will be used for mine facilities, and another 9 hectares are reserved for underground infrastructure. As the mine progresses, a surface retrieving conveyor system will be installed along the center of the block from the second year onwards for efficient coal transportation.

Overburden (OB) Management:

The total volume of overburden to be handled during the entire mining operation is estimated at 1963.55 million cubic meters (Mcum). Initially, OB will be placed in external dumps (259.01 Mcum),

and after three years, internal dumping will start when a sufficient de-coaled area of approximately 100 meters is created on the quarry floor. Internal dumping is estimated at 1704.54 Mcum and will be conducted to optimize the lead and reduce haulage distances. By the 18th year of mine operation, internal dumping will completely replace external dumping. The maximum height of the external dump will be maintained at 90 meters above ground level (RL of 600) by the fifth year, while the height of internal dumps will also reach 90 meters above ground level.

Underground Mining:

Below Seam VII, underground mining will be employed for seams II to VI to extract coal reserves with minimal surface disruption. Underground mining infrastructure, including a second set of inclines, is planned for the northwest side of the block.

Topsoil Management and Reclamation:

Topsoil, which is vital for land reclamation and ecological restoration, will be separately removed and stored. Initially, the topsoil will be stored in designated areas outside the quarry and later spread over reclaimed land starting in the fifth year of mine operation. The height of the topsoil dump will be maintained at 3 meters to preserve soil quality.

Year	Top Soil (M cum)
1	0.80
2	0.90
3	0.50
4	0.40
5	0.30

Figure 9: Top Soil Management

Coal Production and Drainage Management:

The mine is planned to achieve a production capacity of 5.00 million tons per year (MTY) by the third year of operation. Coal evacuation will be managed using advancing face methods without a permanent haulage road due to the high stripping ratio and space constraints for OB dumping. The mine will advance in the dip direction, ensuring proper water drainage and sump management, facilitating efficient coal and OB bench extension.

Surface and Sub-Surface Infrastructure:

A moveable dump station will be established, which will be shifted at five-year intervals based on the progression of the mining activity. As the mining operation advances, a surface retrieving conveyor will be installed to transport coal from the mine face to the dump station.

Overall, the mine design emphasizes minimizing the environmental impact by efficiently managing overburden and topsoil, initiating internal backfilling early in the mine's life, and implementing proper drainage and reclamation strategies.

6 CLIMATIC WATER BALANCE MODEL

The climate of Madhya Pradesh, situated between 18°N to 25°N and 74°E to 82°E, is characterized by a tropical climate, influenced by its geographical location and orographic features. The state experiences four distinct seasons: winter (January-February), summer (March-May), southwest monsoon (June-September), and post-monsoon (October-December).

Rainfall data from Sidhi IMD station is used as a reference for the study, with an average annual rainfall of 1124.1 mm, closely matching the normal value of 1142.2 mm for the region. The area experiences four months of rainfall surplus (June-September) and eight months of rainfall deficit (October-May). The extreme rainfall recorded in the area was 238.6 mm in 24 hours on September 9, 1987. The potential evapotranspiration values are considered for climatic water balance studies of Hurdul Nala and surrounding mine areas.

Table 7: Annual Rainfall

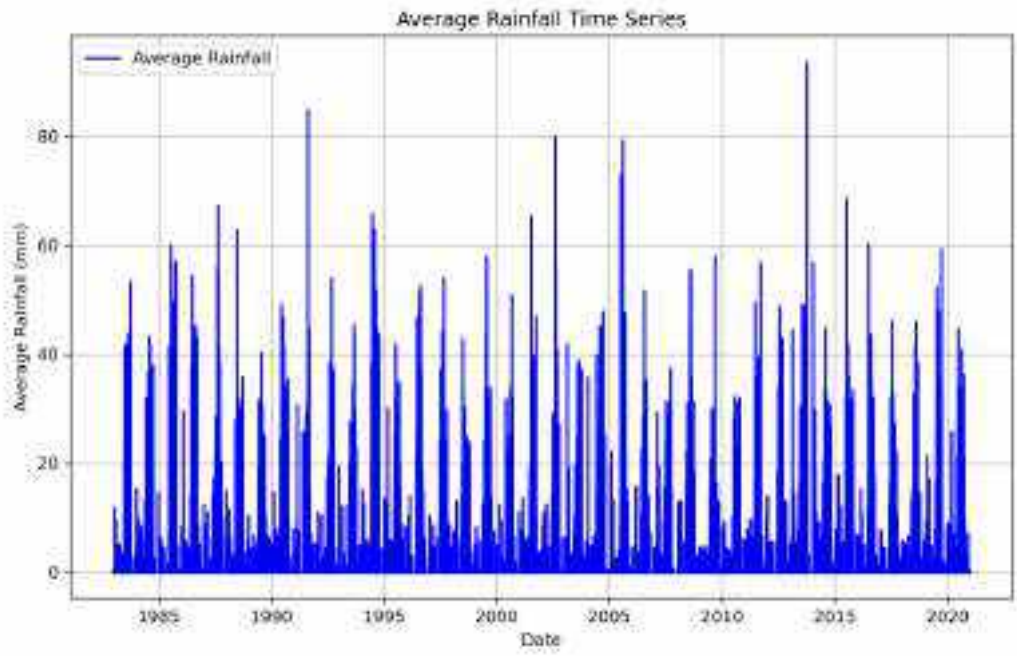

Figure 10: Daily Rainfall Time-Series

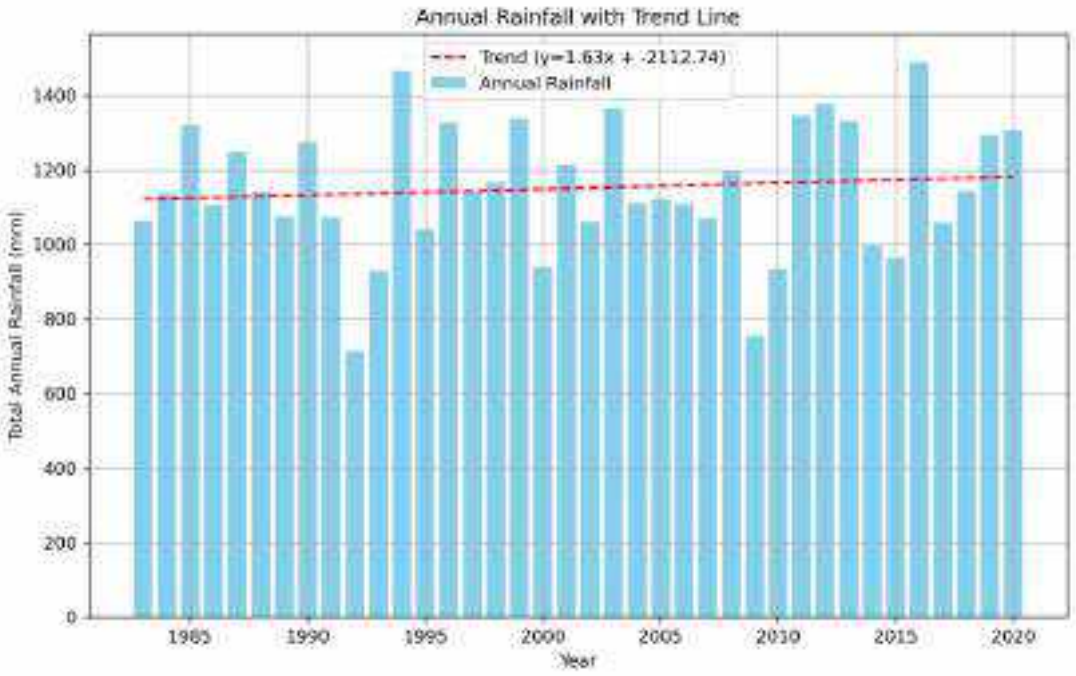

Figure 11: Annual Rainfall Time-Series

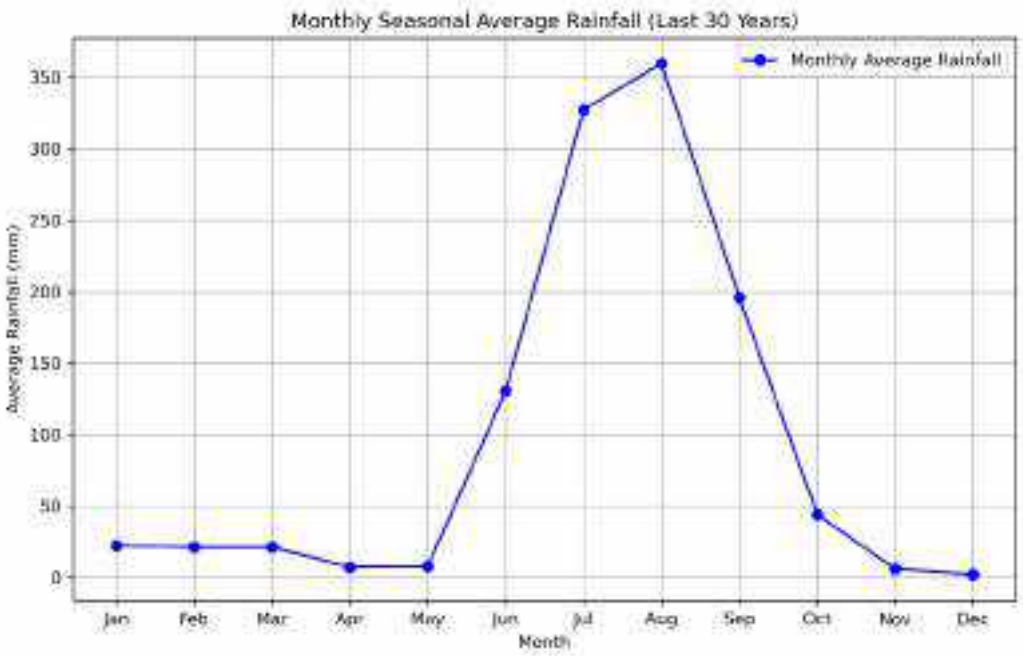

Figure 12: Normal Rainfall

Table 8: Extreme Rainfall

Month	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
24 Hrs Rainfall mm	49.4	34.4	36.2	40.8	88.8	180.2	189.8	176.5	238.6	69.6	99.4	33.2
Date	21	28	12	19	06	07	16	08	09	11	11	02
Year	1971	1971	1990	1983	1982	1971	1980	1972	1987	1958	1969	1966

6.1 SWAT MODEL SETUP

To find out the water balance of the mine area a SWAT model was setup as shown in Figure below.

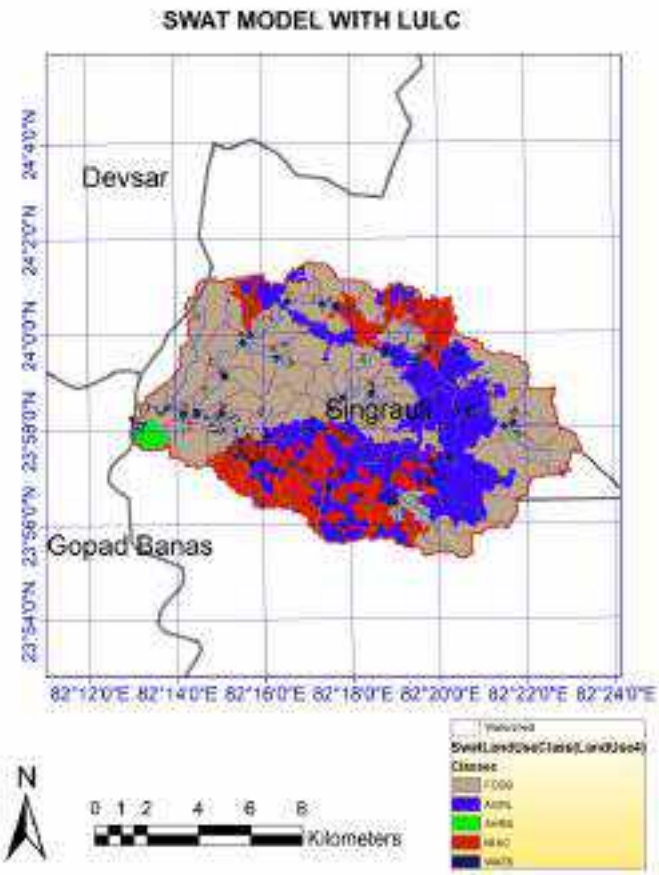

Figure 13: Normal Rainfall

6.2 WATER BALANCE

Using the SWAT output, following water balance was obtained for an average annual precipitation of 1155.5 mm.

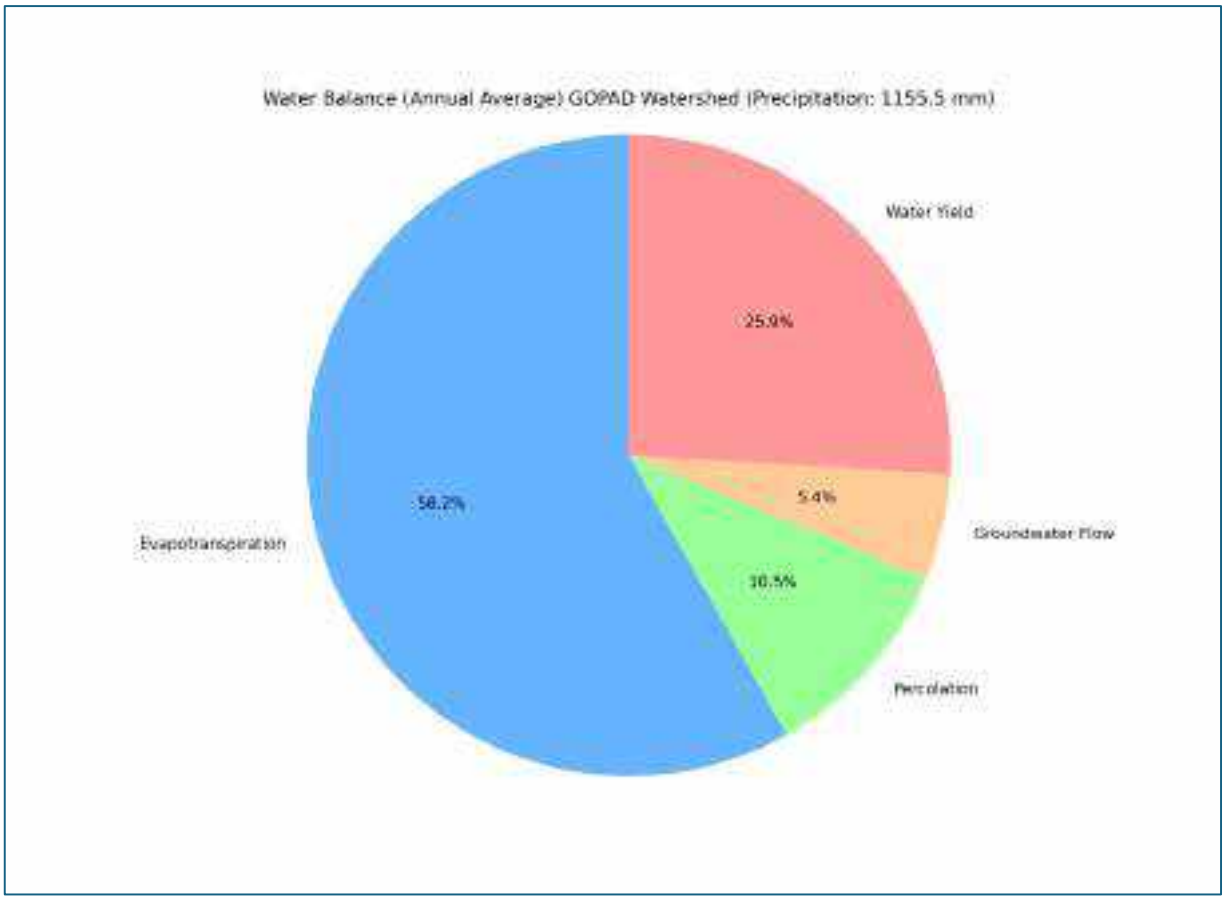

Figure 14: Annual Water Balance for Gopad Watershed

From the above water balance, it can be seen that only 25.9% of the precipitation is converted to surface runoff, hence runoff coefficient of about 0.26 only. Most of the precipitation is lost in the form of Evapotranspiration and percolation.

6.3 SWAT simulation with Nala Diversion

Another SWAT simulation was carried out with Nala Diversion incorporated in the Digital Elevation Model. The model is shown in the figure below.

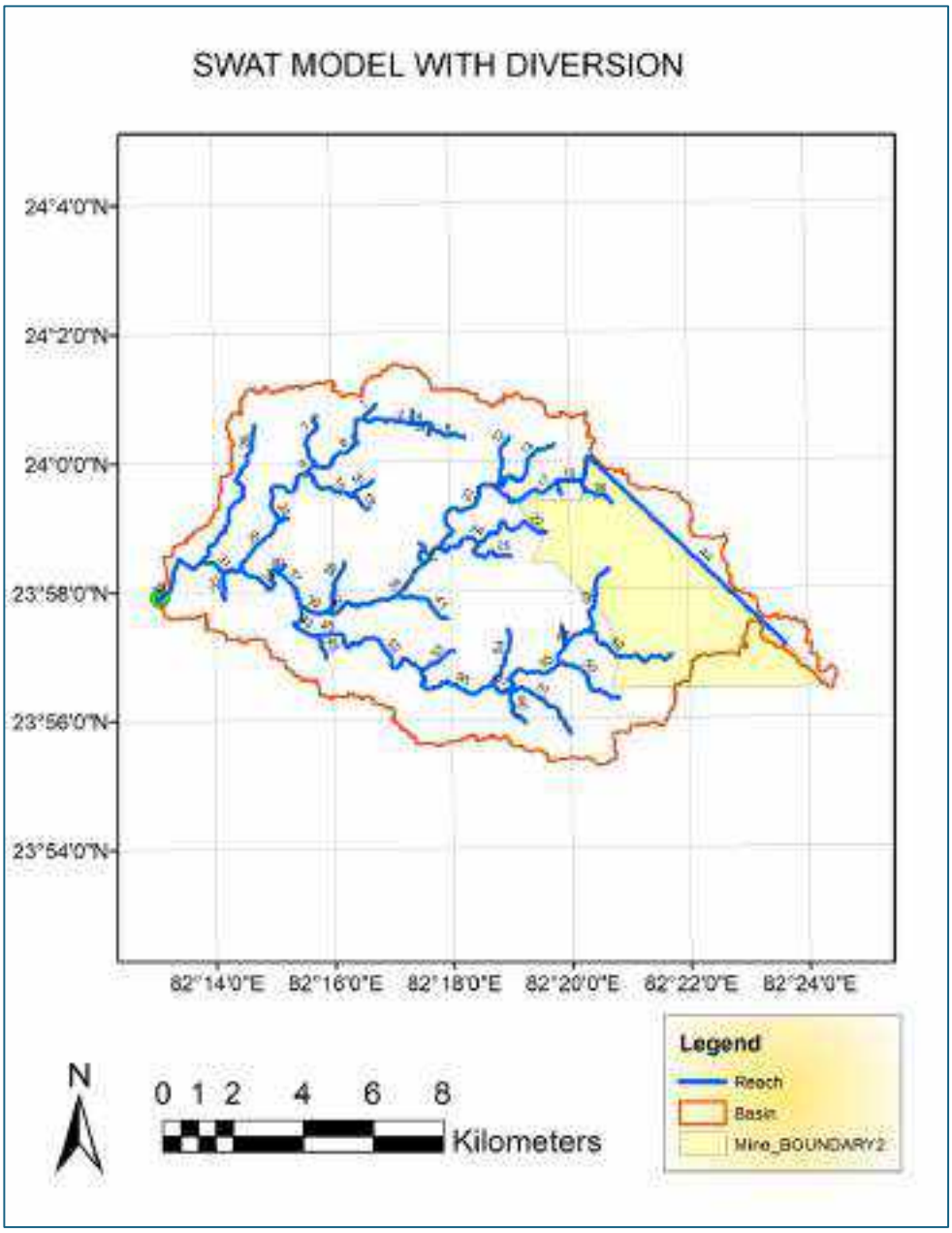

Figure 15: SWAT Model with nala Diversion

The region receives an average annual rainfall of 1155.5 mm, indicating a reliable precipitation pattern. A SWAT model water balance revealed that about 58.2% of the rainfall is lost in the form of rainfall and only about 26% is converted to streamflow, highlighting the efficiency of the watershed in managing excess water.

6.4 Effect of nala Diversion on Hydrology

The analysis of the SWAT model, as illustrated in Figure 16 and Figure 17, indicates that the overall water yield in most subbasins remains relatively stable. In the vicinity of the mine, changes in watershed characteristics and distribution occur due to the diversion. However, Figures 18 and 19 demonstrate that the river flow dynamics throughout the Gopad catchment remain largely unaffected. A comparison of discharge levels in Hurdul Nala, resulting from the Nala diversion, reveals minimal changes; nevertheless, to accommodate redistribution, an additional discharge of up to 2 m^3/s must be sustained in the diverted Nala.

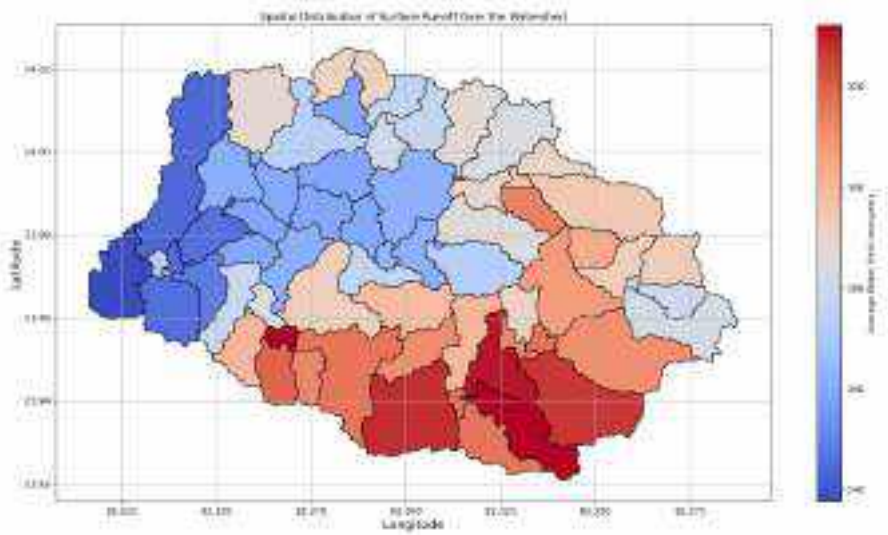

Figure 16: Water Yield without Nala Diversion

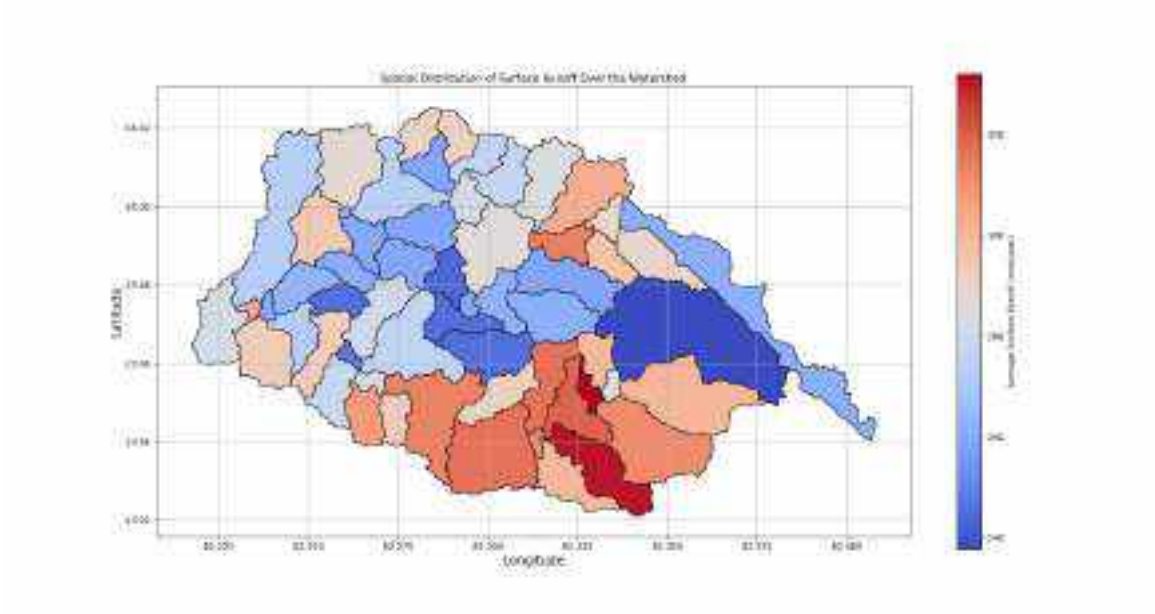

Figure 17: Water Yield with Nala Diversion

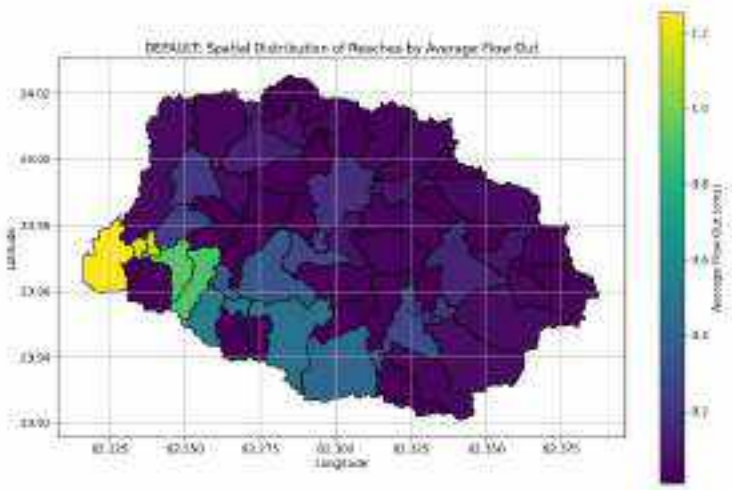

Figure 18: Flow in Reaches without Nala Diversion

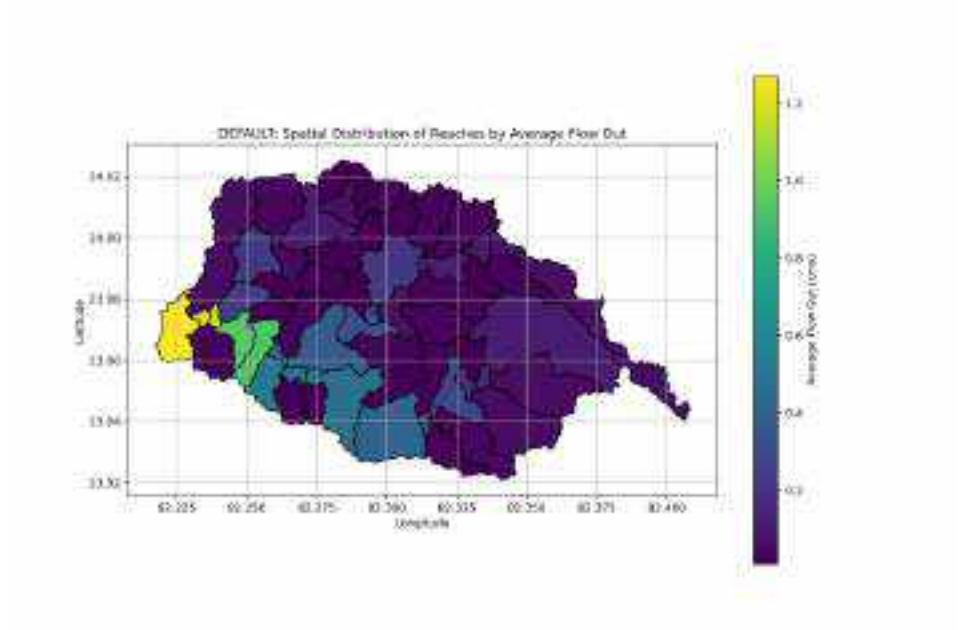

Figure 19: Flow in Reaches with Nala Diversion

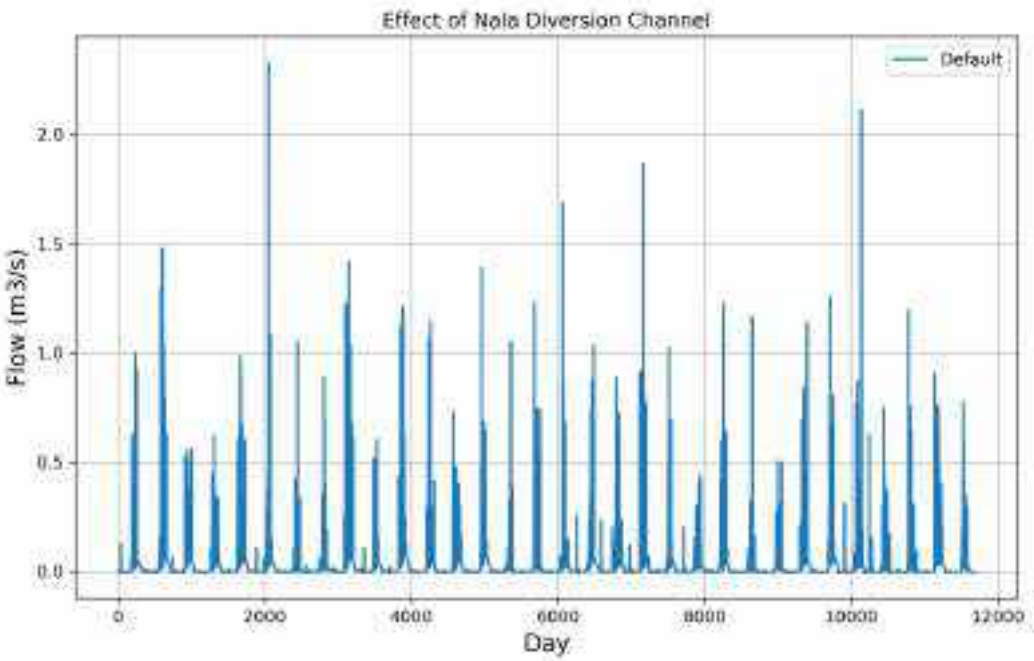

Figure 20: Increase in discharge due to Nala Diversion

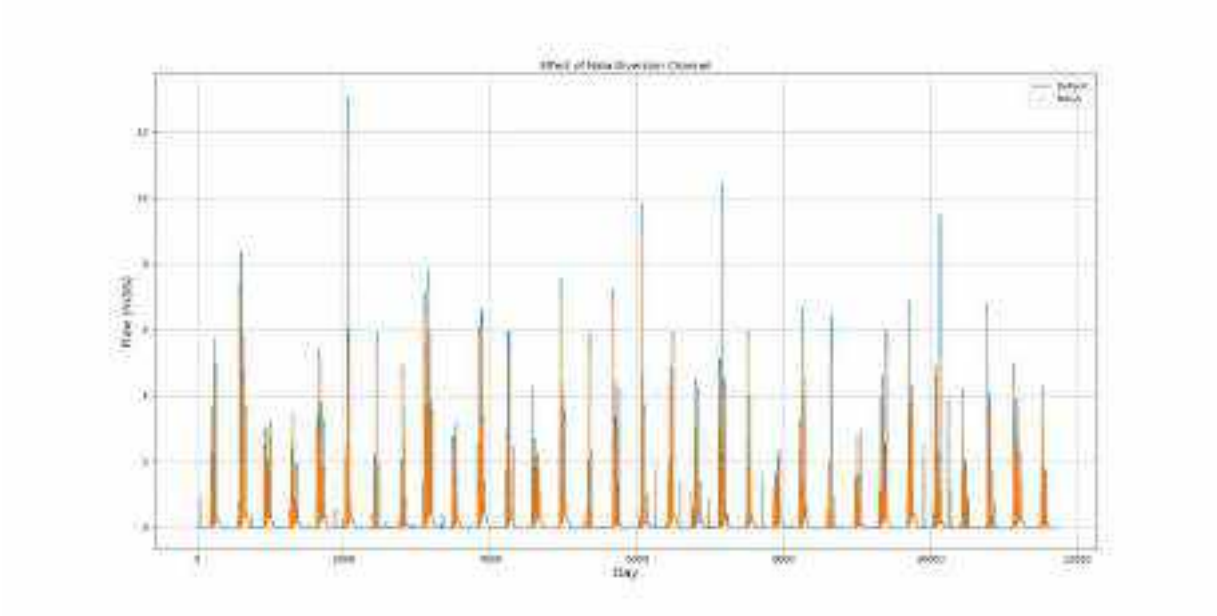

Figure 21: Comparison of discharge in Hurdul Nala due to Nala Diversion

7 AREA DRAINAGE DENSITY

The mine area is part of Sone sub – basin. The central water commission has classified it as Sone sub zone – 1 (d). The watershed of India is given in with reference to Watersheds of India

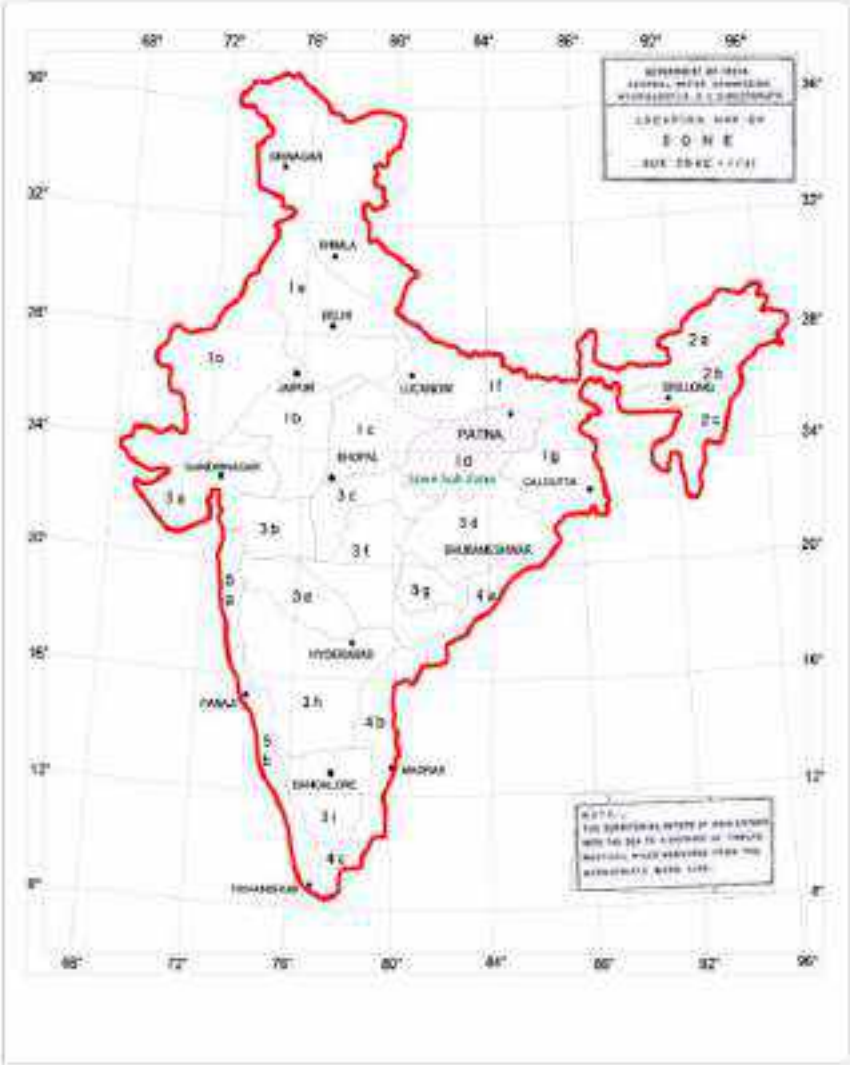

Figure 22: Area Watershed

Summary of Various Watersheds

Table 9: Watersheds

Sr. No.	Watersheds	Area in km²	Figure
1	Sone	42,861	Figure 23
2	Gopad	6,230	Figure 25
3	Hurdul	134	Figure 26
4	Mine Watershed	33.42	Figure 27
4(a)	Mine Internal	26.72	
4(b)	Mine External	6.70	
5	Stream gauging Watershed	11.00	Figure 28

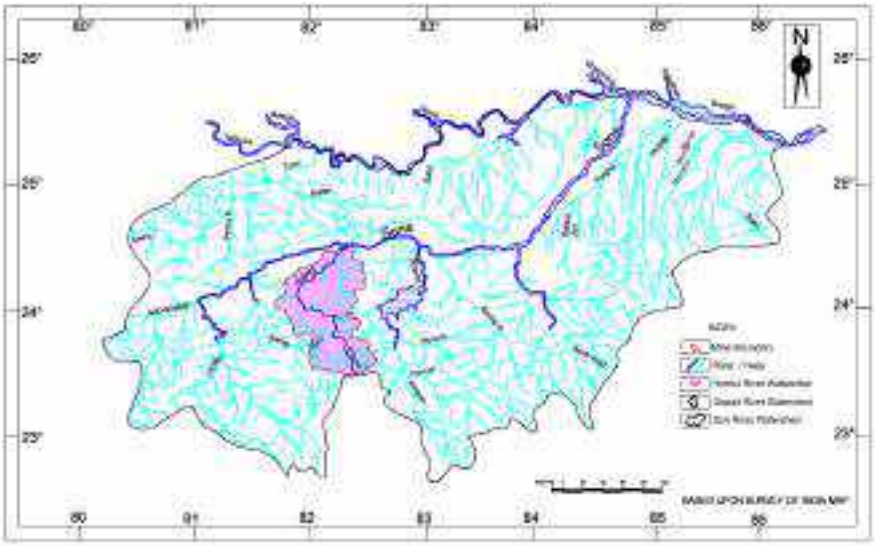

Figure 23: Sone Watershed

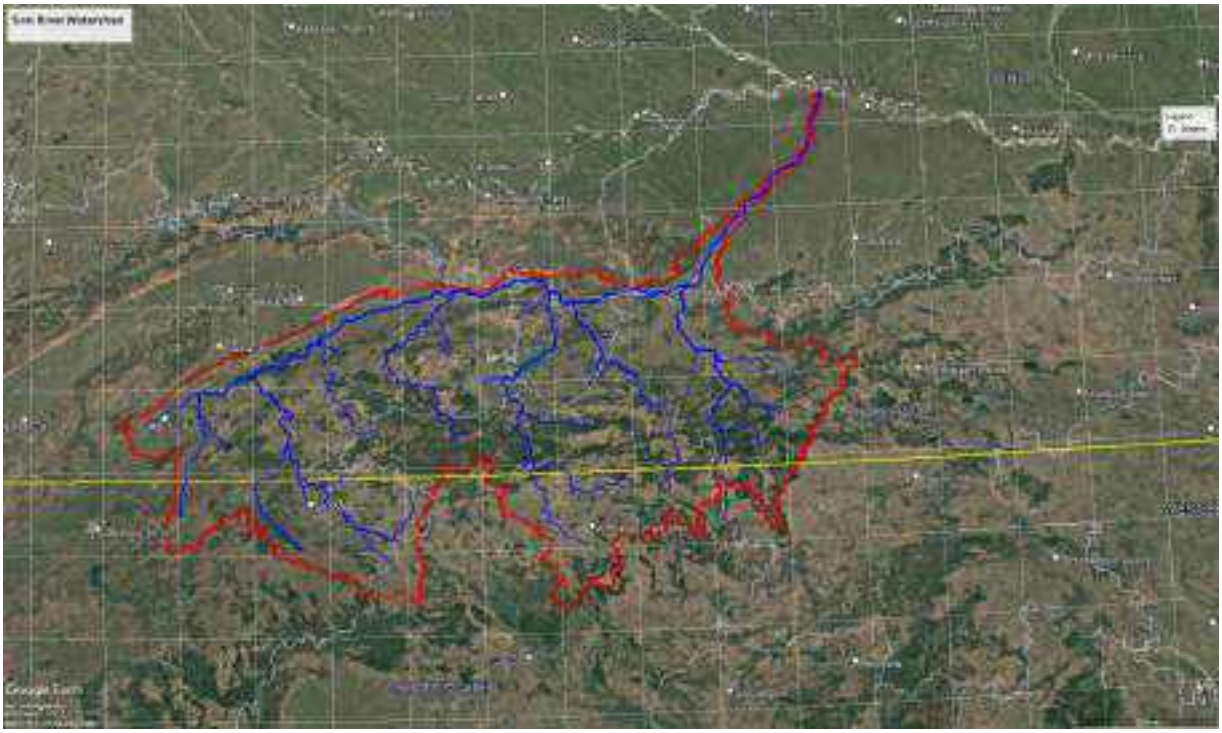

Figure 24: Sone Watershed on Google Earth

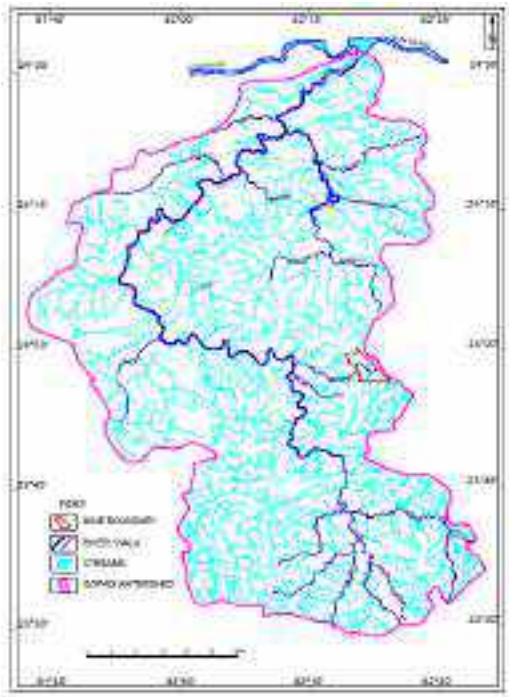

Figure 25: Gopad Watershed

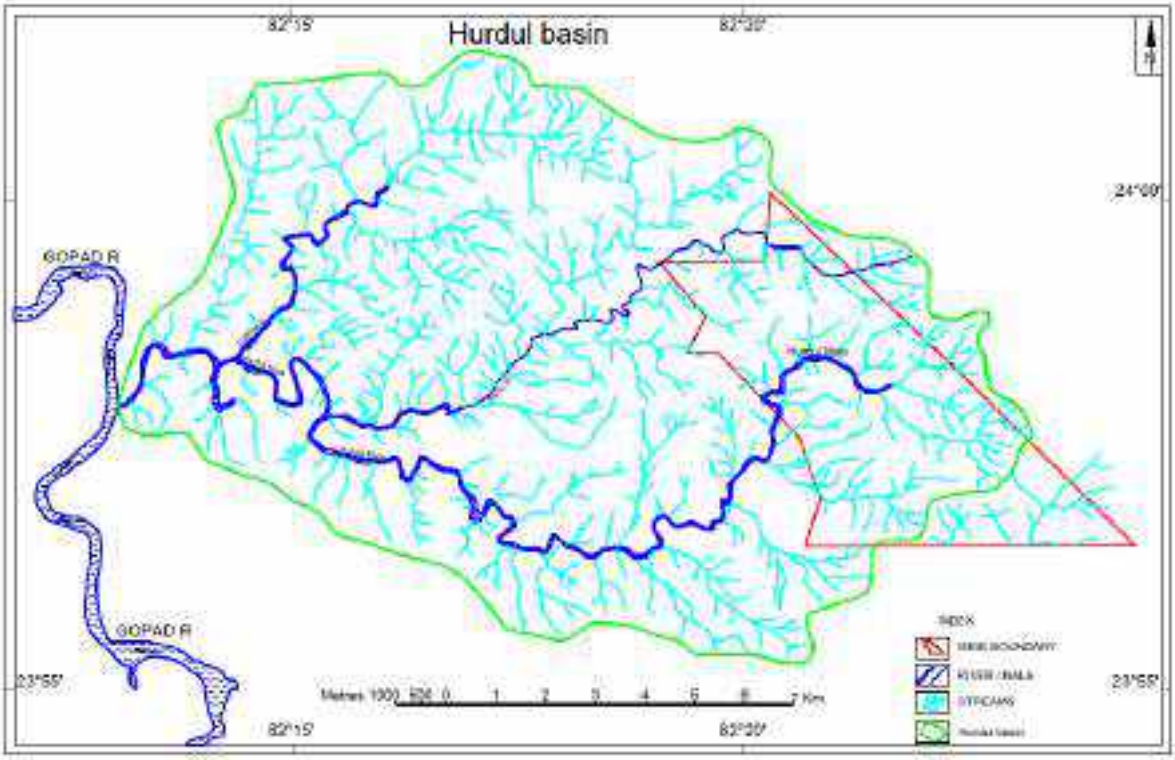

Figure 26: Hurdul Nala Watershed

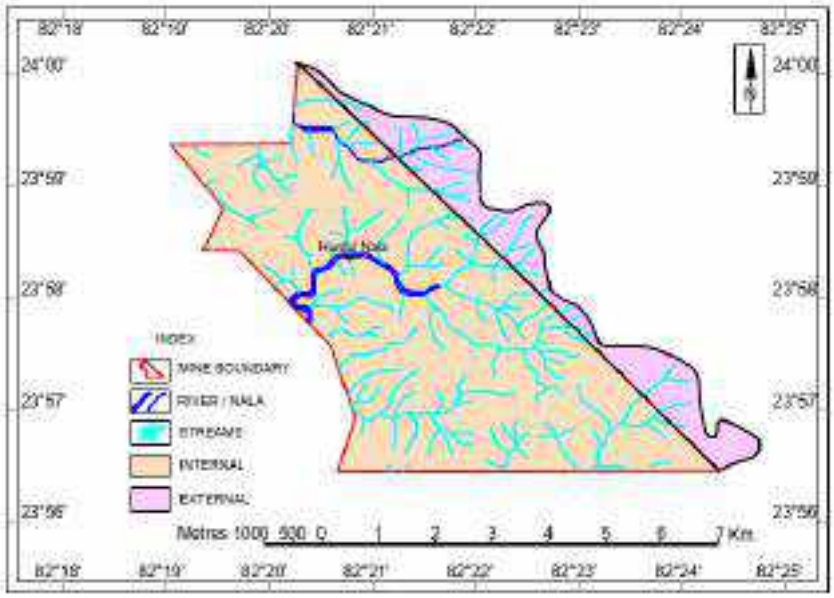

Figure 27: External and Internal Mine watershed

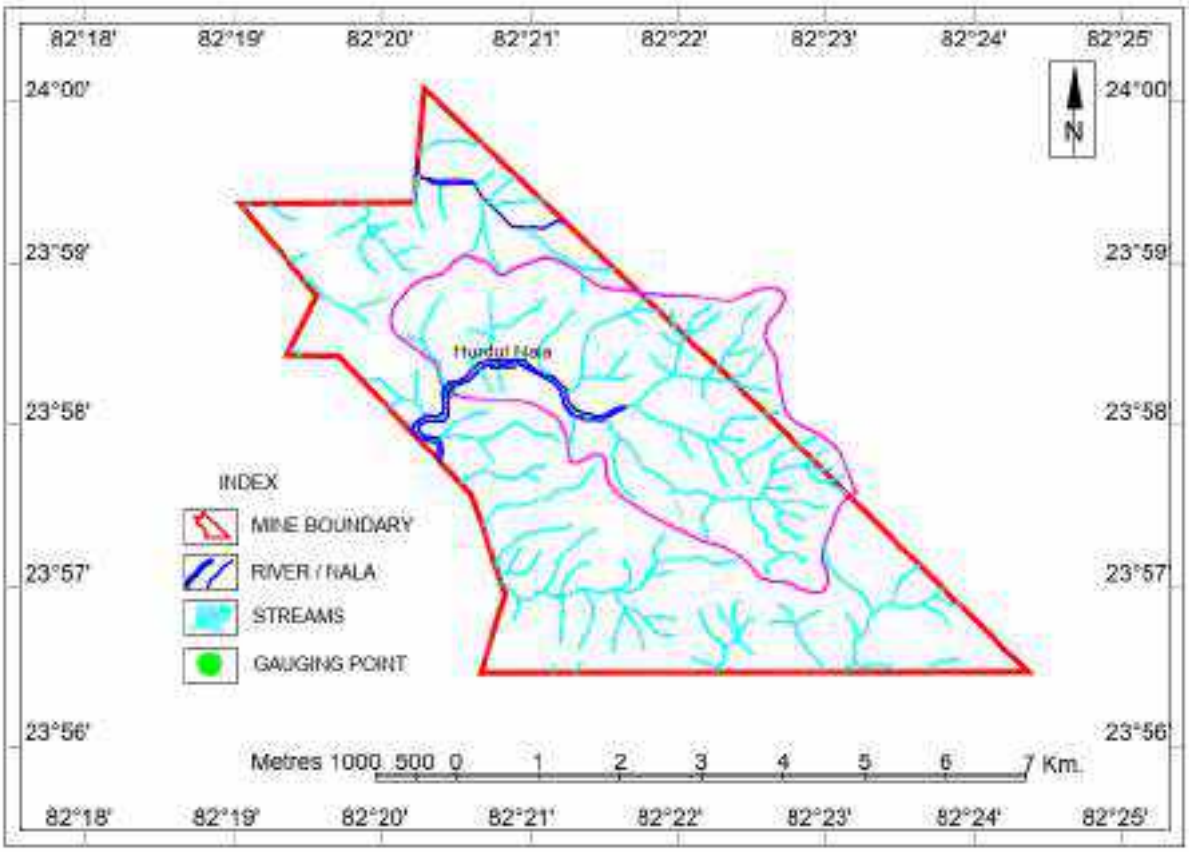

Figure 28: Stream Gauging Points

7.1 Morphometric Analysis

The morphometric analysis of the Hurdul Nala watershed evaluates parameters such as drainage density, stream order, and bifurcation ratio to understand the runoff and groundwater potential.

1. **Drainage Density**:
   - Drainage density (Dd) is an indicator of the linear scale of landform elements in stream-eroded topography.
   - The formula used for drainage density is:
     Dd = ΣL / A,
     where ΣL = Total length of channels and A = Area of the basin.
   - For Hurdul Nala, the calculated drainage density is 1.60 km/km^2, indicating moderate drainage patterns.
2. **Bifurcation Ratio (Rb)**:

- The bifurcation ratio is a measure of the branching pattern of a stream network. It is calculated using Horton's method:
  Rb = Number of streams of given order / Number of streams of next higher order.
- For Hurdul Nala, the bifurcation ratio is 3.54, suggesting that the drainage pattern is influenced more by erosion than by geological structures.

3. **Stream Order**:
   - The stream order of the watershed, based on Strahler's method, is used to classify and rank the stream segments within the drainage network.

Table 10: Stream Orders

Order of Stream	Stream No.	Log No.	Stream Length (Km)
1	179	2.25	110.92
2	42	1.62	54.65
3	6	0.79	18.51
4	3	0.48	24.04
5	1	0	6.85
Total			214.97

7.2 Infiltration Characteristics

Infiltration refers to the flow of water into the ground, and its characteristics were analyzed using the **Double Ring Infiltrometer** method. The experiment was carried out during the monsoon period to understand the infiltration capacity of the soil.

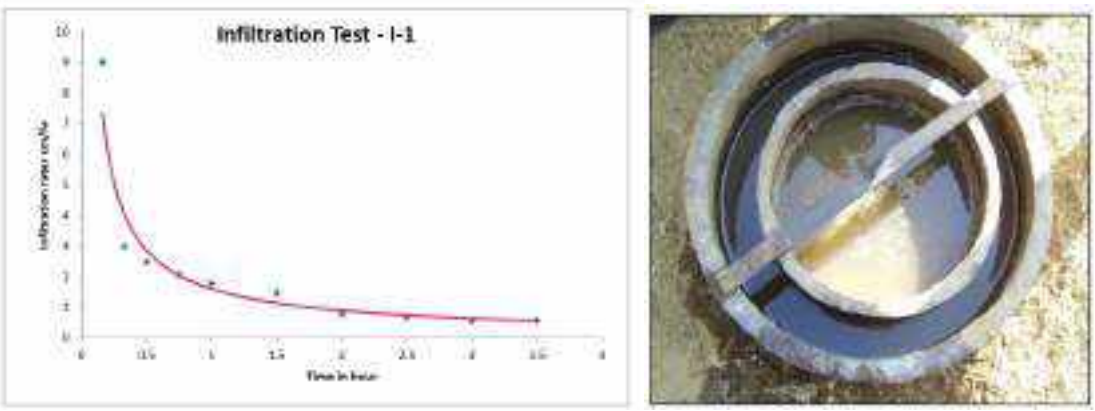

Figure 29: Infiltration Test

- **Double Ring Infiltrometer**:
    - The device uses two concentric rings (diameters: 30 cm and 60 cm) to maintain a constant water depth of 5.0 cm.
    - Water is applied to both rings, and the infiltration rate is measured only in the inner ring.
- **Results**:
    - The infiltration rate is observed to be **0.60 cm/hour**, indicative of a low infiltration capacity in the sandstone formation, possibly due to the wet clay loam soil conditions during the monsoon.

8 HYDROLOGY:

The various aspect of water related to surface can be explained in term of a cycle known as hydrological cycle. The runoff measurement is main task for formulation of stream water flow in this mine. The Hurdul Nala is non-gauged stream. Consequently there is no stream flow data available hence exercise of runoff measurement is to be done for TOR Compliance.

8.1 Stream Flow Measurement

Stream flow, representing the runoff phase of the hydrologic cycle, is crucial for this study as it helps validate hydrologic modeling. Stream flow measurement is expressed in cubic meters per second (m^3/sec) at specified times and constitutes historical data. For this study, the area velocity method has been chosen for measuring stream flow. The details of the gauging site are as follows:

1. **Coal Block:** Dhirauli Coal Block
2. **Period of Operation:** Two Months (August & September)
3. **Name of Sub Zone of CWC:** Sone Sub Zone 1(d)
4. **Name of Watershed:** Hurdul
5. **Shape of Catchment:** Fall
6. **Site Location:** Dhirauli
7. **Location (Toposheet – 64I/5):**
    - Latitude: 23° 58’ 11.83” (N)
    - Longitude: 82° 20’ 20.89” (E)
8. **Soil Type:** Red Loamy Soil
9. **Geology:** Lower Gondwana Sandstone / Shale Coal
10. **Nala Bed at Gauging Station:** RL 476 m above mean sea level (amsl)

8.2 Area Measurement at Gauges site:

8.2.1 Topographic Contour Survey

A topographic contour survey with a 1 m interval was conducted in the nala to determine the stable bed. Stage measurements were taken using a ranging rod, with marks made on the pillars of the bridge. The area is calculated based on the base Reduced Level (RL) value and the top water level RL value at 1 m intervals. The area estimation is performed on a daily basis.

Measurement Timing

- **Normal Rainy Days:** Measurements are conducted twice a day.
- **Heavy Rainy Days:** Measurements are performed hourly for 12 hours, or until flow stabilizes.

Measurement of Velocity

The measurement of velocity is a crucial aspect of the direct stream flow measurement technique. A mechanical device, known as a current meter, has been employed to measure the velocity of the stream.

8.2.2 Indirect Stream Flow Measurement

The indirect method is used to estimate peak flood runoff for the Hurdul Nala Watershed using mathematical models and empirical methods.

- **Mathematical Model for Peak Flood Estimation**:
  - The **Central Water Commission (CWC)** developed a mathematical model using a **unit hydrograph** approach to estimate peak flood for Sone Sub-zone 1(d).
  - A unit hydrograph model is created based on a 50-year return period for 24-hour rainfall.
  - The Hurdul catchment area is 134 km^2, and the model was validated with data from a smaller 11 km^2 area within the Dhirauli Coal Block.
- **Synthetic Unit Hydrograph**:
  - In the absence of detailed rainfall and flood hydrograph data, a synthetic unit hydrograph is derived using empirical equations from CWC guidelines for the Sone Sub-zone (1d).
  - The synthetic unit hydrograph estimates flood hydrographs based on catchment area characteristics and design storm duration.

Steps for Peak Flood Estimation

i. **Catchment Area Plan**: Preparation of the catchment area plan for Hurdul Nadi as shown in Figure 30

ii. **Determination of Physiographic Parameters** as shown in Figure 31

   a. Catchment Area: 134 km^2.

   b. Length of the Longest Stream: 18 km.

   c. Equivalent Stream Slope: 13.05 m/km.

iii. **Drawing Synthetic Unit Hydrograph**: Parameters estimated in Step 2 are used to draw the synthetic unit hydrograph. Se Figure 32

iv. **Design Storm Duration (TD)**: Calculated as 3.0 hours based on CWC norms.

v. **Point and Areal Rainfall Estimation**:

a. 50-year, 24-hour point rainfall is 20 cm.

b. Using a conversion factor of 0.54 and areal reduction factor of 0.77, the 50-year, 3-hour areal rainfall is estimated to be 8.316 cm.

vi. **Time Distribution of Areal Rainfall**: Distributed based on coefficients for 1-hour increments.

vii. **Estimation of Effective Rainfall Units**: Design loss of 0.25 cm/hr is adopted as per CWC norms.

viii. Peak Flood Estimation

a. The peak discharge was calculated by combining effective rainfall with synthetic unit hydrograph ordinates.

b. **Baseflow** was estimated at 5.9 m^3/s, representing the groundwater contribution to stream flow.

c. The **peak flood runoff** for the Hurdul Watershed is estimated to be **702.4 m^3/s**, based on a 50-year return period and 24-hour rainfall.

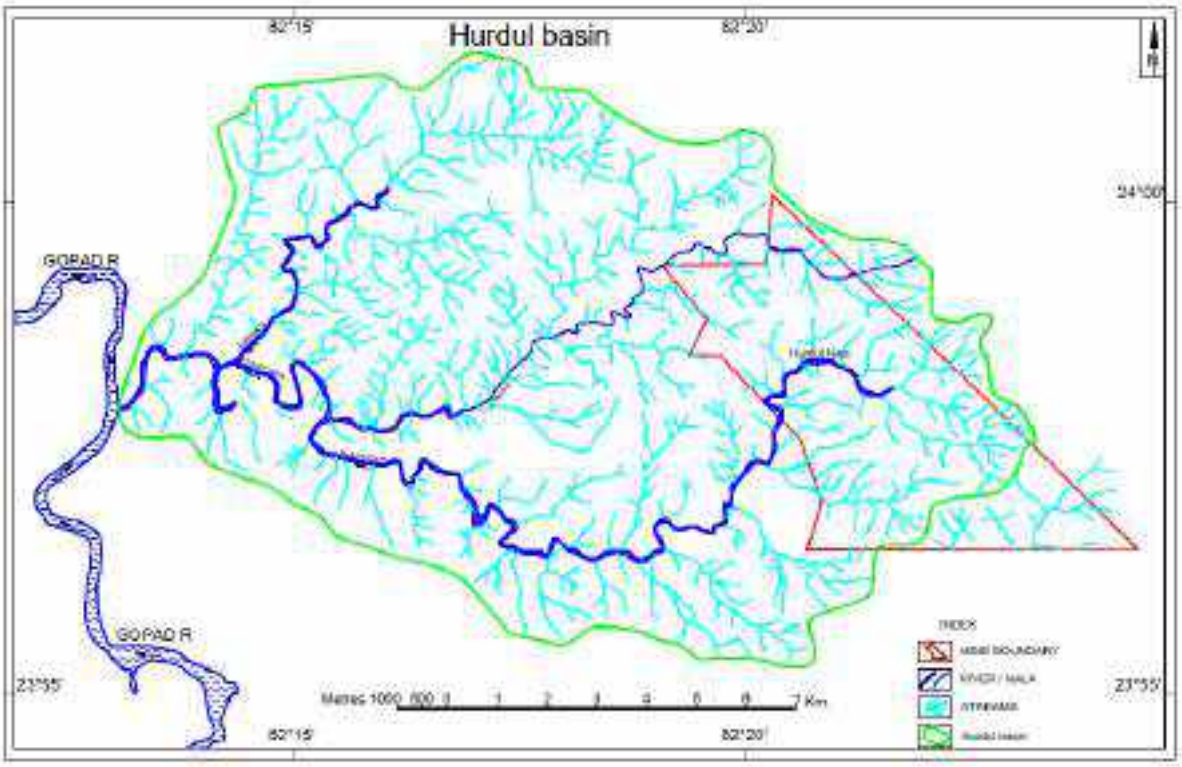

Figure 30: Catchment Area

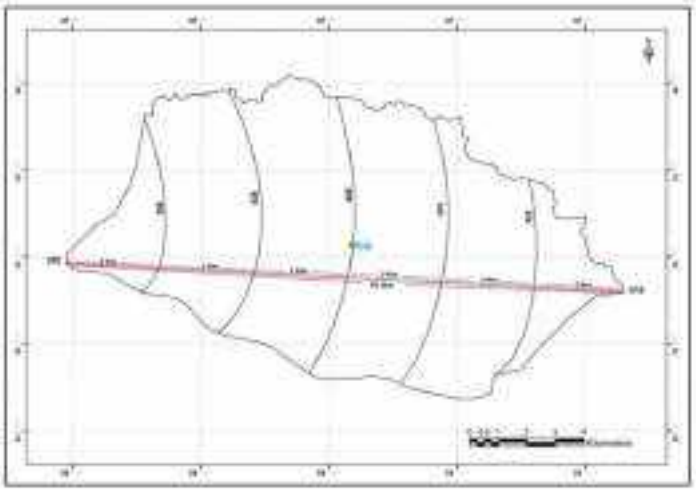

Figure 31: Catchment Properties

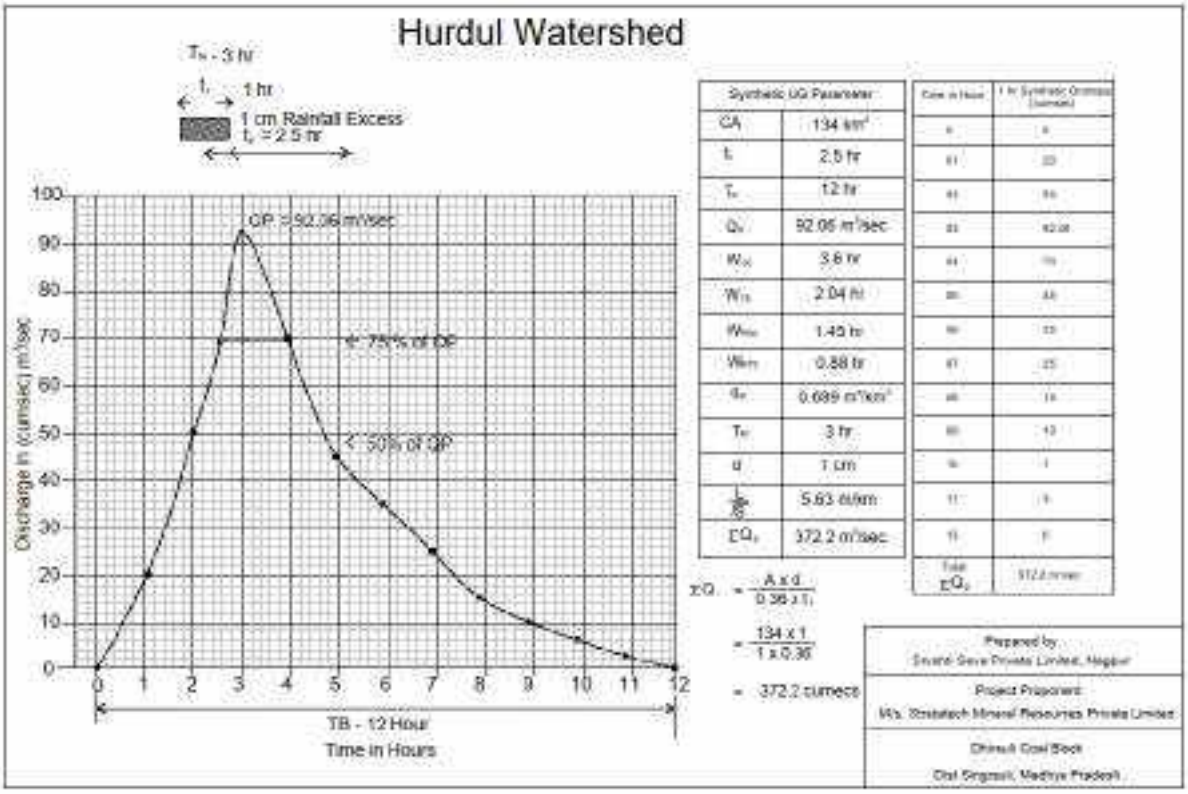

Figure 32: Synthetic Unit Hydrograph

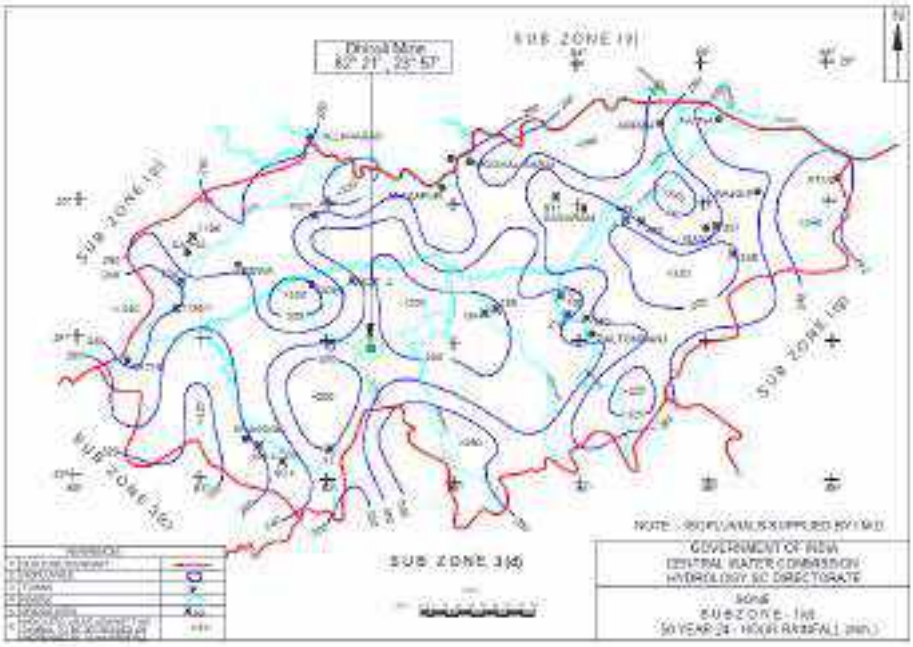

Figure 33: Isopluvial Map

Time in Hr	1Hr Synthetic Unit Hydrograph m^3/sec	Effective Rainfall Unit (Cm)/ Direct Runoff m3					Total Direct Runoff m^3/sec	Base flow m3/sec	Flood m3/sec	Remark
		0.59	1.42	5.56	1.42	1.59				
0	0	0.0	0.0				0.0	6.0	6.0	
1	20	11.8	0.0				11.8	6.0	17.8	
2	50	29.5	71.0	0.0			100.5	6.0	106.5	
3	92	54.3	130.6	511.5	0.0		696.4	6.0	702.4	Peak
4	70	41.3	99.4	389.2	99.4	0.0	629.3	6.0	635.3	
5	45	26.6	63.9	250.2	63.9	71.6	476.1	6.0	482.1	
6	35	20.7	49.7	194.6	49.7	55.7	370.3	6.0	376.3	
7	25	14.8	35.5	139.0	35.5	39.8	264.5	6.0	270.5	
8	15	8.9	21.3	83.4	21.3	23.9	158.7	6.0	164.7	
9	10	5.9	14.2	55.6	14.2	15.9	105.8	6.0	111.8	
10	7	4.1	9.9	38.9	9.9	11.1	74.1	6.0	80.1	
11	3	1.8	4.3	16.7	4.3	4.8	31.7	6.0	37.7	
12	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	

8.2.3 Validation of Model:

A mathematical model was developed for a 134 km^2 catchment area with a 50-year return period for 200 mm rainfall and validated using a proto model for an 11 km^2 catchment with 123 mm rainfall in 24 hours. The proto model was further validated with stream gauging data from the Dhirauli Coal Block, achieving a high correlation coefficient (R^2 = 0.9944), making it suitable for application in the Hurdul Nala Watershed.

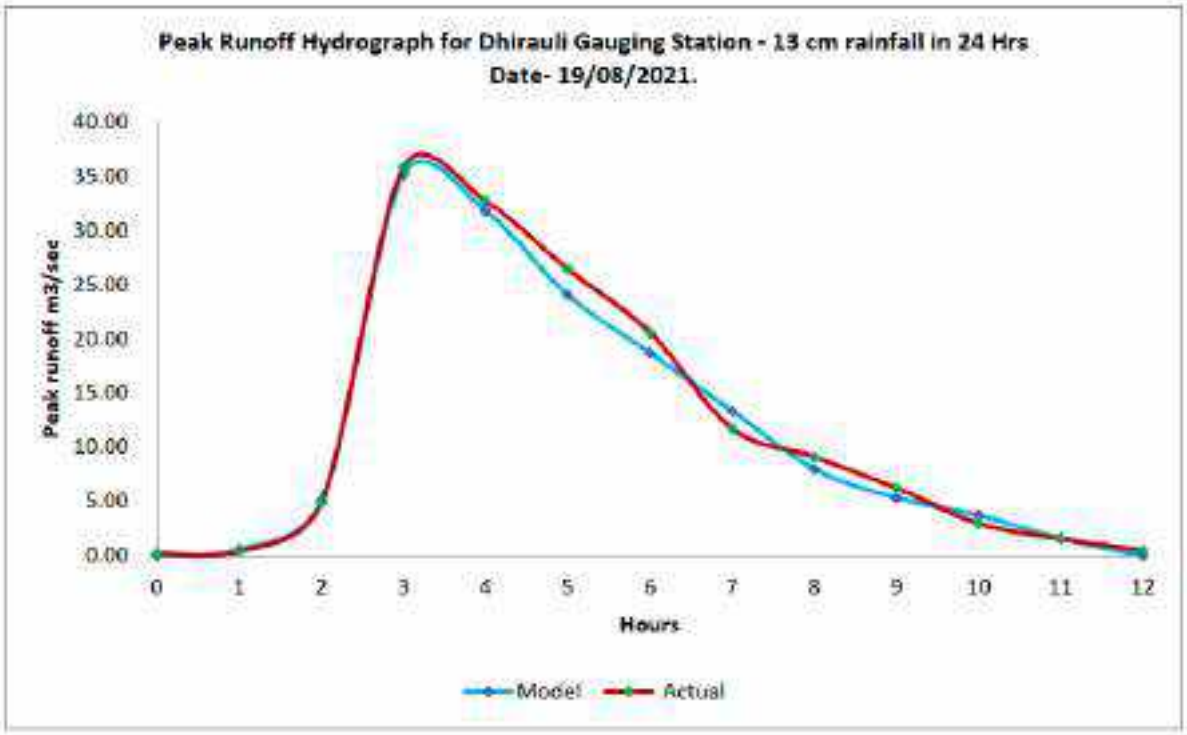

Figure 34: Peak Runoff Hydrograph for Dhirauli Gauging Station

8.3 Empirical Methods for Flood Estimation:

There are various empirical methods developed for peak flood estimation. In the mine area the most popular formula applied for flood estimation in Govt. of Madhya Pradesh & Chhattisgarh is given below.

1. Dicken's Method

2. Rational Method

8.3.1 Dicken's Method:

Peak flood estimation of Hurdul Nala watershed has been estimated based on Dicken's formula.

$QP = CA^{3/4}$

$QP = 19.60 \times (134)^{3/4}$

= 771.94 cumec (m^3/sec)

= 772 [m^3/sec]

Where,

C = Dicken's constant depending upon catchment site, rainfall intensity as per clause 3.2 of T.C. The value of C = 19.60 (Government of Chhattisgarh)

A = Catchment area of Hurdul = 134 km^2

Dicken's Method- 772 m^3/sec

Rational Method:

This is most popular method for peak flood estimation of watershed. The formula for Rational Method is

$$QP = \frac{CIA}{3600}$$

$$QP = \frac{0.287 \times 0.074 \times 134 \times 10^6}{3600}$$

$$QP = 688.6 \text{ cumec } m^3/sec$$

$$\approx 790 \ m^3/sec$$

Rational Method- 790 m^3/sec

Peak Flood Runoff of Mine External Watershed = 35 m^3/sec

Design Safe Flood runoff (2.5 times) = 88 m^3/sec

Table 11: Peak Discharge Summary

Sr. No.	Method	Catchment Area (km^2)	Peak Flood Runoff (m^3/sec)	Remark
1	Unit Hydrograph CWC	134	702	Method adopted by CWC considered
2	Dicken's	134	772	
3	Rational	134	790	
4	**Average**	**134**	**755**	

8.3.2 Surface Runoff Yield - Availability of Water in Hurdul Nala:

The yield of a catchment refers to the total surface water expected from a stream at its outlet over a specific period. For the Hurdul Nala watershed (134 km^2), the rainfall-runoff relationship was estimated using surface water modeling. With annual rainfall of 1142 mm, the runoff coefficient was found to be 0.287, resulting in an effective runoff (Rc) of 328 mm.

The total annual runoff yield for the Hurdul Nala catchment area is estimated to be 43.92 MCM/year. The external catchment contributes approximately 2.20 MCM/year, while the mine area runoff is around 8.76 MCM/year. Together, the combined runoff yield from the mine and external areas is 10.96 MCM/year, indicating that approximately 25% of the total Hurdul Watershed runoff is contributed by the Dhirauli Coal Block Watershed.

8.4 Study of Availability of Water in Hurdul Nala:

The Hurdul Nala watershed, with a catchment area of 134 km^2, exhibits a peak baseflow of 6 m^3/sec during the monsoon season. The non-monsoon baseflow at the confluence point into Gopad River averages 0.6 m^3/sec, contributing a total of 12.60 MCM/year for the non-monsoon period (October to May). The total water availability during the monsoon is estimated to be 31.32 MCM/year, making the annual runoff yield of Hurdul Nala approximately 43.92 MCM/year.

Table 12: Peak Discharge Summary

1	Monsoon Period	31.32 MCM
2	Non Monsoon Period	12.60 MCM
3	Total Perennial Yield	43.92 MCM/year

8.4.1 Seasonal Nala- Mine Area

The Dhirauli Mine area, which is part of the Hurdul Nala catchment (33 km^2), is characterized as a seasonal nala due to its location in the ridge area of the watershed. The water table is deep, ranging between 6 to 8 meters below the surface in the non-monsoon period, resulting in no observable seepage. The mine area does not contribute to the baseflow, making this part of Hurdul Nala non-perennial, unlike the downstream sections which sustain the baseflow.

8.5 Overall Impact of Nala Diversion and its contribution to other big streams i.e. Gopad River etc.:

The proposed diversion of Hurdul Nala for the Dhirauli Coal Mine is essential to manage and sustain monsoon runoff while minimizing environmental impacts. The diverted runoff will be collected in a sedimentation pond via a Nala Diversion Trench that runs along the mine boundary. This process helps trap excess Total Suspended Solids (TSS), ensuring that clean water flows downstream in its natural course. During mining operations, the mine will serve as a rainwater harvesting structure, replenishing groundwater and contributing to the nala's flow throughout the year. The mine's water will be managed by pumping it out either from the mine sump or through advanced dewatering techniques, and then discharged into the natural drainage network after settling in sedimentation ponds. This strategy will ensure that the water quality and flow downstream are preserved, supporting the overall hydrological balance in the Hurdul Nala watershed even as mining progresses.

8.6 Impact on livelihood support in its downstream and providing alternative in case of diversion:

The diversion of Hurdul Nala is deemed unnecessary, as the mine water itself will be sufficient to support local livelihoods during mining operations. The availability of mine water throughout the year can be utilized for irrigation of three crop cycles and vegetable cultivation, a practice commonly adopted in other coalfields. After proper filtration, the mine water can also serve as a drinking water source, similar to other Coal India mine colonies that rely on mine water for domestic use and supply it to nearby villages at nominal costs. Additionally, the proposed Nala Diversion Trench along the mine boundary can function as a canal, allowing competing users to access water at higher elevations and use gravity flow for irrigation at lower altitudes. This setup will ensure continued agricultural support and water availability for local communities throughout the mining period.

8.7 Rationality of nala diversion in term of coal conservation and stream restoration:

Nala diversion is considered essential for coal conservation and stream restoration in some cases. Since coal is a nonrenewable resource that forms over millions of years, its extraction is crucial for economic growth. Advanced technology enables maximum coal extraction, making it economically beneficial to divert natural streams when coal is trapped beneath them. Such diversions are planned to maintain the hydrological balance of upstream and downstream areas, ensuring environmental protection. Following coal extraction, backfilling with overburden and subsequent plantation will restore the land and initiate stream restoration. Over time, the natural gradient and topography will guide the stream restoration process, making it possible to recreate the original water flow patterns during mine closure.

8.8 Effect on aquatic ecology (if any) and mitigation measures for the same.

The Hurdul Nala within the mine area is a seasonal stream, not a perennial one, meaning it does not support an aquatic environment, which relies on continuous water flow. During the non-monsoon period, mine seepage could potentially contribute to water availability, but the nature of this water (acidic or neutral) depends on the presence of pyrite in the coal. Current geological reports indicate no pyrite content, suggesting that the mine water will likely be neutral or alkaline. Consequently, there is no significant impact on the aquatic ecology, and no specific management measures are required for the aquatic environment in this context.

9 MINE WATER QUALITY:

The groundwater Quality has been study based on the data collected during investigation. From the observation of data the following interpretation have been done.

i. pH of groundwater was ranging from 6.8 to 7.8
ii. Total dissolved solids (TDS) were within the range of 172 to 600 mg/l
iii. The hardness values were in the range of 142 to 277 mg/l
iv. Calcium & magnesium were range of 38 to 258 mg/l and 11 to 26 mg/l respectively.
v. Chloride in the rage of 50 to 66 mg/l
vi. Iron in the range of .4 to .7 mg/l
vii. Fluoride is below 1.0 mg/l
viii. Heavy metals such as arsenic borne, lead, mercury were all from below detection level. In General the groundwater of mine is well within permissible limit of BIS -10500 of 2012 and suitable for drinking & Industrial purposes subject to mine water passes through sedimentation pond and chemical treatment plan before use.

10 WATER MANAGEMENT:

10.1 Need for Nala Diversion trench:

a) The need for nala diversion trench for sustainable mining is required for following reasons.
b) To avoid mine inundation from peak runoff.
c) Practically water free mine will yield maximum production.
d) Extraction of total coal likely to be locked.
e) Coal is natural non-renewable resource which should be fully extracted with due conservation and safety for National interest.
f) Better management of soil conservation by garland Diverted nala trench and soil trap pit.
g) There should not be any loss of stream flow of Hurdul nala due to mining.

The design of diverted nala trench is proposed keeping the following factors-

1. Mine Plan

2. Safety of Mine

The water management for efficient mining needs to be done in respect of external surface water and internal surface water runoff

10.2 External Water Management:

The external surface water from the area of 6.70 km^2 is entering into mine through external boundary of block. Diversion of Hurdul nala is proposed from eastern side of block boundary (flowing northern side) which will join the Bardiya/Jharia Nala a tributary of Hurdul Nala. In this way complete external surface

runoff will go into same Drainage density system. Proposed diversion is depicted in to Figure 9.1.

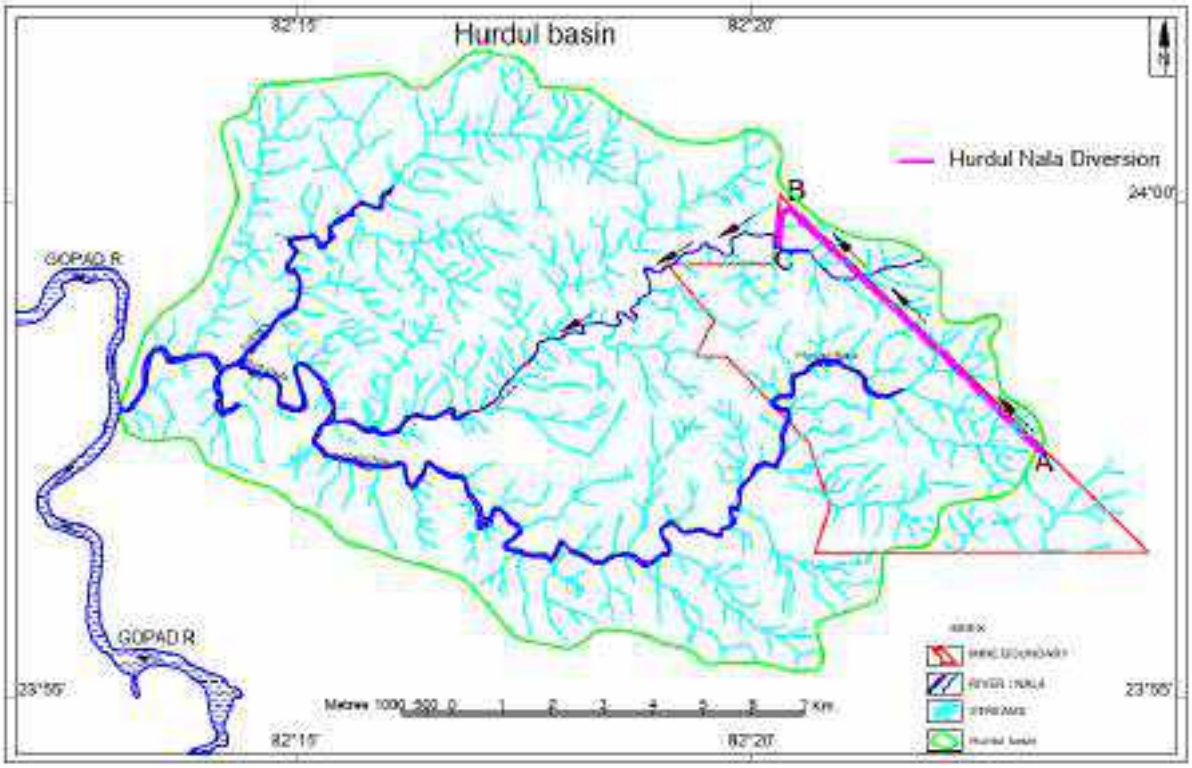

Figure 35: Hurdul Nala Diversion

10.3 Proposed Diverted Nala Trench:

The diversion of external Nala will be done along northern boundary of mine. The design is shown in Figure 36. The total length along boundary is 6900 m. The starting & ending RL are 555 mRL & 484 m RL respectively. The general slope will be 1:100 m. It is proposed to carry out surface excavation up to ground level along boundary side of 45 m width.

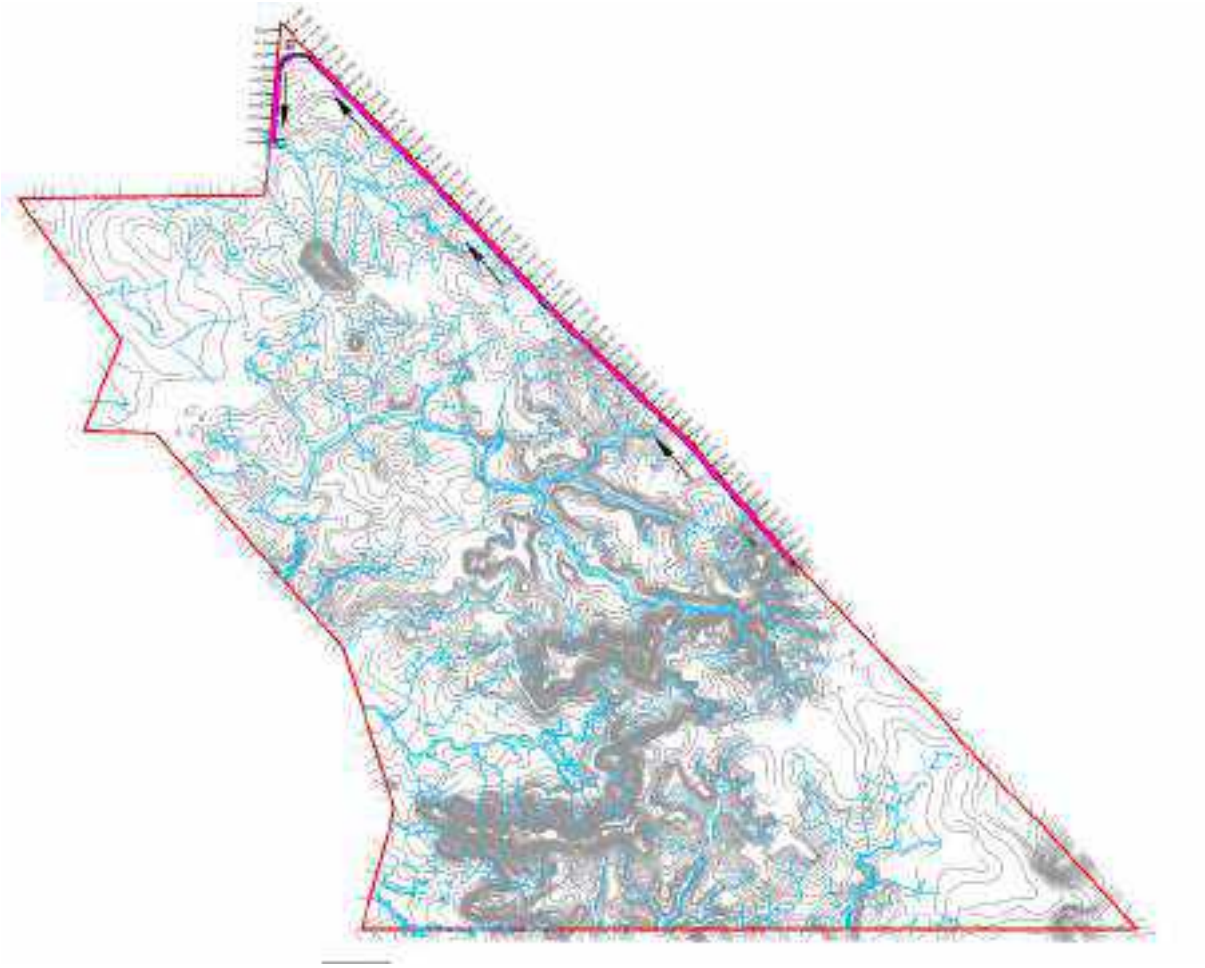

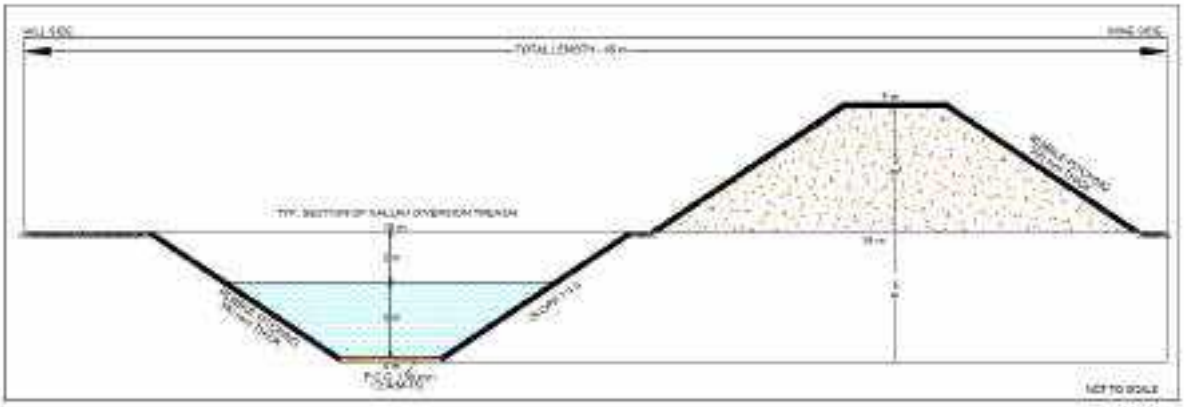
TOTAL LENGTH
NOT TO SCALE

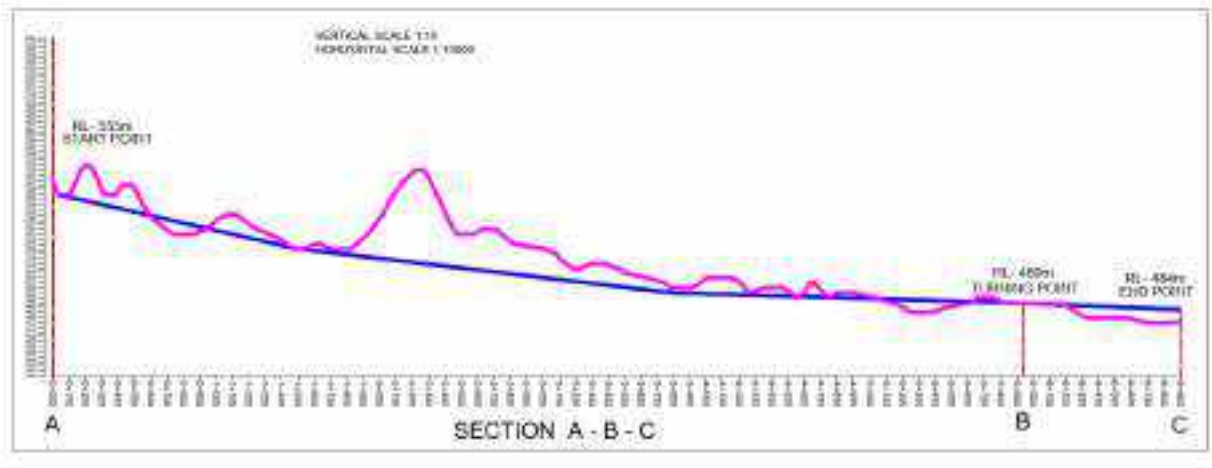

Figure 36: Design of Nala Diversion Trench

10.4 Design Calculation of Diverted Nala Trench:

The manning equation is commonly used to design calculation based on characteristics of channel elevation, slop, cross sectional area (A) wetted perimeter (P) Hydraulic radius (R) and Rugosity Coefficient (h) the velocity (v) of flow as per manning's equation.

$$V = \frac{1}{n} R^{2/5} S^{1/2}$$

$$QP = AV$$

QP is the peak discharge (m3/sec) V velocity (m/sec) n is manning Rugosity coefficient, R is hydraulic gradient (m). Design capacity of velocity peak flow estimation for design for trench is given in

Table 13: Design Capacities of velocity peak flow estimation for trench

Sr. No.	Details	m a msl
1	Entry Point Level	555
2	End Point Level	484
3	Net Level Difference	71
4	Length of Proposed	6900
5	Slope (s) (6900/71= 97) (1:97 say)	1:100
6	Average Water Depth	3
7	Free Board	2
8	Bottom Width	4
9	Top Width	9
10	Slop Left side	1.5:1
11	Slop Right side	1.5:1
12	Wetted perimeter	22
13	Cross sectional Area of Channel (A)	19.5
14	Hydraulic Radius (R = A/P)	0.886
15	Rugosity coefficient (n)	0.02
16	Velocity of flow as per manual Equation $V = \frac{1}{n} R^{2/5} S^{1/2} = \frac{1}{0.02} 0.886^{2/3} 0.01^{1/2}$ $= 50 \, x \, 0.952 \, x \, 0.1 = 4.76 \, m/sec$	4.76 m/sec
17	Peak flood discharge (4.76 x 19.5)	93 m^3/sec
18	Diversion of nala requirement is less than design capacity	88 m^3/sec

10.5 Details of external diverted Nala trench:

Table 14: Details of diverted nala trench

Sr no.	Details	Data/Value	Sr no.	Details	Data/Value
1	Length of Diverted nala trench	6900 m	9	Width of Diverted nala trench	19 m
2	Width of Diverted nala trench	45 m	10	Width of berm	19 m
3	Start point of Diverted nala trench	555 m RL	11	Extra Width	7 m
4	End point of Diverted nala trench	484 mRL	12	Total Width	45 m
5	General slope of Diverted nala trench	1:100	13	Height of berm	5 m above trench
6	Width of Diverted nala trench	4 m	14	Top width of berm	4 m
7	Depth of water	3 m	15	Both side slope of Diverted nala trench and berm	1.5 H:1
8	Free board	2 m			

10.6 HEC-RAS Model Analysis of Nala Diversion:

A HEC-RAS model was setup for the Nala Diversion. It was found that the chosen Nala diversion is safe for carrying the maximum peak discharge.

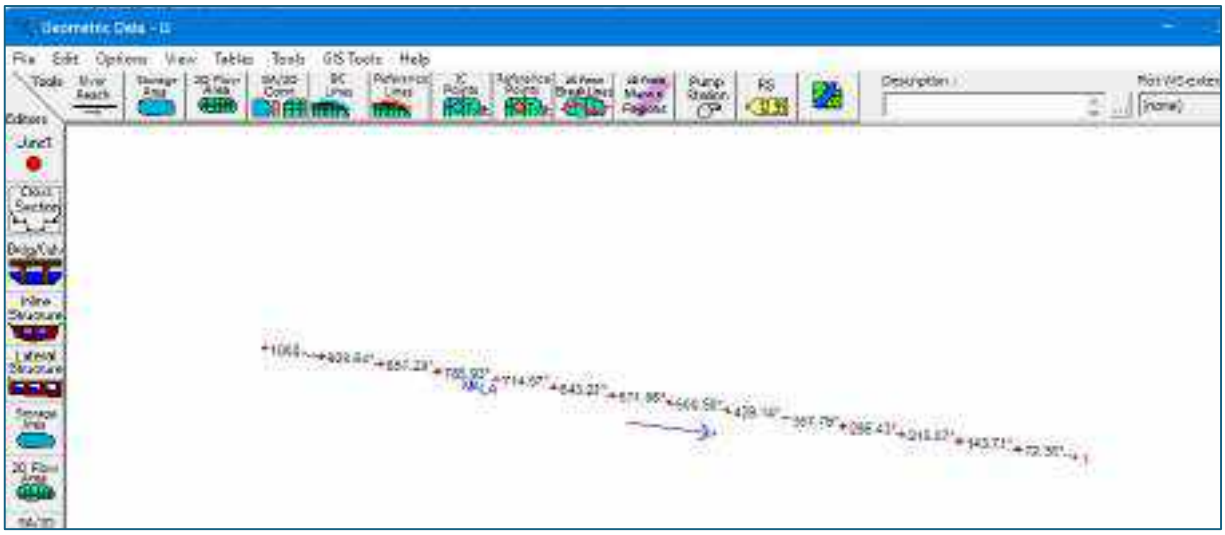

Figure 37: HEC-RAS model Set-up

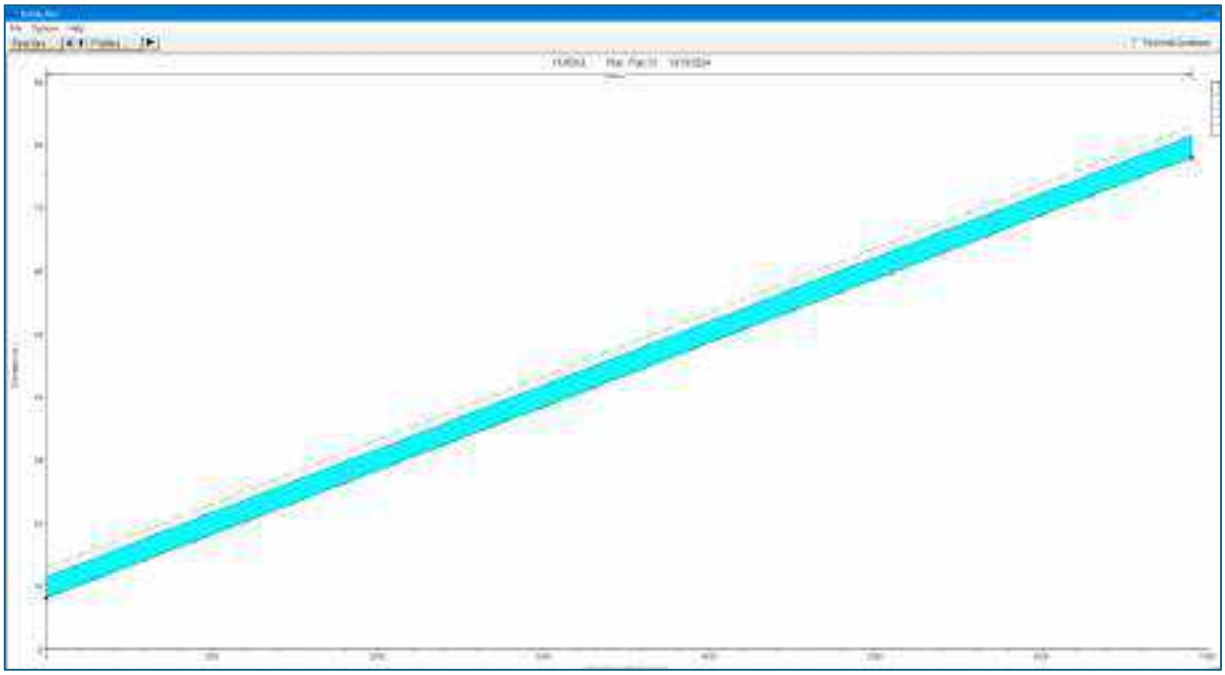

Figure 38: Water Surface Profile

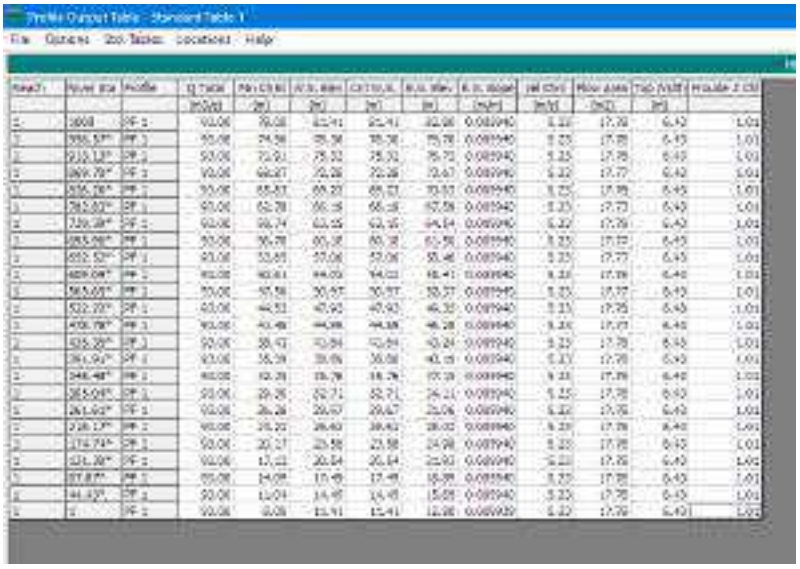

Figure 39: HEC-RAS model output

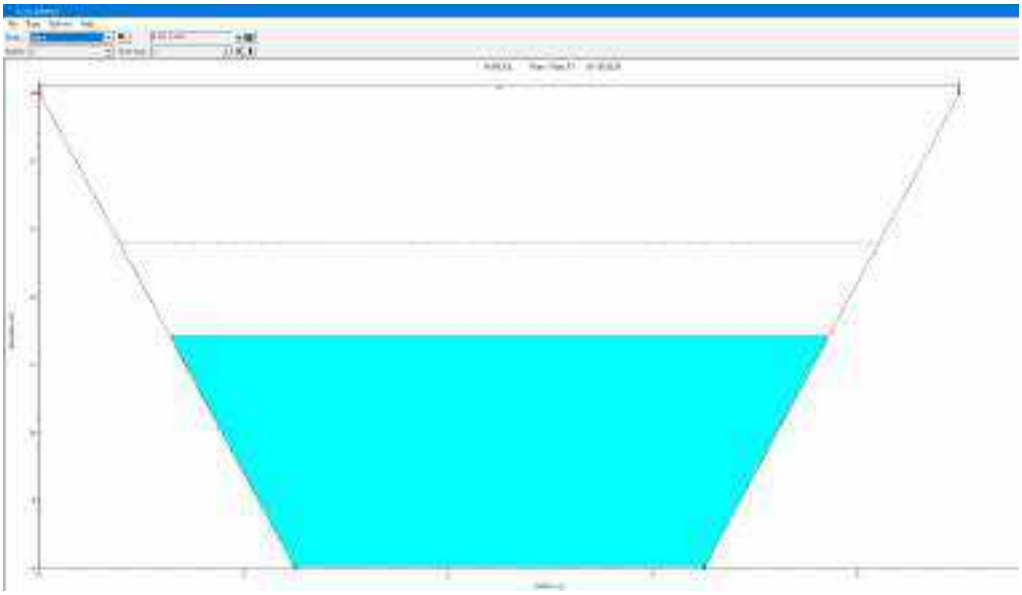

Figure 40: Water Surface Profile

10.7 Internal Water Management:

As per mine practice in open cast coal mine the garland Diverted nala trench within mine area will be constructed as and when required at suitable location to avoid surface water runoff in rush into working mine area.

11 Conclusions

1. The southern part of Dhirauli block is relatively flat, while the north-eastern and south-central regions are rugged and forested with hillocks reaching 638 m above sea level. The Hurdul Nala, a primary drainage feature, influences the hydrology, along with other seasonal streams following a dendritic pattern.
2. The Dhirauli block is intersected by 11 normal gravity faults with displacement ranging from 5 m to 85 m. These faults form two distinct sets trending NW-SE and NE-SW, affecting the region's geological structure.
3. Groundwater recharge in the region varies between non-mining and mining conditions. Non-mining recharge is estimated at 3.97 MCM/year, while mining operations increase recharge to 7.6 MCM/year, contributing to local water balance.
4. The region experiences a tropical climate with four distinct seasons. Average annual rainfall is 1155.5 mm, and a SWAT model shows a runoff coefficient of 0.26, indicating significant losses to evapotranspiration and percolation.
5. The Hurdul Nala watershed contributes significant water during both monsoon (31.32 MCM) and non-monsoon (12.60 MCM) periods. However, the proposed Nala diversion aims to manage monsoon runoff and prevent inundation while preserving stream flow.
6. A Double Ring Infiltrometer test showed a low infiltration rate of 0.60 cm/hr in the sandstone formation, suggesting limited soil permeability during the monsoon.
7. The diversion of Hurdul Nala is necessary for coal conservation, stream restoration, and to prevent mine inundation from peak runoff. It will help in maintaining a steady water flow and mitigating environmental impact.
8. Groundwater in the Dhirauli area is of good quality, with pH ranging from 6.8 to 7.8, and TDS between 172 and 600 mg/l. The water quality is within permissible limits for drinking and industrial use, contingent on proper treatment.
9. As Hurdul Nala is a seasonal stream with no significant aquatic ecosystem, the proposed diversion is unlikely to cause ecological harm, especially considering the absence of pyrite in the coal.
10. The design of the Nala diversion trench will ensure sustainable mining by managing external surface water runoff and preventing mine inundation. It also guarantees that no streamflow loss occurs in the Hurdul Nala due to mining activities.
11. The proposal includes efficient water management strategies such as sedimentation ponds and chemical treatment before mine water is discharged into the natural drainage system, maintaining water quality and flow consistency.
12. The HEC-RAS Model Analysis of Nala Diversion results for diversion channel of Hurdal Nala along the boundary of coal block area indicate that the predicted water levels along diversion channel are well confined within the banks of Nala for peak discharges. It was seen from the results of model studies that there was no significant change in water regimes under existing and proposed diversion conditions.
13. The vast reserve of coal available in India is required to be taped economically to achieve the energy requirements of this developing country.

(Dr. Suresh Kumar)

Dr. Suresh Kumar
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
IIT (BHU) Varanasi-221005

(Dr. Pramod Soni)

Dr. Pramod Soni
Assistant Professor
Department of Civil Engineering
IIT (BHU) Varanasi

Annexure 11

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER GANGA BASIN REA (M.P.)

(Email id cegangabasinrewa@gmail.com)

Memo No. 2512 /G/W/MP/ 1-48 of 22 Rewa, Date 19-4-22

To,

The Project Head
Dhirauli Coal Mine (The "Block")
M/s Stratatech Mineral Resources Pvt.Ltd.(SMRPL)
Tehsil-Sarai District-Singrauli (M.P.)

Sub:- No Objection certificate (NOC) and Permission for diversion of Hurdul Nalla for Dhirauli Coal Block which is an Open cast cum Underground mine of 6.5MTPA (5 MTPA Open Cast & 1.5 MTPA Underground) in Mine Lease Area of 2672 Ha held by M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) located at village Dhirauli, Phatpani, Siswah, Amdand, Jhalan, Amrakhoh, Basberdah and Belwar, Tehsil-Sarai, District-Singrauli, Madhya Pradesh

Ref:- 1. Executive Engineer Water Resources Division No 2 Singrauli letter No 374/W/2022 singrauli Dated 09.02.2022
2. Your letter No SMRPL/HG/2022/79 Date 03.01.2022

With Reference to above cited subject, there is a Proposal to divert primary streamlet flow of Hurdul Nalla and surface run off water along periphery of mine lease boundary through construction of Catch drain. The peak flood discharge of Hurdul watershed i 702m3/s and the proposed diversion of Hurdul Nalla trench will be having a length of 6900 meters. The average hydraulic gradient of the diverted trench will be 1.100 and the garland drain catch drain will be constructed in trapezoid shape with dimension of 1.5H:1 side length and floor width of 4m,3 meters water depth and 2m free board.

Based on the above technicaljustification, the Detailed Project Report (DPR) is approved and subsequently No objection certificate (NOC) & Permission/Approval has been issued for DIVERSION OF HURDUL NALLA for Dhirauli Coal Mine (The "Block") with following condition:

1. Diversion of Hurdul Nalla will be carried out by M/s SMRPL under supervision of office of the Chief Engineer, Ganga Basin, Rewa, Madhya Pradesh.
2. During monsoon period surface runoff should pass through sedimentation tank to arrest debris and Total suspended solids (TSS) before water is discharged into Hurdul Nalla.
3. During Non-monsoon period mine seepagewater should be treated to the extent of BIS standard for drinking water (IS10500-2012) before discharging into Hurdul Nalla.
4. All expenditure on account of construction of catch drain will be borne by Company.
5. The land acquisition for construction of catch drain belonging to either Govt. or Private will be responsibility of Company.
6. Permission from forest department and other departments will be responsibility of company.

Encl-One Copy of DPR

(C. M. Tripathi) 19-4-2022
Chief Engineer
Ganga Basin Rewa (M.P.)

End No 2513 /G/W/MP/ 1-48 of 22 Rewa Dated 19-4-22

Copy forwarded to

Executive Engineer Water Resources Division No.2 Singrauli (M.P.) for information.

Encl-Nil

(C. M. Tripathi) 19-4-2022
Chief Engineer
Ganga Basin Rewa (M.P.)

Scanned with CamScanner

Annexure 12

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Diversion of transmission line

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes that the Diversion of the transmission line shall be done using a defined corridor with the minimum centre-to-centre distance between the lines to economize the need for additional land for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land In Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad
Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 13

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्य प्रदेश

प्रगति भवन, भोपाल विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, एम.पी.नगर, भोपाल

दूरभाष : 0755–2674318, 2674337, फैक्स : 0755–2766315

E-mail : pccfwl@mp.gov.in

क्रमांक / व.प्रा. / माचि. / 2022 / MINE-140 / 8522 भोपाल, दिनांक 24/11/2022

प्रति,

M/s Stratatech Minerals Resources Pvt. Ltd.
Adani Corpotate House, Shantigram,
Near Vaisho Devi Circle, S.G. Highway,
Khodiyar Ahmedabad-3824421Gujarat

विषय :– **Submission of 'Site Specific Wildlife Conservation Plan along with location plan and list of flora fauna' for authentication w.r.t. for proposed Dhirauli Coal Block with an area of 267.2 Ha. in Singruli Coalfields at village Aamdand, Amraikhoh, basi Berdah, Phatpani, Belwar, Dhirauli, Jhalari and Sirswah Tehsil Sarai, Singruli District of Madhya Pradesh. (FP/MP/MIN/142344/2021)**

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश की टीप क्रमांक 448 दिनांक 02.11.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोस प्रायवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1436.19 हेक्टेयर में धिरौली कोल ब्लॉक का वन (संरक्षण) अधनियम, 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव संबंधी प्रकरण में प्रस्तावित खदान से 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले फ्लोरा–फौना के संरक्षण के लिये रूपये 1065.00 लाख की 10 वर्षीय वन्यप्राणी संरक्षण योजना वरधान इनवायरोनेट गुरगांव से तैयार कराकर संबंधित वनमण्डलाधिकारी, सिंगरौली को मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई थी। उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना मुख्य वन संरक्षक, रीवा द्वारा पत्र क्रमांक 7633 दिनांक 14.09.2022 से अनुशंसा सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश को प्रेषित की गई। उनके द्वारा संदर्भित टीप से वन्यप्राणी संरक्षण योजना अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार फ्लोरा–फौना की जानकारी / सूची एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राशि रूपये 1065.00 लाख की 10 वर्षो की वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रेषित की गई है, जिसके मुख्य घटक एवं प्रावधानित राशि निम्नानुसार है:–

Sl. No	Management interventions	Year wise financial projection (in Lac.)										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Total
WILDLIFE HABITAT IMPROVEMENT WORKS												
1	Development of water bodies	40.00	00.00	25.00	00.00	20.00	00.00	10.00	00.00	05.00	00.00	**100.00**
2	Meadow development in the areas having canopy density less than 0.4	30.00	20.00	15.00	05.00	05.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	**75.00**
3	Eradication of weed hindering the growth of palatable grasses	00.00	30.00	00.00	20.00	00.00	15.00	00.00	05.00	00.00	05.00	**75.00**
4	Salt lick near water bodies/ suitable areas	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	**25.00**
5	Planting of species suitable to wildlife	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	**25.00**
FIRE PROTECTION WORK												
6	Engaging fire watchers, cleaning and burning of fire lines, hiring vehicles, etc.	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	05.00	**50.00**
SPECIAL PROVISION FOR HUMAN ELEPHANT CONFLICT												
7	Physical barriers like elephant proof trench,	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	**100.00**

Scanned with OKEN Scanner

Sl. No	Management interventions	Year wise financial projection (in Lac.)										
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Total
	removable barriers, etc. Solar / tentacle/ biological fencing											
8	Various acoustic and farm based deterrence's, Mobile app based technology, Elephant depredation squad, Awareness campaign, monitoring tower and miscellaneous	40.00	35.00	35.00	30.00	25.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	**245.00**
ORGANIZATIONAL STRENGTHENING												
9	Purchase of vehicles for monitoring purpose, Wages related to monitoring/ maintenance work, fuel lubricant, etc.	25.00	00.00	15.00	00.00	20.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	**70.00**
STRENGTHENING FOREST MANAGEMENT COMMITTEE FOR BETTER COOPERATION AND PROTECTION												
10	Developmental activities in JFM areas for socio-economic development	40.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35.00	00.00	00.00	00.00	00.00	**75.00**
11	various eco-tourism promotion activities	00.00	00.00	40.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	35.00	00.00	**75.00**
12	Construction of grainery, godown for safety from elephants.	00.00	25.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25.00	00.00	00.00	00.00	**50.00**
13	Distribution of seedlings of fruit bearing and other species in village areas.	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	05.00	00.00	**25.00**
MISCELLANEOUS EXPENDITURES												
14	Safety precautions, signage, boards, displays	15.00	00.00	00.00	00.00	00.00	10.00	00.00	00.00	00.00	00.00	**25.00**
15	Study tours for gaining experiences and knowledge about efforts being done, within or outside country in human elephant mitigation.	25.00	00.00	00.00	00.00	00.00	25.00	00.00	00.00	00.00	00.00	**50.00**
	Total	**240.00**	**130.00**	**155.00**	**75.00**	**95.00**	**125.00**	**85.00**	**40.00**	**85.00**	**35.00**	**1065.00**

मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त के द्वारा अनुशंसित वन्यप्राणी योजना के पृष्ठ क्रमांक 21 से 49 में उल्लेखित फ्लोरा–फौना के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु पृष्ठ क्रमांक 98 से 101 पर दर्शाये गये कार्यों के अनुसार रूपये 1065.00 लाख की 10 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाता है। अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त एवं एक प्रति वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली को उपलब्ध करायें।

प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत, माइन प्रारंभ होने के पूर्व समय–सीमा में संशोधित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु प्रावधानित राशि रूपये 1065.00 लाख एक मुश्त मध्यप्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा टी.टी. नगर, भोपाल के बचत खाता क्रमांक 10571048460 आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0001308 में जमा करायी जाकर वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली एवं इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

24.11.2022

(जसबीर सिंह चौहान)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक / व.प्रा. / मा.चि. / MINE-140 / 8523 भोपाल, दिनांक 24/11/2022

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (इम्पैक्ट असेस्मेंट डिविजन) इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोर बाग रोड नई दिल्ली–110003 की ओर उनके के पत्र क्रमांक J-11015/49/2021-IA-II(M) दिनांक 03.08.2021 से जारी स्वीकृति के क्रम में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत आपके स्तर से जारी अंतिम अनुमति मे अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि रूपये 1065.00 लाख आवेदक संस्था द्वारा वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली को एक मुश्त उपलब्ध कराने की शर्त अधिरोपित करने का कष्टकरें।
3. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा की ओर अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सिंगरौली की ओर उक्त अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में भारत सरकार/राज्य शासन की अंतिम स्वीकृति उपरांत माइन प्रारंभ होने के पूर्व वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित राशि एक मुश्त आवेदक संस्था से प्राप्त कर प्रावधानित कार्यो का समय सीमा मे क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

24/11/2022

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner

Annexure 14

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ई0मे0 dfot.sgl@mp.gov.in फोन-07805-233336 फैक्स- 233335

क्र0/तक0/7398 सिंगरौली, दिनांक. 28.11.24

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
अडानी कॉर्पोरेशन हाउस, शांतिग्राम, गुजरात

विषयः— वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन, माडा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकवा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 62.19 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि मे धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का प्राप्त आदेश कमांक/एफ-1/845/2023/10-11, 5735 दिनांक 26.11.2024

—000—

विषयातर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत वन परिक्षेत्र बैढन क कक्ष कमांक आर. 353, 354, 356, 361, वन परिक्षेत्र माडा के कक्ष कमांक आर. 534 एवं वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष कमांक आर. 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 337, 357, 360, 377 में प्रभावित वनभूमि रकवा 1335.35 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे0 कुल रकवा 1397.54 हे0 भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोंसेस प्राईवेट लिमिटेड का सिंगरौली जिला के सरई तहसील में आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र से प्रस्तावित खदान से 10 कि.मी. की परिधि में पाये जाने वाले फ्लोरा-फौना के संरक्षण हेतु 10 वर्षीय वन्यप्राणी संरक्षण योजना में लागत राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क0	मद का नाम	रकवा (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	कुल योग
1	वन्यप्राणी संरक्षण योजना	1436.19	10,65,00,000/-	10,65,00,000/-
			10,65,00,000/-	10,65,00,000/-

10 वर्षीय वन्यप्राणी संरक्षण योजना रकवा 1436.19 हे0 की राशि रू. 10,65,00,000/-(रू. दस करोड़ पैसठ लाख मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

अतः उक्त प्रस्तावित प्रकरण में अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे। ताकि वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा सके।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/तक0/7399 सिंगरौली दिनांक. 28.11.24

प्रतिलिपिः— 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

ADANI MINING LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14299GJ2022PLC134875

Payment Advice		Document	2000000176
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	02.12.2024
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12024120300021384
City	BHOPAL		
Ref No	02.12.2024 HN15		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 106,500,000.00 (Rupees Ten Crore Sixty Five Lakh Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	29.11.2024	106,500,000.00	0.00	0.00	106,500,000.00
	Total		0.00	0.00	106,500,000.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

Annexure 15

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक/2147/भू-अर्जन/22 सिंगरौली दिनांक 18/11/2022

प्रति,

कलस्टर हेड,
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

विषय :- मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरेल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत अनुमोदित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती प्रेषित किये जाने बावत।

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि सिंगरौली जिले में स्थापित स्ट्राटेक मिनरेल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड परियोजना को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक हेतु माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत जारी भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती को संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित पुर्नवास नीति

संयुक्त कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

T3

धिरौली कोल माइन परियोजना,

(मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड)

जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

के लिए

पुनर्वास एवं पुर्नव्यस्थापन नीति

धारा 11 अधिसूचना दिनांक 15/02/2022

पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति
धिरौली कोल माइन परियोजना

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले की तहसील सरई में स्थित धिरौली कोल ब्लॉक को कोयला मत्रालय के पत्र क्र. NA-104/7/2020-NA दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड** को धिरौली कोल ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

धिरौली कोल माइन परियोजना हेतु निजी भूमि के अर्जन के लिए भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

धारा–4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना – दिनांक 02.06.2021

धारा–11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना – दिनांक 15.02.2022

सिंगरौली जिले में एपीएमडीसी सुलियरी कोल माइन परियोजना एवं टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए भी भू–अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं दोनों परियोजनाओं के लिए कमशः वर्ष 2018 एवं 2019 में म0प्र0 की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में समाविष्ट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की गई पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति का अनुमोदन माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। अतः एपीएमडीसी की सुलियरी कोल माइन की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति 2018 एवं टीएचडीसी की अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास नीति 2019–20 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विस्थापितों के प्रतिकर सुविधाओं में समानता लाने हेतु धिरौली कोल माइन परियोजना के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति तैयार की गई है, जो अनुमोदन के दिनांक से प्रभावशील हो जायेगी।

धिरौली कोल ब्लाक, **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड** परियोजनान्तर्गत तहसील सरई के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ।

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	कुल निजी भूमि का अर्जित रकबा है. में
1	सरई	आमडाड	5.17
2	सरई	सिरसवाह	0.62
3	सरई	बेलवार	11.60
4	सरई	बासीबेरदाह	147.67
5	सरई	अमरईखोह	43.056
कुल योग			208.116

उपरोक्तानुसार धिरौली कोल ब्लाक परियोजना (मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड) हेतु निजी भूमि अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारो का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति

भाग–1

परिभाषाऐं–

01. कम्पनी–कम्पनी से तात्पर्य मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड धिरौली कोल माइन परियोजना जिला सिंगरौली से है।

02. प्रभावित क्षेत्र–प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे गॉव या बस्ती से है जिसमे परियोजना स्थापित करने के लिए निजी, शासकीय एवं वन भूमियो का चयन किया गया है, चाहे इन निजी भूमियों का अर्जन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत किया गया हो या सीधे भूमि स्वामियों से क्रय किया गया हो, या शासन के द्वारा शासकीय भूमि आवंटित या वन भूमियों का व्यपवर्तन किया गया हो, किन्तु जो भू–भाग परियोजना से छोड़ा जा रहा है वह क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र नही माना जावेगा। जिसे राजस्व अभिलेख नक्शा एवं खसरा मे चिन्हित किया गया हो।

03. विस्थापित व्यक्ति – कोई व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र में धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 15.02.2022 के 03 वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो, विस्थापित व्यक्ति कहलायेगा। किन्तु यदि कम्पनी द्वारा भूमिस्वामियों से सीधे भूमि क्रय की गई है तथा उस भूमि का भू–अर्जन नही किया गया है तो भूमि की रजिस्ट्री दिनांक को कटऑफ दिनांक माना जायेगा तथा उस परिवार के लिये परिवार की परिभाषा इस नीति के कण्डिका 4 (क) के अनुसार मान्य की जावेगी।

04. विस्थापित परिवार –

(क)–उपरोक्त (कण्डिका 3 मे) परिभाषित विस्थापित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा माँ, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता शामिल है।

(ख)–विस्थापित परिवार के प्रत्येक बालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन एवं भाई जो धारा 11 की दिनांक 15.02.2022 को बालिग (18 वर्ष या ऊपर) हो गया है वह पृथक परिवार के रूप मे माना जावेगा।

(ग)– परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ऐसे अनाथ नाबालिग बच्चो (जिनके माता–पिता न हो) को पुनर्वास लाभ दिये जाने के लिये एक अलग यूनिट माना जावेगा।

05. भू–विस्थापित परिवार –

ऐसा भूमि स्वामी जिसकी निजी भूमि के अर्जन हेतु एवार्ड पारित किया गया हो या उनकी निजी भूमि परियोजना हेतु क्रय की गई हो, उसका परिवार भू–विस्थापित परिवार कहलायेगा, चाहे वह अर्जन क्षेत्र में निवास कर रहा हो या नही। बारिसाना नामान्तरण से बने दिनांक 15/02/2022 को बालिग भूमि स्वामियों को भी अलग भू–विस्थापित परिवार माना जायेगा।

06. प्रभावित व्यक्ति–

ऐसा व्यक्ति जो अर्जन क्षेत्र में स्थित भूमि पर धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 15.02.2022 के पूर्व 03 वर्ष से भूमि पर खेती कर रहा हो या अन्य उद्यमों द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो और उस ग्राम मे अस्थाई/स्थाई रूप से निवास करता हो।

07. प्रभावित परिवार–

उपर्युक्त (कण्डिका 06) में परिभाषित प्रभावित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा माँ, परित्यक्ता ,विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता शामिल है।

08. विस्थापन दिनांक – प्रत्येक विस्थापित परिवारों को रिहायसी मकान खाली कर अधिग्रहित/आवंटित/व्यपवर्तित भूमि का भौतिक आधिपत्य पूर्ण रूप से कम्पनी को सौंपने के दिनांक को विस्थापन दिनांक माना जायेगा।

09. परियोजना के प्रभावितो की श्रेणी–

(क)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के पूर्व परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे लगातार तीन वर्ष से खेती कर रहा हो किन्तु ग्राम मे स्थाई या अस्थाई रूप से निवास नही कर रहा हो और भू–अर्जन मे उसकी पूर्ण या आंशिक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई हो।

(ख)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से स्वयं के मकान या किराये के मकान मे स्थाई रूप से ग्राम मे निवास कर कोई लघुउद्योग, व्यापार, या कोई अन्य उद्यम कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो।

(ग)–ऐसा कृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे निवास कर खेती से जुड़े हुए कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो।

(घ)–ऐसे अकृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से खेती से जुड़े हुए कार्य तो नही करते किन्तु उस ग्राम मे निवास कर कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

(ड0)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे अस्थाई रूप से निवास कर कृषि कार्य तो नही करते किन्तु वनोपज द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

10. पुनर्वास अनुदान की शर्ते–कण्डिका 09 मे वर्गीकृत प्रभावित परिवार, यदि उक्त मे से एक या एक से अधिक श्रेणी मे आते है तो उन्हें एक ही श्रेणी से प्रभावित मान कर पुनर्वास लाभ दिये जाने हेतु पात्र समझा जावेगा

11. रिहायशी मकान : रिहायशी मकान से तात्पर्य वैसे मकान से है जिसमे कोई परिवार या व्यक्ति स्थायी रूप से भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि 15.02.2022 के तीन वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो।

भाग–2
(व्यक्तिगत लाभ)

01. पुनर्वास अनुदान–

पुनर्वास अनुदान के रूप प्रत्येक विस्थापित परिवार को (मकान खाली करने के उपरान्त) विस्थापन उपरान्त 300 कार्य दिवस की मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी (MAW) की दर से परिगणित राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

02. (अ–1)–मकान/प्लाट का आवंटन – परियोजना से विस्थापित परिवार को 90X60 वर्गफुट का प्लाट पुनर्वास के लिए चयनित ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे दिया जावेगा, जिसमे कम्पनी के द्वारा मकान का निर्माण कराया जावेगा। यदि विस्थापित परिवार के द्वारा कम्पनी द्वारा निर्मित मकान नही लिया जाता है तो उसके एवज में मकान निर्माण के लिए 6.00 लाख रू0 कम्पनी द्वारा देय होगा। यदि कोई परिवार पुनर्वास कालोनी मे प्लाट नही लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार प्लाट एवं मकान दोनो नही लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख रू0 एवं मकान के बदले 6.00 लाख रू0, कुल मिलाकर 8.50 लाख रू0 देय होगा।

(अ–2)–कैटल शैड/छोटी दुकान हेतु अनुदान – पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो न्यूनतम 75,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ब) प्लाट का स्वत्वाधिकार–पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो को कंपनी के आवंटन पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा विहित प्रारूप पर पट्टा जारी किया जावेगा। जिस पर विस्थापित व्यक्ति को भूमिस्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त होगें एवं तहसीलदार के द्वारा जारी पट्टे के आधार पर नामान्तरण किया जा सकेगा। पट्टेदार भूमिस्वामी को विधि अनुसार भूमि के अन्तरण का अधिकार होगा।

04. विस्थापन कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च – प्रत्येक विस्थापित परिवार को भवन सामग्री घरेलू सामान व परिवार तथा पशुओ के दुसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक मुश्त राशि रूपये 60,000.00/–(साठ हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

05. वृद्धावस्था पेंशन–प्रत्येक विस्थापित महिला एवं पुरुष सदस्य जिसकी उम्र विस्थापन दिनांक को 60 वर्ष की हो चुकी है उन्हें प्रतिमाह 2000.00 (दो हजार) रू0 की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान आजीवन अथवा चिरौली कोल ब्लॉक बन्द होने तक दिया जायेगा (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा)।

06. शिक्षा एवं छात्रवृत्ति– परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के बच्चो के अध्ययन के लिये खेल के मैदान सहित सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे कराया जावेगा। इस विद्यालय मे कक्षा नर्सरी से 10+2 स्तर तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम(सीबीएसई बोर्ड एवं डी.पी.एस. स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष) से अध्ययन हेतु विद्यालय संचालित किया जायेगा तथा अध्ययन करने वाले बच्चो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, एवं विस्थापित परिवार के अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चे को पुस्तके, लेखन सामग्री, स्कूल यूनीफार्म की व्यवस्था कम्पनी द्वारा निःशुल्क की जावेगी। विद्यालय मे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्सोहित करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रतिमाह निम्नानुसार छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जावेगी–

कक्षा	बालक	बालिका
नर्सरी से 12 तक	700	900

10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 50,000 रू0 दिया जावेगा।

07. चिकित्सा सुविधा–

कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी) संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

08. महुआ एवं तेन्दू पत्ता संग्रहण भत्ता–

प्रत्येक विस्थापित परिवार जो महुआ या तेन्दूपत्ता का संग्रहण करके अथवा अन्य वनोपज/वनाधिकार से अपने परिवार का जीवन यापन करता था, जिसकी पुष्टि वनविभाग द्वारा जारी किये गये समुचित दस्तावेजों से होती है उसे तो न्यूनतम 500 कार्य दिवसों की मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से परिगणित राशि जो रू0 100000.00 (एक लाख) से कम नही होगी, एक मुश्त देय होगी।

09. विस्थापित परिवार को नौकरी, प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति–

क. प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना की आवश्यकता एवं योग्यतानुसार कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार में, रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता दी जावेगी। अशिक्षित विस्थापितों को परियोजना क्षेत्र मे हो रहे निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिक के रूप रोजगार उपलब्ध कराये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना मे रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्ति अपना नाम परियोजना प्रतिनिधियों के पास दर्ज करायेंगें। इस कार्य में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का सहयोग अपेक्षित रहेगा। परियोजना प्रबंधक द्वारा समय–समय पर परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाये जावेगे ताकि परियोजना से विस्थापित परिवारों की कुशलता का विकास हो सके एवं उन्हे बेहतर रोजगार के अवसर एवं परियोजना में रोजगार मिल सके !

भू अर्जन के विरूद्ध रोजगार देने के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा महिलाएं, जिनकी भूमि का अर्जन परियोजना हेतु किया जा रहा है तो ऐसे विस्थापित परिवार के सदस्यों में से परिवार के मुखिया द्वारा नामित व्यक्ति को रोजगार देने में प्राथमिकता दिया जायेगा। तथा इस संबंध में केन्द्र एवं राज्य में प्रचलित अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ख. रोजगार/नौकरी की व्याख्या–

रोजगार/नौकरी से तात्पर्य है कि कम्पनी के द्वारा किसी विस्थापित परिवार को परियोजना में या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के माध्यम से सीधे नियुक्ति आदेश जारी करते हुए नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाकर नियमित कर्मचारियों की भाँती नियमित कटौती किया जाता है। यह नौकरी कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के नियमानुसार होगा।

ग. यदि कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी मे नही लिया जाता है या वह स्वयं नौकरी नही करना चाहता है तो उस परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख) अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान या फिर 2800/– (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

घ. बेरोजगारी भत्ता–

परियोजना से विस्थापित हो रहे परिवारों में से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर यदि कम्पनी द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस व्यक्ति को तत्कालिन प्रचलनशील न्यूनतम शासकीय कृषि मजदूरी दर (MAW) के मान से परिगणित राशि, जो कि रू0 7200/– प्रति माह से कम नहीं होगा, दिया जावेगा। यदि परिवार के मुखिया कोई महिला सदस्य है तो उसे भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। किन्तु यह बेरोजगारी भत्ता विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक देय होगा, बसर्ते उस परिवार के एक व्यस्क सदस्य को स्वरोजगार के लिए कम्पनी द्वारा रू0 6.00 लाख एक मुश्त राशि या 2800/– (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक का शुरूआत नहीं किया गया हो।

ङ. रोजगार व नौकरी के विकल्पो का चयन –

यदि कोई विस्थापित व्यक्ति कंडिका घ में उल्लिखित रोजगार/नौकरी के एवज में बेरोजगारी भुगतान की शुरूआत पश्चात रोजगार/नौकरी के एवज में एक मुश्त देय राशि के विकल्प का चयन करता है तो वैसी स्थिति में कम्पनी द्वारा एक मुश्त राशि के भुगतान दिनांक तक भुगतान की गयी बेरोजगारी भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि प्रदान किया जावेगा।

च. विस्थापितों को प्रशिक्षण– कम्पनी के द्वारा अकुशल विस्थापितों के लिए निःशुल्क औद्योगिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आयोजित कराये जायेंगें, तथा प्रशिक्षित विस्थापितों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान विस्थापित परिवार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें एक सदस्य को 1000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

10. स्वयं का रोजगार– कम्पनी के द्वारा विस्थापितों के अन्दर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की क्षमता को विकशित करने के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगें।

क. विस्थापित परिवार के सदस्यों को सहकारी समितियों के माध्यम से या व्यक्तिगत ठेके के माध्यम से कार्य मे लगाया जायेगा।

ख. कम्पनी के आवश्यतानुसार, विस्थापितों के द्वारा क्रय किये गये वाहनो को कम्पनी के कार्य मे लगाये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी।

ग. पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे निर्मित की गई दुकानो का आवंटन विस्थापित परिवारो को निःशुल्क किया जावेगा इनके लिए 90 प्रतिशत दुकानो का आरक्षण किया जावेगा। उक्त आरक्षण मुख्यतः किराना जनरल स्टोर, दवाई, दूध ब्रेड, लॉण्ड्री, सब्जी, फल आदि की दुकानो के लिए किया जावेगा। इन्ही दुकानो मे से एक दुकान उचित मूल्य की दुकान के लिए सुरक्षित रखी जावेगी। दुकान आवंटन का प्राथमिकता क्रम में निम्न वर्गों में आन्तरिक आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत लॉटरी निकाल कर किया जायेगा। उक्त आवंटन 03 वर्ष तक किया जायेगा। 03 वर्ष बाद पुनः आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। आवंटिती को स्वंय दुकान का संचालन करना पड़ेगा, अन्य को अन्तरित नहीं कर सकेगा। आवंटिती द्वारा दुकान के दुरूपयोग पर आवंटन निरस्त किया जायेगा। दुकान आवंटन का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार है :–

1. महिला द्वारा संचालित स्व–सहायता समूह (सभी वर्गो के लिए)।
2. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति (सभी वर्गो के लिए)।
3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।
4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति।
6. महिला मुखिया से चलने वाले परिवार के सदस्य (सभी वर्गो के लिए)।
7. सामान्य वर्ग के व्यक्ति।

किन्तु यदि उक्त कमांक 01 से 07 तक निश्चित की गई श्रेणियों के आवंटन के लि पात्र कई व्यक्तियों के आवेदन पत्र दुकान प्राप्त करने के लिए लाये जाते है तो ऐसी स्थिति में दुकान की उपलब्धता के अनुसार लाटरी सिस्टम से उस वर्ग के व्यक्ति को दुकान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

11. श्रमकारी ठेका समितियों का गठन – श्रम ठेका समितियों का गठन परियोजना से विस्थापित परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जावेगा। परियोजना की आवश्कतानुसार छोटे निर्माण अथवा अन्य कार्य कराये जाने में इन समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसी स्व–रोजगार समिति एवं समूहो के गठन संबंधी समस्त कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जावेगी। इन समितियों का पंजीकरण उप पंजीयक सहकारी समितियों के द्वारा कराया जायेगा।

जिला प्रशासन कम्पनी और पंजीकृत श्रम समिति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया जावेगा, जिसके आधार पर ऐसी समिति को परियोजना मे कार्य दिया जा सकेंगा।

12. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में छूट –

परियोजना से प्रभावित / विस्थापित व्यक्तियों द्वारा विस्थापन होने के पश्चात यदि कृषि भूमि खरीदी जाती है तो मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कंडिका (29.3) के तहत विस्थापित परिवारों को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रफल के बराबर क्रय की गई भूमि का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क कम्पनी द्वारा देय होगा। इस कार्य से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गये मुआवजे का सही उपयोग किया जा सकेगा, और कृषि रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा।

भाग–3
पुनर्वास कालोनी एवं उसमें दी जाने वाली सुविधाऐं

01. विस्थापितो के लिए चयनित ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में पुनर्वास हेतु तैयार किये गये भवनों के साथ जुड़ी हुई निम्नलिखित सुविधाएं विस्थापितों को उपलब्ध कराई जावेगी :–

(क) **विद्यालय भवन**– पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो के बच्चो के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु सर्वसुविधा युक्त हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जायेगा। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को खेलने के लिए खेल के उपकरणों सहित खेल के मैदान की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकालय में हर वर्ष 50000/–रू0 (पचास हजार) फण्ड दिया जायेगा। जिसका उपयोग स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुस्तक खरीदने मे किया जायेगा।

(ख) **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**– कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(ग) **सामुदायिक भवन**– पुनर्वास कालोनी के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जावेगा जिसमें एक हाल, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय एवं एक भण्डार गृह सम्मिलित होगा।

(घ) **हाट बाजार परिसर**– विस्थापितों के जीवन से जुड़ी आवश्यक सामग्रियों के प्रदायगी को सुलभ बनाने के लिए पुनर्वास कालोनी परिसर में साप्ताहिक बाजार लगाये जाने के लिए 5000 वर्गमीटर परिमाप की भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। साप्ताहिक बाजार में लाइट, चबूतरा, टीनशेड, पानी पीने की व्यवस्था, पार्किंग की जगह रहेगी।

(ड0) **सार्वजनिक खेल का मैदान**– विस्थापितो के बच्चों को खेलने के लिए पुनर्वास कालोनी में खेल के मैदान के लिए 10,000 वर्गमीटर (01 हे0) के परिमाप मे भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। खेल के मैदान का विकास एवं सुधार कम्पनी द्वारा किया जावेगा। शौचालय एवं आर0ओ0 प्लांट लगेगा। स्कूल मे खेलकूद हेतु 20,000 रू0 का फण्ड प्रति वर्ष दिया जावेगा।

(च) **शुद्ध पेय जल व्यवस्था**– विस्थापितो को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ओवर हेड टैंक बनाकर पाइप लाईन से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। यदि यह योजना सफल नही होती तो प्रत्येक 20 परिवार के लिए एक हैण्डपम्प लगाये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) **उचित मूल्य की दुकान**– विस्थापितों को शासकीय दर पर खाद्यान्न सुलभ कराने हेतु एक उचितमूल्य की दुकान की स्थापना की जायेगी।

(ज) **आँगनवाड़ी केन्द्र**– विस्थापित परिवारो के बच्चों, कुमारी कन्याओं एवं गर्भवती महिलाओं, के पोषण आहार की सुलभ व्यवस्था के लिए पुनर्वास कालोनी में आँगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

(झ) **मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर की स्थापना** – पुनर्वास कालोनी मे विस्थापितों के धार्मिक अनुष्ठान, पूजन आदि की व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार मंदिर/मस्जिद/ गिरिजा घर का निर्माण कराया जावेगा।

(ञ) **सड़क**– विस्थापितों के आवागमन की सुविधा के लिए पुनर्वास कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़क एवं कालोनी के अन्दर 09 मीटर चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण कराया जावेगा।

(ट) **सड़क विद्युत (स्ट्रीट लाईट)**– विस्थापितों के प्रकाश युक्त आवागमन की सुविधा के लिए आन्तरिक एवं बाह्य सड़कों को विद्युत से प्रकाशित किया जायेगा।

(ठ) **जल प्रभाव के लिए पक्की नालियाँ**– विस्थापितों की कालोनी मे बने हुए आवासीय मकानों की जल निकासी के लिए सड़क के किनारे पक्की नालियों का निर्माण कराया जायेगा।

(ड) **श्मसान/कब्रिस्तान परिसर**– विस्थापितों के उपयोग हेतु कालोनी परिसर की बाह्य सीमा में विस्थापितों की सहमति के अनुसार श्मसान/कब्रिस्तान का निर्माण कराया जावेगा। जिसमें पानी की व्यवस्था एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कराया जायेगा।

नोट :– परियोजना द्वारा स्थापित पुनर्वास ग्राम की समस्त सुविधाएं तथा रोड पंचायत भवन इत्यादी ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी।

(ढ) शौचालयों की व्यवस्था– पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों को आवंटित किये जाने वाले कम्पनी द्वारा निर्मित प्रत्येक मकानों में शौचालयों की सुविधा का प्रावधान रखा गया है तथा सभी सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, आँगनवाड़ी, हाट बाजार परिसर इत्यादि में उचित संख्या में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सामूहिक शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

02. **विशेष पैकेज**– परियोजना प्रभावित वह व्यक्ति जो परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र में धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के 03 वर्ष पूर्व से खेती करता चला आ रहा हैं, और उसकी निजी भूमि अर्जित कर ली गई है, किन्तु वह उस ग्राम मे मकान बनाकर आवाद नही है, जिसकी प्रमाणिकता वर्ष 2018–2019 के राजस्व अभिलेख से सिद्ध पाई जाती है, तो उन्हें भूमि की प्रतिकर राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार विशेष पैकेज कम्पनी द्वारा दिया जायेगा:–

क– 0.01 से 0.99 हे0 भूमि पर	–	रू0 1500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ख– 1.00 हे0 से 1.99 हे0 भूमि पर	–	रू0 2000 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ग– 2.00 हे0 से 3.99 हे0 भूमि पर	–	रू0 2500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
घ– 4.00 हे0 से ऊपर	–	रू0 3000 प्रति परिवार प्रतिमाह।

उपरोक्त राशि प्रभावित परिवार के मुखिया को उसकी उम्र 50 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा 20 वर्ष तक अथवा कम्पनी के बन्द होने तक जो भी पहले हो दिया जायेगा। किन्तु उपरोक्त विशेष लाभ उस परिवार को देय नही होगा जिसका कोई भी एक सदस्य परियोजना के रोजगार मे नियोजित हैं। विशेष पैकेज हेतु पात्र व्यक्ति के रकवे का निर्धारण अवार्ड में अंकित रकवे से किया जायेगा।

भाग–4

विवादो का निपटारा–

यदि किसी प्रकरण में विस्थापन की पात्रता के निर्धारण या विस्थापन से संबंधीत अन्य किसी मामले मे विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो प्रभावित व्यक्ति के द्वारा आवेदन करने पर कलेक्टर द्वारा निराकरण किया जावेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा। कलेक्टर का आदेश अन्तिम एवं उभयपक्ष पर बाध्यकारी होगा।

राजीव रंजन मीना
कलेक्टर
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

बच्चा प्रसाद
कलस्टर हेड
स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस
प्राईवेट लिमिटेड
जिला–सिंगरौली (म.प्र.)

Annexure 16

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

::तकनीकी स्वीकृति आदेश::

आदेश क्रं./एफ–1/845/2023/10–11/88 भोपाल, दिनांक 05/11/24

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गाईड लाईन के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–3/2019/10–11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी। सिंगरौली वनमण्डल के परिक्षेत्र बैढ़न, माढ़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न कक्षों के अंतर्गत धिरौली कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन अंतर्गत आवेदक संस्था मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्रा.लि. अडानी कार्पोरेट हाऊस, शांतिग्राम, एस.जी.हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात के पत्र दिनांक 14.10.2024 से प्राप्त केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य के परीक्षण उपरांत तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

धिरौली कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन अंतर्गत (1397.54 हे0 वनभूमि) अंतर्गत प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यो का विवरण		
अनु क्रं.	प्रस्तावित कार्य	राशि रूपये
I	**Biological Measures**	
1	Afforestation (400 plants per ha)	
	(i) Creation and plantation	12,50,000
	(ii) Maintenance for 5 years	10,00,000
2	**Assisted Natural Regeneration (200 plants per Ha)**	
	(i) Creation	11,00,000
	(ii) Maintenance for 5 years	9,00,000
	Sub Total (i)=	**42,50,000**
II	**Engineering Measures**	
3	Brushwood Check Dams	6,25,000
4	Dry Stone Masonry Check Dams (Cubic meters)	18,00,000
5	Fencing (in meters)	17,50,000
6	Contour Bunding (in meters)	18,15,000
	Sub Total (ii)=	**59,90,000**
	Total	**1,02,40,000**
III	**Other charges**	
1	Microplanning @1% of Total	1,02,400
2	Monitoring and evaluation @5% of Total	5,12,000
3	Training and Extension programme @3% of Total	3,07,200
4	Capacity building @5% of Total	5,12,000
5	Extra Additional Charges (Lumsum)	3,00,000
	Sub Total (iii)=	**17,33,600**
	Grand Total (i+ii+iii) =	**1,19,73,600**

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :–

1. सिंगरौली वनमण्डल के परिक्षेत्र बैढ़न, माढ़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न कक्षों के अंतर्गत धिरौली कोल ब्लॉक ओपन कास्ट कोयला उत्खनन अंतर्गत आवेदक संस्था मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्रा.लि. अडानी कार्पोरेट हाऊस, शांतिग्राम, एस.जी.हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्ताव पर दी जाती है। यदि प्लान मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
2. प्रस्तुत प्राक्कलन में वनक्षेत्र से बाहर प्रस्तावित कार्यो को आवेदक संस्थान द्वारा कराया जावेंगा शेष कार्य वन विभाग द्वारा किये जावेंगें।
3. संबंधित वनमण्डलाधिकारी इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
4. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
5. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
7. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
8. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
9. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रांरभ करावें।

04.11.24

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं./एफ–1/845/2023/10–11/5476 भोपाल, दिनांक 05/11/24

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), वन भवन, तुलसीनगर, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), वन भवन, तुलसीनगर, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
5. मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेज प्रा.लि. अडानी कार्पोरेट हाऊस, शांतिग्राम, एस.जी. हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04.11.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

CATCHMENT AREA TREATMENT PLAN

DHIRAULI COAL BLOCK

(In Singrauli Coal field, Dist- Singrauli, State- Madhya Pradesh)

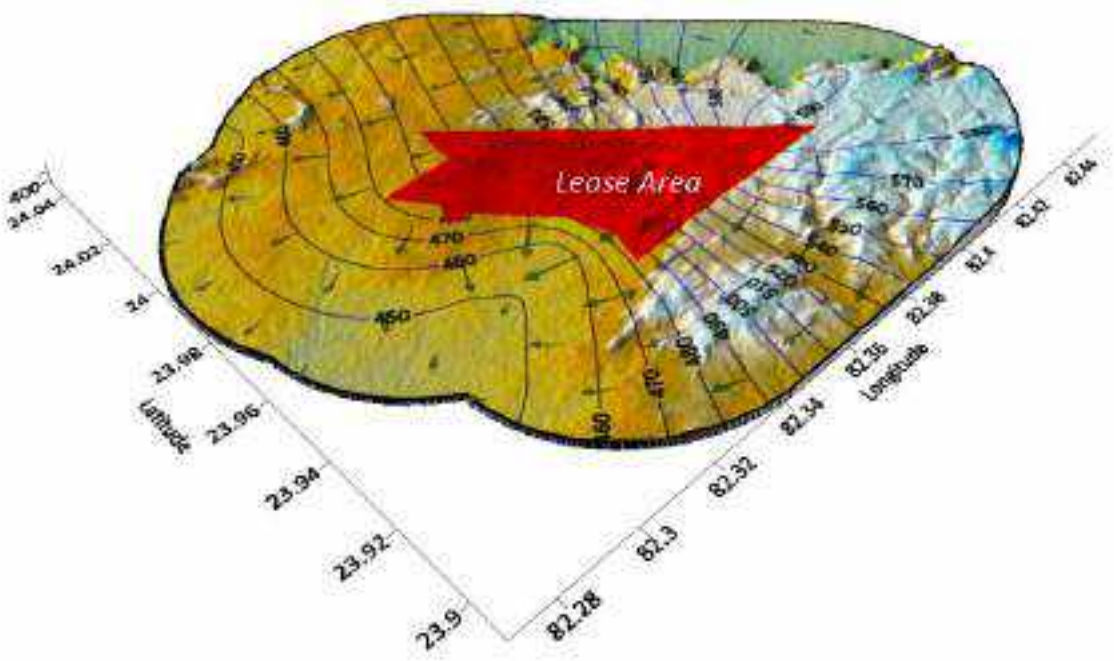

CGWA ACCREDITED INSTITUTION

VARDAN ENVIRONET

Plot 82-A, IMT Manesar, Sector-5, Gurugram (Haryana)

E-Mail: hydro@vardan.co.in

Contact: 0124-4343750, 09899651342

SMC & CAT Plan (October-2024)

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1	INTRODUCTION	PAGE NO.
1.1	ABOUT THE PROJECT	2
1.2	LOCATION OF THE PROJECT SITE	2
1.3	SCOPE OF WORK	5
1.4	RESEARCH ON CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN	5
1.4.1	TECHNIQUE OF SOIL CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN	5
1.4.2	OBJECTIVE OF CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN	6
1.5	OPEN-CAST COAL MINING CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN PROBLEMS	6
1.6	CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN CONTROL TECHNIQUES	7
CHAPTER 2	**LAND USE PLANING**	
2.1	LAND USE PLAN	8
2.1.1	PRE-MINING LAND USE	8
2.2	LAND USE MINING ACTIVITY	9
CHAPTER 3	**GEOMORPHOLOGY AND DRAINAGE**	
3.1	DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)	11
3.2	GEOMORPHOLOGY	11
3.3	DRAINAGE	11
3.4	CLIMATE AND RAINFALL	16
CHAPTER 4	**HYDROGEOLGY**	
4.1	GEOLOGICAL SETUP	18
4.1.1	GEOLOGICAL STRUCTURE	18
4.2	HYDROGEOLGY	19
CHAPTER 5	**BASIC DATA GENERATION**	
5.1	DETAIL OF WATERSHED OF THE STUDY AREA	23
5.2	INTENSITY OF RAINFALL	25
5.3	RUNOFF COEFFICENT	25
5.4	INFILTRATION TEST	25
5.5	WATER LEVEL	27
5.6	RAINFALL-RUNOFF-INFILTRATION RELATION	30
5.7	SOIL EROSION	30
5.8	GRAIN SIZE ANALYSIS	31
5.8.1	GRAIN SIZE ANALYSIS OF SOIL	31
5.8.2	SILT YIELD INDEX(SYI)	31
5.8.3	SLOPE OF TRACT	31
5.9	SOIL LOSS AND SEDIMENT YIELD	34
5.9.1	EQUATION FOR SOIL LOSS	34
5.10	DISCUSSION- DATABASE GENERATION	35

CAHPTER 6	**PROBABLE SOURCE OF SOIL EROSION**	
6.1	GENERAL	36
6.2	TOP SOIL MANAGEMENT	36
6.3	OVERBURDEN DUMP	36
6.4	STABILIZATION OF OVER BURDEN DUMP	40
6.4.1	STEPS TO BE TAKEN TO AVOID DUMP SLIDES	40
6.4.2	RECLAMATIO OF OVERBURDEN DUMPS	40
CHAPTER 7	**CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK WORK PLAN**	
7.1	BIOLOGICAL CONSERVATION PLAN	42
7.1.1	APPROACH PLAN	42
7.1.2	POST PLANTATION CARE	43
7.1.3	FENCING	43
7.1.4	EXECUTING AGENCY	43
7.2	ENGINEERING CONSERVATION PLAN	43
7.2.1	APPROACH PLAN	43
7.2.2	ENGINEERING CONSTRUCTION	44
7.2.3	CONSTRUCTION OF RETAINING WALLS/TOE WALLS	44
7.2.4	CONSTRUCTION OF CATCH PITS	44
7.2.5	INSPECTION, MONITORING AND EVALUATION	44
7.2.6	EXECUTING AGENCY	44
CHAPTER 8	**COST ESTIMATE OF CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN**	
8.1	COST FOR CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN	45
CHAPTER 9	**CONCLUSION**	**46**
CHAPTER 10	**REFRENCE**	**47**

LIST OF TABLES

TABLE NO.	TITLE	PAGE NO.
1	PRE-MINING LAND USE PLAN IN MINE LEASE AREA(Ha)	8
2	LAND USE OF PROPOSED MINE	9
3	RAINFALL STATISTICS OF SINGRAULI FOR 25 YEARS	16
4	GEOLOGICAL SUCCESSION	18
5	INFILTRATION TEST	25
6	RAINFALL-RUNOFF-INFILTRATION RELATION	30
7	GRAIN SIZE ANALYSIS	31
8	SILT YIELD INDEX(SYI)	31
9	SLOPE OF THE TRACT	32
10	TOP SOIL EXCAVATION	36
11	DUMP SCHEDULE	37
12	COST ESTIMATION	45

13	OTHER CHARGES	45

LIST OF FIGURES

FIGURE NO.	TITLE	PAGE NO.
1	LOCATION MAP OF THE STUDY AREA	3
2	DIGITIZE MAP OF THE STUDY AREA	4
3	PRE-MINING LAND USE PLAN IN MINE LEASE AREA	8
4	LANDUSE MAP OF 5 KM BUFFER	10
5	CONTOUR MAP OF 5 KM BUFFER	12
6	ELEVATION MAP OF 5 KM BUFFER	13
7	DRAINAGE MAP OF 5 KM BUFFER	14
8	GEOMORPHOLOGICAL MAP OF 5 KM BUFFER	15
9	RAINFALL STATISTICS OF SINGRAULI FOR 25 YEARS	17
10	GEOLOGICAL MAP OF 5 KM BUFFER	20
11	LITHOLOGICAL MAP OF 5 KM BUFFER	21
12	HYDROGEOLOGICAL MAP OF 5 KM BUFFER	22
13	WATERSHED MAP OF THE STUDY AREA	24
14	LOCATION OF INFILTRATION TEST SITES	26
15	DTWL MAP (PRE - MONSOON)	28
16	DTWL MAP (POSR - MONSOON)	29
17	GROUND WATER FLOW DIRECTION MAP(3D)	30
18	SLOPE MAP OF THE STUDY AREA	33
19	THEORETICAL ANNUAL LOSS AND WATER RUNOFF	35
20	PLAN FOR 2ND YEAR	38
21	PLAN FOR 5TH YEAR	39
22	PLAN FOR 10TH YEAR	39
23	PLAN FOR 20TH YEAR	40

EXECUTIVE SUMMARY

- A Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan is a strategic plan designed to mitigate the adverse effects of soil erosion, siltation, and water runoff in catchment areas, particularly for projects like dams, reservoirs, or water harvesting structures. The primary objective is to restore the ecological balance of the region by implementing conservation measures.
- The Dhirauli coal mine project covers an area of 2,672 hectare and located in eight villages *Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Belwar,* Sarai tehsil, Singrauli district, Madhya Pradesh. The mine lease area lies between 23°03'04"N to 23°56'07"N and longitudes 82°19'04"E to 82°24'21"E.
- Singrauli district is part of a hilly terrain covered by Kaimur hill ranges.
- The major part of the study area including ML area is drained by Hurdul Nala and other nalas joining Gopad River and covering southern, central and western parts of the study area.
- As per as Ramsar Site Map there is no any wetland area present in 500 m radius around the project site.
- The rock formations ranging in age from Archaean to Cretaceous are exposed in the district. The Archaean comprises gneisses and schists. These are exposed as east-west belt in central and south-eastern part of the district.
- Highest infiltration rate comes for the Dhirauli Village 0.72cm/hr
- The district enjoys tropical climate characterized by hot summer, cold winters and rainy seasons.
- Cost estimate for Biological Conservation Plan which include green belt and sowing of seeds will cost around Rs. 42,50,000.
- Cost estimate for Engineering Conservation Plan which include Catch pits and Check dams or toe walls will cost around Rs. 59,90,000
- The Total Cost of Catchment Area Treatment & Soil Conservation Plan is Rs. 1,19,73,600 (including training, monitoring, capacity building charges etc)

CHAPTER -1

INTRODUCTION

1.1. ABOUT THE PROJECT

The Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), a private company owned by the Adani Enterprises Limited (AEL) was allocated the Dhirauli coal mine block vide order no: NA-104/07/2020-NA dated 3rd March 2021 of Ministry of Coal, Government of India. SMRPL has planned to conduct mining operations through open cast mining with capacity of 5 MTPA and 1.5 MTPA through underground mining at Singrauli Coalfield, Singrauli district, Madhya Pradesh. The block was auctioned under commercial coal block and no restriction to carry on mining operations for own consumption, sale or for any other purpose. The production has been planned at 5.0 MTPA by open cast mining in the 3rd year of mine operation (June 2025) for a period of 40 years. 1.5 MTPA will be also produced from underground mining for 87 years of lease period.

1.2. LOCATION OF THE PROJECT SITE

The Dhirauli coal mine project covers an area of 2,672 hectare and located in eight villages *Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Bansibridha and Belwar,* Sarai tehsil, Singrauli district, Madhya Pradesh. The mine lease area lies between 23°03'04"N to 23°56'07"N and longitudes 82°19'04"E to 82°24'21"E.

A metal road from Parsona to Mara is located in eastern part of the Block. An un-metaled road branching from this road at Rajmelan culminates at Sarai. On the western side of the river Mahan, a north-south running road goes to Bhalyatola, Suriyari and Jhalri. The area is also accessible by an all-weather metaled road from Singrauli and Waidhan. The distance of Sarai-Gram, the nearest major railway station on Chopan-Singrauli-Katni line of Central Railway is about 18 km from the study area.

The location map and the digitize map of the study area showing Mine Lease area is given in Figure no 1 and 2 respectively.

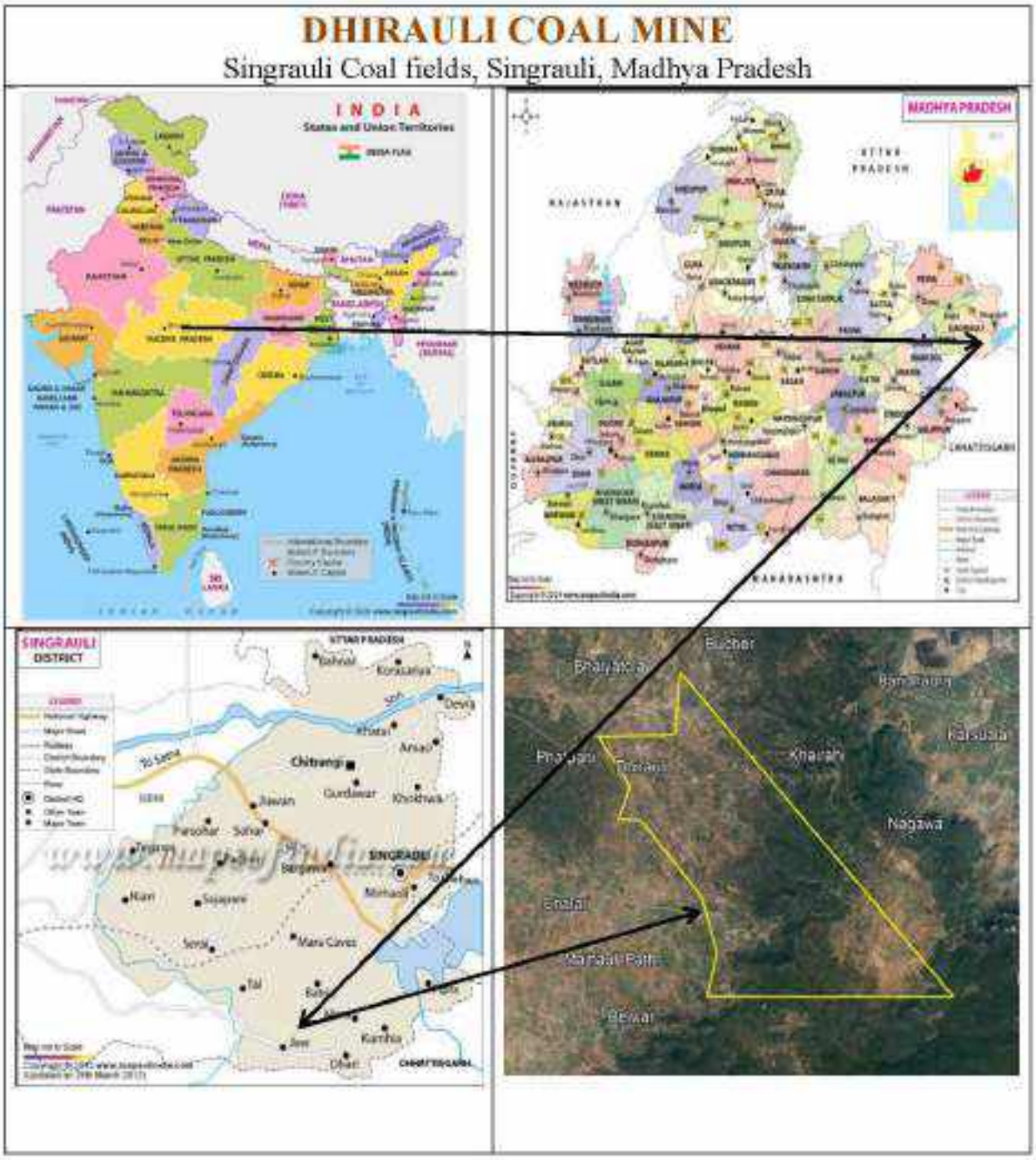

Figure 1: Location Map

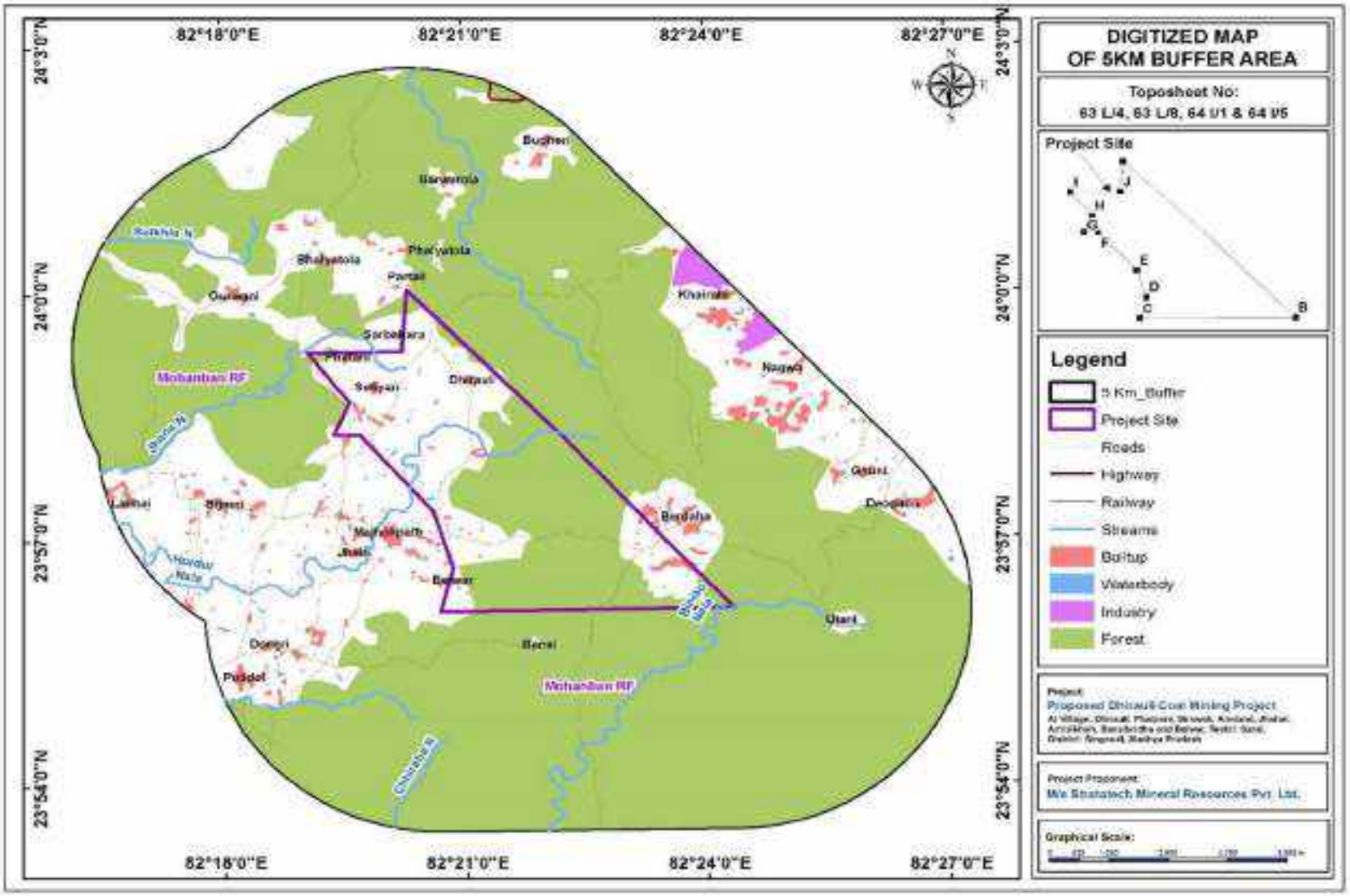

Figure 2: Digitize map of the study area

1.3. SCOPE OF WORK

The main objective of work for Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan of Dhirauli Coal Mine is as follows-

1) *Climatic Water Balance*
2) *Proposed open cast mining surface erosion problem*
3) *Sediment control technique*
4) *Soil chemistry of mine area*
5) *Land use*
6) *Pre mining*
7) *Forest land use*
8) *Land use of mining activities*
9) *Surface runoff characteristics of micro watershed of mine*
10) *Soil erosion: Soil loss & water runoff*
11) *Top soil management of mine and its stability*
12) *Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan*
13) *Cost estimate*

1.4. RESEARCH ON CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION WORK PLAN

1.4.1 Technique of Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Work Plan

The main objective of Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan is to minimize the amount of water lost from the soils through evaporation and transpiration or combined. Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan is important means to maintain the necessary water for agricultural production, and also helps minimize irrigation needs of the crops. This is especially important in areas where rainwater and or groundwater resources for irrigation are decreasing due to climate change or other causes.

There are a variety of methods that can be used to conserve Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan. Most of these Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan techniques are relatively low cost and complexity approaches, primarily relying on the presence of required materials and technical capacity locally. Many of the methods rely on providing some kind of cover for the soil to minimize evapotranspiration and direct soil exposure to heat and sun. Generally, most methods used for soil quality improvement and conservation, will also yield benefits to Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan.

The benefits of many soil conservation methods, *depending on the material used, include better control of weeds, provision of additional nutrients to the soil, soil temperature control and protection of soil surface from the impacts of heavy rain and wind*. Active reuse of waste organic materials also reduces waste management needs, returning the residue crops and plants to the soil through decomposition. Socioeconomic Benefits Potential to reduce water irrigation needs, increase crop productivity and improve soil quality by extension, reduced irrigation needs may also reduce the costs and energy requirements of water pumping for irrigation.

1.4.2 Objective of Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan

The main objectives of Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan are to mitigate the impact of the proposed mining activities on the local surface water structures to rejuvenate various potential and degraded ecosystems and topography in the Mine area. The opencast mining activities disturb large tracts of land.

The objective of this report is to present the outline of opencast coal mining *surface erosion problem, method of modelling sediment yield*, measures to be taken for reducing or controlling sediment discharges.

The action plans have been prepared for this purpose with the following objectives.

I. *To facilitated the hydrological functioning of the mining area and augment the water quality.*
II. *Hurdul Nala flows from east to west, from the centre of block which will be diverted for opencast mine. Since there is no major river near by the block, there is no issue of flood. All required precaution against inundation would be taken care of.*
III. *Soil conservation through biological & engineering measures to reduce sediment load in river and tributaries, thus improving quality of water.*
IV. *Increase vegetative cover and water retaining properties.*

1.5. OPEN-CAST COAL MINING CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION PLAN PROBLEMS

The problem related to Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan during open cast coal mine may be due to following-

- Soil erosion and sediment transport depend on the following factors-
  - *Climatic conditions like rainfall, temperature etc*
  - *Soil and spoil erosivity*
  - *Overland slope and slope length*
  - *Ground cover*

- *Topography*
- *Soil conservation control practices*
- *Catchment drainage characteristics*

- Open-cast mining activities tend to change radically several of these factors and severe sediment production could occur in the following locations-
  - *Topsoil stockpiles*
  - *Spoil piles*
  - *Waste dumps*
  - *Bare topsoil areas*
  - *Steep out slopes*
  - *Ramps*
  - *Haul roads*

Scalping, blasting, material handling, heavy vehicular travel over replaced spoils and top soiling activities generally produces compacted area of soil and spoil materials with a high colloidal content. Colloidal particles require a very long detention time in an impoundment before they will settle out of suspension and frequently deposition does not occur until the sediment laden flows discharge into dams.

1.6. CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION PLAN CONTROL TECHNIQUES

The major causes of erosion problems in surface mining operation are due to disturbed areas, which are integrated with the mining operations. By developing sediment control plan the following basic approach has been adopted-

- Minimize the area which is disturbed at any one time
- Develop a drainage control, system for the mine lease area
- Integrate drainage, erosion and sediment control, into each stage of the mining operation
- Develop a mining and rehabilitation plan prior to initiating mining activities
- Limit the handling of spoil and topsoil materials
- Rehabilitate area as soon as possible
- Maintain drainage and erosion control measure

CHAPTER -2

LAND USE PLANING

2.1. LAND USE PLAN

The land use plan for pre-mining and post- mining including stages of mining is essential input for formation of Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan. The data in respect of above has been adopted from approved Mine Plan.

2.1.1 Pre-mining land use

Pre-mining Land Use Plan for Mine area is given below in Table 1

Table 1: Pre-mining Land Use Plan in Mine Lease Area (Ha)

SL. No.	Village	Private Land Area (Ha)	Gov. Land Area (Ha)	Revenue Forest Land Area (Ha)	Forest Land Area (Ha)	Total Land (Ha)
1	Aamdandh	25.39	18.18	7.49		51.06
2	Amraikhoh	41.73	69.04	2.38		113.15
3	Basi Berdaha	151.61	49.347			200.958
4	Belwar	30.83	10.668			41.491
5	Dhirauli	195.01	512.71	52.32		760.04
6	Jhalari	72.47	25.88			98.35
7	Phatpani	31.6	31.28			62.88
8	Sirswah	4.9	3.82			8.72
9	Forest Land				1335.35	1335.35
Total Land (Ha)		**553.54**	**720.92**	**62.19**	**1335.35**	**2672**

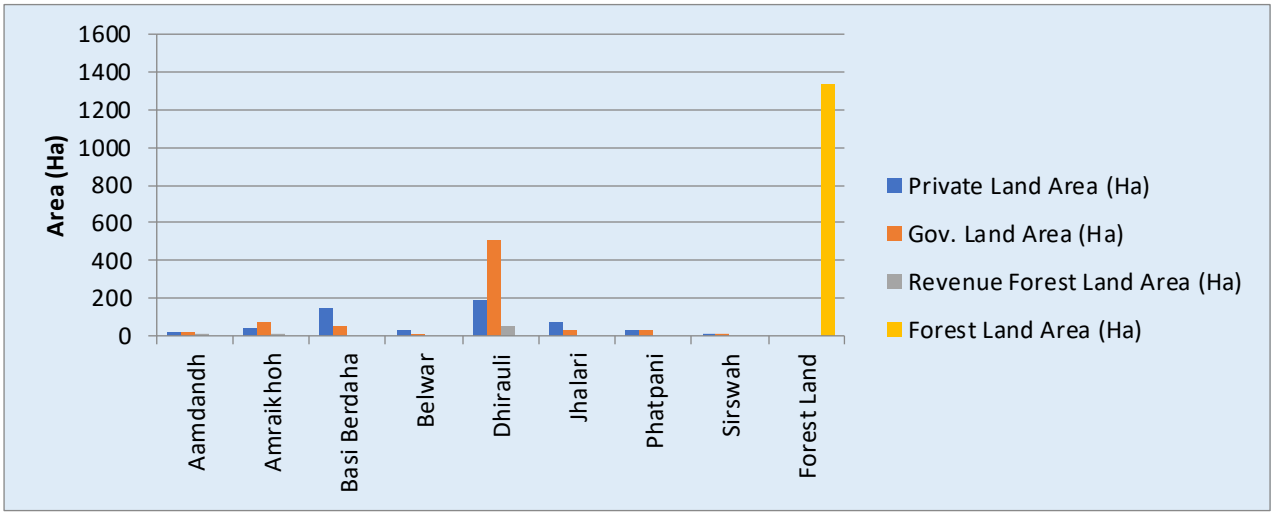

Figure 3: Pre-mining Land Use Plan in Mine Lease Area (Ha)

2.2. LAND USE MINING ACTIVITY

The entire land coming within lease hold area of coal mine is 2672 ha will be utilized for mining and ancillary activities are given in Table 2

Table 2: Land use of Proposed Mine

SL. No.	Component	Forest Land (Ha.)	Non-Forest Land (Ha.)
1	Excavation Area	1068.51	1028.08
2	Safety Zone	10.46	9.27
3	Green Belt Area	30.97	15.83
4	Rationalization Area	51.82	20.29
5	Infrastructure Area	0	30.05
6	OB Dump Area	225.4	162.15
7	Other uses (Garland Drains)	2.75	2.59
8	Other uses (Road Diversion)	2.56	1.57
9	Other uses (Embankment)	5.07	2.43
10	Other uses (Setting Pond)	0	2.2
Total		**1397.54**	**1274.46**

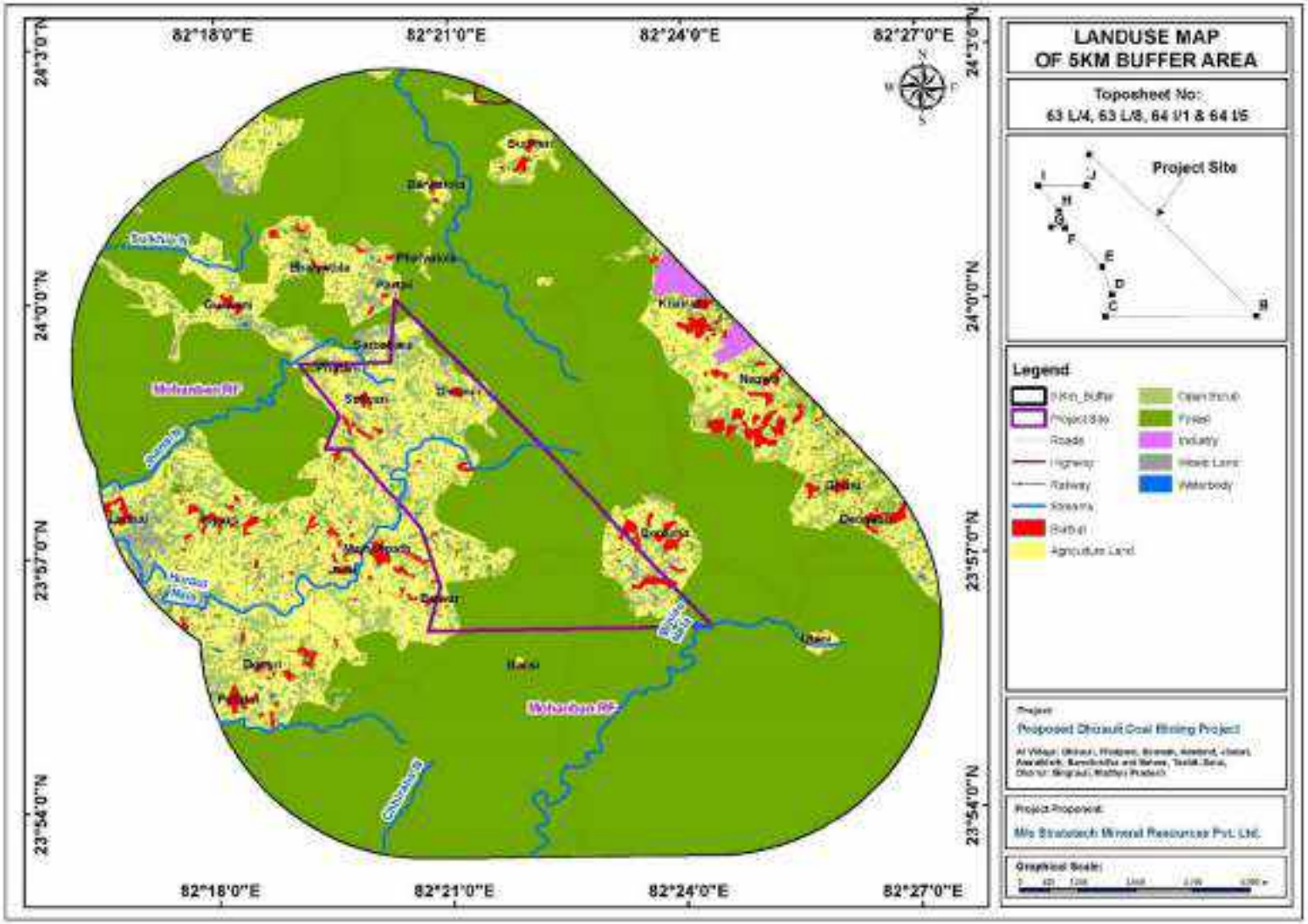

Figure 4: Landuse Map of 5 Km Buffer

CHAPTER -3

GEOMORHOLOGY AND DRAINAGE

The factors which control silt accumulation in ponds are topography, slope and drainage of the area.

3.1. DIGITAL ELEVATION MODEL (DEM)

The Western part of Dhirauli block is characterized by almost plain topography, while, north-eastern and south-central part are highly undulating and have rugged topography as evident from the topographical plan. The northeastern and south-central part of the block have forest cover and is occupied by hillocks of elevation up to a maximum of 638 m above MSL.

3.2. GEOMORPHOLOGY

Singrauli district is part of a hilly terrain covered by Kaimur hill ranges. The regional area of the district is divided into three physiographic divisions –

1) Kaimur hilly ranges,

2) the central part hilly ranges and

3) southern hilly ranges.

3.3. DRAINAGE

The major part of the study area including ML area is drained by Hurdul Nala and other nalas joining Gopad River and covering southern, central and western parts of the study area. Central to north and north-western part of the study area is drained by Mahan Nadi and its tributaries and the area from south-east to north-east is drained by Rampa River and its tributaries. There are a number of small water bodies in the entire study area. Drainage of the block is mainly controlled by westerly flowing Hurdul Nala which traverses the block and passes almost through central part of the block. Many small seasonal nallas originating from elevated topography of north-eastern and south-central part of the block drain its water into Hurdul Nala.

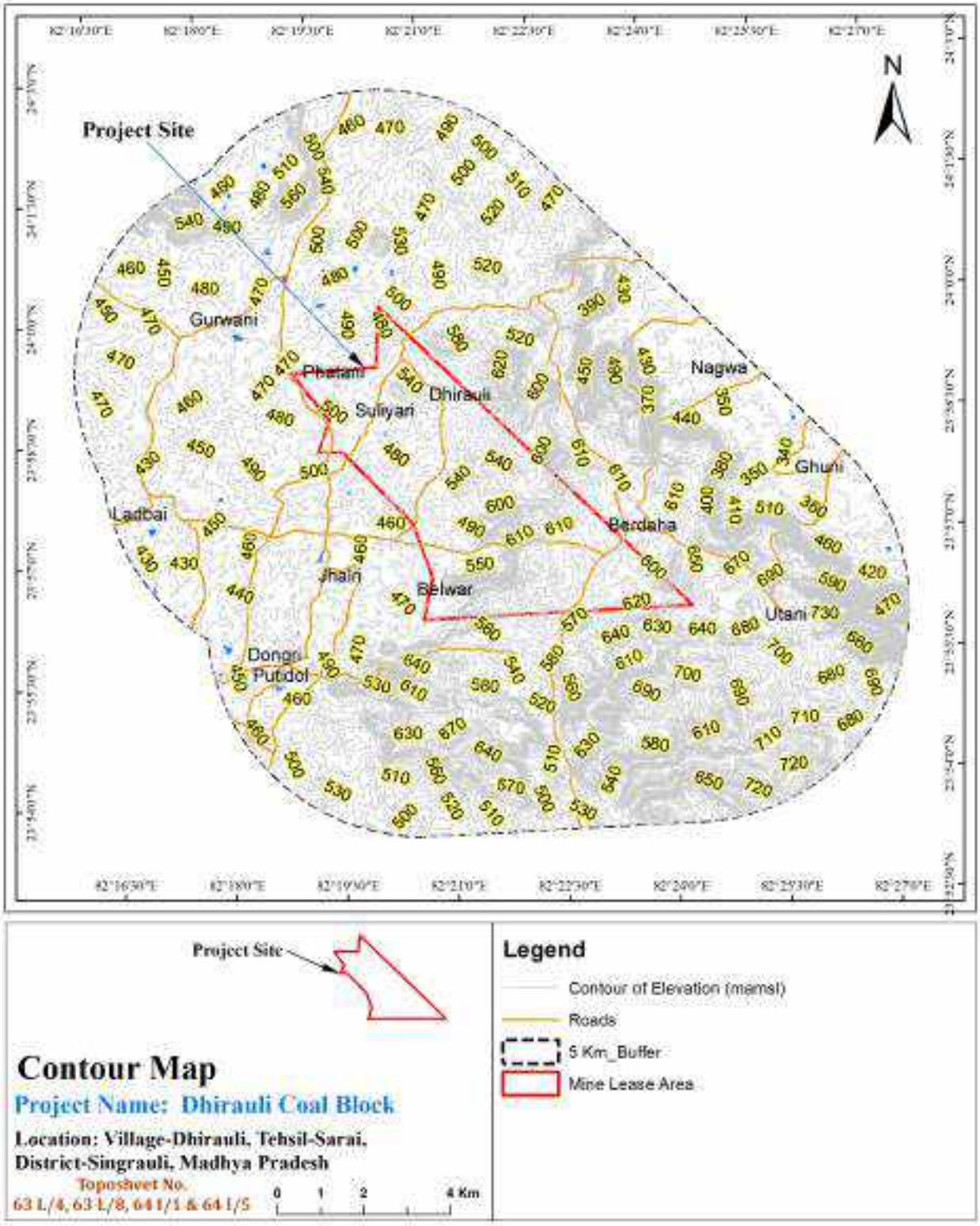

Figure 5: Contour map of 5 Km Buffer

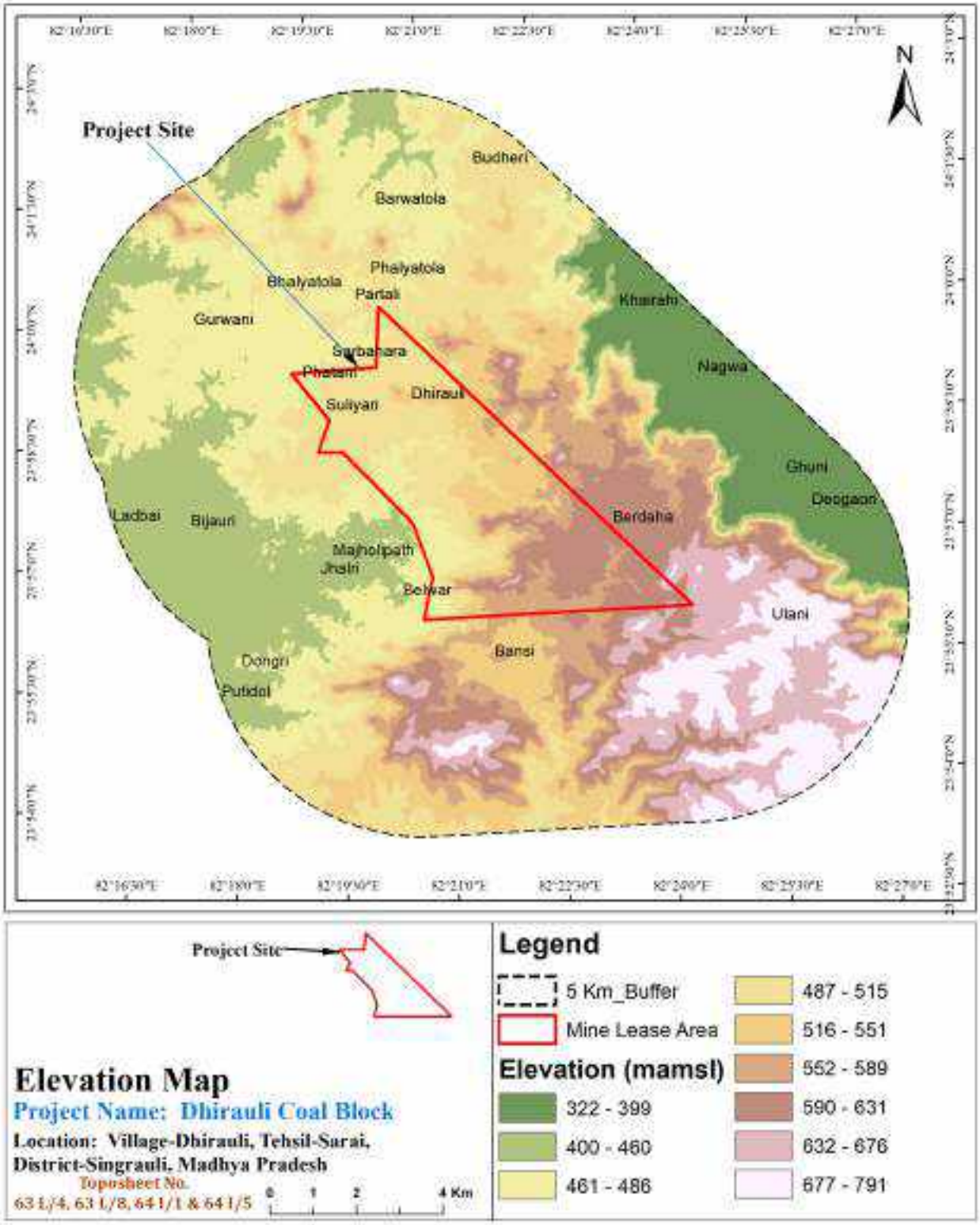

Figure 6: Elevation map of 5 Km Buffer

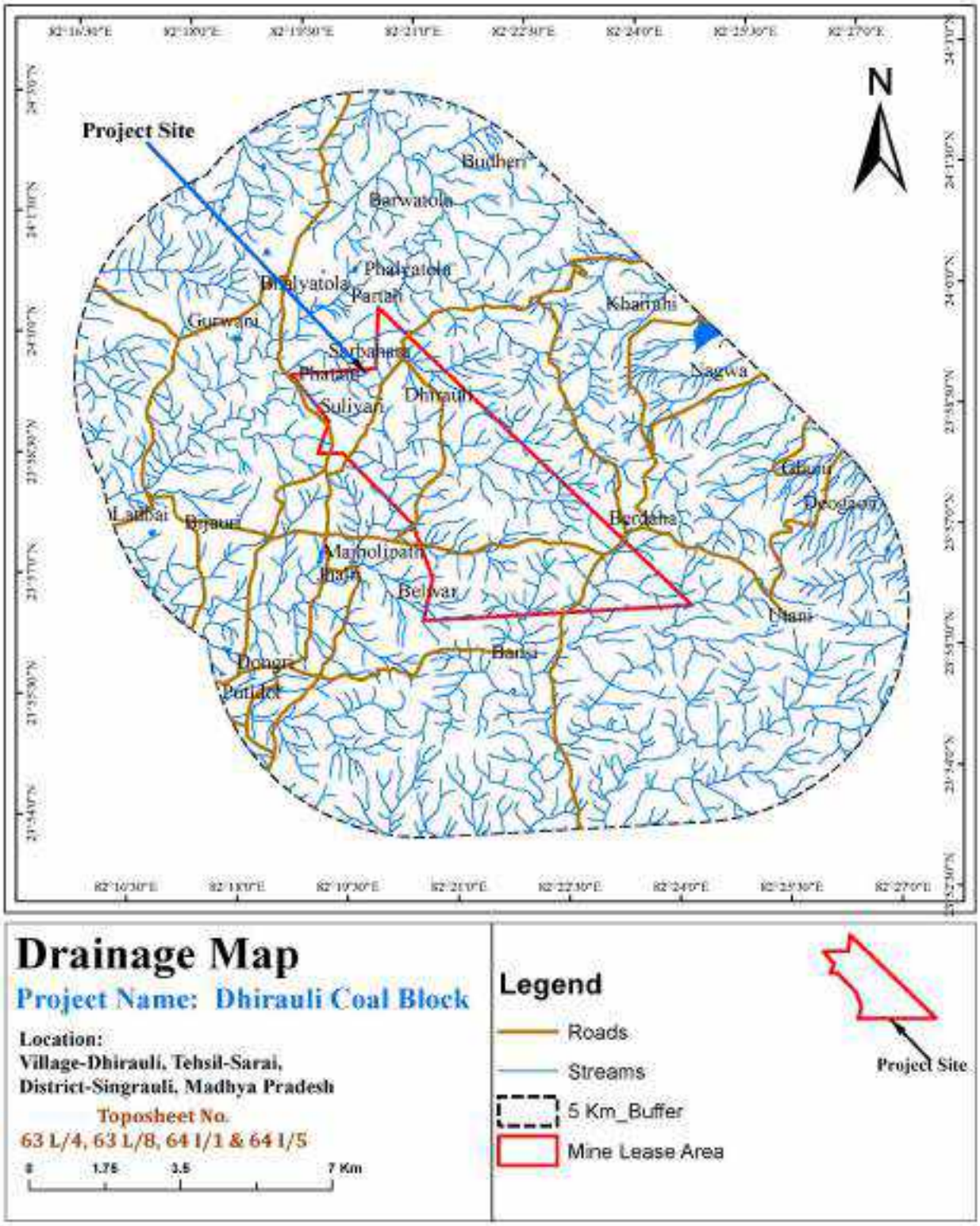

Figure 7: Drainage map of 5 Km Buffer

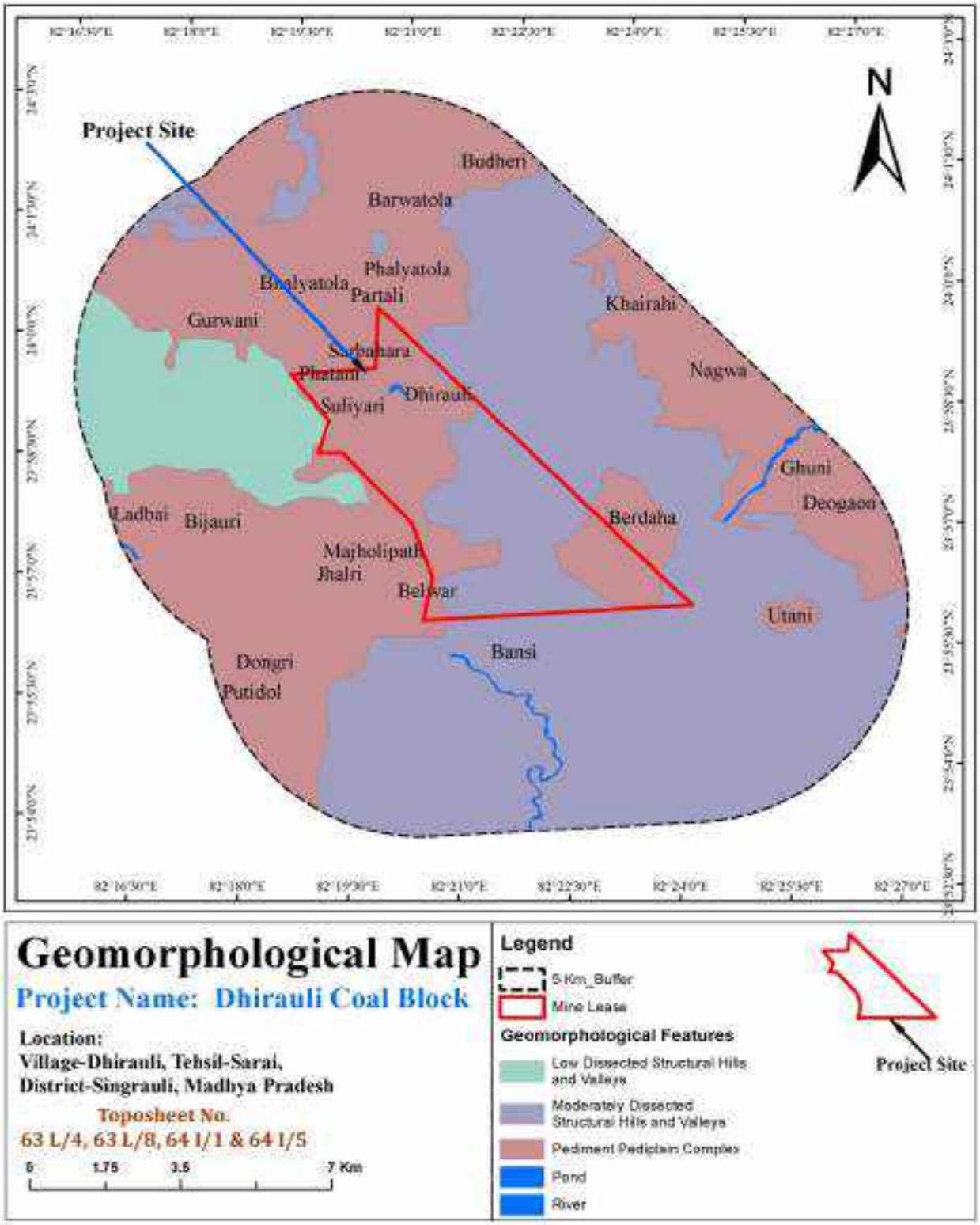

Figure 8: Geomorphological map of 5 Km Buffer

3.4. CLIMATE AND RAINFALL

The climate of Singrauli district is characterized by hot summer and well distributed rainfall during south-west monsoon and can be divided into four seasons- The winter commences from the end of November and lasts till first week of March. The period from March to middle of June experiences hot weather. May is the hottest month of the year. The south-west monsoon starts from middle of June and continues till end of September. October and November are the months of post-monsoon/retreating of monsoon. The day temperature on individual days during the period April to first week of June gets up to 44.0°C to 45.0°C. Monsoon generally arrives in the middle of June and there is a significant drop in temperature and the weather becomes pleasant. After withdrawal of monsoon in the first week of October, there slight increase in day's temperature. Hot hights become progressively cooler. January is generally coldest month of the year. The maximum daily mean temperature in January is 24.3°C and minimum daily temperature is about 8.1°C

Table 3: Rainfall Statistics of Singrauli for 25 Years

Year	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Annual Rainfall (mm)
1999	0.33	0.72	0	0	12.8	248.57	526.21	306.33	210.51	67.41	1.5	0	1374.38
2000	0	0.12	0.3	0.07	30.91	163.27	369.49	233.99	314.12	0.3	0	0	1112.57
2001	0.54	0	1.53	0.5	24.83	238.7	581.86	221.72	114.36	121.63	0	0	1305.67
2002	0.39	26.64	0.1	0	37.37	65.9	204.15	343.99	203.14	54.96	0	0.14	936.78
2003	3.49	44.86	0.05	6.25	0	105.23	318.21	463.76	344.33	69.47	0.02	0.26	1355.93
2004	11.32	34.16	0	6.19	11.36	118.15	164.1	269.68	107.31	16.06	0	0	738.33
2005	23.17	46.48	13.65	0.76	24.35	80.16	292.35	295	122.02	31.33	0	3.87	933.14
2006	0	0	27.65	9.08	75.1	172.35	355.47	273.88	76.22	15.02	4.56	0	1009.33
2007	2.25	47.3	27.26	17.36	16.94	57.66	229.31	217.47	213.26	17.46	0	3.87	850.14
2008	31.11	9.91	0.71	9.6	16.82	278.95	339.23	253.41	40.16	12.67	2.84	0	995.41
2009	0.77	0	1.64	2.21	0.42	51.57	237.34	202.73	164.23	61.68	24.69	2.93	750.21
2010	5.23	5.39	0	0.06	6.09	26.89	243.17	178.29	166.49	15	5.52	1.75	653.88
2011	5.68	1.87	0	5.1	7.89	289.99	159.63	342.8	445.73	2.51	0	0	1261.2
2012	20.49	9.65	4.04	3.95	1.79	29.13	476.13	333.11	270.27	12.67	12.44	15.31	1188.98
2013	0	51.67	16.86	32.65	0.75	135.65	351.46	337.99	79.92	112.33	0	0	1119.28
2014	29.69	48.46	30.87	3.71	9.51	91.33	206.99	314.13	104.19	70.02	0	3.99	912.89
2015	41.26	1.23	28.86	10.49	6.94	86.62	235.07	225.24	30.16	40.65	1.05	2.07	709.64
2016	20.3	0.25	26.05	0.01	9.08	61.54	459.11	475.44	211.7	39.19	0	0	1302.67
2017	4.11	0.07	0.8	0	10.08	43.53	518.42	116.62	60.72	12.61	0	0	766.96
2018	0	4.77	0	1.81	24.14	83.42	248.78	413.75	193.02	3.11	0.27	3.46	976.53
2019	7.75	7.99	24.86	2.3	1.44	30.85	306.68	316.59	342.06	62.59	8.36	19.78	1131.25

Year	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Annual Rainfall (mm)
2020	18.71	12.47	58.65	13.08	30.45	288.88	97.45	238.57	129.83	29.94	18.25	5.49	941.77
2021	0.35	5.02	1.34	0.09	108.04	183.78	277.39	315.32	183.96	25.68	0.38	9.47	1110.82
2022	22.77	5.05	0.43	0	14.36	98.57	196.37	345.03	159.96	54.31	0	0.52	897.37
2023	0.36	0	29.73	10.11	21.05	110.43	191.6	246.47	176.67	153.29	1.29	35.78	976.78

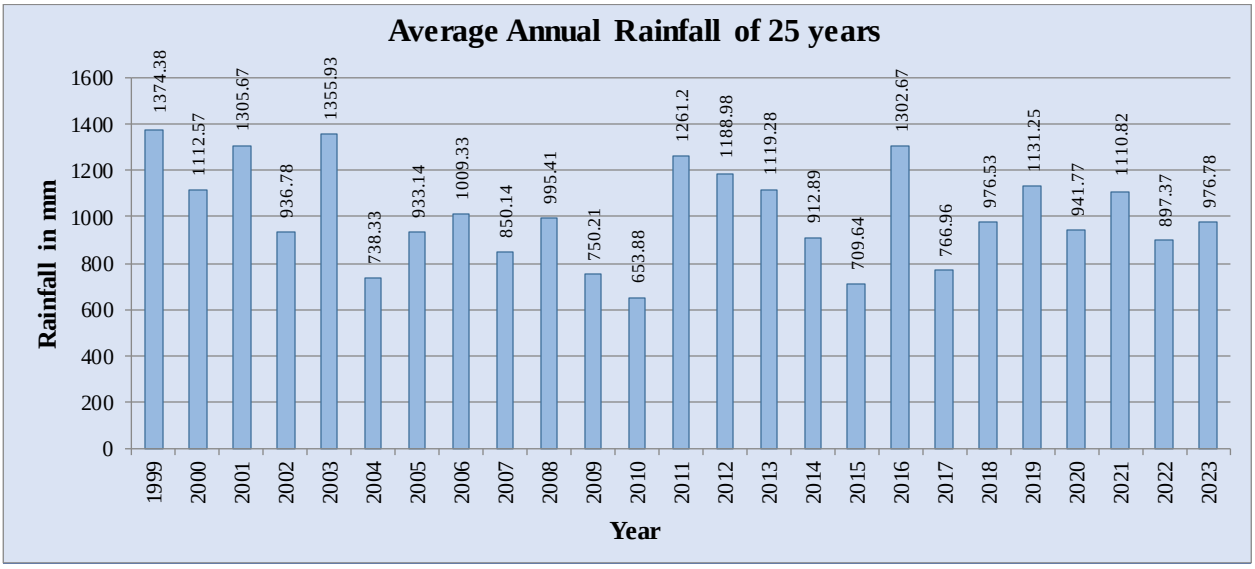

Figure 9: Rainfall Statistics of Singrauli for 25 Years

CHAPTER -4

HYDROGEOLOGY

4.1. GEOLOGICAL SETUP

The rock formations ranging in age from Archaean to Cretaceous are exposed in the district. The Archaean comprises gneisses and schists. These are exposed as east-west belt in central and south-eastern part of the district.

The general geological succession of the study area is given in Table 4

Table 4: Geological Succession

Age	Group	Formation	Lithology
Cretaceous		Intrusives	Dolerite dykes & sills
Upper Triassic (?)	Upper Gondwana	Mahadeva	Coarse grains, ferruginous sandstone with bands of shale, clay and conglomerate
Lower Triassic	Lower Gondwana	Panchet (?)	White, greenish white and pink Micaceous, medium to coarse grained sandstone with red beds, greenish brown silty shales and conglomerates
Upper Permian		Raniganj (215-403 m)	Fine grained sandstones and shales with coal seams including 134 m thick Jhingurdah seam
Middle Permian		Barren measures (125-300 m)	Very coarse grained, ferruginous sandstones, green clays and shales
Lower Permian		Barakar (325-600 m)	Medium to coarse grained, sandstone, shales, clays and coal seems
Upper Carboniferous to Lower Permian		Talchir (75-130 m)	Tillite, sandstones, siltstone, needle shales etc.
……..……***Unconformity***……...			
Precambrian		Precambrian	Phyllites, quartzites, schists and gneisses

Source: Geological Survey of India (GSI)

4.1.1 GEOLOGICAL STRUCTURE

The Dhirauli block is traversed by 11 normal gravity faults designated as F1-F1 to F11-F11. There are two sets of faults - one trending NW-SE and the other trending NE-SW. The magnitude of these faults varies from 5 m to 85 m within the block. The faults have been deciphered based on the floor level difference observed on either side of the fault planes and on the basis of borehole

intersections. It is pertinent to mention here that the numbers of minor slips are also observed in boreholes causing insignificant reduction of parting and seam thickness. It is seen that, out of 11 faults interpreted, 10 faults are of low magnitude having throw between 5 m to 35 m except fault F9-F9 which is having maximum 85 m of throw. In general, the strike varies from NW-SW in the entire area of the block to almost E-W in the southern part of the block with gentle dip of 2° to 4° north-easterly to north and south-westerly to south at places. The net geological and mineable reserves estimated for both open cast and underground mining is 558.01 Mt and 313.79 Mt respectively.

Geologically the study area is covered by lower Gondwana group.

In the study area, boulder bed, sandstone, shale, clay and coal seams belonging to Talchir, Barakar, Barren measure and Raniganj Formations of Gondwana Super group are the major geological formations occupying 646.49 sq. km (Buffer and surrounding of the study area). Of these, Barren measures and Raniganj Formations occupy 524.77 sq. km (80.15%) of the study area. Basalt/dolerite of Deccan Traps occur in a small area of 8.23 sq. km (1.26% of the study area) as intrusives in the southern part of the study area.

4.2. HYDROGEOLOGY

The hydrogeological framework of the study area is mainly controlled by the geological set up, rainfall distribution and the degree of secondary and primary porosities in the geological formations for storage and movement of ground water. Since major parts of the buffer zone are underlain by hard rocks of diverse lithological composition and structure, the water bearing properties of the formations also vary to a great extent. The area has undergone several phases of intense tectonic deformations which have been responsible for the development of fold and fractures. Hydrogeological survey in the area reveals the lithological characteristics and the role of tectonic deformation on the occurrence and distribution of ground water reservoirs and their water bearing and water yielding properties as well as water quality issues.

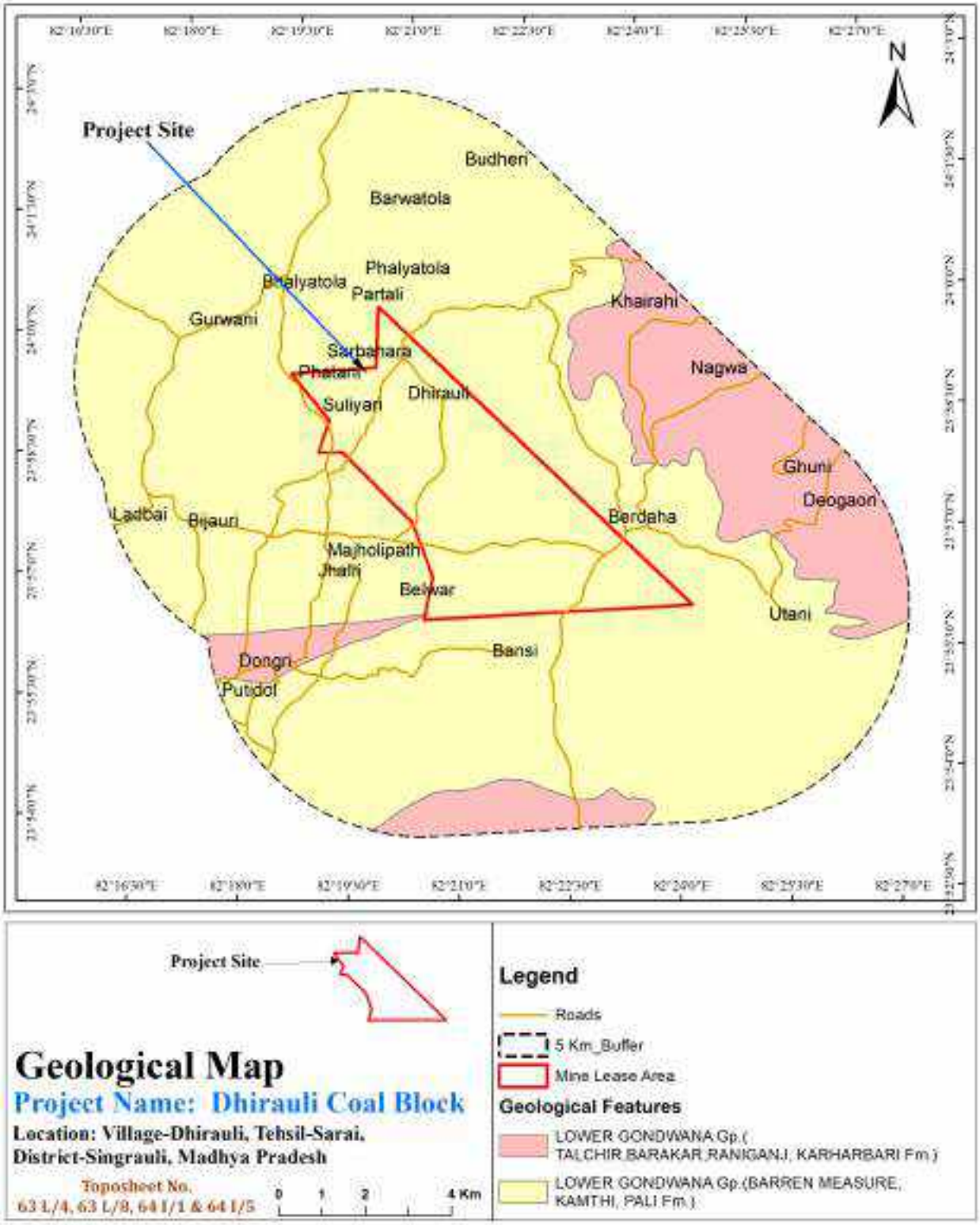

Figure 10: Geological Map of 5 Km Buffer

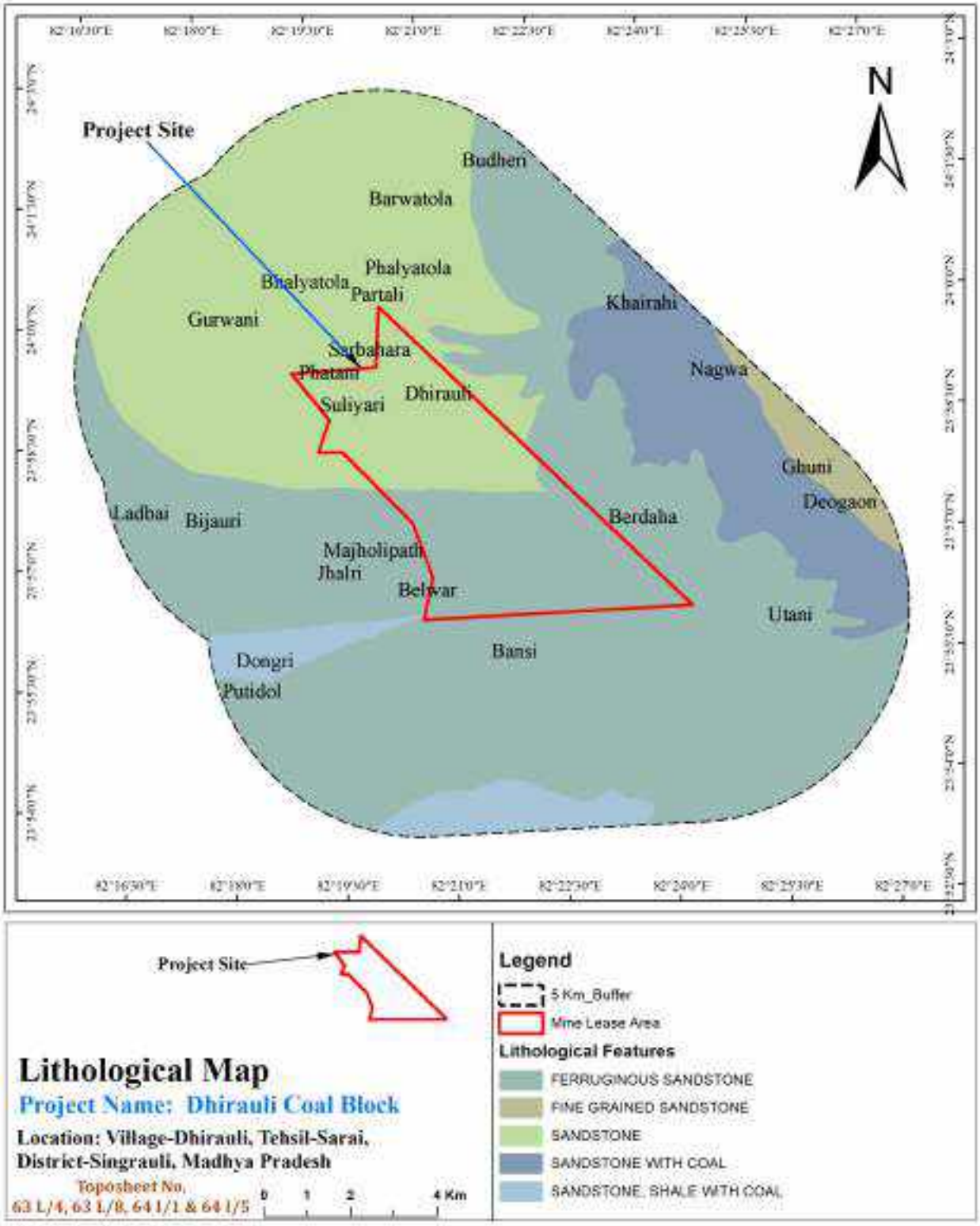

Figure 11: Lithological Map of 5 Km Buffer

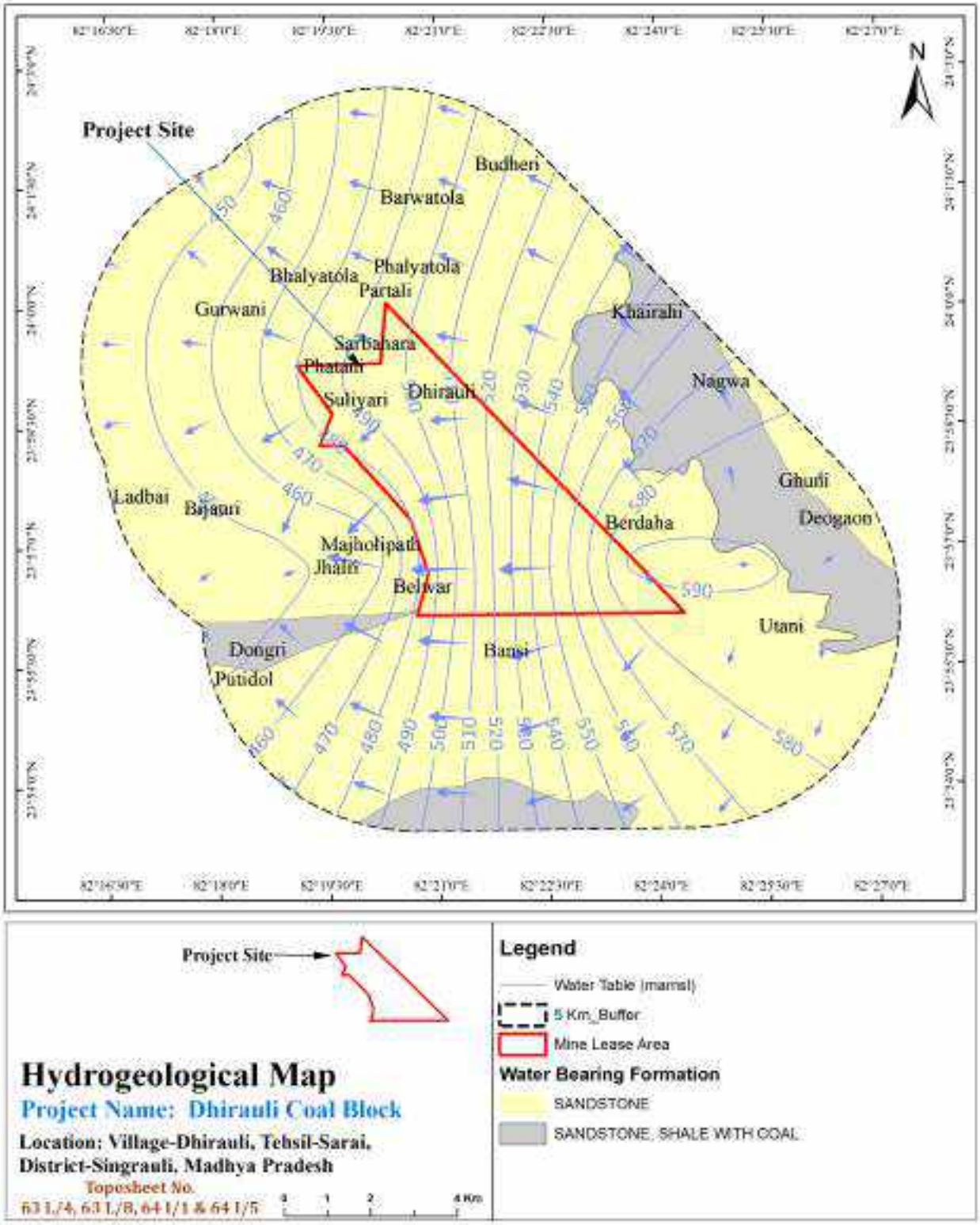

Figure 12: Hydrogeological Map of 5 Km Buffer

CHAPTER -5

BASIC DATA GENERATION

5.1. DETAIL OF WATERSHED OF THE STUDY AREA

In order to recapitulate the following basic information is reproduced for ready reference-

- *Watershed including mine lease area.*
- *Digital Elevation Model (DEM)*
- *Intensity of rainfall*
- *Runoff Coefficient*
- *Infiltration test*
- *Water table*
- *Rainfall –Runoff-Infiltration relation.*
- *Grain size & Silt Yield Index.*
- *Soil loss & Sediment Yield*

There are mainly three nos. of watershed present in the study area-

I. *Watershed no 01(2A5F4c5)*
II. *Watershed No 02 (2A5F4c6) and*
III. *Watershed No 03 (2A5F4c7)*

The watershed with location of Dhirauli Coal Mine is given in Figure 14.

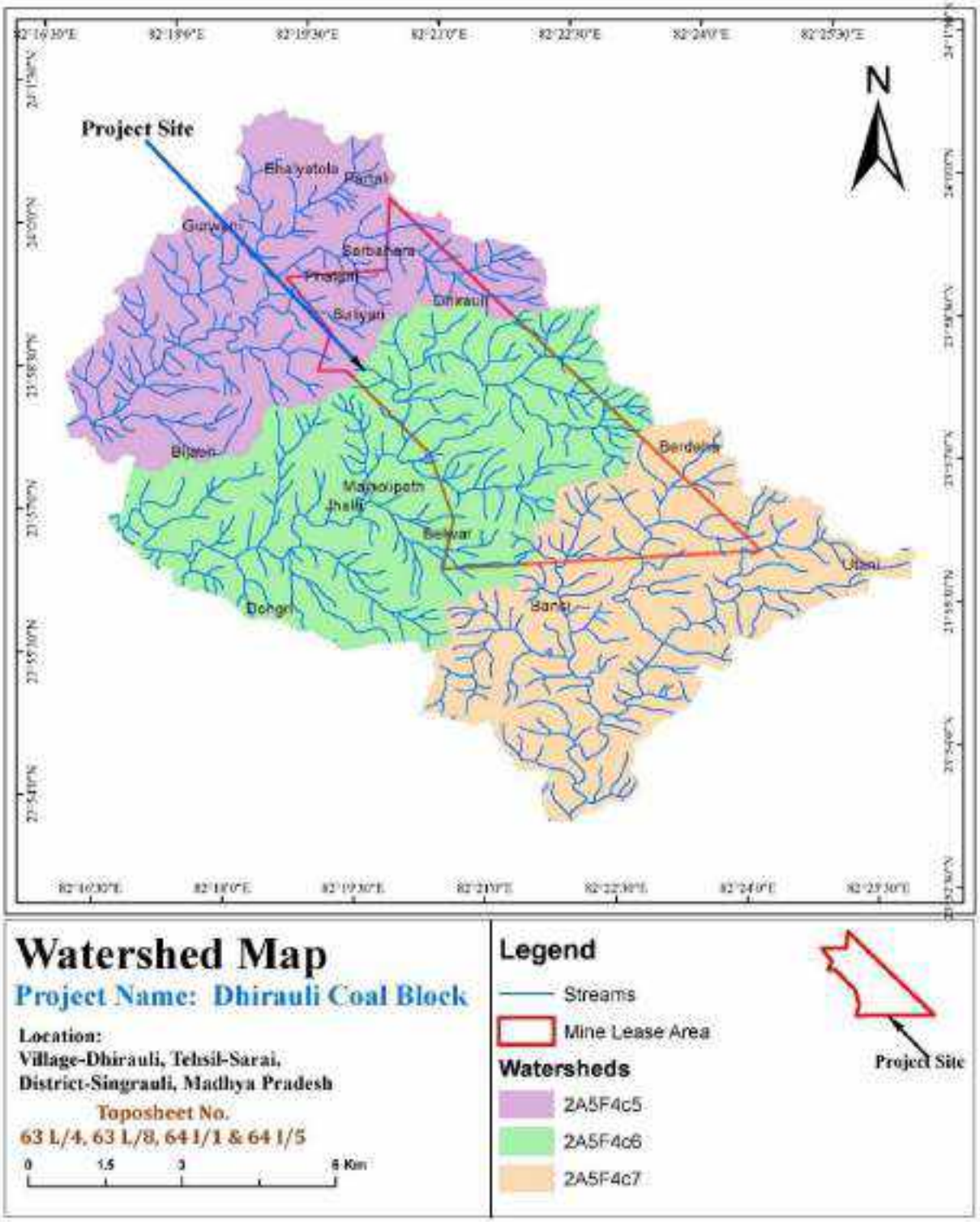

Figure 13: Watershed map of the study Area

5.2. INTENSITY OF RAINFALL

The rainfall intensity corresponding to duration and desired probability of exceedance i.e. return period. This is rainfall-frequency duration relationship for the given catchment area. I.M.D. has prepared Isopluvial maps for the different return period for given catchment area.

The maximum intensity of one hour rainfall is 30mm.

5.3. RUNOFF COEFFICIENT

The runoff coefficient is a dimensionless coefficient relating to amount of runoff to the amount of precipitation received. It is larger value for area with low infiltration and high runoff and lower for permeable well vegetated area (forest, flat land).

Runoff of Co-efficient = 20 %

5.4. INFILTRATION TEST

Infiltration is the flow of water into the ground through the soil surface. Since infiltrated water may contribute to the ground water discharge in addition to soil moisture, the process can be schematically modeled. The infiltration characteristics of a soil at a given location have been estimated by using flooding infiltrometer. The infiltration test data and location map of infiltration site is given in Table no 5 and Figure 15

Table 5: Infiltration Test

Time since start		Infiltration rate (cm/hr)			
Minutes	**Hour**	**Test-I (Dhirauli)**	**Test-II (Sulyari)**	**Test-III (Budheri)**	**Test-VI (Badhura)**
10	0.16	18.28	17.02	10.65	9.10
20	0.33	16.21	14.00	9.62	6.31
30	0.50	14.25	12.25	7.55	5.26
45	0.75	10.21	10.16	5.23	4.66
60	1.00	9.83	8.21	4.21	3.21
90	1.50	5.62	6.75	4.00	2.00
120	2.00	3.23	4.20	3.61	1.51
150	2.50	2.00	1.90	2.82	1.00
180	3.00	1.58	1.00	1.06	0.81
210	3.50	0.72	0.61	0.40	0.28
Constant Infiltration rate cm/hr		***0.72***	***0.61***	***0.40***	***0.28***
Infiltration zone		High	High	Moderate	Low
Recharge/Discharge		Recharge	Recharge	Discharge	Discharge

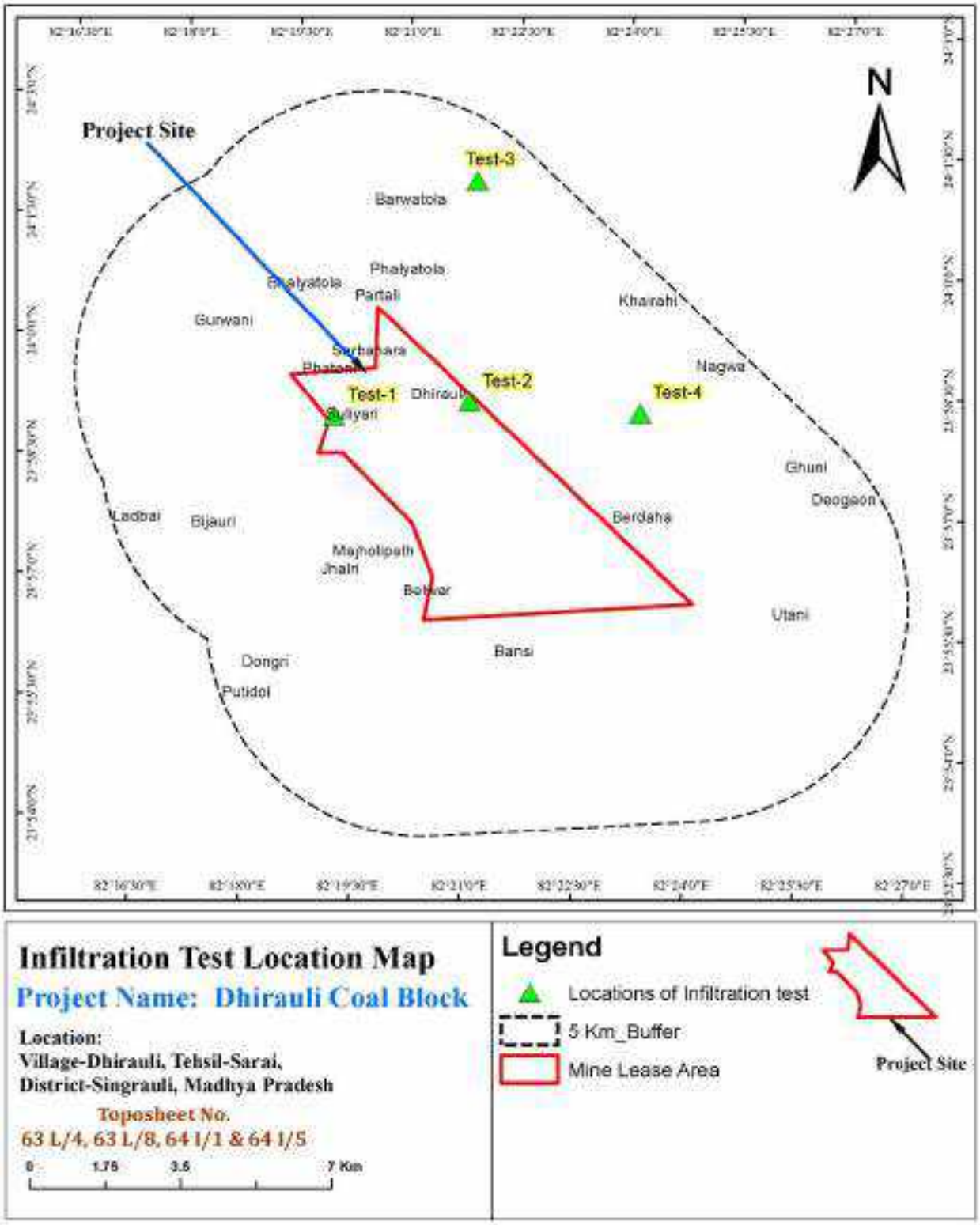

Figure 14: Location of Infiltration Test

5.5. WATER LEVEL

The ground water levels observed over a period provides valuable information on the behavior of the ground water regime, which is constantly subjected to changes due to recharge and discharge phenomenon. Based on data of observation wells a water level map for the Pre-monsoon and post-monsoon and ground water flow direction map has been prepared. The pre-monsoon and post-monsoon and ground water flow maps are given in figure 16, 17 and 18.

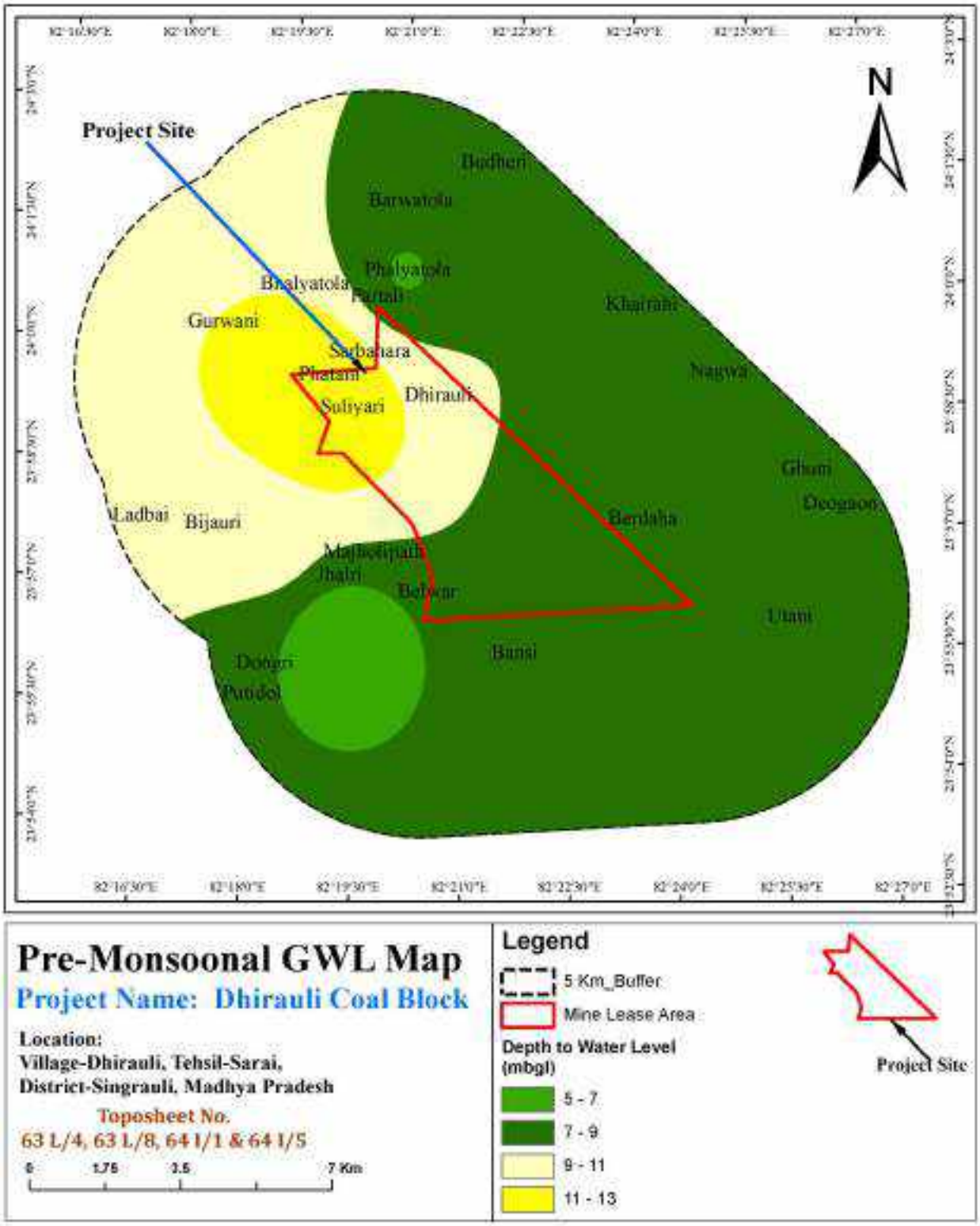

Figure 15: DTWL Map (Pre-Monsoon)

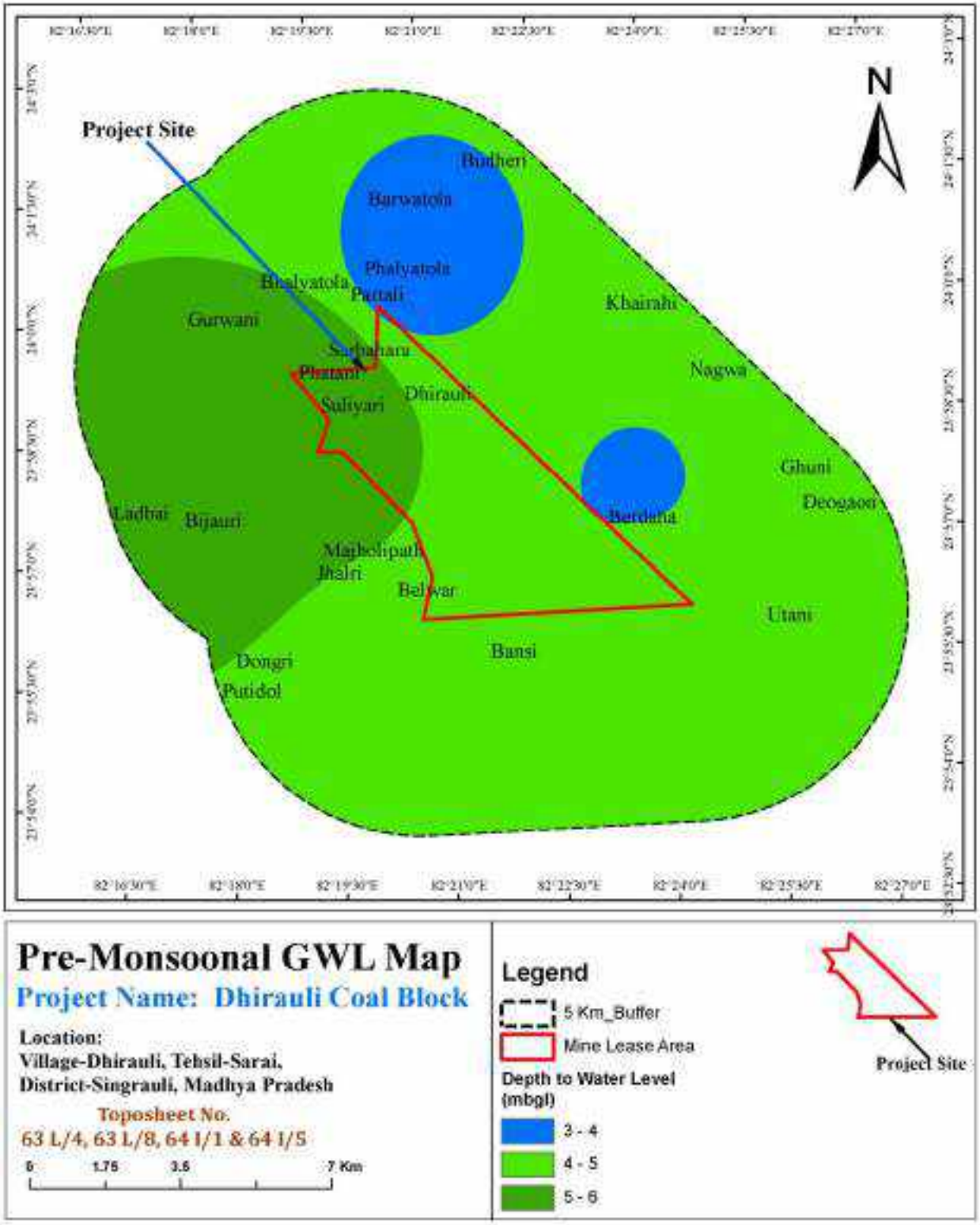

Figure 16: DTWL Map (Post-Monsoon)

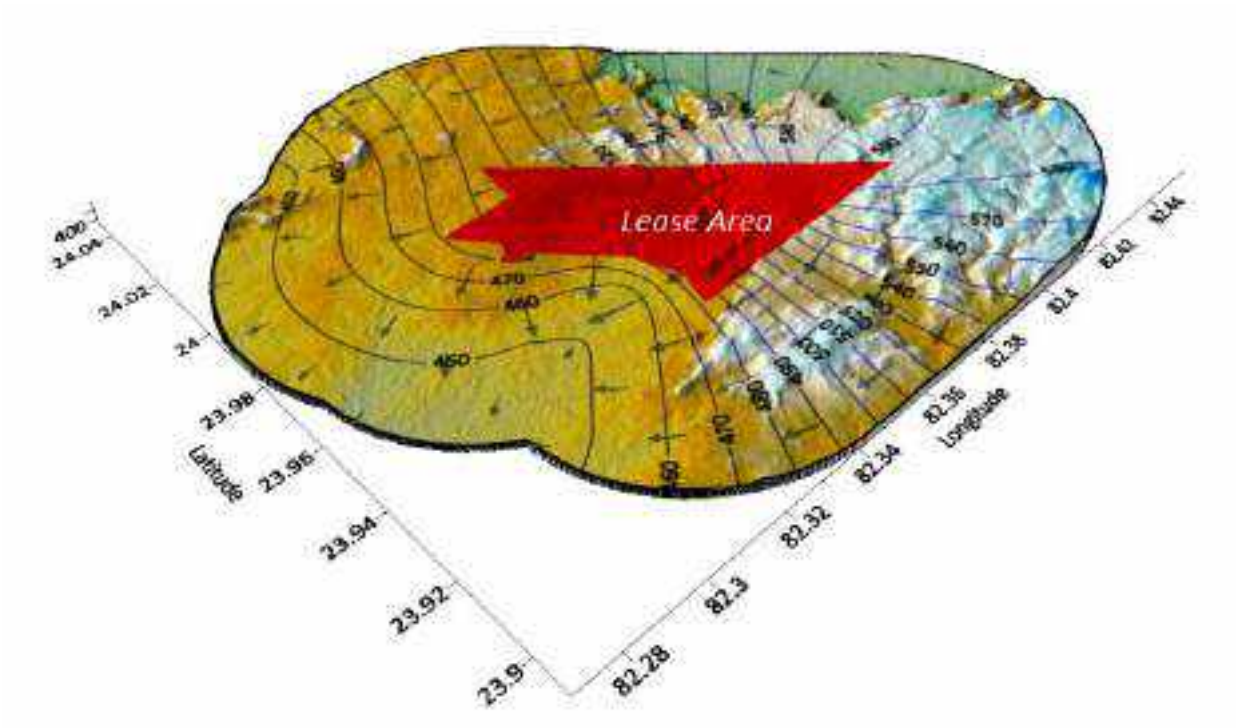

Figure 17: Ground water flow direction map (3D)

5.6. Rainfall –Runoff – Infiltration Relation

Based on UNDP study, carried out in Indian Coalfield, for Hydrological consequences in respect of pre & post mining in study area, the relationship between Rainfall –Runoff – Infiltration has been studied and result given in Table 6

Table 6: Rainfall –Runoff – Infiltration Relation

Phase/Condition	Area of CAT	Normal rainfall in monsoon	Surface Water		Ground water	
			Runoff Coefficients	Runoff	Infiltration coefficient	Groundwater Recharge
	Ha	m	%	MCM	%	MCM
Pre mining	35.34	1.016	0.2	0.72	18	12.96
Post Opencast mining	35.34	1.016	0.2	0.72	10	7.2

5.7. SOIL EROSION

Soil erosion may be defined as the defacement and transportation of soil. Water is the major agent responsible for this erosion. The Soil Erosion highlights the management technique to control erosion in the catchment area. The Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan involves the following parameters.

- ✓ Understanding the erosion characteristics
- ✓ Suggesting remedial measures to reduce the erosion rate

- ✓ Detain the Silt (Charged particles) in the runoff in nala on the way and prevent or reduce
- ✓ The transportation of soil to streams or reservoirs.

5.8. GRAIN SIZE ANALYSIS

5.8.1 Grain Size Analysis of Soil

The grain size analysis of the soil in respect of area in and around of study area is given in Table 5.3

Table 7: Grain size Analysis in (%)

Type of Grain	Notation	Mine Area (Dhirauli)	Mine Area (Sulyari)	Bhalyatola	Budheri	Badhaura	Average %
		S1	S2	S3	S4	S5	
Sand	(SAN)	49	51	23	21	22	33.2
Silt	(SIL)	15	10	25	15	20	17
Clay	(CLN)	36	39	52	64	58	49.8
Organic	(C)	0.25	0.42	0.68	0.61	0.77	0.5
	%	100	100	100	100	100	100

(Source: Mine plan of Dhirauli Coal mine)

5.8.2 Silt Yield Index (SYI)

Silt Yield Index method has been used for prioritization of sub-watersheds in the catchment for treatment. The Silt Yield Index is defined as the Yield per unit area. Silt Yield Index value for hydrologic unit is obtained by taking the weighted arithmetic mean over the entire area of the hydrologic unit by using suitable empirical equation.

The Silt Yield Index (SYI) of watershed has been calculated and given in Table 8

Table 8: Silt Yield Index (SYI)

SL. No.	Nomenclature of Watershed	W1	Area in (Ha)	Silt Yield Index
1	W-01	20	3257	2540
2	W-02	20	4154	3240
3	W-03	20	3374	2631
Total			***10785***	***8411***

5.8.3 Slope of Tract

The slop map area distribution is given in Table 9. The slop map of the area has been demarcated in Figure 19.

Table 9: Slope of the Tract

SL. No.	Slope class (Gradient in %)	Area in Ha	Percentage	Remark
1	0-1%	58516	78%	Low soil loss
2	1– 10%	13641	18%	Medium
3	>10 %	2593	3%	High
Total		***74750***	***100***	**-**

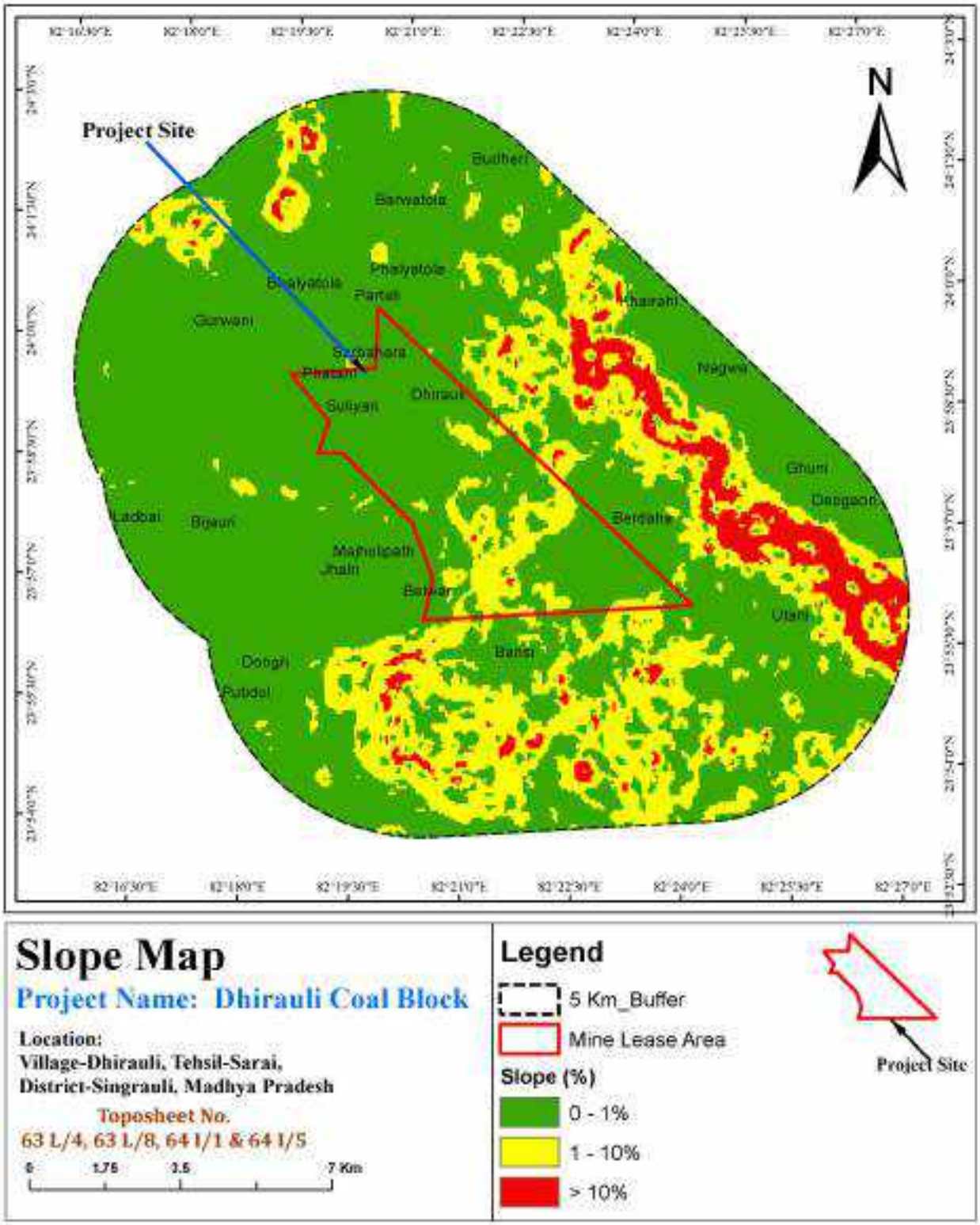

Figure 18: Slope Map of Study Area

5.9. SOIL LOSS AND SEDIMENT YIELD

Annual soil loss and sediment yield due to water erosion has been evaluated for Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan.

5.9.1 Equation for soil loss

The Revised Universal Soil Equation (RUSLE) model is most commonly used method for calculating the soil loss.

The soil loss equation is as follows-

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

Where,

A = Soil loss (tons/ha/year)

R = The he rainfall erosivity factor

K = The soil erodibility factor

L S = Topographic factors representing length and slope

C = The vegetation cover and management factor and

P = The support practices factor.

Despite the USLE's plot-scale spatial focus, the model has often been used to estimate soil erosion on much larger areas, such as watersheds or even whole continents. The relation between gradient (in %) to Soil loss per ha is represented below in Figure 20.

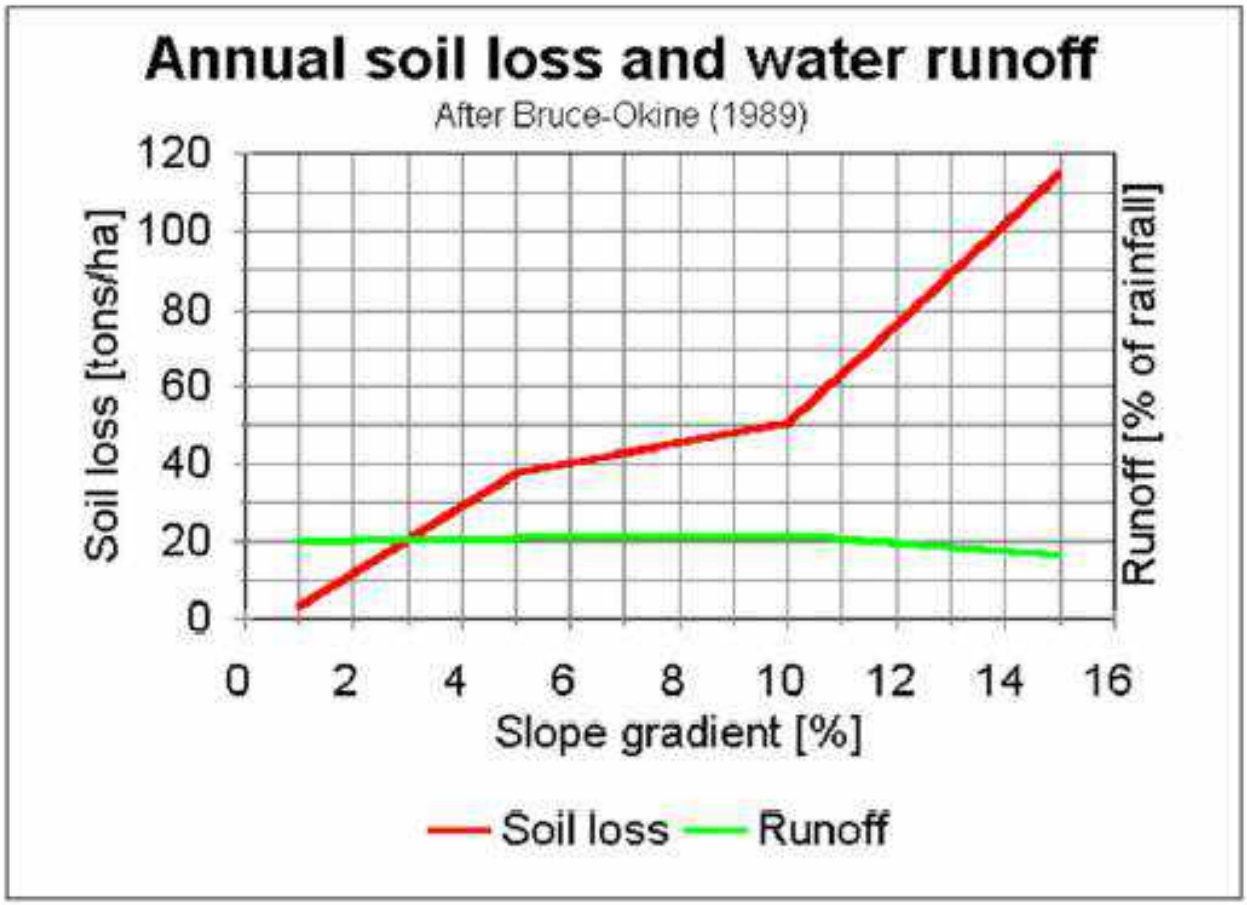

Figure 19: Theoretical Annual Loss and Water Runoff

5.10. DISCUSSION – DATABASE GENERATION

The arable land standard will be achieved by the areas with a slope of less than 5%. Less than 10% of the rehabilitated area will not meet the arable land standard. These areas are susceptible to severe erosion and will need careful management.

CHAPTER -6

PROBABLE SOURCE OF SOIL EROSION

6.1. GENERAL

In course of mining excavation activity will be taken up over an area of 2672 ha during complete Mining Operation. The location of excavation, dump, backfilling and uncut area within Mine lease boundary for different stages of mining area Adequate management strategy has been prescribed in the mining plan to check soil, erosion from dumps. The management practices are prescribed hereafter.

6.2. TOP SOIL MANAGEMENT

Topsoil is proposed to be removed separately and dumped outside the quarry in a manner so as not to loose its fertility. The top soil would be spread over the reclaimed land, afterward.

Topsoil will be removed and dumped on the area shown on surface plan. Topsoil will be stored for initial four years and during subsequent years it will be directly spread over the reclaimed area.

Topsoil details-

1.) Height of Topsoil dump = 3 meters

2.) Year of reclamation = after 5th year of mine operation

Table 10: Topsoil Excavation

Year	Top Soil (Mcum.)
Year-1	0.80
Year-2	0.90
Year-3	0.50
Year-4	0.40
Year-5	0.30

6.3. OVERBURDEN DUMP

The total volume of OB has been estimated as 1963.55 Mcum. The OB removed during initial years will be placed beyond the incrop of the seam VII as external dump. The total volume of external dump has been estimated as 259.01 Mm3. Rest of the OB will be placed as internal dumps. The total volume of internal OB, i.e. the volume which will be accommodated internally by backfilling has been estimated as 1704.54 Mm3.

The internal dumping will start when about 100 m internal space is available on quarry floor. By adopting the proposed sequence of mining, as the quarry advances, the amount of internal dump will increase as more space for the internal dumping is created.

It is proposed to start internal dumping from 3rd year of mine operation along with external dumping to optimize lead. As the gradient of the seam is flat, during working of the quarry substantial amount of OB can be accommodated as internal dump. After 18th year of mine operation, no external dumping will be required. Hence, OB will be accommodated as internal dump for rest of the mine life.

During 1st year, height of external dump will be kept at only 60 m above the ground level. During 3rd year, height of eastern external dump and eastern in-pit dump will be merged by maintaining 90m height above the ground level (RL of 600). At the end of 5th year height of internal dump will be 90m above ground level. At the end of mine life, internal dump will be at 60 above the ground level for some part.

Year wise dump schedule of Dhirauli Coal Block is given in Table no 11

Table 11: Dump Schedule

Year	**External Dump**		**Internal Dump**		**Total OB**	
	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)	Progressive (Mcum)	Cumulative (Mcum)
1st	16.35	16.35	-	-	16.35	16.35
5th	11.64	87.86	21.53	56.23	33.17	144.09
10 th	12.11	145.33	26.49	183.71	38.60	329.04
15th	14.42	212.95	32.88	335.24	47.30	548.19
18th	15.82	259.01	35.03	439.08	50.85	698.09
30th	-	259.01	65.75	1147.53	65.75	1406.54
40th	-	259.01	7.01	1704.54	7.01	1963.55
Total	***259.01***	***259.01***	***1704.54***	***1704.54***	***1963.55***	***1963.55***
	259.01		***1704.54***		***1963.55***	

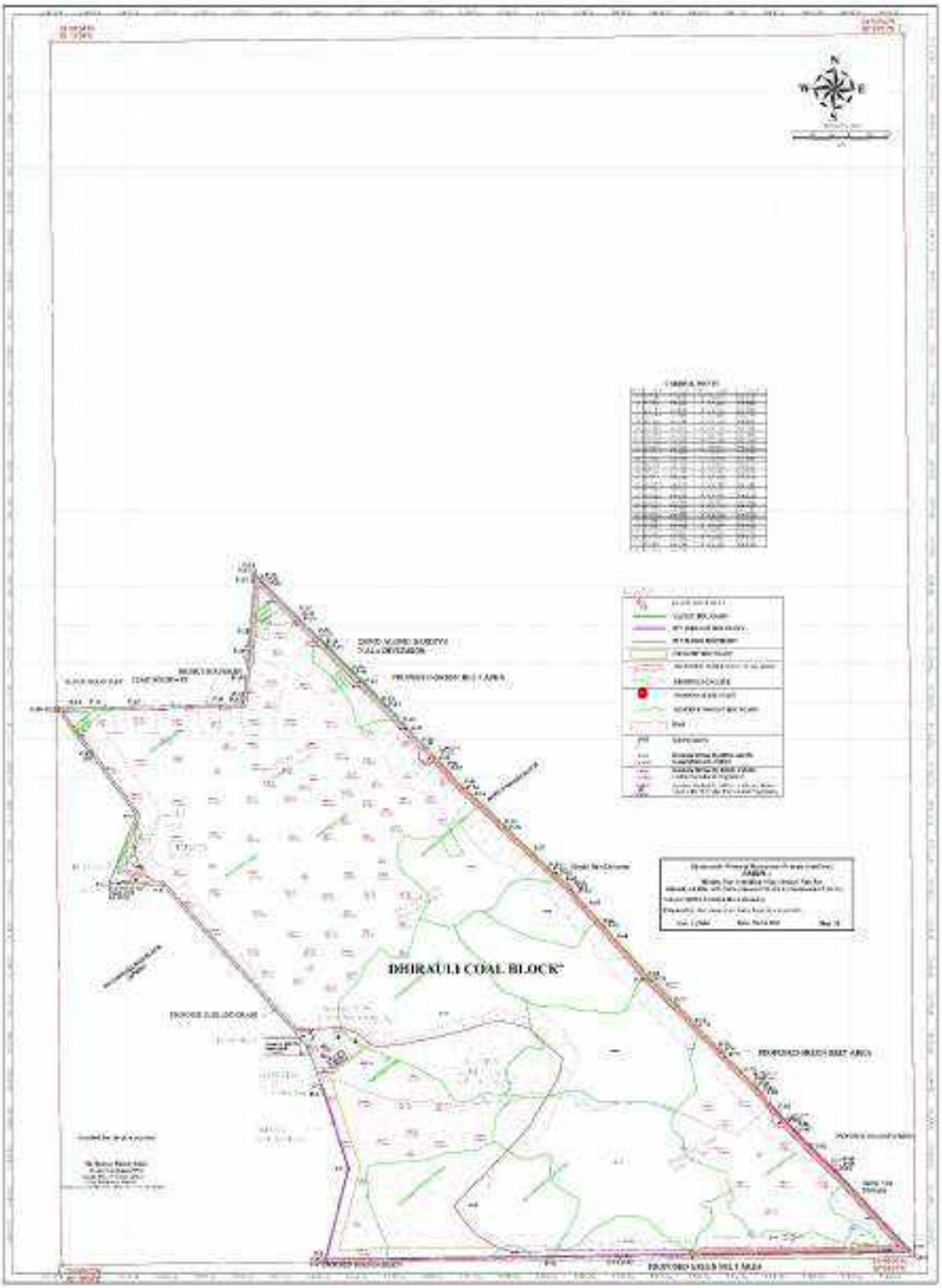

Figure 20: 2nd Year Plan

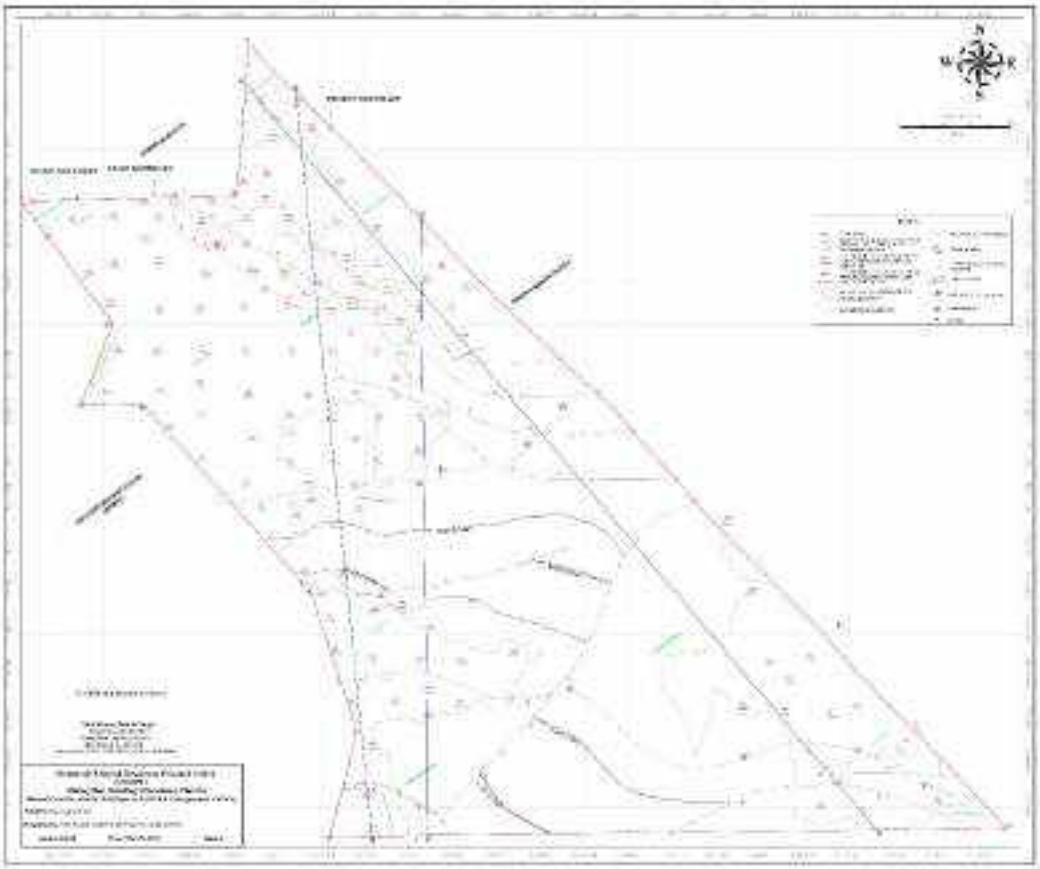

Figure 21: 5th Year Plan

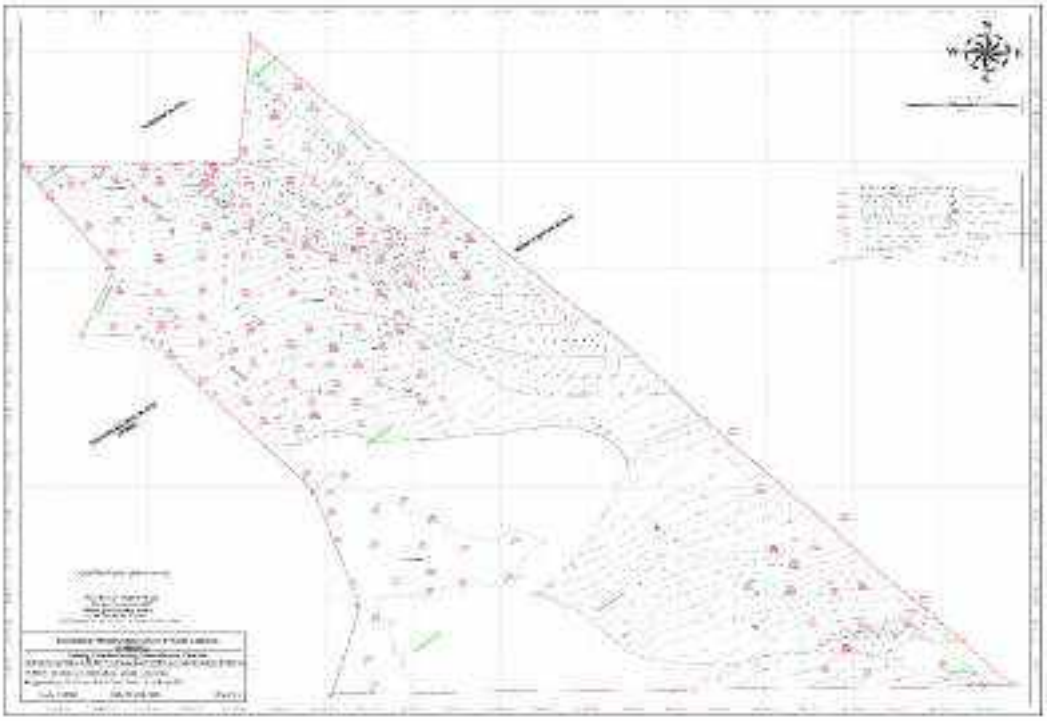

Figure 22:10th Year Plan

Figure 23: 20th Year Plan

6.4. STABILIZATION OF OVER BURDEN DUMP

6.4.1 Steps to be taken to avoid Dumps Slides

- Dumping of top soil will be avoided at the bottom of the cut as it leads to in stability. Dumping of soil and clayey material will be done away from the working area that is on farther end of the dump so that formation of weak planes is avoided.
- Afforestation by planting trees will helped a lot in improving stability of dumps by preventing erosion.

6.4.2 Reclamation of overburden dumps

Following activities shall be taken up for reclamation of Overburden dumps-

- Stabilization of overburden dumps
- Construction of retaining walls
- Construction of drain for drainage
- Provision of jute mesh for facilitating grass or vegetative growth on slopes

- Provision of good soil mixed with manure and subsequent irrigation for growth of grass for anchorage on slopes. Plantation mixed with indigenous and fast-growing plant species
- The degraded area will be reclaimed and rehabilitated with local species of plantation in a phased manner
- Plantation will be carried out on waste dumps
- The haulage roads will be flanked by trees on either side and
- A belt of trees with thick canopy will be created along the mine boundary to intercept dust, gaseous pollutants and noise.

During quarry operations, it is necessary to adopt suggested mining parameters for the stability of benches, high-walls and spoil dumps. It is also mandatory to examine systematically the fencing of mine working, landslides and cracks between benches. It is required to maintain well graded and wide roads on benches keeping the width of working areas sufficient for spreading of blasted rock and movement of the mining and transport equipment.

CHAPTER -7

CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION PLAN WORK PLAN

The mitigative measures to minimize soil erosion will be undertaken by two plan –

1) Biological Conservation Plan

2) Engineering Conservation Plan

7.1. Biological Conservation Plan

7.1.1 Approach Plan

The following biological conservation plan will be adopted to mitigate soil erosion.

- Dumping of top soil will be avoided at the bottom of the cut as it leads to in stability. Dumping of soil and clayey material will be done away from the working area that is on farther end of the dump so that formation of weak planes is avoided.
- Afforestation by planting trees will helped a lot in improving stability of dumps by preventing erosion.
- Stabilization of overburden dumps
- Provision of jute mesh for facilitating grass or vegetative growth on slopes
- Provision of good soil mixed with manure and subsequent irrigation for growth of grass for anchorage on slopes. Plantation mixed with indigenous and fast-growing plant species
- The degraded area will be reclaimed and rehabilitated with local species of plantation in a phased manner
- Plantation will be carried out on waste dumps
- The haulage roads will be flanked by trees on either side and
- A belt of trees with thick canopy will be created along the mine boundary to intercept dust, gaseous pollutants and noise.

Planning for plantation is done keeping the following objectives in mind

- Compensate the damage to vegetation due to setting up and operation of the mine
- Prevent the spread of fugitive dust generated due to mining and allied activities
- Attenuate noise generated by the mine
- Reduce soil erosion
- Help stabilize the slope of external overburden dumps

- Increases green cover and improve aesthetics

Green belt development and afforestation will be carried inside the mining lease area to restore and increase the green cover of the region. Progressive Green Belt development and plantation in and around the mining area to control soil erosion. Progressive green belt development and plantation in the available areas will be carried out in a phase-wise manner till end of the mine life. Plantation will commence there from the initial years of excavation and plantation will be expanded in such areas in progressive stages.

7.1.2 Post plantation care

Prescribed post plantation care shall be adopted to ensure maximum survival of the plants. Funds for maintenance of the plants for the first five years after the plantation shall be kept. Immediately after planting the seedlings, watering will be done. Further watering will depend on the rainfall. In the dry seasons, watering will be regularly done especially during March to June. Watering in one year planted saplings will be more frequent (thrice a week). Manuring will be done using organic manure (animal dung,). Diseased and dead plants will be uprooted and destroyed and replaced by fresh saplings. Growth / health and survival rate of saplings will be regularly monitored and remedial actions will be undertaken as required.

7.1.3 Fencing

As some part of area is nearer to the habitation and lies adjacent to the agricultural land there is every chance of biotic interference to the plantation area. Therefore, it has been proposed to provide fencing towards habitation area.

7.1.4 Executing Agency

The entire work shall be carried out by the Forest Department.

7.2. ENGINEERING CONSERVATION PLAN

7.2.1 Approach Plan

In this Plan, considering the topography and contours of the lease area, emphasis has been given to arrest sliding down of excavated materials along the contour by constructing check dams and retention walls at specified locations in the mining lease. Locations are judiciously selected within the leasehold and plans are prepared.

The salient features of the drainage management plan are as follows:

- Check dams across the drain will check water current and arrest solids. These need to be cleaned periodically.

- Stone pitching will be made at suitable places as per requirement to regulate water flow. Some of the drains which will serve for a long time shall be made pucca.

7.2.2 Engineering Construction

Retaining walls/Toe walls and garland drains shall serve the purpose of protection against rolling boulders on the slopes and drainage respectively. The drains will be provided with settling pits at regular intervals as required. Outside of the garland drains on the drainage lines shall be reinforced with green cover. Check dams will be constructed at identified locations to prevent the rainwater run-offs from adjoining high-lying areas to enter the OB area. After physical reclamation, top soil shall be spread on the dumped material and water sprinkling on the soil will be carried out.

7.2.3 Construction of retaining walls/Toe walls

Retaining walls is a structure which aims at resisting the lateral pressure of soil when there is a change in ground elevation that exceeds the angle of repose of soil. Such retaining walls will be constructed around the overburden (OB) dump to arrest sliding down of the excavated material.

7.2.4 Construction of Catch pits

The run-off / storm water flowing through the network of garland drains around quarries and dumps will be led through siltation pits to settle out suspended solids. The clear water will be discharged to the nearby seasonal streams or nala. Coagulant, if necessary, will be added in the settling pits in monsoon season. Siltation settling pits will be constructed along the garland drains. It is expected that 4 numbers of settling tanks are required. The structure would be checked against overturning and sliding etc. Proper abutment at both sides should be made with earth filling so that excess run-offs would pass through only the catch pits or siltation pits without any breach elsewhere.

7.2.5 Inspection, Monitoring and Evaluation

For successful implementation of the above proposed program, intensive inspection and technical guidance from the concerned technical wing to be set up by the user agency is required. Infrastructure, conveyance and all other required facilities will be provided by the User agency for proper implementation of the program

7.2.6 Executing Agency

In all the cases, the works shall be executed by the Forest department.

CHAPTER -8

COST ESTIMATE OF CATCHMENT AREA TREATMENT & SOIL MOISTURE CONSERVATION PLAN

8.1. COST FOR CATCHMENT AREA TREATMENT PLAN

The total expenditure proposed for taking up the works connected to "Mitigative Measures for soil Erosion, choking of streams and following top soil Management Plan". The total cost of Mitigative measure is given in Table 12 & 13.

Table 12: Cost Estimation

SL No.	Item	Rate (Rs.)	Area in Ha/ Nos.	Amount (in Rs.)
I	Biological Measures			
1	Afforestation (400 plants per ha)			
	i) Creation and plantation	1,25,000	10	12,50,000
	ii) Maintenance for 5 years	1,00,000	10	10,00,000
2	Assisted Natural Regeneration (200 plants per Ha)			
	i) Creation	1,10,000	10	11,00,000
	ii) Maintenance for 5 years	90,000	10	9,00,000
	Sub Total I			***42,50,000***
II	Engineering Measures			
3	Brushwood Check Dams	2500	250	6,25,000
4	Dry Stone Masonry Check Dams (Cubic meters)	10,000	180	18,00,000
5	Fencing (in meters)	5,000	350	17,50,000
6	Contour Bunding (in meters)	16,500	110	18,15,000
	Sub Total II			***59,90,000***
	Total			***1,02,40,000***

Table 13: Other charges

SL. No.	Item	Amount (Rs.)
1	Microplanning @1% of Total	1,02,400
2	Monitoring and evaluation @5% of Total	5,12,000
3	Training and Extension programme @3% of Total	3,07,200
4	Capacity building @5% of Total	5,12,000
5	Extra Additional Charges (Lumsum)	3,00,000
	Grand Total	***1,19,73,600***

Note- ***Cost of Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan is Rs. 1,19,73,600 (in four stages/years)***

CHAPTER -9

CONCLUSION

- ✓ A Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan is a strategic plan designed to mitigate the adverse effects of soil erosion, siltation, and water runoff in catchment areas, particularly for projects like dams, reservoirs, or water harvesting structures. The primary objective is to restore the ecological balance of the region by implementing conservation measures.
- ✓ The Dhirauli coal mine project covers an area of 2,672 hectare and located in eight villages Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Bansibridha and Belwar, Sarai tehsil, Singrauli district, Madhya Pradesh. The mine lease area lies between 23°03'04"N to 23°56'07"N and longitudes 82°19'04"E to 82°24'21"E.
- ✓ Singrauli district is part of a hilly terrain covered by Kaimur hill ranges.
- ✓ The major part of the study area including ML area is drained by Hurdul Nala and other nalas joining Gopad River and covering southern, central and western parts of the study area.
- ✓ As per as Ramsar Site Map there is no any wetland area present in 500 m radius around the project site.
- ✓ The rock formations ranging in age from Archaean to Cretaceous are exposed in the district. The Archaean comprises gneisses and schists. These are exposed as east-west belt in central and south-eastern part of the district.
- ✓ Highest infiltration rate comes for the Dhirauli Village 0.72cm/hr
- ✓ The district enjoys tropical climate characterized by hot summer, cold winters and rainy seasons.
- ✓ Cost estimate for Biological Conservation Plan which include green belt and sowing of seeds will cost around Rs. 42,50,000
- ✓ Cost estimate for Engineering Conservation Plan which include Catch pits and Check dams or toe walls will cost around Rs. 59,90,000.
- ✓ The Total Cost of Catchment Area Treatment & Soil Conservation Plan is Rs. 1,179,73,600 lakhs (including other charges)

CHAPTER -10

REFRENCE

- Hydrogeological Study Report of Dhirauli Coal Mine & Approved Mine Plan
- Ven Te Chow, “Hand Book of Applied Hydrology”, (1964).
- Santosh Kumar Garg, “Irrigation Engineering and Hydraulic Structures”
- Andy Ward, Adrian Smith & Jack Caldwelt, Surface Erosion and sediment control at Open Cast Mine in South Africa, (1984) IAHS publication no. 144.
- Source-UNEP-DHI Partnership- Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan techniques
- Soil and Land Use Survey of India *(https://slusi.dacnet.nic.in/)*
- For Catchment Area Treatment & Soil Moisture Conservation Plan Map
    I. *https://bhukosh.gsi.gov.in/Bhukosh/Public*
    II. *https://bhuvan.nrsc.gov.in/*
    III. *https://onlinemaps.surveyofindia.gov.in/*
    IV. *https://earthexplorer.usgs.gov/*

Annexure 17

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Phase-wise mining and mine closure activities

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes that the mining shall be done in a phased manner after taking due care for the reclamation of the mined area. The concurrent Reclamation Plan as per the approved Mining Plan will be executed from the very first year, and an annual report on implementation will be submitted to the Nodal Officer, Madhya Pradesh for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land in Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 18

Schedule for Surrender of Mined out and reclaimed forest land in accordance with existing mine plan and mine Clouser plan.

Years	Forest Land -surrender Area in Ha	
	Progressive Ha	**Cumulative Ha**
Year 10	260	260
Year 15	150	410
Year 20	150	560
Year 30	200	760
Year 40	200	960
Year 45	437.54	1397.54
Total	**1397.54**	

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Annexure 19

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Return of forest area after closure of mining

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes the rehabilitated forest area after the closure of mining operations will be handed over to the State Forest Department for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land In Singrauli Coalfield, Dist. - Singrauli, State - Madhya Pradesh

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 20

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Safety zone Management

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes the proper demarcation and maintenance of the safety zone (demarcated as per the approved mine plan by MoC), for Dhirauli Coal Block (ML Area - 2672 ha in which 1397.54 ha is forest land) in Singrauli Coalfield Dist. - Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Measures for proper maintenance are given below

1. Proper fencing protection and regeneration by erecting an adequate number of RCC boundary pillars
2. Deploying an adequate no. of watchers under the supervision of the state forest department the rehabilitated forest area after the closure of mining operations will be handed over to the State Forest
3. Maintaining the safety zone as a green belt around the mining lease at a project cost
4. Safety zone will be maintained as per prescribed norms.

Mr. Bacha Prasad
Authorized Signatory,
M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 21

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Soil Moisture Conservation

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes the Implementation of Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams in accordance with the approved Plan/Scheme in consultation with the State Forest Department for Dhirauli Coal Block (ML Area - 2672 ha in which 1397.54 ha is forest land) In Singrauli Coalfield Dist. - Singrauli, State - Madhya Pradesh

Measures for soil moisture conservation plan/scheme will include below points

1. Planting of adequate drought-hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion.
2. Construction of check dams, and retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.
3. Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching.
4. No damage shall be caused to the top soil and the top soil management plan will be followed.

Mr. Bacha Prasad
Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 22

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल–dfot.sgl@mp.gov.in, फोन–07805-233336 फैक्स–233335

क्र0/तक0/6958 सिंगरौली, दिनांक. 08.11.2024

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
अडानी कॉर्पोरेशन हाउस, शांतिग्राम, गुजरात

विषयः– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकवा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकवा 62.19 हे0 राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021

संदर्भः– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का प्राप्त आदेश क्रमांक/एफ–1/845/2023/10–11/88 दिनांक 05.11.2024

–000–

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत वन परिक्षेत्र बैढ़न के कक्ष क्रमांक आर. 353, 354, 356, 361, वन परिक्षेत्र माड़ा के कक्ष क्रमांक आर. 534 एवं वन परिक्षेत्र पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक आर. 362, 363, 364, 370, 371, 372, 373, 337, 357, 360, 377 में प्रभावित वनभूमि रकवा 1335.35 हे0 एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे0 कुल रकवा 1397.54 हे0 भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड का सिंगरौली जिला के सरई तहसील में आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र से सिंगरौली वनमण्डल के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न कक्षों के अंतर्गत प्रस्ताव में आवेदक संस्थान के पत्र दिनांक 14.10.2024 से प्राप्त केचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति में लागत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	मद का नाम	रकवा (हे0 में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	कुल योग
1	केचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य	1397.54	1,19,73,600/–	1,19,73,600/–
			1,19,73,600/–	**1,19,73,600/–**

केचमेंट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य रकवा 1397.54 हे0 की राशि रू. 1,19,73,600/–(रू. एक करोड़ उन्नीस लाख तीहत्तर हजार छ सौ मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

पृ0क्र0/तक0/6959 सिंगरौली दिनांक. 08.11.2024

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

ADANI MINING LTD

AHMEDABAD 382421
CIN No: U14299GJ2022PLC134875

Payment Advice		Document	2000000143
Vendor Name	MADHYA PRADESH CAMPA	Date	21.11.2024
Vendor Address		Vendor Code	653967
		Posting Doc	
		UTR No	YESBR12024112100021845
City	BHOPAL		
Ref No	21.11.2024 HN13		
Bank IFSC Code			
Bank A/c No			

Dear SIR/MADAM

This is to inform you that your payment(s) have been released for Rs. 11,973,600.00 (Rupees One Crore Nineteen Lakh Seventy Three Thousand Six Hundred Only). The details are mention below:

Yr Invoice (Reference)	Inv. Date	Amounts	TDS	TCS	Net Amounts
00000000	13.11.2024	11,973,600.00	0.00	0.00	11,973,600.00
	Total		0.00	0.00	11,973,600.00

Thanks and Regards
ABEX B2P Team

PS : This is a system generated mail, please do not reply to it.

RET=Retention(PO) / RTBG=Retention(BG) / LDD=LD Deduction / LDH=LD Hold
MADV=Mob.Advance Adjustment / ADV=Advance Adjustment / DED=Other Deduction

Annexure 23

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Gap plantation

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes the gap planting and soil and moisture conservation activities to restock and rejuvenate the degraded open forests (having crown density less than 0.40), if any, located within the periphery of 100 m from outer perimeter of the mining lease for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land in Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 24

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

Desiltation of tanks

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), , hereby undertakes for desilting of village tanks and other water bodies, located within five km from the mine lease boundary for Dhirauli Coal Block (Area -26.72 Sq. Km) In Singrauli Coalfield Dist. - Singrauli, State - Madhya Pradesh for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land in Singrauli Coalfield, Dist. - Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited

(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 25

File No.: IA-J-11015/49/2021-IA-II(M)
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
IA Division
****

Dated **07/12/2024**

To,

Sh. Bacha Prasad
M/s STRATATECH MINERAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
Adani Corporate House, Shantigram, S.G. Highway, Ahmedabad- 382421 , Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Bansibridha, and Belwar, SINGRAULI, MADHYA PRADESH, , 382421
E-mail: dhirauli@adani.com

Subject: **Dhirauli Coal Mining Project of Open cast cum Underground of 6.5 MTPA (5 MTPA Open Cast & 1.5 MTPA Underground) in Mine Lease Area of 2672 ha by M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) located at villages Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Bansibridha, and Belwar, Tehsil Sarai, District Singrauli, (Madhya Pradesh) –Consideration for Environmental Clearance-Regarding**

Sir/Madam,

This is in reference to your application submitted to MoEF&CC vide proposal number IA/MP/CMIN/427946/2023 dated 13/05/2023 and subsequent additional information submitted on 26/09/2024 for grant of Environmental Clearance (EC) to the project mentioned above under the provision of the EIA Notification 2006-and as amended thereof.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) EC Identification No.	EC23A0605MP5511241N
(ii) File No.	IA-J-11015/49/2021-IA-II(M)
(iii) Clearance Type	Fresh EC
(iv) Category	A
(v) Project/Activity Included Schedule No.	1(a) Mining of minerals
(vi) Sector	Coal Mining
(vii) Name of Project	M/s Dhirauli Coal Mine Project of Opencast cum Underground of 6.5 MTPA (5 MTPA OC & 1.5 MTPA UG) in mine lease area of 2672 Ha
(ix) Location of Project (District, State)	SINGRAULI, MADHYA PRADESH
(x) Issuing Authority	MoEF&CC
(xii) Applicability of General Conditions	No

3. M/s. Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) has made an online application vide proposal no.

IA/MP/CMIN/427946/2023, dated 13.05.2023 along with copy of EIA report and Forms (Part A, B and C) seeking Environment Clearance (EC) under the provisions of the EIA Notification, 2006 for the project mentioned above. Further, project proponent uploaded the Stage-I FC for forest land of 1397.54 ha on 26/09/2024 and requested the Ministry to grant of Environment clearance.
4. The proposed project activity is listed at S. No. 1(a) Mining of minerals under Category "A" of the schedule of the EIA Notification, 2006 (as amended) and appraised at Central Level.
5. The instant Proposal was considered in the 45th EAC Meeting held on 31st May 2023. The minutes of the meeting and all the project documents are available on PARIVESH portal which can be accessed at https://parivesh.nic.in.

Details submitted by the project proponent

6. The proposal is for Environmental Clearance of Dhirauli Coal Mining Project of Open cast cum Underground of 6.5 MTPA (5 MTPA Open Cast & 1.5 MTPA Underground) in Mine Lease Area of 2672 ha by M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) located at villages Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Bansibridha, and Belwar, Tehsil Sarai, District Singrauli, (Madhya Pradesh). This is a Greenfield project.

7. ToR was granted vide letter J-11015/49/2021-IA.II (M) dated: 03.08.2021. Amendment in ToR was granted vide letter no. J-11015/49/2021-IA.II (M) dated 09.01.2023.

8. **Environmental site settings**: The project area is covered under Survey of India Topo Sheet No. 63 L/8 and is bounded by the geographical coordinates ranging from Latitude 23°56'07" N to 24°03'04" N Longitude 82°19'04" E to 82°24'21" E. Coal linkage of the project is not applicable as the mine is commercial coal mine. Project does not fall in the Critically Polluted Area (CPA), where the MoEF&CC vide is OM dated 13th January, 2010 has imposed moratorium on grant of Environment Clearance.

Mining Lease area: Total mining lease area as per block allotment is 2672 ha. Mining plan & Mine Closure Plan was approved vide letter No. MPS-34011/4/2021-MPS dated 04th May 2021.

Forest Area: PP submitted that the project involves 1397.54 Ha of Forest land (1335.35 Ha Reserve Forest land + 62.19 Ha Revenue Forest Land). The Stage – I FC clearance for the same was obtained MoEF&CC on 24.09.2024 for diversion of 1397.54 ha forest land.

Protected Area: PP submitted that there are no National Park, Eco-Sensitive Zones, Wildlife Sanctuaries in 10 km radius of the project for which NOC has been obtained by CCF, Sanjay Tiger Reserve, Sidhi vide letter no. kramank/machi/2022/5404 dated 17.08.2022. PP submitted that there is no violation of WLP Act. PP also submitted that there is presence of Schedule – I species for which a comprehensive Wildlife Conservation Plan has been prepared and approved by PCCF on 24.11.2022.

9. Details of Land usage:

A. Pre-mining:

Ownership	**Type of Land**	**Area, (Ha)**
Tenancy Land	Agricultural	553.54
	Township	
Govt Non-Forest Land	Grazing	720.92
	Barren (Road)	
	Water bodies	
	Other	
Forest Land	Protected Forest land	1335.35
	Revenue Forest	62.19
Total		**2672.00**

B. Post Mining

Mining Activity	**Land Use Area**	**Agricul-**	**Plantation**	**Water**	**Public Use**	**Forest land**

	(End of Life)	ture land		Body		
Excavation Area	2,096.59	-	1,843.03	-	-	1843.03
Backfilled Area (in Excavation Area	1,796.23	-	1,843.03	-	-	1843.03
Excavated Void (in Excavation Area)	300.36	-	-	253.56	-	-
Topsoil Dump	35.34 (upto 5th Year)	-	-	-	-	-
External Dump	387.55	-	387.55	-	-	387
Safety Zone	19.73	-	19.73	-	-	19.73
Haul Road Between quarries	-	-	-	-	-	-
Road diversion	4.13	-	-	-	4.13	-
Settling pond	2.20	-	-	2.20	-	-
Road & Infrastructure area	20.80	-	20.80	-	-	20.80
CHP & Washery	8.10	-	8.10	-	-	8.10
Coal Evacuation Route & Approach Road	1.15	-	1.15	-	-	1.15
Garland drains	5.34	-	5.34	-	-	5.34
Embankment	7.50	-	7.50	-	-	7.50
Green Belt	46.80	-	46.80	-	-	46.80
Water Reservoir	-	-	-	-	-	-
Rationalization area	72.11	-	72.11	-	-	72.11
Total (exclude back filled void & Topsoil area)	**2672.00**	-	**2412.11**	**255.76**	**4.13**	**2412.11**

10. **Mining Plan & Method of Mining**: Mining plan & Mine Closure Plan was approved as per the letter No. MPS-34011/4/2021-MPS dated 04th May 2021. Mining operations envisaged: Coal (OC) - Surface miner-FEL-Dumper, Overburden (OC) - Shovel Dumper, UG mine - Continuous Miner.

11. **Geological reserve**: Total Geological Reserve reported in the mine lease area is 558.011 MT (Opencast Mine – 260.263 MT, Underground Mine – 297.748 MT). Total Mineable Reserve are 313.79 MT of which 195.74 MT are by open cast method mining & 118.05 MT are by underground mining. Extractable Reserves are 298.12 MT (Opencast Mine – 186.06 MT Underground Mine – 112.07 MT) are available for extraction. Percent of extraction is 53.43% (Opencast Mine – 71.49 %, Underground Mine – 37.64 %).

12. **Thickness of seams**: Thickness of Seam VII-COMB varies from 1.27 to 9.08 and thickness of Seam VII-TOP varies from 0.83 to 8.48.

Type	Seam	Thickness Range (m)
Open Cast	VIII- Top	0.55 - 3.16
	VIII-Comb	1.37 - 4.47
	VII- Top	0.83 - 8.48
	VII-Bottom	0.32-1.52
	VII-Comb	1.27 - 9.08
Under Ground	VI	0.58 - 2.47
	IV	0.55 - 3.9
	III- Top	1.6 - 7.6
	II	0.4 - 4.55

13. **Coal quality**: Grade of coal: G8 (Overall); Stripping ratio: 10.55 m3/t; Average gradient: 20- 40.

14. **Life of Mine**: Total life of mine is 87 years.

15. **OB dump**: The project has one external OB dump in an area of 387.55 ha with 90 m height and 259.01 M. cum of OB. One internal dump in an area of 1796.23 ha with 1704.54 M. cum of material is envisaged in the project.

16. **Quarry area**: Total quarry area is 2,096.59 ha out of which backfilling will be done in 1843.03 ha. Remaining 253.56 ha. mine void will be converted into water body at post closure stage. Backfilled quarry area of 1843.03 ha shall be reclaimed with plantation. Final mine void will be converted into water body.

17. **Transportation of Coal:**

In pit	Dumpers for initial five years & In-pit conveyor after five years
Surface to siding	Dumpers for initial five years & In-pit conveyor after five years
Siding to loading	Transportation of mineral for initially 5 years will be done by the trucks after that in-pit conveyor belt with silo loading will be installed for transportation of coal till railway siding.

18. Consent to operate for the proposed capacity will be obtained after grant of EC.

19. Hurdul nallah is flowing through the mine lease. The Nallah will be diverted in consultation with Water Resources Department of the State Government.

20. In general, the results of ambient air quality monitoring data were found within prescribed limits except few aberrations which can be attributed to the specific local conditions during the day of sampling.

21. **Legal Issues/ Violation**: PP reported that there is no court cases, violation cases are pending against the project.

22. **Reclamation Plan**: Reclamation has been planned in an area of 387.55 Ha & 1843.03 Ha, comprising of OB Waste Dump and Backfilled Area respectively and 19.73 Ha & 46.80 Ha in the safety zone & green belt respectively.

23. **R&R issues**: The project involves 3037 PAF. R&R of the PAPs will be done as per prevailing laws.

24. **Baseline Data**: PP submitted that the environmental baseline data was generated in the pre-monsoon from March to May 2021.

25. **Water Requirement**: The ground water level has been reported to be varying between 5 to 13 m bgl, during pre-monsoon and between 3 to 8 m bgl during post-monsoon. Total water requirement for the project is 1936 m3/day. NOC for ground water withdrawal has been approved by the Central Ground Water Authority (CGWA) vide NOC no. CGWA/NOC/MIN/ORIG/2022/15765 on 15/06/2022.

26. **Public Hearing**: Public hearing for the project was conducted on 04.05.2022 at Senior Secondary School, Village - Basi Bardah, Dist: Singrauli, Madhya Pradesh under the Chairmanship of Shree D.P. Barman, ADM, Singrauli. Major issues raised in the public hearing & appropriate action to address the issues raised in the Public Hearing have already been taken/proposed to be taken are given in the action plan prepared and mentioned in Chapter 7 in EIA/EMP report. The public hearing budget has been revised from Rs. 6.53 crores to Rs. 10.73 crores.

Action plan as per MoEF&CC O.M. dated 30/09/2020

S. No.	Proposed Activities under public hearing commitment scheme		Phasing of Allocated proposed PH commitment Budget, Rs. Lakh					
			FY 2023-24	FY 2024-25	FY 2025-26	FY 2026-27	FY 2027-28	Total
1.	Health Facility at village Dhirauli Jhalari, Amdand Belwar and rehabilitation colony	Providing infrastructure facilities such as beds, medical instruments in medical centers 24x7 Ambulance to be made available to Basi bardah, Jhalari	25	50	50	75	75	275
2.	Educational Facilities (Dhirauli	English medium school with modern amenities like library,	200	200	20	-	-	420

	Village Basi bardah, Jhalari Amdand Belwar and rehabilitation colony and rehabilitation colony and rehabilitation colony)	laboratories, sports facilities, virtual learning, etc. Free education, books, uniform, etc.						
		Construction of Toilets in the schools	0	0	10	0	10	20
		Construction of Laboratory in the schools	0	0	0	10	10	20
3.	Rural infrastructure development	Construction of Pucca roads, Waiting Shed,	0	0	50	0	50	100
		Construction of Overhead tanks, piping, drainages & internal roads	15	15	15	15	20	80
		Renovation of Temples (religious places)	0	0	2	3	3	8
4.	Employment Generation	Skill Development Training for operators, fitters, electricians	10	10	10	10	10	50
		Training centers for Ladies (stitching, Embroidery, tailoring etc.)	10	10	10	10	10	50
5.	Livelihood Development & farmers productivity	Farmer's training in recent crop specific training on cultivation, harvesting and marketing.	5	10	0	10	25	50
Total			**265**	**295**	**167**	**133**	**213**	**1073**

27. **Cost of Project**: Total cost of the project is Rs. 2800 Crore. Cost of production is Rs 1402 per tonne. CSR cost will be 2% profit of last three years. R&R cost 390 Crore. Environment Management Cost is: 1832 Lakh, Capital Rs 1550 Lakh; & Recurring Rs. 282 Lakh.

28. Submission of ADS reply: PP has uploaded the ADS reply on 26/09/2024 as below-

S.No.	Information sought	Information provided
i.	Stage I FC letter for 1394.54 ha	Stage 1 Forest clearance letter granted by MoEF&CC on 24.09.2024 for diversion of 1397.54 ha forest land
ii.	Letter of Intent (LoI) granted by State Government	This mine has been vested vide vesting order No. NA-104/7/2020-NA dated 03.03.2021 by Nominated Authority, Ministry of Coal. However, application for mining lease submitted to the Collector, Singrauli on 17.06.2021. Collector Singrauli forwarded application with necessary documents to Director of Geology and Mining, Bhopal on 30.03.2022. Mine lease will be executed by respective authority after submission of Environment & Forest Clearances.

Observations and deliberations of the EAC:

29. The EAC in its meeting held on 31st May 2024, inter alia deliberated the following:

i. Terms of References (ToR) obtained vide letter No. J-11015/49/2021-IA. II (M) dated 03.08.2021. Further, Amendment of ToR was granted vide letter J-11015/49/2021-IA. II (M) dated 09.01.2023.

ii. Mining plan & Mine Closure Plan was approved as per the letter No. MPS-34011/4/2021-MPS dated 04th May 2021. In mine lease area of 2672 Ha, total 1397.54 Ha of Forest land (1335.35 Ha Reserve Forest land + 62.19 Ha Revenue Forest Land) involved.

iii. Life of mine is 87 years.

iv. Public hearing conducted on 04.05.2022 under Chairmanship of ADM, Singrauli for Dhirauli Coal Mine project. PP submitted the activities- wise public hearing budget of Rs. 653 Lakh.

v. PP has collected the Baseline data for period from March to May 2021 and October to December 2021.

vi. NOC for 1936 m3/day (Fresh Water 50 m3/day & dewatering 1886 m3/day) obtained from CGWA, which is valid up to 14.06.2024, vide NOC No. CGWA/NOC/MIN/ORIG/2022/15765.

vii. Hurdul Nala flowing within Mine Lease area. The Nala Diversion study has been carried out and also approved by Chief Engineer Ganga Basin Rewa.

viii. PP has submitted NOC from Principal Chief Conservator of Forest Madhya Pradesh vide letter no KRAMANK/MACHI. /2022/5404 dated 17.08.2022, stating that there is No Eco-sensitive zone within the 10 KM radius.

ix. The PP has submitted the total environmental management cost of Rs.1550 lakhs as a Capital Cost and Rs.282 lakhs as Recurring Expenditure.

x. The PP vide letter dated 02.06.2023 submitted the following:

a) Dhirauli Coal block at an aerial distance of about 30 km from the Severely Polluted area of Singrauli District. PP later submitted a letter from Member Secretary, MPPCB vide no 1335/TS/HQ/Mine 2063 dated 06.06.2023 wherein it is reported that said mine location is away from 114 sq km area of Singrauli, designated as CEPI.

b) PP later also confirmed that the grazing area in the R&R colony will be increased from 4 ha to 10 ha. An undertaking has been enclosed.

c) The public hearing budget has been increased from Rs. 6.53 crores to Rs. 10.73 crores. To improve education, an English medium school will be built with modern amenities like a library, laboratories, sports facilities etc., which will also ensure that free education, books, uniform, etc., would be provided for all children. Also, free drinking water will be supplied to nearby villages through pipelines, tankers, etc.

d) The budget for Hurdul Nala diversion has been separated from the EMP. The revised EMP budget has been mentioned below:

S. No.	**Environmental Protection Measures**	**Capital Cost (Rs. In Lakhs)**	**Recurring Cost (Rs. In Lakhs)**
1.	Air Pollution Control Measures (Dry fog Dust Suppression Systems at CHP, and Loading Point)	100	60
2.	Water Pollution Control Measures (Construction of Garland drain, Construction of Garland drain around the OB dump, Toe wall around the dump)	118	50
3.	Noise Pollution Control Measures	15	10
4.	Greenbelt/ Nursery Development	37	50
5.	Rainwater Harvesting	80	10
6.	Fire Fighting and Safety measures	100	10
7.	Installation of Online Ambient Air Quality Monitoring System & Online Monitoring ETP	200	10
8.	Budget/ Scheme for the Public Hearing Commitments	1073	0
	Total EMP Budget*	**1723**	**200**
*** The EMP capex budget shall be utilized within 5 years from the date of operation.**			

e) Committee noted that approx 90% of the coal from Dhirauli Coal Mine will be utilized in the Thermal Power Plant of M/s Mahan Energen Ltd. A five-kilometer pipe conveyor system has been planned for transportation of coal from Mine to

Power Plant, which is likely to be implemented in 3.5 years, from the start date of planned coal production as per allocation order/ CBDPA with MOC, Govt. of India.

The remaining coal will be supplied through rail/road in the open market since it is a commercial coal mine. However, road transportation may be allowed for an initial 3.5 years of coal production for supply to thermal power plant. A commitment and undertaking in this regard has been enclosed.

f) The CO_2 emissions from mining activity and loss of CO_2 sequestration due to deforestation have been estimated with CO_2 sequestration due to compensatory afforestation. A report has been submitted in this regard, which mentions that total number of 16,80,000 trees will be planted in 1400 Ha of land area under compensatory Afforestation (maintaining tree density of 1200 trees/ha). The CO_2 sequestration starts right after the plantation is done. Total amount of CO_2 that will be sequestered in 2nd year and that in 10th year of plantation will be 377,081.4 and 5,706,152.90 tons of CO_2 annually.

xi. The EAC after deliberation noted that the instant proposal is a green field opencast cum underground project. PP obtained the ToR on 03.08.2021 and later its amendment vide letter dated 09.01.2023 regarding diversion of stream which is flowing in middle of mine. The Committee noted that PP has to obtain forest clearance for 1397.54 ha of forest land.
xii. The Committee during discussions highlighted concerns on impact related to catchment of the Hurdul stream and advise the PP to take all possible precautions with proper design of channel to maintain the natural flow of water along the periphery of mine without loss within catchment area alongwith maintaining natural biodiversity at downstream. The same time, PP was advised not to divert north eastern stream (Bardiya/Jharia Stream) and leave safe distance on both sides with embankment alongwith dense plantation. The Committee opined that IRO shall monitor the implementation of Report on Hydrology prepared by Srushti Seva Private Limited for diversion of Hurdul Stream so that the natural flow of water will be maintained at the exit of the Mine lease area. The diverted route of nallah also needs to be protected with dense plantation. Water flow meter and Ground water piezometer should be installed at the various location for measuring surface as well as ground water level.
xiii. While discussing the coal evacuation plan, the Committee emphasized to put in place a dedicated mechanized coal transportation system by in pit belt conveyor with silo loading and railway siding for rail transportation for at least 90% of total coal capacity to thermal power plant within three and half year. Meanwhile PP could utilize the road for transportation.
xiv. Regarding public hearing issues, as noted from the proceeding of meeting held on the project, PP admitted to enhance the budget, subsequently, which has been increased from Rs. 6.53 crores to Rs. 10.73 crores to improve education. A dedicated modern facility school was advised to be built on the priority basis considering school capacity as per children's available within the 5 km of the project area. Later, PP proposed for English medium school to be equipped with modern amenities like library, laboratories, sports facilities, virtual learning, Free education, books, uniform, etc. and Rs. 420 lakhs to be spent on the Educational Facilities wherein expenditure related to the salary of staff, education to be provided free and recurring cost of school to be met under CSR budget so that no burden to be imposed on fee structure. Besides, drinking water facility to nearby villages through pipelines, tankers, etc shall be ensured. Also the recurring cost related to the other public hearing activities was advised to be covered under CSR budget after completing the task.
xv. As committed, the Capital EMP budget of Rs. 1723 lakh and annual recurring cost of Rs. 200 lakhs was advised to be properly spent for pollution control measures only. The Committee also emphasized that 20% of the mine energy requirement should be met through clean fuel source alongwith shifting 80% vehicles to clean fuel within mine from commencement of the mining activity. As committed in report, PP shall start sequestration of CO_2 in 2nd year of operation and IRO will review the progress of CO_2 sequestration.

xvi. The Committee noted that there is no national Park/Wildlife Sanctuary, tiger and Biosphere within 10 km of mine lease area. However, Project area consists of Schedule I species for which a comprehensive Wildlife Conservation Plan has been prepared and approved by PCCF on 24.11.2022. The committee also noted that as per CCF, Sidhi, MP vide letter no. KRAMANK/ MACHI/ 2022/ 3494 dated 20.05.2022, the Elephant corridor is passing through the project as per work plan of the Forest Division. Therefore, EAC proposed while considering this project, it would be appropriate to take opinion of WL-division /Project Elephant of MoEF&CC in this regard.

Recommendations of the Committee

30. Based on the discussions held and the documents submitted, the EAC **recommended** the proposal for grant of

Environmental Clearance of Dhirauli Coal Mining Project of Open cast cum Underground of 6.5 MTPA (5 MTPA Open Cast & 1.5 MTPA Underground) in Mine Lease Area of 2672 ha by **M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)** located at villages Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Bansibridha, and Belwar, Tehsil Sarai, District Singrauli, (Madhya Pradesh) under EIA Notification, 2006 and its amendments therein subject to the compliance of the following specific conditions in addition to the Standard EC conditions (**Annexure 1**).

31. The MoEF&CC has examined the proposal in accordance with the provisions contained in the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and based on the recommendations of the EAC hereby accords Environmental Clearance to M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) for Dhirauli Coal Mining Project of Open cast cum Underground of 6.5 MTPA (5 MTPA Open Cast & 1.5 MTPA Underground) in Mine Lease Area of 2672 ha, located at villages Dhirauli, Phatpani, Sirswah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Bansibridha, and Belwar, Tehsil Sarai, District Singrauli, Madhya Pradesh, subject to compliance of the specific Environmental safeguard Conditions in addition to the standard EC conditions (**Annexure 1**)

32. The proponent shall obtain all necessary clearances/approvals that may be required before the start of the project. The Ministry or any other competent authority may stipulate any further condition for environmental protection. The Ministry or any other competent authority may stipulate any further condition for environmental protection.

33. The Environmental Clearance to the aforementioned project is under provisions of EIA Notification, 2006. It does not tantamount to approvals/consent/permissions etc. required to be obtained under any other Act/Rule/regulation. The Project Proponent is under obligation to obtain approvals /clearances under any other Acts/ Regulations or Statutes, as applicable, to the project.

34. The PP is under obligation to implement commitments made in the Environment Management Plan, which forms part of this EC.

35. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

36. General Instructions:

(i) The project proponent shall prominently advertise it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days indicating that the project has been accorded environment clearance and the details of MoEF&CC website where it is displayed.

(ii) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn must display the same for 30 days from the date of receipt.

(iii) The project proponent shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors (in case of Company) or competent authority, duly prescribing standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions.

(iv) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the project proponent (during construction phase) and authorized entity mandated with compliance of conditions (during operational phase) shall be prepared. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Six monthly progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

(v) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

(vi) The Regional Office of this MoEF&CC shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data /

information/monitoring reports.

(vii) Validity of EC is as per the provision of EIA Notification, 2006 and its subsequent amendment.

37. This issue with an approval of the Competent Authority

Yours faithfully,

(Sundar Ramanathan)
Scientist 'E'/Additonal Director
Tel: 011- 20819378
Email- r.sundar@nic.in

Copy To

1. The Secretary, Ministry of Coal, Shastri Bhawan, New Delhi
2. Deputy Director General of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office, E-5, Kendriya Paryavaran Bhawan, E-5 Arera Colony, Link Road-3, Ravishankar Nagar, Bhopal – 462016.
3. The Chairman, Central Ground Water Authority, Ministry of Water Resources, Curzon Road Barracks, A-2, W-3 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi.
4. The Member Secretary, Central Pollution Control Board, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, Delhi – 32.
5. The Regional Director, Central Ground Water Board, North Central Region, Block-1, 4th Floor, Paryawas Bhawan Area Hills, Jail Road, Bhopal - 462011, Madhya Pradesh.
6. The Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board, E-5, Main Rd No. 3, Ekant Park, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh 462.016.
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, E-5, Main Rd No. 3, Ekant Park, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh 462.016.
8. The District Collector, Singrauli, Government of MP.
9. PARIVESH Portal

Annexure 1

Specific EC Conditions for (Mining Of Minerals)

1. Additional Specific Condition

S. No	EC Conditions
1.1	*PP shall not be allowed to use 1397.54 Ha forest land for any type of infrastructural development except coal mine production.*
1.2	*PP shall obtain CTE/CTO from State Pollution Control Board for 6.5 MTPA (5 MTPA – Opencast Mine & 1.5 MTPA - Underground Mine).*
1.3	*PP shall take all possible precautions in order to catch natural flow of water along with maintaining natural biodiversity of stream flowing through Mine lease area.*
1.4	*PP shall not divert north eastern stream (Bardiya/Jharia Stream) and to maintain safe distance of 100 mts on both sides for the safety embankment with dense plantation.*

S. No	EC Conditions
1.5	*PP shall submit six monthly reports to IRO after monitoring implementation of Report on Hydrology prepared by Srushti Seva Private Limited for diversion of Hurdul Stream. The diverted route of Nallah to be protected with dense plantation.*
1.6	PP shall make use of advanced computer simulation techniques for design and execution of blasting operation in the mine. PP shall make use of Electronic Delay Detonators for optimal blasting in coal and OB rock to minimize the environmental impacts of blasting such as ground vibration, fly rocks and excessive dust generation
1.7	*PP shall install Water flow meter and Ground water piezometer near to the nallah flowing through Mine lease area at various location for measuring surface as well as ground water level.*
1.8	*PP shall install dedicated mechanized system for transportation of 90% of coal through close pipe conveyor system and only 10% by road. As proposed PP to construct 5 km pipe conveyor system from mine pit/face to Power Plant (M/s Mahan Energen Ltd) within 3 and half year, which should be designed upto peak capacity of mine production. SPCB to grant the CTO accordingly.*
1.9	*PP shall reduce the carbon footprint after sequestration of CO_2 and* 377,081.4 tons of CO_2 *to be sequestered in the 2nd year of mining. IRO shall review the progress of CO_2 sequestration. The process of sequestration of CO_2 will include the planting trees, by "Developing carbon capture and storage (CCS) technologies" and implementation of renewable energy mechanism.*
1.10	*PP shall address public hearing issues with the allocated Budget of Rs. 1073 Lakhs/- and activities to be monitored by through dedicated online monitoring mechanism. The maintenance of all activities shall be covered through recurring cost of Public Hearing which will be part of CSR budget.*
1.11	*As proposed, PP shall implement the public hearing budget on the items given above in the Minutes of Meeting of EAC at 45.1.3 (xiii) (c) and EMP budget on the items given above at 45.1.3 (xiii) (d).*
1.12	*As committed, PP shall construct dedicated modern facility school on the priority basis considering school capacity as per children's available within the 5 km of the project area. As per the demand, English medium school to be equipped with modern amenities like library, laboratories, sports facilities, virtual learning with free education (or with nominal cost), books, uniform, etc. Total Rs. 420 lakh to be spent on the Educational Facilities only wherein expenditure related to the salary of staff, education fee and other expenditure to be covered as recurring cost under CSR budget so that no burden to be imposed on local public children.*
1.13	*PP shall create a* ***"Public Grievance Redressal and Monitoring System"*** *for resolving any issues related to the pollution of mines and complaint has to resolve as soon as possible not beyond 30 days. In this regard, adequate awareness to be spread among the public to address their grievance to company with simple and easy manner and for which company needs to devise the mechanism. The same shall be reported to IRO within 3 months. A log book to be maintained by PP on* ***"Public Grievance Redressal and Monitoring System.***
1.14	*PP shall implement EMP activities with allocated capital budget of Rs. 1723 lakh and recurring cost of Rs. 200 lakhs for compliance with the environmental protection and mitigation.*
1.15	*PP shall ensure that 20% of the mine energy requirement should be met through clean fuel source along with shifting 80% vehicles to clean fuel [electrical or CNG/LNG based dumpers/trucks for*

S. No	EC Conditions
	transportation of coal/OB etc] within mine from commencement of the mining activity.
1.16	*No village road shall be used for transportation of coal and no road transport route shall be adopted, which is passing through any sensitive location such as schools, hospitals etc. PP shall take legal undertaking from its consumers accordingly.*
1.17	*PP to develop 5 ha of nursery particularly for Sal Trees and plantation to be carried out in reclaimed area focusing on the development of Sal Forest.*
1.18	*PP shall ensure the employment for the Project Affected Families (PAF) on permanent basis as per qualification and provide the free transportation to the work site.*
1.19	*PP shall ensure distribution of water from the artificial reservoir within and outside Mine lease area in consultation with gram panchayat. The water treatment plant to meet the requirement with the start of production.*
1.20	*PP shall construct a pucca road to maintain the safety of people residing nearby along the transportation route with plantation on either side of the road.*
1.21	*PP shall install fixed fog cannon (mist spayer) and fixed sprinkler all along the haul road till CHP, Railway siding and OB Dump area and accordingly sufficient number of fog cannons (not less than 20 nos.) with 40 mts jet length shall be installed within 6 months. It should be ensured that air pollution level confirm to the standards prescribed by the MOEFCC/CPCB.*
1.22	*PP shall deploy only 35-40 tonnes covered trucks/dumper to reduce fleet size till closed conveyor pipe loading system is put in place and also to implement surface miner and conveyor belt system from pit head to CHP, as feasible.*
1.23	*PP shall conduct third party audit of compliance of EC condition at an interval six months and its report shall be submitted to IRO, MoEF&CC.*
1.24	*The status of mine closure activities must be included in every six months' compliance report submitted to the state pollution control board and IRO.*
1.25	*PP to maintain the topped haul road properly to minimized the dust emission. PP to also develop pucca roads by seeking consent from the panchayat with widening of roads especially roads inter linking the villages within the study area of 10 km radius buffer zone.*
1.26	*PP to install solar lights along the road used for transportation of minerals to avoid the accidents at night and also seek its maintenance. PP is asked to also identify the rural areas for installation of solar light with its maintenance within the study area of 10 km radius buffer zone within one year.*
1.27	*PP to provide bio toilets to the villages located within the study areas within 1 year from the grant of this EC.*
1.28	*Persons of nearby villages shall be given training on livelihood and skill development to make them employable with its proper records.*
1.29	*PP shall pay to farmers of agricultural land if there is any loss due to pollution found by concerned*

S. No	EC Conditions
	District Commissioner as per extent rules or norms.
1.30	*PP should establish in house (at project site) environment laboratory for measurement of environment parameter with respect to air quality and water (surface and ground. A dedicated team to oversee environment management shall be setup which should comprise of Environment Engineers, Laboratory chemist and staff for monitoring of air, water quality parameters on routine basis. Any non- compliance or infringement should be reported to the concerned authority.*
1.31	*PP to implement the recommendation of land subsidence study carried out for underground mine and report shall be submitted to IRO in every six monthly report.*
1.32	*PP to obtain the star rating as per the guidelines of Ministry of Coal.*
1.33	*Hon'ble Supreme Court in an Writ Petition(s) Civil No. 114/2014, Common Cause vs Union of India & Ors vide its judgement dated 8th January, 2020 has directed the Union of India to impose a condition in the mining lease and a similar condition in the environmental clearance and the mining plan to the effect that the mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Compliance of this condition after the mining activity is over at the cost of the mining lease holders/Project Proponent". The implementation report of the above said condition shall be sent to the Regional Office of the MoEF&CC.*

Standard EC Conditions for (Mining of minerals)

1. Statutory Compliance

S. No	EC Conditions
1.1	The Environmental clearance shall be subject to orders of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Courts, NGT and any other Court of Law, from time to time, and as applicable to the project
1.2	The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.
1.3	The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
1.4	The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. TThe implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report (in case of the presence of schedule-I species in the study area).
1.5	The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.
1.6	The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority

S. No	EC Conditions
1.7	Solid/hazardous waste generated in the mines needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016/Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.

2. Air Quality Monitoring And Mitigation Measure

S. No	EC Conditions
2.1	Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates, SO2 and NOx. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the State Pollution Control Board. Online ambient air quality monitoring station/stations may also be installed in addition to the regular air monitoring stations as per the requirement and/or in consultation with the SPCB
2.2	The Ambient Air Quality monitoring in the core zone shall be carried out to ensure the Coal Industry Standards notified vide GSR 742 (E) dated 25th September, 2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board. Data on ambient air quality and heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr and other monitoring data shall be regularly reported to the Ministry/Regional Office and to the CPCB/SPCB.
2.3	Transportation of coal, to the extent if permitted by road, shall be carried out by covered trucks/conveyors. Effective control measures such as regular water sprinkling/rain gun/ Fog cannon /mist sprinkling etc., shall be carried out in critical areas prone to air pollution with higher level of particulate matter all through the coal transport roads, loading/unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled regularly. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central/State Pollution Control Board.
2.4	Major approach roads shall be black topped and properly maintained.
2.5	The transportation of coal shall be carried out as per the provisions and route proposed in the approved mining plan. Transportation of the coal through the existing road passing through any village shall be avoided. In case, it is proposed to construct a 'bypass' road, it should be so constructed that the impact of sound, dust and accidents could be appropriately mitigated.
2.6	Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. All the vehicles engaged in mining and allied activities shall operate only after obtaining ‘PUC’ certificate from the authorized pollution testing centres.
2.7	Coal stock pile/crusher/feeder and breaker material transfer points shall invariably be provided with dust suppression system. Belt-conveyors shall be fully covered to avoid air borne dust. Side cladding all along the conveyor gantry should be made to avoid air borne dust. Drills shall be wet operated or fitted with dust extractors.
2.8	Coal handling plant shall be operated with effective control measures w.r.t. various environmental parameters. Environmental friendly sustainable technology should be implemented for mitigating such parameters.

3. Water Quality Monitoring And Mitigation Measures

S. No	EC Conditions
3.1	The effluent discharge (mine waste water, workshop effluent) shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25th September, 2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board.
3.2	The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No.J-20012/1/2006-lA.11 (M) dated 27th May, 2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for its compliance.
3.3	Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to MOEFCC/RO.
3.4	Monitoring of water quality upstream and downstream of river including pons, lakes, tanks shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.
3.5	Ground water, excluding mine water, shall not be used for mining operations. Rainwater harvesting shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources.
3.6	The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the mine. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side, stabilized with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of mine inundation.
3.7	Garland drains (of suitable size, gradient and length) around the critical areas i.e. mine shaft and low lying areas, shall be designed keeping at least 50% safety margin over and above the peak sudden rainfall and maximum discharge in the area adjoining the mine sites. The sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material of the surface runoff
3.8	The water pumped out from the mine, after siltation, shall be utilized for industrial purpose viz. watering the mine area, roads, green belt development etc. The drains shall be regularly desilted particularly after monsoon and maintained properly
3.9	Industrial waste water from coal handling plant and mine water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made thereunder, and as amended from time to time. Oil and grease trap shall be installed before discharge of workshop effluent. Sewage treatment plant of adequate capacity shall be installed for treatment of domestic waste water.
3.10	Adequate groundwater recharge measures shall be taken up for augmentation of ground water. The project authorities shall meet water requirement of nearby village(s) in case the village wells go dry due to dewatering of mine.

S. No	EC Conditions
3.11	The surface drainage plan including surface water conservation plan for the area of influence affected by the said mining operations shall be prepared, considering the presence of any river/rivulet/pond/lake etc., with impact of mining activities on it, and implemented by the project proponent. The surface drainage plan and/or any diversion of natural water courses shall be as per the provisions of the approved Mining Plan/ EIA-EMP submitted to this Ministry and the same should be done with due approval of the concerned State/GoI Authority. The construction of embankment to prevent any danger against inrush of surface water into the mine should be as per the approved mining plan and as per the permission of DGMS.
3.12	The project proponent shall take all precautionary measures to ensure reverian/ riparian ecosystem in and around the coal mine upto a distance of 5 km. A revarian /riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared and implemented in consultation with the irrigation / water resource department in the state government.

4. Noise And Vibration Monitoring And Prevention

S. No	EC Conditions
4.1	Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per Noise Pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operation of HEMM, etc shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.
4.2	The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the mine premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.

5. Mining Plan

S. No	EC Conditions
5.1	Mining shall be carried out under strict adherence to provisions of the Mines Act 1952 and subordinate legislations made there-under as applicable.
5.2	No change in mining method i.e. UG to OC, calendar programme and scope of work shall be made without obtaining prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC).
5.3	Mining shall be carried out as per the approved mining plan (including Mine Closure Plan) abiding by mining laws related to coal mining and the relevant circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS).
5.4	Underground work place environmental conditions shall be rendered ergonomic and air breathable with adequate illumination in conformance with DGMS standards.
5.5	No mining shall be carried out in forest land without obtaining Forestry Clearance as per Forest (Conservation) Act, 1980 and also adhering to The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 read with provisions of Indian Forest Act, 1927.

S. No	EC Conditions
5.6	Efforts should be made to reduce energy and fuel consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

6. Land Recalmation

S. No	EC Conditions
6.1	Digital Survey of entire lease hold area/core zone using Satellite Remote Sensing survey shall be carried out at least once in three years for monitoring land use pattern and report in 1:50,000 scale or as notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change(MOEFCC) from time to time shall be submitted to MOEFCC/Regional Office (RO).
6.2	Post-mining land be rendered usable for agricultural/forestry purposes and shall be handed over to the respective State Government, as specified in the Guidelines for Preparation of Mine Closure Plan, issued by the Ministry of Coal dated 27th August, 2009 and subsequent amendments.
6.3	Regular monitoring of subsidence movement on the surface over and around the working areas and its impact on natural drainage pattern, water bodies, vegetation, structure, roads and surroundings shall be continued till movement ceases completely. In case of observation of any high rate of subsidence beyond the limit prescribed, appropriate effective mitigation measures shall be taken to avoid loss of life and materials. Cracks should be effectively plugged in with ballast and clay soil/suitable material.
6.4	Fly ash shall be used for external dump of overburden, backfilling or stowing of mine as per provisions contained in clause (i) and (ii) of subparagraph (8) of fly ash notification issued vide SO 2804 (E) dated 3rd November, 2009 as amended from time to time. Efforts shall be made to utilize gypsum generated from Flue Gas Desulfurization (FGD), if any, along with fly ash for external dump of overburden, backfilling of mines. Compliance report shall be submitted to Regional Office of MoEF&CC, CPCB and SPCB.
6.5	A separate team for subsidence monitoring and surface mitigation measures shall be constituted and continuous monitoring & implementation of mitigation measures be carried out.
6.6	Thorough inspection of the mine lease area for any cracks developed at the surface due to mining activities below ground shall be carried out to prevent inrush of water in the mine.
6.7	Native tree species shall be selected and planted over areas affected by subsidence.
6.8	The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.
6.9	The final mine void depth should preferably be as per the approved Mine Closure Plan, and in case it exceeds 40 m, adequate engineering interventions shall be provided for sustenance of aquatic life therein. The remaining area shall be backfilled and covered with thick and alive top soil. Post-mining land be rendered usable for agricultural/forestry purposes and shall be diverted. Further action will be treated as specified in the guidelines for Preparation of Mine Closure Plan issued by the Ministry of Coal dated 27th August, 2009 and subsequent amendments.

S. No	EC Conditions
6.10	The entire excavated area, backfilling, external OB dumping (including top soil) and afforestation plan shall be in conformity with the "during mining"/"post mining" landuse pattern, which is an integral part of the approved Mining Plan and the EIA/EMP submitted to this Ministry. Progressive compliance status vis-a-vis the post mining land use pattern shall be submitted to the MOEFCC/RO.
6.11	Further, it may be ensured that as per the time schedule specified in mine closure plan it should remain live till the point of utilization. The topsoil shall temporarily be stored at earmarked site(s) only and shall not be kept unutilized. The top soil shall be used for land reclamation and plantation purposes. Active OB dumps shall be stabilised with native grass species to prevent erosion and surface run off. The other overburden dumps shall be vegetated with native flora species. The excavated area shall be backfilled and afforested in line with the approved Mine Closure Plan. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self-sustaining. Compliance status shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/ Regional Office.

7. Public Hearing And Human Health Issues

S. No	EC Conditions
7.1	Adequate illumination shall be ensured in all mine locations (as per DGMS standards) and monitored.
7.2	The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project and maintain records accordingly as per the provisions of the Mines Rules, 1955 and DGMS circulars. Besides regular periodic health check-up, 20% of the personnel identified from workforce engaged in active mining operations shall be subjected to health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any, as amended time to time.
7.3	Personnel (including outsourced employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
7.4	Skill training as per safety norms specified by DGMS shall be provided to all workmen including the outsourcing employees to ensure high safety standards in mines.
7.5	Effective arrangement shall be made to provide and maintain at suitable points conveniently situated, a sufficient supply of drinking water for all the persons employed.
7.6	Implementation of the time bound action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the time bound action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.
7.7	The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/5712014-IA.I1 (M) dated 29th October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.

8. Corporate Environment Responsibility

S. No	EC Conditions
8.1	The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders.
8.2	A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
8.3	Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
8.4	Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
8.5	The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No.22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

9. Miscellaneous

S. No	EC Conditions
9.1	The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
9.2	The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
9.3	The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
9.4	The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
9.5	The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V

S. No	EC Conditions
	to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
9.6	The project authorities shall inform to the Regional Office of the MOEFCC regarding commencement of mining operations.
9.7	The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
9.8	The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
9.9	No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
9.10	Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
9.11	The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
9.12	The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
9.13	The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
9.14	The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
9.15	Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
9.16	**GREEN BELT** The project proponent shall take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered flora/fauna, if any, spotted/reported in the study area. Action plan, in this regard, if any, shall be prepared and implemented in consultation with the State Forest and Wildlife Department.
9.17	Greenbelt, consisting of three-tier plantation, of width not less than 7.5 m, shall be developed all along the mine lease area in a phased manner. The green belt comprising of a mix of native species shall be developed all along the major approach roads/ coal transportation roads.

S. No	EC Conditions
9.18	*Project proponent is advised to implement the 'Ek Ped Maa Ke Naam' Campaign which was launched on 5th June 2024 on the occasion of the World Environment Day to increase the forest cover across the Country. This plantation drive is other than Green belt development. The action in this regard shall be submitted concerned RO in six monthly compliance report*

Annexure 26

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

No labour camp on forest land

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes that No Labour camp shall be established on the forest for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land In Singrauli Coalfield, Dist. - Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 27

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

No Change in the Layout plan

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes that the layout plan of the mining plan/ proposal will not be changed without the prior approval of the Central Government and the forest land will not be used for any purpose other than that specified in the proposal for Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land In Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421

Annexure 28

adani
Power

CERTIFICATE OF UNDERTAKING

No damage to Flora and Fauna

I, Bacha Prasad, Authorized Signatory of Dhirauli coal mines owned by M/s. Mahan Energen Limited (Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL), hereby undertakes that no damage to the flora and fauna of the adjoining area will be caused in Dhirauli Opencast cum Underground coal mine of 6.5 MTPA capacity having total mine lease area 2672 ha, in which 1397.54 ha is forest land In Singrauli Coalfield, Dist. -Singrauli, State - Madhya Pradesh.

Mr. Bacha Prasad

Authorized Signatory,

M/s. Mahan Energen Limited
(Formerly known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)

Mahan Energen Limited
(Formerly Known as Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL)
"Adani Corporate House"
Shantigram, Near Vaishno Devi Circle,
S. G. Highway, Khodiyar,
Ahmedabad-382421, Gujarat India
CIN : U40100DL2005PLC201961

Tel +91 79 2656 7555
Fax +91 79 2555 7177
info@adani.com
www.adanipower.com

Registered Office: Adani Corporate House, Shantigram, Nr. Vaishnodevi Circle, SG Highway, Ahmedabad - 382421